"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 86] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 मार्च 2006—फाल्गुन 30, शक 1927

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/6/2006/वाक/पांच (12).— चूंकि राज्य सरकार का यह विचार है कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) के अधीन निम्नलिखित नियम बनाये जाए और प्रवृत्त किए जाए.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और अधिनियम के अधीन अन्य सभी समर्थकारी शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

अध्याय - 1

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 है.

(2) वे दिनांक 1 अप्रेल, 2006 से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.-** (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) अधिनियम से अभिप्रेत है छत्तीसगढ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 वर्ष 2005),

(ख) "अपीलीय अधिकारी" से अभिप्रेत है अपीलीय उपायुक्त या अधिकरण,

(ग) किसी व्यापारी के संबंध में "समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी" से अभिप्रेत है उस वृत्त का वाणिज्यिक कर अधिकारी, जिसमें व्यापारी के कारबार का स्थान स्थित हो, या यदि राज्य में किसी व्यापारी के एक से अधिक कारबार के स्थान हो तो उस वृत्त का वाणिज्यिक कर अधिकारी, जिस वृत्त में उसके कारबार का प्रधान स्थान स्थित हो,

(घ) "कर निर्धारक अधिकारी" से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारी जिसे

आयुक्त द्वारा अधिनियम के अंतर्गत कर निर्धारण, शास्ति आरोपण तथा ब्याज अधिरोपण की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है,

(ड) "वृत्त" से अभिप्रेत है धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन जारी किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट किसी वाणिज्यिक कर अधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र,

(च) "प्रारूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्रारूप,

(छ) किसी व्यापारी के संबंध में "शासकीय कोषालय" से अभिप्रेत है,-

(एक) व्यापारी के कारबार का एक ही स्थान हो तो उस जिले में का, जिसमें उसके कारबार का स्थान स्थित हो, कोषालय या उप-कोषालय,

(दो) यदि व्यापारी के कारबार के एक से अधिक स्थान हो तो उस जिले का, जिसमें उसके कारबार का प्रधान स्थान स्थित हो, कोषालय या उप कोषालय,

(ज) "निरीक्षक" के अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त निरीक्षक, वाणिज्यिक कर,

(झ) "निरीक्षण अधिकारी" से अभिप्रेत है धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) से लेकर (छ) तक में विनिर्दिष्ठ कोई भी ऐसा अधिकारी जिसे आयुक्त धारा 57 के प्रयोजन के लिए अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित की है,

(ञ) "रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी" से अभिप्रेत है वह समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी अथवा धारा 3 के अधीन नियुक्त वह अधिकारी जिसे आयुक्त धारा 16 और 18 के प्रयोजनों के लिए अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित करता है,

(ट) "निरसित अधिनियम" से अभिप्रेत है अधिनियम कमांक 5 सन् 1995 की धारा 81 द्वारा निरसित मध्यप्रदेश सामान्य विकयकर अधिनियम, 1958 (कमांक 2 सन् 1959) तथा अधिनियम द्वारा निरसित छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (कमांक 5 सन् 1995),

(ठ) "निगरानी अधिकारी" से अभिप्रेत है आयुक्त अथवा धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारी जिसे आयुक्त द्वारा धारा 49 के अधीन शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है,

(ड) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा,

(ण) "भंडागार" से अभिप्रेत है कोई ऐसा अहाता, पात्र या भवन् जिसमें कोई व्यापारी अपने माल का स्टाक रखता है,

(2) इसमें प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किये गये और अधिनियम में परिभाषित किये गये अन्य समस्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उनके लिए अधिनियम में दिया गया है.

अध्याय – 2

3. नियुक्ति–

(1) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (च) और (छ) में विनिर्दिष्ट अधिकारी आयुक्त द्वारा नियुक्त किये जाएंगे;

(2) किसी क्षेत्र का निरीक्षक उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा वाणिज्यिक कर अधिकारी के अधीनस्थ होगा. किसी क्षेत्र में वाणिज्यिक कर अधिकारी की सहायता के लिए पदस्थ सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी ऐसे वाणिज्यिक कर अधिकारी के अधीनस्थ होगा. वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी उस क्षेत्र के भीतर, जिसमें वह अधिकारिता का प्रयोग करता है, उद्भूत होने वाले सभी विषयों में ऐसे क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सहायक आयुक्त के अधीनस्थ होगा।

(3) सभी निरीक्षक, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा सहायक आयुक्त जिस क्षेत्र में वे अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हो उस क्षेत्र में उद्भूत होने वाले सभी विषयों के संबंध में ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उपायुक्त तथा अपीलीय उपायुक्त के अधीनस्थ होंगे।

(4) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) से लेकर (छ) तक में निर्दिष्ट प्राधिकारी अपर आयुक्त के अधीनस्थ होंगे और अपर आयुक्त, आयुक्त के अधीनस्थ होगा।

(5) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) से लेकर (छ) तक में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं भी नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में और अपने कर्त्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करने में ऐसे निर्देशों का पालन करेंगे, जो आयुक्त द्वारा समय-समय पर जारी किए जाए।

4. अधिकरण का गठन एवं उसके कार्य–

(1) अधिकरण में, राज्य शासन द्वारा नियुक्त अध्यक्ष तथा एक सदस्य होगा।

(2) (क) अधिकरण का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा, जो अधिकतम वेतनमान पर उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य है या रह चुका है या भारतीय प्रशासनिक सेवा का छत्तीसगढ़ संवर्ग से सेवारत या सेवानिवृत्त सदस्य हो जो छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव या समकक्ष पद पर कम से कम तीन वर्ष तक पद धारण कर चुका हो,

(ख) सदस्य वह व्यक्ति होगा, जो मध्यप्रदेश या छत्तीसगढ़ में कम से कम तीन वर्ष के लिए अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर का पद धारित कर चुका हो।

(3) (क) अध्यक्ष पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या पैंसठ वर्ष की आयु होने तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

(ख) सदस्य पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या बांसठ वर्ष की आयु होने तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

(4) अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकेगा और ऐसा इस्तीफा राज्य शासन द्वारा स्वीकृत दिनांक से प्रभावी होगा।

(5) राज्य शासन अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व समाप्त कर सकेगा, यदि अध्यक्ष या सदस्यः

(क) दिवालिया न्यायनिर्णित हो गया हो; या

(ख) अपनी कार्य अवधि में कार्यालयीन कर्तव्यों के बाहर वेतनभोगी सेवा में कार्यरत हो; या,

(ग) राज्य शासन के मतानुसार, वह शारीरिक या दिमागी अयोग्यता के कारण से सतत कार्य करने के अक्षम हो; या,

(घ) नैतिक अनाचार के किसी अपराध में शामिल होने के लिए सिद्धदोष पाया गया हो।

(6) अधिकरण का मुख्यालय रायपुर में होगा।

(7) अधिकरण के कार्यो का सम्पादन अध्यक्ष/सदस्य में किसी एक के द्वारा या पूर्ण पीठ द्वारा किया जाएगा। आयुक्त के आदेश के विरूद्व अपील अध्यक्ष या अध्यक्ष एवं सदस्य से बनी पीठ द्वारा सुनी तथा निर्णित की जाएगी।

(8) यदि अधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य का मत, किसी एक सदस्य द्वारा पूर्व में पारित निर्णय से भिन्न है, तो प्रकरण पूर्ण पीठ को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(9) राज्य शासन के परामर्श से, अधिकरण अपनी प्रक्रिया एवं कामकाज के निपटारे को विनियमित करने के लिए विनियम, जो इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमो से सुसंगत हो, बनाएगा।

(10) अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य के वेतन, भत्ते तथा अन्य निबन्धन एवं शर्तें, ऐसी होंगी, जैसा कि राज्य शासन आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, परंतु उनकी पूर्व की सेवाओं के प्रतिकूल नहीं होगी।

(11) (क) राज्य शासन, अधिकरण को, उसके कार्य निर्वहन में सहायता के लिए, आवश्यक अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियो की प्रकृति तथा संवर्ग सुनिश्चित करेगा और ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जैसा कि वह उचित समझे, उपलब्ध कराएगा।

(ख) अधिकरण के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निवर्हन अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण में करेंगे।

(ग) अधिकरण के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की शर्तें, वैसी होंगी जैसा कि राज्य शासन निर्धारित करें।"

अध्याय – 3

5. धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन कुल राशि (टर्न ओवर) की सीमा तथा धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) कय मूल्यों के योग की सीमा–

(1) धारा 4 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिये सीमा होगी,

(क) किसी ऐसे व्यापारी के सम्बन्ध में जो किसी वर्ष में ऐसे माल का राज्य में आयात करता है जिसका मूल्य एक लाख रूपये से कम न हो,	दो लाख रूपये
(ख) किसी ऐसे व्यापारी के सम्बन्ध में जो एक लाख रूपये से अन्यून माल का किसी वर्ष में विनिर्माण करता है,	दो लाख रूपये
(ग) किसी ऐसे व्यापारी के सम्बन्ध में जो उप–खण्ड (क) तथा (ख) में नहीं आता है	दस लाख रूपये

(2) धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के लिये सीमा पांच लाख रूपये होगी.

6. दायित्व के निर्धारण के लिये कार्यवाही प्रारम्भ करना–

(1) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन दायित्व के निर्धारण के लिये कार्यवाही प्रारूप 1 में सूचना जारी कर प्रारम्भ की जावेगी.

(2) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यापारी के दायित्व का निर्धारण करने संबंधी आदेश प्रारूप 2 में होगा, ऐसे आदेश की एक प्रति आदेश के पारित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर व्यापारी पर तामिल की जावेगी.

7. ठेकेदार तथा मालिक (प्रिंसिपल) या कमीशन अभिकर्ता द्वारा कर का भुगतान प्रमाणित करने की रीति—

(1) ठेकेदार द्वारा धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन किया गया दावा उप—ठेकेदार द्वारा फार्म 3 में जारी किये गये घोषणा पत्र द्वारा समर्थित होगा तथा यह ऐसे दावे के प्रमाण में मान्य होगा.

(2) मालिक (प्रिंसिपल) द्वारा धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) के अधीन किया गया दावा कमीशन अभिकर्त्ता द्वारा बाजार में प्रचलित पद्धति के अनुरूप जारी आढ़त पट्टी अथवा विक्रय लेखा द्वारा समर्थित होगा, तथा यह ऐसे दावें के प्रमाण में मान्य होगा.

(3) कमीशन अभिकर्ता द्वारा धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उप खण्ड (2) के अधीन किया गया दावा मालिक (प्रिंसिपल) द्वारा फार्म 4 में जारी किये गये घोषणा पत्र द्वारा समर्थित होगा तथा यह ऐसे दावे के प्रमाण में मान्य होगा.

8. कर का प्रशमन—

(1) धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, जो कार्य संविदा अथवा संविदाओं के निष्पादन में प्रदाय किए गए माल के संबंध में उसके द्वारा देय कर के बारे में प्रशमन के रूप में एक मुश्त भुगतान करने का इच्छुक हो, कार्य संविदा अथवा संविदाओं के निष्पादन के प्रारंभ होने के तीस दिनों के भीतर जब तक कि पर्याप्त कारण से रोके न गये हों, समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को प्रारूप 5 में एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) आवेदन प्राप्त होने पर समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी आवेदन की सत्यता का सत्यापन करेगा तथा समाधान हो जाने पर रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को प्रशमन के रूप में एक मुश्त भुगतान करने की लिखित में आदेश द्वारा अनुज्ञा प्रदान करेगा तथा उसकी एक प्रति आवेदन करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को भेजेगा।

(3) प्रशमन के रूप में एक मुश्त भुगतान की जाने वाली रकम, नीचे विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रकार की संविदा के सामने उल्लिखित दर से अवधारित की जाएगी और यह रकम ऐसी कार्य संविदा के संबंध में रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा प्राप्त अथवा प्राप्य कुल आर्थिक प्रतिफल पर ऐसी दर से इस प्रकार अवधारित की जाएगी—

कमांक	संविदा का प्रकार	दर जिस पर एक मुश्त राशि अवधारित की जाएगी
(1)	(2)	(3)
1.	सिविल निर्माण कार्य, जैसे भवनों पुलों, सड़कों, बांध, बराजों, नहरों, मोड़ों का निर्माण, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होगे,— (क) एयर कंडीशनर, एयरकूलर अथवा एयर कंडीशनिंग उपकरण का प्रदाय तथा संस्थापन। (ख) विद्युत सामान एवं उपकरण का प्रदाय तथा फिटिंग (ग) एलिवेटर (लिफ्ट) एवं एस्केलेटर का फेब्रिकेशन तथा संस्थापन।	2 प्रतिशत

2.	संयंत्र तथा मशीनरी का फेब्रीकेशन तथा संस्थापन।	3 प्रतिशत
3.	एयर कंडीशनरों, एयरकूलरों, एयर कंडीशनिंग उपकरणों, जिसमें डीप फीजर, शीतागार संयंत्र तथा नमीकरण संयंत्र सम्मिलित हो, का प्रदाय तथा संस्थापन	10 प्रतिशत
4.	सभी अन्य संविदाएं, जो उक्त कमांक 1 से 3 में विनिर्दिष्ट न हों	4 प्रतिशत

(4) कार्य संविदा अथवा संविदाओं के निष्पादन के आरंभ होने पर, रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, जिसे उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञा दी गई हो, भुगतान प्राप्त अथवा प्राप्य होने के तीस दिन के भीतर उक्त रकम पर प्रशमन के रूप में देय रकम में से उतनी ही रकम का शासकीय कोषालय में भुगतान करेगा जो धारा 27 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन स्त्रोत पर काटी गई रकम को घटाने के बाद शेष रहती है।

(5) प्रत्येक ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर तथा 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही की समाप्ति के तीस दिन के भीतर समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को प्ररूप 6 में एक विवरण भेजेगा और साथ ही चालान की प्रतियॉ तथा तिमाही के दौरान की गई प्रशमन के रूप में एक मुश्त रकम के भुगतान के प्रमाण स्वरूप उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन स्त्रोत पर रकम की कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन जारी किए गए प्रमाण–पत्र भेजेगा।

(6) समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी प्ररूप 6 में विवरण के प्राप्त हो जाने पर, रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा प्रशमन के रूप में भुगतान की गई रकम के सही होने का सत्यापन करेगा। यदि भुगतानों के सही होने के बारे में उसका समाधान न तो वह लिखित आदेश द्वारा, तिमाही के दौरान रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा देय सही रकम का अवधारण करेगा और यदि इस प्रकार अवधारित रकम भुगतान की गई रकम से अधिक हो तो समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी, रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से, उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी की गई मॉग सूचना की तामील की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर बकाया रकम के भुगतान की अपेक्षा करेगा। रजिस्ट्रीकृत व्यापारी विनिर्दिष्ट अवधि सात दिवस के भीतर ऐसे भुगतान के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति भेजेगा।

(7) जहॉ रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, उपनियम (6) के अधीन जारी की गई मांग सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, अथवा ऐसी आगामी अवधि, जो इस संबंध में उसके द्वारा दिए गए आवेदन पर इस प्रयोजन के लिए मंजूर की गई हो, के भीतर बकाया रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी कार्य संविदा अथवा संविदाओं, जिनके संबंध में ऐसा व्यतिकम किया गया है, के संबंध में उपनियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को दी गई अनुज्ञा प्रतिसंहृत कर सकेगा तथा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी ऐसी कार्य संविदा तथा संविदाओं के जिनके संबंध में अनुज्ञा प्रतिसंहृत कर दी गई हो, धारा 21 के अधीन कर निर्धारित किए जाने के लिए दायी होगा।

(8) जब उपनियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को दी गई अनुज्ञा उपनियम (7) के अधीन प्रतिसंहृत कर ली गई हो, तो धारा 19, 21, 41 तथा 42 के उपबंध ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को, ऐसी कार्य संविदा के संबंध में, जिसके लिये उसे ऐसी अनुज्ञा दी गई हो, लागू होंगे।

(9) धारा 10 की उपधारा 2 के अधीन कर के एवज में प्रशमन के द्वारा एक मुश्त राशि भुगतान के लिये पात्र व्यापारी प्रारूप 5 में समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) में निहित समयावधि में विकल्प प्रस्तुत कर सकेगा।

(10) जिस वर्ष के लिये रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा विकल्प प्रस्तुत किया गया है उसकी प्रत्येक तिमाही के लिये पके अन्न (कुक्ड फुड) को छोड़कर अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की कुल विक्रय राशि (टर्नओवर) पर आधा प्रतिशत तथा पके अन्न (कुक्ड फुड) की विक्रय राशि पर आठ प्रतिशत की दर से एक मुश्त राशि देय होगी। ऐसी एकमुश्त राशि का भुगतान तिमाही की समाप्ति के पंद्रह दिन के भीतर प्रपत्र 34 में चालान द्वारा किया जावेगा। चालान की एक प्रति भुगतान के प्रमाण में भुगतान के सात दिन के भीतर उक्त अवधि मे किये गये विक्रय के विवरण की जानकारी प्रारूप 7 में संलग्न कर समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को भेजेगा।

(11) जहाँ धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) के अधीन दिया गया विकल्प उक्त उपधारा के खण्ड (ब) के प्रावधानों के अधीन प्रतिसंहृत हो जाता है तो ऐसा व्यापारी उस दिनांक से जिससे कि विकल्प प्रतिसंहृत हो गया है, वर्ष की समाप्ति तक की अवधि के लिये धारा 19 के प्रावधानों के अनुरूप विवरण पत्र प्रस्तुत करेगा।

अध्याय – 4

9. धारा 13 तथा धारा 73 के अधीन आगत कर के रिबेट का रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, दावा प्रस्तुत किया जाना अथवा उसे ऐसा करने के लिये अनुज्ञात किया जाना:—

(1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा धारा 19 के अधीन उसके विवरण में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन आगत कर के रिबेट का जो दावा किया जावेगा, वह विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा जारी बिल, बीजक अथवा कैश मेमो से समर्थित होगा. ऐसा कोई दावा ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा फार्म 17 में अपने विवरण में किया जावेगा और यह धारा 21 की उपधारा (4), -उपधारा (5) अथवा उपधारा (6) के अधीन कर निर्धारण के समय सम्बन्धित बिल, बीजक अथवा कैश मेमो प्रस्तुत करने पर अनुज्ञात किया जावेगा, यदि कथित बिल, बीजक या कैश मेमो में विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा वसूल किये गये कर की राशि पृथक से नहीं दर्शाई गई है तो ऐसा दावा प्रस्तुत नहीं किया जावेगा अथवा उसे अनुज्ञात नहीं किया जावेगा।

(2) जहाँ अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट माल किसी अन्य व्यापारी को कमीशन पर विक्रयार्थ भेजने वाले व्यापारी से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यापारी उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल जो धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन करयोग्य है, विक्रय के लिए अथवा,उक्त अनुसूची में वर्णित माल के छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर, या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या राज्य के बाहर विक्रय हेतु या उक्त अनुसूची अथवा अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट माल के भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के अनुक्रम में विक्रय हेतू विनिर्माण के लिये/विनिर्माण में या खनन के लिये/खनन में उपयोग अथवा उपभोग के

लिये क्रय करता है तो ऐसे व्यापारी द्वारा धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन आगत कर के रिबेट का दावा विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा ऐसे माल के सम्बन्ध में धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन वसूल किये कर की राशि जो सन्दर्भित बिल, बीजक अथवा कैश मेमो में पृथक से दर्शाई गई है, के लिये प्रस्तुत किया जावेगा अथवा उसे अनुज्ञात किया जावेगा।

परन्तुः—

छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर विक्रय किये गये माल तथा अधिनियम की अनुसूची—2 में विनिर्दिष्ट विक्रय किये माल के विनिर्माण के लिये/विनिर्माण में या खनन के लिये/खनन में उपयोग अथवा उपभोग किये गये माल के सम्बन्ध में आगत कर के रिबेट का दावा आगत कर के चार प्रतिशत की दर से अधिक का अनुज्ञात किया जावेगा।

(3) (क) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी पूंजीगत माल का क्रय कारबार के दौरान उपभोग के लिये या विनिर्माण के लिये/विनिर्माण में या खनन के लिये/खनन में उपयोग अथवा उपभोग के लिये करता है तो धारा 13 के अन्तर्गत आगत कर के रिबेट की गणना नियम (2) के प्रावधानों के अनुरूप की जाकर ऐसे व्यापारी द्वारा दावा किया जावेगा अथवा उसे अनुज्ञात किया जावेगा.

(ख) पूंजीगत माल के क्रय पर आगत कर के रिबेट का दावा,

(एक) व्यवसाय प्रारंभ करने के दिनांक अथवा नई ओद्योगीक ईकाई स्थापित करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने के दिनांक से 36 समान मासिक किश्तों में किया जावेगा अथवा उसे अनुज्ञात किया जावेगा।

(दो) पूर्व से चालू व्यवसाय अथवा कार्यरत औद्योगिक ईकाई में उपयोग हेतु पूंजीगत माल के क्रय किये जाने पर क्रय दिनांक से एक माह में यदि क्रय मूल्य एक लाख रूपये से कम है तो एक मुश्त और यदि क्रय मूल्य एक लाख रूपये से अधिक है तो 36 समान मासिक किश्तों में, रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा दावा किया जावेगा अथवा उसे अनुज्ञात किया जावेगा।

(4) जो कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी (कमीशन अभिकर्ता) ऐसे किसी अन्य व्यापारी (प्रिंसिपल) से अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट माल कमीशन पर विक्रयार्थ प्राप्त करता है तो उप—नियम (1) के अन्तर्गत ऐसे माल के संबध में कमीशन अभिकर्ता आगत कर के रिबेट का दावा, जब ऐसा दावा प्रिंसिपल द्वारा प्रारूप 8 में जारी घोषणा पत्र तथा उसके (कमीशन अभिकर्ता) द्वारा प्रारूप 9 में दिये गये घोषणा पत्र द्वारा समर्थित हो, करेगा या उसे अनुज्ञात किया जावेगा।

(5) जहाँ कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी (प्रिंसिपल) ऐसे माल का विक्रय करता है जिस पर धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन कर लग चुका है या ऐसे माल का विक्रय करता है जिसका निर्माण अनुसूची तीन में विनिदिष्ट वस्तुओं से भिन्न अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के उपयोग अथवा उपभोग से किया गया है, और उसके द्वारा कमीशन पर विक्रय हेतु माल कमीशन अभिकर्ता को भी भेजा जाता है तो ऐसा व्यापारी (प्रिंसिपल), केवल उसके द्वारा बेचे गये माल अथवा बेचे गये माल में उपयोग अथवा उपभोग किये माल के सम्बन्ध में, आगत कर के रिबेट का दावा करेगा अथवा उसे अनुज्ञात किया जावेगा. यदि उस

(प्रिंसिपल) के द्वारा ऐसे किसी माल के संबंध में आगत कर का रिबेट प्राप्त कर लिया गया है, जिसे बाद में कमीशन अभिकर्ता को कमीशन पर विक्रयार्थ भेजा गया है तो ऐसा व्यापारी (प्रिंसिपल) धारा 13 की उपधारा (5) के खण्ड (क) के प्रावधानों के अनुरूप धारा 8 की उपधारा (एक) के अधीन कर का दायी होगा।

(6) (क) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी ने नियम 80 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप स्टाक विवरण प्रस्तुत किया है तो वह धारा 73 के अधीन आगत कर के रिबेट का दावा कर सकेगा अथवा उसे अनुज्ञात किया जावेगा।

(ख) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी धारा 73 की उपधारा (2) या (3) के अधीन आगत कर के रिबेट का दावा करता है या उसे आगत कर का रिबेट अनुज्ञात किया जाना है, कर निर्धारण अधिकारी को संतोषकारक समाधान से प्रमाणित करता है कि अधिनियम के लागू होने के दिनांक को उसके पास अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट माल, या ऐसे माल के निर्माण में उपयोग अथवा उपभोग किया गया माल क्रय के दिनांक को निरसित अधिनियम के अधीन विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिससे क्रय किया गया है, के हाथों कर देय था और रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यापारी की विक्रय राशि में कर की राशि सम्मिलित थी, तो कर की राशि की संगणना निम्नलिखित फार्मूला द्वारा की जावेगी। ऐसे कर की राशि रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यापारी के विक्रय मूल्य में से घटा कर शुद्ध राशि प्राप्त की जावेगी।

$$\frac{\text{विक्रय मूल्य X निरसित अधिनियम के अधीन कर की दर}}{\text{100 + निरसित अधिनियम के अधीन कर की दर}}$$

(ग) यदि रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी के संतोषजनक समाधान से यह प्रमाणित करने में असफल रहता है कि खण्ड (क) में सन्दर्भित माल विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के हाथो में कर योग्य था, तो खण्ड (ख) के प्रावधानों के अनुरूप कुल राशि के 75 प्रतिशत पर, कर की गणना की जाकर इस प्रकार संगणित कर की राशि रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यापारी के विक्रय मूल्य की 75 प्रतिशत राशि में घटाकर शुद्ध राशि प्राप्त की जावेगी।

इस प्रकार संगणित शुद्ध राशि (टर्न ओवर) पर धारा 73 की उपधारा (2) या (3) जैसी भी स्थिति हो में वर्णित दर से कर की संगणना की जाकर इस प्रकार संगणित राशि का दावा आगत कर के रिबेट के लिये ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किया जावेगा या उसे अनुज्ञात किया जावेगा।

(7) धारा 73 की उपधारा (2) या (3) के प्रावधानों के अनुरूप संगणित आगत कर के रिबेट की राशि जिसकी पात्रता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को होगी, का दावा एक वर्ष के भीतर 12 समान क़िश्तों में किया जावेगा या उसे प्रदान किया जावेगा। प्रत्येक माह से संबंधित आगत कर के रिबेट की किश्त का दावा ऐसे माह के प्रारम्भ में किया जावेगा या उसे अनुज्ञात किया जावेगा।

स्पष्टीकरण– उपनियम (5) के अन्तर्गत फार्मूला के प्रयोजन के लिये "विक्रय मूल्य" का अर्थ विकेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के हाथों, जिससे कि कर चुकी वस्तुएँ, जिनके संबंध में आगत कर के रिबेट का दावा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किया गया है खरीदी गई है, का विक्रय मूल्य है।

अध्याय–5

10. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र मंजूर करने के लिए आवेदन करने की कालावधि–

(1) कोई ऐसा व्यापारी, जिसे धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन अपना रजिस्ट्रीकरण करवाना अपेक्षित हो, नियम 11 में अधिकथित रीति में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र मंजूर करने के लिए आवेदन करेगा।

(2) कोई ऐसा व्यापारी, जिसे धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन अपना रजिस्ट्रीकरण करवाना अपेक्षित हो, नियम 11 में अधिकथित रीति में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र मंजूर करने के लिए आवेदन उल्लेखित खण्ड में निर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के भीतर करेगा।

11. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र मंजूर करने के लिए आवेदन–

(1) (क) धारा 16 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र मंजूर करने के लिए आवेदन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्रारूप 10 में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा; और –

(एक) कारोबार के स्वत्वधारी द्वारा या किसी फर्म या भागीदारी के मामले में फर्म के किसी भागीदार या संचालक द्वारा या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के कारोबार के मामलें में हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के कारोबार के प्रबन्धक या कर्ता द्वारा या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का कमांक–1) के अधीन या तत्समय प्रवृत किसी भी अन्य विधि के अधीन निगमित या अनिगमित समझी गई किसी कम्पनी के मामले में कारोबार का प्रबन्ध करने वाले प्रधान अधिकारी द्वारा या किसी सोसायटी, क्लब या एसोसिएशन के मामले में ऐसी सोसायटी, ऐसे क्लब या एसोसिएशन के अध्यक्ष या उसके प्रबंध के लिए उत्तरदायी सचिव द्वारा या केन्द्रीय या राज्य सरकार या उनके किसी भी विभाग के मामले में माल का विक्रय या माल की आपूर्ति या माल का वितरण करने के लिए भारसाधक अधिकारी द्वारा और किसी ऐसे व्यापारी जिसके द्वारा माल का विक्रय, प्रदाय या वितरण किया जाता है, के मामले में, जो कि राज्य के बाहर निवास करता हो किन्तु जिसका कारोबार का स्थान इस राज्य में हो, उसके प्रबंधक या अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(दो) उक्त प्रारूप में उपबंधित रीति में सत्यापित किया जाएगा, और

(तीन) आवेदन के साथ यथास्थिति फर्म के स्वत्वधारी या प्रत्येक वयस्क भागीदार का/के या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के प्रत्येक वयस्क सह–भागीदार के पासपोर्ट आकार का/के फोटोग्राफ संलग्न होगा/होंगे, जो किसी वकील या कर विधि व्यवसायी या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित होगा/होंगे।

(ख) एक व्यापारी जो धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन स्वेच्छा से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करना चाहता है या धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन कोई इन्छुक निर्माता रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करना चाहता है तो खण्ड (क) के प्रावधानों के अनुरूप प्ररूप 10 में आवेदन करेगा।

(2) किसी ऐसे व्यापारी द्वारा, जिसके इस राज्य में कारोबार के एक से अधिक स्थान हों, आवेदन किया जाने पर और आवेदन में बताए गए कारणों की सत्यता के बारे में समाधान हो जाने पर आयुक्त उस कारोबार के प्रत्येक स्थान के लिए पृथक्-पृथक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर करने हेतु रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को आवेदन करने की लिखित में अनुज्ञा दे सकेगा;

परन्तु अधिनियम के अधीन कर भुगतान करने के ऐसे व्यापारी का दायित्व अवधारित करने के प्रयोजन के लिए राज्य में स्थित उसके कारोबार के सभी स्थानों के संबंध में उसकी कुलराशि हिसाब में ली जाएगी।

(3) धारा 18 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मंजूर करने के लिये आवेदन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्ररूप 14 में प्रस्तुत किया जाएगा और उपनियम (1) के खण्ड (एक) तथा (दो) में अधिकथित रीति में हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किया जाएगा।

12. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर किया जाना–

(1) (क) जिस दिन धारा 16 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर करने हेतु आवेदन प्राप्त हो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी आवेदक को प्रारूप 11 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर करेगा।

(ख) जिस दिन धारा 18 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मंजूर करने हेतु आवेदन प्राप्त हो, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी आवेदक को प्रारूप 15 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी आवेदन में दिए गए ब्यौरों की सत्यता का सत्यापन करने की दृष्टि से आवेदक के लेखे मंगवाएगा और उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह अपने आवेदन में दिए गए ब्यौरों की सत्यता के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करें. रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का यदि उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखाओं और दस्तावेजों का सत्यापन करने पर समाधान हो जाए कि आवेदन में दिए गए ब्यौरे गलत हैं तो वह, यथास्थिति धारा 16 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के उपबन्धों के अनुरूप रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कर देगा।

(3) उप नियम (2) के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर करने के लिए प्ररूप 10 में किए गए आवेदन में दिए गए ब्यौरों तक सीमित होगी।

13. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति का दिया जाना:–

यदि इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र खो जाए, नष्ट हो जाए, विकृत हो जाए या पढ़ने योग्य न रह जाए तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, आवेदन करने और प्रत्येक प्रति के लिए 50 रूपये फीस का भुगतान करने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति प्रदान कर सकेगा। ऐसे प्रमाण-पत्र पर "दूसरी प्रति" की मोहर लाल स्याही से अंकित की जाएगी।

14. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र की प्रतियों का प्रदाय और उनका प्रदर्शनः–

(1) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी व्यापारी को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र की एक प्रति जारी करेगा और जहाँ राज्य में व्यापारी के कारोबार के एक से अधिक स्थान हो वहाँ वह व्यापारी को उसमें परिगणित कारोबार के प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिए दो प्रमाणित प्रतियाँ जारी करेगा।

(2) प्रत्येक व्यापारी अपने कारोबार के प्रत्येक स्थान में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र या उसकी प्रमाणित प्रति सहजगोचर स्थान में प्रदर्शित करेगा।

15. धारा 16 की उपधारा (8) के अधीन जानकारीः–

(1) प्रत्येक व्यापारी या यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका वह विधिक प्रतिनिधि जिनसे धारा 16 की उपधारा (8) के अधीन जानकारी प्रस्तुत करना अपेक्षित हो, किसी भी घटना के घटित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसी घटना की लिखित जानकारी, अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के साथ, यदि कोई हो, यथास्थिति, उसके रद्दकरण, संशोधन या प्रतिस्थापन के लिए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा.

(2) यदि व्यापारी अपने कारोबार के संबंध में भागीदारी करे तो वह इस तथ्य की सूचना भागीदारी करने की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा.

(3) यदि कोई भागीदारी विघटित कर दी जाए तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भागीदार था, ऐसे विघटन की तारीख से तीस दिन के भीतर विघटन की रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी को भेजेगा.

16. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का संशोधनः–

(1) जहाँ कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी धारा 16 की उपधारा (8) में निर्दिष्ट किसी भी घटना के घटित होने पर या अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अनुसरण में अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में संशोधन के लिए आवेदन करें, और यदि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का ऐसी जाँच करने पर जैसी वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाए कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी सही है तो वह धारा 16 उपधारा (9) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर आवेदक के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र को संशोधित करेगा.

(2) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किए गए आवेदन के संबंध में जाँच करने पर आवेदन में दी गई जानकारी के सही होने के बारे में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का समाधान न हो तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणो से, धारा 16 की उपधारा (9) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर आवेदक के आवेदन को नामंजूर कर सकेगा, संशोधन के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन की नामंजूरी की सूचना तत्संबंधी कारण दर्शाते हुए आवेदक को उसका आवेदन नामंजूर करने की तारीख से सात दिन के भीतर दे दी जाएगी.

(3) जहाँ, अधिनियम की धारा 18 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का धारक कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में संशोधन के लिये आवेदन करता है तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के पश्चात जैसी वह आवश्यक समझे, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र को संशोधित करेगा।

17. व्यापारी की मृत्यु की जानकारी–

जब किसी व्यापारी की मृत्यु हो जाए तब, उसका विधिक प्रतिनिधि व्यापारी की मृत्यु होने की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को उसके बारे में लिखित जानकारी देगा.

18. धारा 16 की उपधारा (10) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का रद्द करना–

(1) जब किसी व्यापारी को जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र धारा (10) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन रद्दकरण के दायित्वाधीन हो जाए तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, ऐसी जॉच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, व्यापारी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र को रद्द कर सकेगा.

(2) कोई व्यापारी धारा 16 की उपधारा (10) के खण्ड (क), (ख) या (ग) में उल्लेखित किसी भी आधार पर अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के रद्दकरण के लिए प्रारूप 12 में आवेदन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को कर सकेगा. यदि आवेदन धारा 16 की उपधारा (10) के खण्ड (क) में उल्लेखित आधार पर किया गया हो तो आवेदक अपने आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र और उसकी प्रमाणित प्रतियॉ भी, यदि कोई हो, निविदत्त करेगा. यदि ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का, ऐसी जॉच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, आवेदन के सही होने के बारे में समाधान हो जाए तो वह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र को रद्द कर सकेगा.

(3) यदि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की राय में धारा 16 की उपधारा (10) के खण्ड (घ) या खण्ड (ड.) के अधीन किसी व्यापारी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र को रद्द करने के कारण हों तो वह व्यापारी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर देने के बाद ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे.

(4) उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का रद्दकरण, –

(एक) यदि मामला धारा 16 की उपधारा (10) के खंण्ड (क) के अन्तर्गत आता हो तो कारोबार के बंद होने या अन्तरित होने की तारीख से, या

(दो) यदि मामला धारा 16 की उपधारा (10) के खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (घ) या (ड.) के अन्तर्गत आता हो तो व्यापारी को आदेश संसूचित किया जाने की तारीख से,

प्रभावी होगा।

(5) जहॉ किसी व्यापारी ने धारा 16 की उपधारा (10) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में उल्लिखित आधार पर अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के रद्दकरण के लिए आवेदन उपनियम (2) के अधीन किया हो और ऐसे आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से छः माह के भीतर कोई भी आदेश पारित किए जाकर उसे संसूचित न किए गए हों, वहॉ यह समझा जाएगा कि ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से छह माह की कालावधि समाप्त होने की तारीख से ठीक आगामी तारीख से उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र रद्द हो गया है. और तदुपरांत ऐसा व्यापारी प्ररूप 13 में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को इस आशय की सूचना भेजेगा।

(6) किसी वर्ष के दौरान रद्द किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्रों की सूची रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी और उसका व्यापक प्रचार ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा कि आयुक्त सामान्य आदेश द्वारा निर्देश दें।

(7) जहॉ धारा 18 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का धारक कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के रद्दकरण के लिये आवेदन करता है तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी ऐसी जॉच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र रद्द करेगा।

19. रद्दकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पंत्र का प्रस्तुत किया जाना:–

(1) (क) कोई व्यापारी, जिसका, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र नियम 18 के उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया जाए, ऐसा आदेश उसे संसूचित किया जाने की तारीख से 7 दिन के भीतर अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र उसकी प्रमाणित प्रतियों के साथ, यदि कोई हों, रद्दकरण के लिए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा.

(ख) कोई व्यापारी जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र नियम (18) के उपनियम (5) के परन्तुक के अधीन रद्द कर दिया गया समझा गया हो, उक्त परंतुक में विनिर्दिष्ट छह माह की कालावधि की समाप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र उसकी प्रमाणित प्रतियों, यदि कोई हों, के साथ प्ररूप 13 में आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को रद्दकरण के लिए प्रस्तुत कर देगा।

(2) यदि कोई ऐसा व्यापारी, जिसकी, अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र उपनियम (1) के खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन प्रस्तुत करने के पूर्व मृत्यु हो जाए तो उसका विधिक प्रतिनिधि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र उसकी प्रमाणित प्रतियाँ, यदि कोई हो, के साथ उपनियम (1) में उल्लिखित कालावधि के भीतर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

अध्याय – 6

20. विवरणियां–

(1) रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न प्रत्येक व्यापारी, जिससे आयुक्त द्वारा प्ररूप 16 में सूचना जारी कर ऐसी अपेक्षा की गई है, सूचना प्राप्ति के तीस दिन के भीतर समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को प्ररूप 17 में विवरणी/विवरणियां भेजेगा।

(2) (क) उपनियम (3), (4) तथा (5) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी और प्रत्येक ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र धारा 16 की उपधारा (10) के खण्ड (घ) या (ड.) के अधीन अधिनियम के लागू होने की तारीख के बाद निरस्त किया जा चुका है, समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिये प्ररूप 17 में एक विवरणी तिमाही जिससे संबंधित विवरण है, की समाप्ति के तीस दिन के भीतर भेजेगा. प्रत्येक विवरणी के साथ प्ररूप 34 में कोषालय का रसीदी चालान, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर के प्रमाण के रूप में संलग्न होगा।

(ख) धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, वर्ष की समाप्ति के आठ माह के भीतर प्ररूप 18 में एक विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें उसके द्वारा देय कर अथवा ब्याज की राशि और इसके भुगतान, यदि कोई हो, या आगत कर के रिबेट की उसे पात्रता और जिसकी उसे वापसी की जाना है या जिसका, वर्ष जिससे कि संबंधित विवरण है, के बाद की अवधि के लिये, देय कर के विरूद्ध समायोजन किया जाना है, दर्शाई जावेगी। ऐसा प्रत्येक व्यापारी जिसके द्वारा धारा 41 की

उप–धारा (2) के अधीन आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाना अपेक्षित है, ऐसी रिपोर्ट विवरण के साथ प्रस्तुत करेगा।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसके कारोबार के एक से अधिक स्थान इस राज्य में हों, वह अपने कारोबार के सभी स्थानों के लिए एक समेकित विवरणी प्ररूप 17 में तथा प्ररूप 18 में वर्ष के लियें समेकित विवरण प्रस्तुत करेगा और इस राज्य में स्थित अपने कारोबार के प्रत्येक स्थान के लिए पृथक–पृथक विवरणी भी प्ररूप 17 में उप नियम (2) में विनिदिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक ऐसी समेकित विवरणी के साथ समेकित विवरणी के अनुसार देय कर के भुगतान के संबंध में प्ररूप 34 में कोषालय का रसीदी चालान संलग्न किया जायेगा।

(4) किसी भी वर्ष की चौथी तिमाही से भिन्न किसी भी ऐसी तिमाही की, जो जिस तारीख को व्यापारी कर के भुगतान के लिए दायी होता है के बाद पहले समाप्त होती है, खंडित कालावधि और उसकी ठीक अगली तिमाही के लिये केवल एक विवरणी प्रस्तुत की जाएगी।

(5) जहां उपनियम (2) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को आयुक्त द्वारा नियम 24 के प्रावधानों के अधीन किसी तिमाही से भिन्न किसी अन्य कालावधि के लिए प्ररूप 17 में विवरणी प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी गई हो वहां वह ऐसी विवरणी उस तारीख तक प्रस्तुत करेगा जैसा आयुक्त द्वारा निर्देशित किया जाये।

(6) जहां किसी अवयस्क या अन्य असमर्थ व्यक्ति का कोई कारबार किसी संरक्षक, न्यासी या अवयस्क के अभिकर्ता के अधीन है या ऐसे किसी संरक्षक, न्यासी अथवा अवयस्क के अभिकर्ता के द्वारा ऐसे अवयस्क या अन्य असमर्थ व्यक्ति की ओर से तथा उसके फायदे के लिये चलाया जा रहा है तो ऐसा संरक्षक, न्यासी या अवयस्क का अभिकर्ता, ऐसे कारबार के कुल विक्रय (टर्नओवर) के संबंध में उप–नियम (2) अथवा उप–नियम (3) के प्रावधान के अनुरूप जैसी स्थिति हो विवरणी प्रस्तुत करेगा.

(7) उप नियम (3) में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस राज्य में कारोबार के एक से अधिक स्थान रखने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के आवेदन पर आयुक्त का समाधान हो जाये कि उक्त उपनियम के अधीन पृथक–पृथक विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है तो, वह लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यापारी को ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएगी, ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करने से मुक्त कर सकेगा।

21. मासिक विवरणियां:– (1) आयुक्त, नियम 20 के उपनियम (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, ऐसे व्यापारी के लिए मासिक विवरणियां नियत कर सकेगा। प्रत्येक ऐसा व्यापारी प्रत्येक मास की समाप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर प्रत्येक मास की विवरणी प्रारूप 17 में प्रस्तुत करेगा।

(2) नियम 20 के प्रावधान, यथाशक्य, इस नियम के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणियों को लागू होंगे।

22. पुनरीक्षित विवरणी:–

(1) (क) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, वर्ष की अंतिम से भिन्न किसी भी तिमाही के संबंध में धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन कोई पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करना चाहता हो तो वह जिस वर्ष से विवरणी संबंधित हो उस वर्ष के अंतिम विवरणी प्रस्तुत करने के लिये नियत है या किन्तु कारबार समाप्त न होने के कारण नियत होती, के पूर्व किसी भी समय ऐसा करेगा।

(ख) ऐसे किसी वर्ष की अंतिम तिमाही से संबंधित पुनरीक्षित विवरणी उस तारीख से पूर्व जिसको कि ठीक उत्तरवर्ती वर्ष की प्रथम तिमाही के लिये विवरणी प्रस्तुत करने के लिये नियत है या किन्तु उसके कारबार समाप्त न होने के कारण नियत होती, किसी भी समय प्रस्तुत की जाएगी।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पुनरीक्षित विवरणी प्ररूप 17 में प्रस्तुत की जायेगी और उसके साथ संलग्न किये जायेंगे।

(क) एक ऐसी स्पष्टीकारक टीप, जिसमें उस विलोप, त्रुटि या गलत विवरण, मूल पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है और मूल विवरणी एवं पुनरीक्षित विवरणी का अंतर दर्शाते हुए, उल्लेख किया जावेगा।

(ख) नियम 20 के उपनियम (2) के खण्ड (क) के प्रावधानों के अधीन प्रस्तुत विवरणी के साथ भुगतान किये गये कर की राशि के अलावा कर, यदि कोई देय हो, तो इस पर देय ब्याज सहित, के भुगतान के प्रमाणस्वरूप चालान की प्रति।

23. वे निबंधन और शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए किसी व्यापारी को विवरणियां प्रस्तुत करने से छूट दी जा सकेगी–

(1) कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, जिससे नियम 20 के उपनियम (2) के खण्ड (क) के अधीन तिमाही विवरणियां प्रस्तुत की जाना अपेक्षित हो, आयुक्त को विवरणियां प्रस्तुत करने से छूट पाने के लिए प्रारूप 19 में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जो जिस वर्ष के लिए छूट के लिए आवेदन किया गया हो उस वर्ष के आरंभ होने की तारीख से तीस दिन के भीतर आयुक्त को प्राप्त हो जाना चाहिए, और यदि आयुक्त का समाधान हो जाये कि कोई ऐसा व्यापारी जो आयाता अथवा निर्माता नहीं है, जिससे इस बात की संभावना नहीं है कि वर्ष के दौरान कोई भी करदेय कय या विकय करेगा, तो वह उसे उस वर्ष के लिए प्रारूप 20 में एक छूट प्रमाण पत्र प्रदान कर सकेगा.

(2) उपनियम (1) के अधीन दी गई छूट निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात,–

(क) यदि व्यापारी छूट की कालावधि के दौरान कोई ऐसा कय या विकय करे जो करदेय हो तो वह, ऐसे कय या विकय की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर समुचित वाणिज्यिक कर प्राधिकारी को उसकी जानकारी देगा.

(ख) वह, उस कालावधि से आरंभ करते हुए जो उस तिमाही से प्रारंभ होती हो जिसके दौरान पूर्वोक्त कय या विकय किए गए हों, इन नियमों द्वारा विहित तारीखों तक तथा विहित रीति में विवरणियां प्रस्तुत करेगा.

(3) उपनियम (1) के अधीन प्रदत्त प्रमाण पत्र, व्यापारी द्वारा प्ररूप 19 में नवीकरण के लिए ऐसा आवेदन छूट की कालावधि की समाप्ति की तारीख के एक माह पूर्व प्रस्तुत किया जाने पर, एक बार में एक वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकेगा.

(4) आयुक्त, व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी भी छूट प्रमाण–पत्र को अच्छे हेतुक से रद्द कर सकेगा.

24. वे निबंधन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए विवरणी भिन्न अवधि के लिये प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकेगी–

(1) कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिससे नियम 20 के उपनियम (2) के खण्ड (क) के अधीन तिमाही विवरणियां प्रस्तुत करना अपेक्षित हो, आयुक्त को धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अनुज्ञा के लिए प्ररूप 21 में आवेदन कर सकेगा. ऐसा आवेदन जिस वर्ष के संबंध में आवेदन किया गया हो उस वर्ष के आरंभ होने के तीस दिन के भीतर किया जायेगा और आयुक्त, उक्त वर्ष की पहली तिमाही की समाप्ति के पूर्व प्रत्येक ऐसे आवेदन पर आदेश पारित करेगा.

(2) वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अनुज्ञा किसी भी ऐसे व्यापारी को नहीं दी जायेगी,–

(क) जिससे नियम 21 के अधीन मासिक विवरणियां प्रस्तुत करना अपेक्षित हो, या

(ख) जिसने अधिनियम या किसी भी पूर्वतर विधि के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) या छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1976 (1976 का 52) के अधीन उसके द्वारा देय किसी कर का भुगतान न किया हो, या

(ग) जिसने पर्याप्त कारण के बिना अधिनियम के अधीन अपेक्षित विवरणियां प्रस्तुत न की हो, या

(घ) जिसे इस अधिनियम या किसी भी पूर्वतर विधि के अधीन दंडनीय किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो,

(ङ) जिस वर्ष के लिए आवेदन किया गया हो उस वर्ष के ठीक पूर्वगामी वर्ष के लिए सभी विवरणियां प्रस्तुत न कर दी हों,

(3) उपनियम (2) में की गई कोई भी बात आयुक्त को किसी ऐसे व्यापारी को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान करने से निवारित नहीं करेगी, जहां व्यापारी केन्द्रीय या राज्य सरकार या उनका कोई विभाग हो.

(4) अनुज्ञा प्ररूप 22 में दी जायेगी और निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए होगी,–

(एक) व्यापारी, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर उतने कर का भुगतान करेगा, जो कर निर्धारण के तत्काल पूर्वगामी वर्ष के लिए निर्धारित की गई कर राशि के 1/4 के बराबर या तत्काल पूर्वगामी वर्ष के लिए उसकी विवरणियों के अनुसार देय कर के 1/4 के बराबर इनमें से जो भी अधिक हो,

(दो) व्यापारी, जिस अवधि के संबंध में ऐसी अनुज्ञा प्रदान की गई हो उस अवधि की समाप्ति के नब्बे दिन के भीतर वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा और विवरणी के साथ कर की उस शेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान करेगा जो कि उसकी वार्षिक विवरणी के अनुसार देय कर की राशि और उसके द्वारा पहले ही भुगतान किए जा चुके कर की राशि के बीच अंतर की राशि हो,

(तीन) ऐसी भिन्न अवधि के लिये विवरणी के साथ अवधि की तिमाहियों के लिए भुगतान किए गए करं के संबंध में प्ररूप 34 में चालान संलग्न किया जाएगा,

(चार) यदि व्यापारी इस अधिनियम या अन्य किसी पूर्वतर विधि के अधीन किसी भी अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाता है तो दी गई अनुज्ञा अपने आप प्रतिसंहृत. हो जाएगी और उस मामले में वह ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर सभी विवरणियां प्रस्तुत करेगा, जो सामान्यतः धारा 19 के उपबंधों के अनुसार उस पर बकाया हो,

(पांच) इस नियम के अधीन जिन निबंधनों तथा शर्तो के अध्यधीन दी गई अनुज्ञां उनमें से किसी भी निबन्धन या शर्त को भंग करने पर रद्द की जाने के दायित्वाधीन होगी.

25. धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन सूचना–

(1) धारा 19 की उपधारा (5) के खण्ड (क) के अधीन सूचना प्रारूप 23 में होगी।

(2) धारा 19 की उपधारा (5) के खण्ड (ख) के अधीन सूचना प्रारूप 24 में होगी।

26. स्त्रोत पर कर की कटौती करने के दायी व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करना–

(1) अधिनियम की धारा 27 के अधीन स्त्रोत पर कर की कटौती करने का दायी प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक तिमाही के लिये, तिमाही की समाप्ति के तीस दिन के भीतर प्ररूप 25 में विवरणी प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक विवरणी के साथ प्ररूप 35 में कोषालय का रसीदी चालान, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर के प्रमाण के रूप में संलग्न होगा।

(2) उपनियम (1) में संदर्भित प्रत्येक व्यक्ति भले ही उसके द्वारा कर देय नहीं है, विवरण प्रस्तुत करेगा।

27. दस्तावेजों का पेश किया जाना–

(1) कोई व्यापारी जो धारा 2 के खण्ड (ब) के उपखण्ड (1), (2) या (3) के उपबन्धों के अधीन अपनी कुलराशि से कटौती करवाने का दावा करना चाहता है, वह निर्धारण के समय ऐसे दावें के समर्थन में केश मेमो या देयक या क्रय व्हाउचर या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करेगा.

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, जो धारा 8 के अधीन कर के लिए दायी किसी माल की बिक्री के संबंध में अपनी कुल राशि में से इस आधार पर कटौती का दावा करना चाहता हो कि ऐसी बिक्रियां, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का संख्या 74) की धारा 5 की उपधारा (3) के अर्थान्तर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात करने के अनुक्रम में की गई हैं, अपने दावे के समर्थन में, केता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, जिसने वास्तव में भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में माल का विक्रय किया हो, रजिस्ट्रीकृत केता व्यापारी से प्राप्त प्रारूप 26 में घोषणा प्रारूप 18 में वार्षिक विवरण के साथ प्रस्तुत करेगा तथा सुसंगत देयकों अथवा केशमेमो की प्रतियां, कर निर्धारण के समय कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

28. धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन व्यापारियों का पुनः कर निर्धारण के लिये चयन— आयुक्त, जिन व्यापारियों का धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन कर निर्धारण किया जाना समझा गया है, में से, उसके स्वयं के द्वारा विकसित की गई पद्धति के अधीन ऐसी संख्या में प्रत्येक वृत्त के व्यापारियों का धारा 21 की उपधारा (4) या (5) के अधीन पुनः कर निर्धारण करने के लिये निर्देशित करेगा।

29. धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन सूचना— धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन जारी किये जाने के लिये अपेक्षित सूचना, जहां तक हो सके प्ररूप 27 में होगी और उसके पालन के लिये नियत तारीख, सामान्यतः उसकी तामील की तारीख से तीस दिन से कम नहीं होगी।

30. कर निर्धारण, पुनर्करनिर्धारण की रीति तथा शास्ति अधिरोपण— (1) जहां,—

(क) किसी व्यापारी ने, धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना का पालन नहीं किया हो, अथवा

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी ने बिना किसी पर्याप्त कारण के धारा 19 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा यथा अपेक्षित विहित तारीख तक प्ररूप 17 में विहित विवरणियां किसी कालावधि के लिये प्रस्तुत न की हो, और उक्त अधिनियम की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्ररूप 18 में विवरण प्रस्तुत न की हो, अथवा

(ग) किसी व्यापारी ने धारा 21 की उपधारा (5) के खण्ड (क) के अधीन स्वयं को सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कर निर्धारण का दायी बनाया हो, अथवा

(घ) किसी व्यापारी ने धारा 21 की उपधारा (6) के अधीन स्वयं को सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कर निर्धारण का दायी बनाया हो, अथवा

(ड.) किसी व्यापारी द्वारा माल के विक्रय अथवा क्रय पर किसी अवधि के दौरान कम निर्धारण किया गया हो अथवा वह कर निर्धारण से बच निकला हो अथवा उस पर निम्न दर पर कर निर्धारण किया गया हो अथवा उसमें से कोई कटौती गलती से की गई हो अथवा आगत कर का रिबेट गलती से अनुज्ञात कर दिया गया हो, अथवा

(च) किसी व्यापारी ने किसी माल के संबंध में किये विक्रय अथवा क्रय की कुल राशि को छिपाया हो अथवा गलत विवरणी प्रस्तुत की हो, अथवा

(छ) किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी निर्णय या आदेश जो अंतिम हो चुका है, के परिणाम स्वरूप या उसकी दृष्टि से किसी अवधि का कर निर्धारण गलत और राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो गया है,

तब, निर्धारण अधिकारी ऐसे प्रत्येक मामले में जहां तक हो सके प्ररूप 28 में व्यापारी पर एक सूचना तामील करेगा, जिसमें यथास्थिति व्यतिक्रम, बचाव अथवा छिपाव या आगत कर के रिबेट के गलत अनुज्ञात का उल्लेख किया जायेगा और ऐसी तारीख तक, जो सामान्यतः इस निमित्त नियत की जाये और जो सूचना की तामील की तारीख से तीस दिन से कम नहीं होगी, उससे

कारण बताने के लिये कहेगा कि क्यों न उसका कर निर्धारण अथवा पुनर्करनिर्धारण किया जाए और/या क्यों न उस पर शास्ति अधिरोपित की जाये और उसे यह निर्देश देगा कि वह उक्त तारीख को अपनी लेखा–पुस्तकें तथा कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित अन्य दस्तावेज और कोई साक्ष्य, जो वह अपनी आपत्ति के समर्थन में पेश करना चाहता हो, प्रस्तुत करे:

परन्तु उस दशा में कोई सूचना देना आवश्यक नहीं होगा, जहां व्यापारी कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर, ऐसी सूचना का अधित्यंजन कर देता है,

(2) कर निर्धारण अधिकारी, उपनियम (1) के अधीन जारी की गई सूचना में दी गई नियत तारीख को अथवा यदि सूचना का अधित्यजन हो गया हो तो ऐसी तारीख को जो इस निमित्त नियत की जाए व्यापारी द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने तथा ऐसे साक्ष्य का परीक्षण करने के पश्चात् जो उसके द्वारा पेश किये गये हों तथा ऐसे अन्य साक्ष्य, जो उपलब्ध हो सके, लेने के पश्चात् व्यापारी का कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण करेगा और/अथवा शास्ति अधिरोपित करेगा अथवा अन्य कोई यथोचित आदेश पारित करेगा.

(3) कर निर्धारण प्राधिकारी धारा 21 की उपधारा (5) अथवा उपधारा (6) के अधीन अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार, कर निर्धारण करते समय, जहां तक व्यवहार्य हो, व्यापारी द्वारा चलाये जा रहे कारबार की सीमा, आसपास की परिस्थितियों और ऐसे अन्य सभी विषयों का, जो व्यापारी के कर योग्य कुल राशि का उचित तथा समुचित अनुमान लगाने में सहायक हो सकते हो, सम्यक् ध्यान रखेगा.

31. धारा 16 की उपधारा (6), धारा 25 की उपधारा (8), धारा 42 की उपधारा (2),धारा 54 की उपधारा (2), धारा 57 की उपधारा (6) तथा नियम 82 के अधीन सूचना–

(1) जहां,–

(क) किसी व्यापारी ने युक्तियुक्त कारण बताये बिना, धारा 16 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित विहित कालावधि के भीतर, अपना रजिस्ट्रीकरण नहीं करवाया हो, अथवा

(ख) कोई व्यापारी निर्धारित कर अथवा उस पर अधिरोपित शास्ति अथवा उससे शोध्य किसी अन्य रकम का भुगतान मांग सूचना में उसके लिये विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं करता है और व्यापारी ने धारा 25 की उपधारा (7) के अधीन कोई आदेश प्राप्त न किया हो अथवा उक्त धारा की उपधारा (6) के अधीन पारित आदेश के अनुसार, कर अथवा शास्ति का भुगतान न किया हो, अथवा

(ग) कोई व्यापारी, धारा 42 की उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, अथवा

(घ) किसी व्यापारी ने कुल राशि (टर्नओवर) या सकल क्रय राशि को छिपाया हो या उसके द्वारा प्रस्तुत विवरणी में क्रय/विक्रय से संबंधित गलत जानकारी प्रस्तुत की हो, अथवा

(ड.) किसी व्यापारी ने कर के भुगतान में अपवंचन करने की दृष्टि से उसके द्वारा रखी गई पुस्तकों, रजिस्टरों अथवा लेखाओं में उनका लेखा–जोखा नहीं रखा हो, अथवा

(च) कोई व्यापारी अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबन्धों का उल्लंघन करता है,

तो कर निर्धारण प्राधिकारी अथवा शास्ति अधिरोपण के लिये सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक मामलें में यथास्थिति व्यापारी अथवा व्यक्ति को एक सूचना भेजेगा, जो, जहां तक हो सके प्ररूप 29 में होगी, जिसमें व्यतिक्रम का उल्लेख किया जायेगा और उससे ऐसी तारीख तक जो सामान्यतया सूचना की तामील की तारीख से पन्द्रह दिनों से कम नहीं होगी कारण बताने की अपेक्षा की जायेगी कि क्यों न उस पर शास्ति अधिरोपित की जाए और उससे ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी जो वह अपने आक्षेप के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहता हो,

परन्तु उस स्थिति में ऐसी कोई सूचना आवश्यक नहीं होगी जब यथा व्यापारी, कर निर्धारण प्राधिकारी या शास्ति अधिरोपण के लिये सक्षम प्राधिकारी यथास्थिति के समक्ष उपस्थित होकर ऐसी सूचना का अधित्यजन कर देता है.

(2) उप नियम (1) के अधीन जारी की गई सूचना में नियत तारीख को, यथास्थिति कर निर्धारण प्राधिकारी या शास्ति अधिरोपण के लिये सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, व्यापारी द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने और उसके द्वारा पेश किये गए साक्ष्य का परीक्षण करने तथा ऐसा अन्य साक्ष्य, जो उपलब्ध हो, लेने के पश्चात् शास्ति अधिरोपित करेगा अथवा कोई अन्य उपयुक्त आदेश पारित करेगा, आदेश की एक प्रमाणिकृत प्रति, व्यापारी को भेजी जायेगी.

32. कर निर्धारण और/अथवा शास्ति आदेश का प्ररूप—

(1) निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश प्ररूप 30 में होगा

(2) अधिनियम के अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबन्धों के अधीन किसी अवधि के संबंध में यथास्थिति शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश उस अवधि से संबंधित कर निर्धारण के आदेश में उस दशा में समाविष्ट किया जा सकेगा जबकि वह अलग से पारित न किया गया हो.

(3) उपनियम (1) या (2) में उल्लिखित आदेश की एक अभिप्रमाणित प्रति व्यापारी पर तामिल की जाएगी.

33. कर निर्धारण प्रकरण अभिलेख—

(1) किसी विशिष्ट व्यापारी के संबंध में कर निर्धारण से सुसंगत कागजात कर निर्धारण प्रकरण अभिलेख होंगे तथा दो अलग–अलग वर्गो की फाईलों "अ" तथा "ब" में व्यवस्थित रखे जायेगें जो एक साथ ही रखी जाएगी. "अ" वर्ग की फाईल में महत्वपूर्ण कागजात जैसे आदेश पत्रक विवरणियां, चालान, सूचनाएं कर निर्धारण आदेश, दस्तावेज, अपील तथा पुनरीक्षण पर दिये गये निर्णयों की प्रतियां रखी जायेगी. "ब" वर्ग की फाईल में धोषणायें तथा अन्य सभी कागजात रखे जायेंगे, जैसे कच्ची गणना कार्य, अन्य जिलों की जांच पड़ताड़.

(2) "अ" तथा "ब" वर्ग की फाईलें प्रकरण के अन्तिम निपटारे की तारीख से 6 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी.

34. कर व्यवसाईयों का नामांकन—

(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में कर व्यवसायी के रूप में उपस्थित होने का हकदार हो, प्ररूप 31 में आयुक्त को आवेदन करेगा.

(2) उप–नियम (1) के अधीन नामांकन के लिये आवेदन देने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक सौ रूपये की फीस जमा करेगा.

(3) आयुक्त उप–नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, आवेदन में दिये गये विवरण के संबंध में अपना समाधान कर लेने के बाद प्ररूप 32 में रजिस्टर में कर व्यवसायी के रूप में आवेदन का नाम नामांकित करेगा तथा प्ररूप 33 में आवेदक को प्रमाण–पत्र देगा.

(4) कर व्यवसायी के रूप में नामांकित प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में आयुक्त द्वारा ऐसे व्यक्ति को सूचना भेजी जायेगी.

(5) यदि कोई कर व्यवसायी धारा 24 की उप–धारा (7) के अधीन कदाचार का दोषी पाया जाए तो ऐसे व्यक्ति का नाम प्ररूप 30 में रखे गए रजिस्टर से निकाल दिया जायेगा.

35. कर का भुगतान—

(1) प्रत्येक व्यापारी ऐसे व्यापारी को छोड़कर जिसे उपनियम (2) लागू होता है, अधिनियम के अधीन जिसके द्वारा कर देय हो, तिमाही कर का भुगतान किसी तिमाही की अवधि समाप्त होने के तीस दिन के भीतर करेगा.

(2) (क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो अधिनियम के अधीन कर के भुगतान का दायी है और जिसे तिमाही विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, प्रत्येक तिमाही के क्रमशः द्वितीय और तृतीय महीने की 10 तारीख तक या उसके पूर्व ऐसी रकम का भुगतान करेगा, जो निम्न रकम के बराबर हो,—

(एक) उस तिमाही के प्रथम और द्वितीय महीने के लिये उसके द्वारा देय कर की वास्तविक रकम अथवा पूर्ववर्ती वर्ष की तत्संबंधी तिमाही के संबंध में जमा किये गए कर की एक तिहाई रकम, यदि वह साधारणतया प्रति तिमाही पंद्रह हजार रूपये या प्रतिवर्ष साठ हजार रूपये अथवा उससे अधिक की दर से कर का भुगतान करने का दायी है, तथा

(दो) उस तिमाही के प्रथम और द्वितीय महीने के लिये उसके द्वारा देय कर की वास्तविक रकम, यदि वह साधारणतया प्रति तिमाही पच्चीस लाख रूपये या प्रतिवर्ष एक करोड़ रूपये अथवा उससे अधिक की दर से कर का भुगतान करने के लिये दायी है,

परन्तु अंतिम तिमाही के अंतिम महीने हेतु खण्ड (एक) में विनिर्दिष्ट व्यापारी या तो पूर्व वर्ष की अंतिम तिमाही के संबंध में जमा किये गये कर की एक तिहाई के बराबर रकम या प्रथम 25 दिनों के लिये देय कर की वास्तवितक रकम तथा खण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट व्यापारी प्रथम 25 दिनों के लिये देयकर की वास्तविक रकम का भुगतान ऐसे अंतिम महीने के अंतिम दिन के पूर्व करेगा।

(ख) तिमाही के लिये देय शेष राशि का भुगतान उक्त तिमाही के लिये विवरण प्रस्तुत करने के लिये विहित तारीख या इसके पूर्व किया जावेगा।

(3) ऐसा कोई व्यापारी जिसे नियम 24 के अधीन, तिमाही विवरणी के स्थान पर, विभिन्न अवधियों की विवरणियां प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की गई हो, प्ररूप 22 में आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये तथा विनिदिष्ट तारीखों तक कर का भुगतान करेगा.

36. भुगतान की पद्धति–

(1) प्रत्येक व्यापारी या व्यक्ति कर, शास्ति, फीस, ब्याज या अन्य किसी रकम का भुगतान या तो नगदी में अथवा किसी अनुसूचित बैंक पर आहरित चैक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा सीधे ही किसी शासकीय कोषालय अथवा अधिसूचित बैंक, की किसी नामित शाखा में, जो तत्समय छत्तीसगढ़ सरकार के कोषालय कारबार का संव्यवहार कर रही है, करेगा. उपनियम (6) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए किसी ऐसी रकम का कोई भुगतान वाणिज्यिक कर अधिकारी के कार्यालय अथवा अधिनियम द्वारा या उसके अधीन नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी के कार्यालय में, स्वीकार नहीं किया जायेगा:

परन्तु जहां व्यापारी, केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा उनका कोई भी विभाग हो, भुगतान पुस्तक समायोजन द्वारा किया जा सकेगा और उसकी सूचना, ऐसा भुगतान किये जाने के 30 दिन के भीतर समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को भेजी जायेगी,

(2) जहां इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 27 के अधीन स्त्रोत पर काटे जाने वाली कर की राशि से भिन्न देय रकम का भुगतान नकदी में किया जाता है तो ऐसा प्रत्येक भुगतान प्ररूप 34 में चालान के द्वारा किया जायेगा और धारा 27 के अधीन स्त्रोत पर काटे गये कर की राशि का भुगतान प्ररूप 35 में किया जायेगा। प्ररूप 34 तथा 35 में चालान पांच प्रतियों में भरे जावेंगे।

(3) जहां भुगतान, चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है,–

(क) चेक या बैंक ड्राफ्ट रेखांकित (ड्राफ्ट) होगा और निम्नलिखित पृष्ठांकन सहित छत्तीसगढ़ सरकार को देय होगा:–

"शीर्ष 040–वाणिज्यिक कर के अधीन छत्तीसगढ़ सरकार को भुगतान करें."

(ख) चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट पॉच प्रतियों में प्ररूप (फार्म) 34 या 35 में यथास्थिति सम्यक रूप से भरे हुये चालान सहित, बैंक को प्रस्तुत किया जायेगा. चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट का नगदीकरण और सरकारी लेखा में ऐसे चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट की रकम का आकलन, तत्समय प्रवृत्त बैंक के नियमों द्वारा शासित होगा.

(ग) चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट, प्रस्तुत किये जाने की तारीख को देय होगा और आगे की तारीख का नहीं होगा.

(घ) उस तारीख को जिसको समायोजन किया जाता है और चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के अन्तर्गत आने वाली रकम, बैंक द्वारा, चालान के जरिये सरकारी लेखों में जमा की जाती है, चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट से संबंधित रकम के भुगतान की तारीख मानी जावेगी.

(4) उपनियम (2) अथवा उप नियम (3) के अधीन जहां किसी रकम का भुगतान सीधे बैंक को किया जाता है वहां व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किया गया चालान, कोषालय अधिकारी अथवा संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी, द्वारा पारित

किया जाना आवश्यक नहीं है और वह चालान, सीधे बैंक द्वारा स्वीकार किया जायेगा.

(5) सरकारी लेखे में रकम जमा किये जाने पर, बैंक चालान की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित तीसरी तथा चौथी प्रति, भुगतानकर्ता को वापस करेगा तथा मूल प्रति सीधे संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी को भेज देगा और दूसरी तथा पांचवी प्रति, दैनिक लेखे के साथ, कोषालय अधिकारी को भेजे जाने के लिये रख लेगा. कोषालय अधिकारी द्वारा पांचवी प्रति महालेखाकार छत्तीसगढ़ को भेजी जावेगी ।

(6) उपनियम (1) में दी गई किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, आयुक्त द्वारा अधिसूचित की गई सीमा तक की किसी रकम का भुगतान समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकेगा.

37. रूपये के किसी भाग को पूर्णांकित करना– यदि कर और/या शास्ति अथवा ब्याज की रकम में रूपये का कोई भाग सम्मिलित हो, तो पचास पैसे या अधिक को एक रूपया माना जाएगा तथा पचास पैसे से कम को छोड़ दिया जावेगा।

38. भुगतानों का समाधान– प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी राजस्व संग्रहण का विवरण तैयार करेगा और सत्यापण हेतु उसे कोषालय अधिकारी को भेजेगा. यदि सत्यापन करते समय किसी विसंगति का पता चलता है तो समुचित वाणिज्यिक अधिकारी, लेखाओं के समाधान हेतु आवश्यक अभिलेख कोषालय अधिकारी को भेजेगा.

39. अधिनियम के अधीन देय किसी राशि के भुगतान के लिये सूचना– इन नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए यदि कोई राशि अधिनियम के अथवा नियमों के किन्ही उपबंधों के अधीन व्यापारी अथवा व्यक्ति द्वारा देय हो, तो उस पर प्ररूप 36 मं उस तारीख का, जो सूचना की तामील की तारीख से तीस दिन से कम न हो, जिसको भुगतान किया जाएगा, उल्लेखित करते हुए, सूचना तामील करेगा, जिसमें वह तारीख भी निश्चित की जावेगी जिसको या जिसके पूर्व वह व्यापारी अथवा व्यक्ति, यथास्थिति ऐसी राशि के भुगतान के प्रमाण स्वरूप कोषालय की रसीदी चालान प्रस्तुत करेगा या भेजेगा :

(1) परन्तु, जहां धारा 48 या 49 के अधीन आदेश पारित किया गया हो तथा अधिनियम अथवा नियमों के अधीन व्यापारी अथवा व्यक्ति द्वारा देय राशि ऐसा आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी द्वारा ऑकी गई हो वहां अतिशेष, यदि कोई हो, अथवा अतिरिक्त रकम, यदि कोई हो, यदि ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप भुगतान के लिये शेष रह गई हो तो उसका भुगतान व्यापारी अथवा व्यक्ति द्वारा उस पर ऐसे आदेश की तामील की तारीख से तीस दिवस के भीतर कर दिया जायेगा तथा वह उक्त अवधि के भीतर समुचित प्राधिकारी को ऐसे राशि के भुगतान के प्रमाण–स्वरूप कोषालय रसीदी चालान प्रस्तुत करेगा अथवा भेजेगा.

(2) जहां व्यापारी, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा उसके कोई विभाग हो, वहां भुगतान नियम 36 में उपबंधित रीति से किया जा सकेगा.

40. अधिनियम के अधीन देय कर, शास्ति, ब्याज, फीस या किसी अन्य राशि की वसूली– यदि नियम 39 के अधीन नियत तारीख का अवसान हो जाने के पश्चात् अथवा यदि धारा 25 की उपधारा (7) के अधीन तारीख बढ़ाई गई हो तो बढ़ाई गई तरीख का अवसान हो जाने के पश्चात् किसी व्यापारी या व्यक्ति द्वारा अधिनियम के अधीन देय कर, शास्ति, ब्याज, फीस या अन्य किसी राशि का, जो यथास्थिति, निर्धारित प्रतिनिर्धारित, अधिरोपित, संगणित की गई हो या देय हो, या उसके किसी भाग का भुगतान बाकी रह गया हो तो कर निर्धारण प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी से ऐसी रकम भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने के लिये आवेदन करेगा.

41. धारा 25 की उपधारा (12) के अधीन परिवर्धित रकम की वसूली के लिये सूचना:– यथास्थिति, व्यापारी या किसी व्यक्ति को तथा ऐसे प्राधिकारी को जिसके द्वारा या जिसके आदेश के अधीन वसूली की जानी हो, दी जाने के लिये अपेक्षित सूचना, यथासंभव, प्ररूप 37 में होगी तथा धारा 48 या धारा 49 के अधीन अपील या पुनरीक्षण पर अथवा धारा 56 के अधीन भूल सुधार होने पर निर्धारण आदेश पारित होने की तारीख से छह माह के भीतर दी जाएगी.

42. वसूलीकर्ता प्राधिकारी द्वारा कर, शास्ति अथवा फीस की वसूली की रिपोर्ट:– आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात् ऐसा प्राधिकारी, उसके द्वारा या जिसके आदेश के अधीन धारा 25 की उपधारा (11) के अधीन वसूली की गई हो, कर निर्धारण प्राधिकारी को वसूल की गई रकम, यदि कोई हो, तथा चालान का कमांक तथा तारीख जिसके अधीन वह रकम कोषालय में जमा की गई है, की सूचना देगा.

43. मांग सूचना तथा कर निर्धारण के पूर्व कर का अग्रिम भुगतान और उसके भुगतान की रीति–

(1) धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन सूचना प्ररूप 38 में होगी.

(2) धारा 26 के अधीन देय कर की रकम का भुगतान, नियम 36 में वर्णित रीति में किया जायेगा.

(3) प्ररूप 38 में दी गई सूचना में मांगे गये कर का भुगतान सूचना तामील होने की तारीख से सात दिन के भीतर किया जायेगा.

44. धारा 27 के अधीन काटी गई राशियों का भुगतान और उनका प्रमाण पत्र जारी करना:–

(1) किसी केता द्वारा धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन काटी गई रकम और किसी व्यक्ति द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन काटी गई रकम, उसके द्वारा प्ररूप 35 में चालान के द्वारा शासकीय कोषालय में कटौती के दिनांक से दस दिन के भीतर जमा की जायेगी।

(2) (क) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन काटी गई रकम के लिये, व्यापारी जो केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन को माल का प्रदाय करता है, को केता उप नियम (1) के प्रावधानों के अधीन ऐसी रकम के जमा करने के दस दिन के भीतर प्ररूप 39 में एक प्रमाण पत्र दो प्रतियों में जारी करेग।

(ख) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन काटी गई रकम के लिये, ठेकेदार को ऐसा व्यक्ति उप नियम (1) के प्रावधानों के अधीन ऐसी रकम के जमा करने के दस दिन के भीतर प्ररूप 40 में एक प्रमाण पत्र दो प्रतियों में जारी करेगा।

(3) नियम 20 के उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन को माल का प्रदाय या विक्रय करने वाले व्यापारी, या किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये संकर्म संविदा के निष्पादन में माल का प्रदाय करने वाले ठेकेदार के संबंध में, जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया जाय, यह माना जायेगा कि उसने केन्द्र शासन या राज्य शासन या व्यक्ति को विक्रय किये माल के टर्नओवर पर कर का भुगतान चालान द्वारा कोषालय में कर दिया है, यदि वह यथास्थिति प्ररूप 39 या 40 में प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत कर देता है। यह प्रमाण–पत्र प्ररूप 17 में विवरणी के साथ नत्थीबद्ध किया जायेगा, यदि करयोग्य कुल राशि को विवरणी में सम्मिलित कर लिया गया है अथवा, यदि वह प्रमाण पत्र केन्द्र शासन या राज्य शासन या व्यक्ति से विलम्ब से प्राप्त हुआ है, तो पृथक से प्रस्तुत किया जावेगा।

(4) (क) धारा 28 के अधीन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिये यथास्थिति कोई व्यापारी या कोई ठेकेदार माल के प्रदाय के दिनांक या संकर्म संविदा के निष्पादन में माल के प्रदाय के दिनांक से तीस दिन के भीतर समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को प्ररूप 41 में आवेदन करेगा। वाणिज्यिक कर अधिकारी आवेदन में दिये गये तथ्यों का सत्यापन करेगा और यदि पूर्वोक्त अवधि के पश्चात् आवेदन किया गया है तो इस तथ्य का उल्लेख करते हुए उपायुक्त को आवेदन प्राप्त होने के दिनांक के पन्द्रह दिन के भीतर अपना प्रतिवेदन भेजेगा।

(ख) वाणिज्यिक कर अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उपायुक्त आवेदन में दिये गये तथ्यों की सत्यता से संतुष्टि पश्चात और यदि कोई विलम्ब है तो उसे उपमार्पित करते हुए और कारणों का लेख करते हुए वाणिज्यिक कर अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर आवेदक को प्ररूप 42 में प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

(5) धारा 27 की उपधारा (8) के अधीन प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण प्ररूप 43 में होगा और उक्त उपधारा में उल्लेखित व्यापारी द्वारा किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिये उस वृत्त, जिसमें कि विक्रेता व्यापारी द्वारा धारा 16 के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, के वाणिज्यिक कर अधिकारी को तिमाही की समाप्ति के सात दिन के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा।

45. तृतीय पक्षकारों से वसूली का नोटिस– जहां आयुक्त अथवा धारा 3 के अधीन उसकी सहायता के लिये नियुक्त निरीक्षक के अलावा कोई अधिकारी, धारा 29 के अधीन किसी व्यापारी से बकाया कोई कर, ब्याज, शास्ति अथवा फीस ऐसे किसी अन्य व्यक्ति से वसूल करने की कार्यवाही करता है, जिससे ऐसे व्यापारी को शोध्य कोई रकम बकाया हो अथवा जो ऐसे व्यापारी के लिये अथवा के संबंध में कोई रकम धारण करता हो अथवा धारण कर सकता हो तो वह प्ररूप 44 में एक नोटिस जारी करेगा.

45.
धारा 37 की उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में कर के रूप में एकत्रित राशि के समपहरण तथा वापसी की प्रकिया–

(1) धारा 37 की उपधारा (3) के अधीन सूचना प्ररूप 45 में होगी.

(2) ज़हां समपहरण के लिए कोई आदेश किया जाए, वहां तत्संबंधी आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर सूचना की प्रति लगाकर संबंधित व्यक्तियों की जानकारी के लिए निम्नलिखित ब्यौरे प्रकाशित करेगा–

(एक) उस व्यापारी या व्यक्ति, जिसके मामले में आदेश पारित किया गया हो, का नाम, पता उसके द्वारा धारित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का कमांक यदि कोई हो,
(दो) आदेश की तारीख;
(तीन) समपहृत की गई रकम,
(चार) माल का विवरण, जिसके संबंध में समपहरण की गई रकम वसूल की गई थी,
(पांच) वह कालावधि, जिससे पारित आदेश संबंधित है,
(छः) समपहरण के कारण.

(3) वह व्यक्ति, जिससे समपहरित रकम अनाधिकृत रूप से वसूल की गई हो, ऐसी रकम की वापसी के लिए दावा करते हुए आवेदन प्ररूप 46 मे करेगा.

अध्याय – 7

47.
चैक द्वारा प्रतिदाय अथवा प्रतिदाय भुगतान आदेश द्वारा प्रतिदाय–

(1) (क) जब किसी रकम के प्रतिदाय का निर्देश सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी अथवा वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा दिया गया है तो वाणिज्यिक कर अधिकारी और जब ऐसा आदेश सहायक आयुक्त द्वारा दिया गया है तो सहायक आयुक्त चैक के द्वारा ऐसे प्रतिदाय का भुगतान करेगा।

परन्तु उस समय तक, जब तक कि राज्य शासन ऐसे प्रतिदाय के चैक के द्वारा भुगतान के लिये योजना एवं प्रकिया निर्धारित करती है, ऐसे वाणिज्यिक कर अधिकारी अथवा सहायक आयुक्त द्वारा ऐसी रकम के लिये, जो किसी ऐसी रकम की कटौती करने के पश्चात शेष रह गई हो, जिसके संबंध में धारा 25 की उपधारा (5) के अधीन नोटिस जारी किया गया है या जिसका समायोजन नियम 48 के अधीन किया जाना है, प्ररूप 47 में प्रतिदाय भुगतान आदेश जारी करेगा।

(ख) जहां वह रकम जिसके लियें चेक अथवा भुगतान आदेश जारी किया गया है, पॉच हजार रूपयों से अधिक हो तो ऐसा चेक या प्रतिदाय भुगतान आदेश कास (रेखित) और "खाते में जमा" (एकाउन्ट पेयी) किया जावेगा।

(2) प्रतिदाय भुगतान आदेश तथा उसकी एक प्रति कोषालय में उपयोग हेतु व्यापारी को कोषालय में प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त करनें के लिये दी जावेगी ।

48. प्रतिदाय समायोजन आदेश–

(1) वाणिज्यिक कर अधिकारी अथवा सहायक आयुक्त यथास्थिति, प्रतिदाय योग्य राशि के समायोजन के लिये जिस दिनांक को प्रतिदाय स्वीकृत किया गया है, से आगामी अवधि की विवरणी अथवा विवरणियों के अनुसार देय राशि के विरूद्ध प्ररूप 48 में प्रतिदाय समायोजन आदेश जारी कर सकेगा।

(2) यदि प्रतिदाय मंजूर करने के लिये सशक्त प्राधिकारी धारा 39 की उपधारा (4) के अधीन अधिनियम या निरसित अधिनियम अथवा केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 (सन् 1956 का संख्या 74) के अधीन शोध्य कर, शास्ति, ब्याज अथवा उसके किसी भाग की वसूली के संबंध में प्रतिदाय योग्य रकम अथवा उसके किसी भाग को उपयोजित करना चाहे, तो वह इस प्रकार उपयोजित की जाने हेतु अपेक्षित रकम के संबंध में एक प्रतिदाय समायोजन आदेश जारी करेगा.

(3) प्रतिदाय समायोजन आदेश तीन प्रतियों में बनाया जाएगा, पहली प्रति व्यापारी को दी जायेगी, दूसरी प्रति कोषालय अधिकारी को जारी की जायेगी, जिसके शीर्ष पर "केवल कोषालय में उपयोग के लिये" लिखित होगा तथा तीसरी प्रति ऐसा आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी अपने पास रखेगा.

49. विवरणी के साथ प्रतिदाय समायोजन आदेश का प्रस्तुत करना–

नियम 48 के अनुसार कटौती के किसी दावे के समर्थन में व्यापारी अपने प्रतिदाय समायोजन आदेश की प्रति अधिनियम अथवा केन्द्रीय विक्रय अधिनियम, 1956 (सन् 1956 सं. 74) के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी के साथ संलग्न करेगा.

50. पुस्तक क्रमांकों की सूचना–

प्रतिदाय भुगतान आदेश अथवा समायोजन आदेश जारी करने वाला प्रत्येक वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा सहायक आयुक्त तत्समय उपयोग में आने वाली पुस्तकों के क्रमांकों की सूचना उसकी अधिकारिता में आने वाले कोषालय तथा उपकोषालय अधिकारी को देगा.

51. विलम्बित प्रतिदायों पर ब्याज स्वीकृत करने वाला आदेश–

जब नियम 47 के अधीन कोई प्रतिदाय भुगतान आदेश जारी किया जाए तो ऐसा आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी इसके साथ–साथ एक आदेश अभिलिखित करेगा, जिसमें ऐसे प्रतिदाय पर धारा 39 की उपधारा (5) के अधीन देय ब्याज, यदि कोई हो, मंजूर करेगा जिसमें प्रतिदाय की रकम, जिसके भुगतान में विलम्ब हुआ है, विलम्ब की कालावधि जिसके लिये ऐसा ब्याज देय है तथा राज्य सरकार द्वारा देय ब्याज की रकम विनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा उसे उस व्यपारी को संसूचित करेगा, जिसे ब्याज देय है.

52. ब्याज भुगतान आदेश–

(1) जहां, विलंबित प्रतिदायों पर ब्याज के भुगतान के लिये नियम 51 के अधीन आदेश किया गया हो, वहां मंजूरी कर्त्ता प्राधिकारी ब्याज का भुगतान चेक द्वारा करेगा.

परन्तु उस समय तक, जब तक कि राज्य शासन ब्याज के चेक द्वारा भुगतान के लिये योजना एवं प्रकिया निर्धारित करती है, मंजूरीकर्ता अधिकारी व्यापारी को प्ररूप 49 में ब्याज भुगतान आदेश जारी करेगा.

(2) ब्याज भुगतान आदेश तथा उसकी एक प्रति कोषालय में उपयोग हेतु मंजूरी कर्ता अधिकारी व्यापारी को कोषालय में प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त करने के लिये जारी करेगा.

अध्याय – 8

53. संपरिक्षा (आडिट) रिपोर्ट प्रस्तुत करना और विभिन्न प्ररूपों तथा रीति में लेख रखने की शर्तें:–

(1) प्रत्येक व्यापारी, जिससे धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन संपरीक्षा (आडिट) रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है, ऐसी रिपोर्ट प्ररूप 50 में समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष प्ररूप 18 में विवरण के साथ प्रस्तुत करेगा.

(2) यदि आयुक्त यह आवश्यक समझता है कि कोई व्यापारी या किसी वर्ग के व्यापारी विक्रय या क्रय के अभिलेखों सहित लेखे विशेष प्रारूप में रखे तो वह, उसके लिए कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् –

(एक) ऐसा आदेश प्ररूप 51 में जारी कर ऐसे व्यापारी को, या

(दो) धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना जारी कर ऐसे वर्ग के व्यापारियों को,

उस माह के, जिसमें आदेश या अधिसूचना जारी की गई हो, अगले मास के समाप्त हो जाने के पश्चात् ऐसे आदेश/अधिसूचना से संलग्न प्ररूप में लेखे रखने के लिये निर्देश देगा.

54. देयक अथवा नगदी ज्ञापन (केश मैमो) में अपेक्षित ब्यौरे:–

प्रत्येक व्यापारी, जिसके द्वारा धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन देयक अथवा नगदी ज्ञापन जारी किया जाना अपेक्षित है, उसके द्वारा जारी किये गये देयक, बीजक अथवा नगदी ज्ञापन में नाम तथा प्रकार, अपने कारबार के स्थान का पता तथा अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र क्रमांक, बेचे गये माल के ब्यौरे तथा उसका विक्रय मूल्य, धारा 8 की उपधारा (एक) और/या उपधारा (दो) के अधीन वसूल किया गया कर यदि पृथक से वसूल किया है, तो विनिर्दिष्ट करेगा और प्रत्येक वर्ष के लिये ऐसा देयक, बीजक अथवा नगद ज्ञापन पर अनुक्रमांक डालेगा तथा जहाँ विक्रय मूल्य एक हजार रूपये अथवा उससे अधिक हो, तो व्यापारी देयक, बीजक अथवा नगद ज्ञापन में क्रेता का पूरा नाम तथा पता और उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र यदि कोई हो, दर्ज करेगा.

अध्याय – 9

55. आयुक्त की शक्तियों का प्रत्यायोजन:–

आयुक्त, निम्नलिखित सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धों और शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, और कॉलम (2) में वर्णित धारा/नियम के अधीन उसे प्रदत्त और कालम (3) में वर्णित तत्संबंधी शक्तियों तथा सौंपे गए कर्त्तव्यों को कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट अधिकारी की पदश्रेणी से कम का न हो, प्रत्यायोजन कर सकेगा:–

सारणी

अनु.	धारा/नियम	शक्ति का विवरण	अधिकारी का पदनाम तथा प्रत्यायोजन की शर्ते
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	5	कर भुगतान करने के दायित्व का अवधारण करना	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी

2.	16 तथा 18	(एक) धारा 16 तथा 18 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र मंजूर करना (दो) धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन शास्ति अधिरोपित करना और (तीन) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण– पत्र संशोधित करना या रद्द करना.	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
3.	19	(एक) किसी व्यापारी से विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना (दो) विवरणी प्रस्तुत करने से किसी व्यापारी को छूट देने या विभिन्न कालावधि के लिये विवरणी प्रस्तुत करने की ,किसी व्यापारी को अनुज्ञा देना. (तीन) एक से अधिक स्थानों पर कारबार के स्थान से संबंध में पृथक्–पृथक् विवरणी प्रस्तुत करने से छूट देना. (चार) शास्ति अधिरोपित करना	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी उपायुक्त उपायुक्त सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
4.	21, 22, 25 तथा 36	कर निर्धारण या पुनर्निर्धारण करना या शास्ति अधिरोपित करना या ऐसे कर तथा/अथवा शास्ति कर भुगतान करने के लिये और समय देना या कर या शास्ति का भुगतान किस्तों में करने की अनुज्ञा देना एक पक्षीय आदेश को अपास्त करना तथा धारा 21, 22, 25 तथा 36 के अधीन समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करना.	(एक) सहा0 वाणिज्यिक कर अधिकारी एक करोड़ रूपये की कुल राशि और/ या सकल क्रय राशि तक (दो) वाणिज्यिक कर अधिकारी तीन करोड़ रूपये और/या सकल क्रय राशि तक (तीन) सहायक आयुक्त प्रत्येक व्यापारी के संबंध में
5.	26	विवरणी प्रस्तुत न करने पर निर्धारित कर का अग्रिम रूप से भुगतान करने की रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से अपेक्षा करना.	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
6.	27	शास्ति अधिरोपित करना	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी

7.	37	आदेश, जिसके अन्तर्गत धारा 37 की उप–धारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में किसी व्यापारी या व्यक्ति द्वारा संग्रहीत किसी रकम को समपहरित करने के आदेश है, पारित करना, उसकी सूचना का प्रकाशन तथा ऐसी रकम का उस व्यक्ति को प्रतिदाय जिससे वह संग्रहित की गयी थी.	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
8.	39	(1) अधिक कर या शास्ति, ब्याज, आगत कर का रिबेट या अन्य किसी राशि के प्रतिदाय की स्वीकृति देना, (2) विलंबित प्रतिदायों पर ब्याज के भुगतान की स्वीकृति देना,	वाणिज्यिक कर अधिकारी
9.	41	विशिष्ट प्ररूप तथा रीति से लेखे रखे जाने की व्यापारी से अपेक्षा करना.	उपायुक्त
10.	42	देयकों या नगदी ज्ञापों के प्रतिपर्ण या दूसरी प्रति न रखने के लिये या ऐसे देयक या नगदी ज्ञाप जारी न करने के लिये या उसे धारा 42(1) के प्रावधानों के अनुरूप अभिरक्षित न रखने के लिये शास्ति अधिरोपित करना.	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
11.	44	अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों के अधीन किसी कार्यवाही या कार्यवाहियों के किसी वर्ग को अन्तरित करना.	उपायुक्त
12.	46	कतिपय मामलों में जानकारी मांगने की शक्ति	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
13.	49	पुनरीक्षण की शक्ति	उपायुक्त
14.	54	शास्ति अधिरोपित करना	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
15.	56	धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन त्रुटि का सुधार करना	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
16.	57	(एक) उप–धारा (3) से (5) तक के अधीन शक्तियां. (दो) उप–धारा (6) के अधीन शक्तियां.	वाणिज्यिक कर निरीक्षक सहायक आयुक्त
17.	नियम 82	किसी नियम के उल्लंघन के संबंध में शास्ति अधिरोपित करना.	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी

56. सूचना सम्मन तथा आदेशों की तामील–

(1) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सूचना या सम्मन या आदेश निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी पद्धति से तामील किया जा सकेगा:—

(एक) सूचना या सम्मन या आदेश की एक प्रति संबोधित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता को व्यक्तिशः देना या सौपना,

(दो) डाक द्वारा:

परन्तु यदि ऐसी सूचना या सम्मन या आदेश को उपर दी गई पद्धतियों से देने के लिये किए गए प्रयत्न करने पर उसे जारी करने वाले प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि संबोधित व्यक्ति सूचना या सम्मन या आदेश लेने का अपवंचन कर रहा है या कि किसी अन्य कारण से सूचना या सम्मन या आदेश उपरोक्त किसी भी कारण से तामील नहीं किया जा सकता है, उक्त प्राधिकारी ऐसी सूचना या सम्मन या आदेश की एक प्रति को चिपका कर उसकी तामील करवाएगा—

(क) यदि संबोधित व्यक्ति कोई व्यापारी है तो व्यापारी के कार्यालय या भवन, जिसमें व्यापारी का कार्यालय स्थित हो, के किसी सहजदृश्य भाग पर या डीलर के कारबार के किसी स्थान, जिसे उसके द्वारा अंतिम बार अधिसूचित किया गया हो, के किसी सहजदृश्य भाग पर, और

(ख) यदि संबोधित व्यक्ति कोई व्यापारी नहीं हो, तो उसके निवास या कार्यालय या भवन, जिसमें उसका निवास या कार्यालय स्थित हो, के किसी सहजदृश्य भाग पर,

और ऐसी तामील संबोधित व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर तामील की गई मानी जावेगी.

(2) जब सूचना या सम्मन तामील करने वाला अधिकारी स्वयं संबोधित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता को सूचना या सम्मन की एक प्रति सौंपता या प्रदान करता है, तब वह मूल सूचना या सम्मन पर तामीली की पावती के रूप में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा जिस पर वह तामील की गई हो या जिसे वह दिया गया हो :

परन्तु जहां संबोधित या उसका अभिकर्ता पावती पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दे, वहां तामीलकर्ता अधिकारी उस मकान के बाहरी द्वार पर या किसी सहजदृश्य भाग पर सूचना या सम्मन की एक प्रति चिपकवा देगा, जिसमें पाने वाला व्यक्ति सामान्यतः रहता हो या कारबार करता हो या लाभ के लिये स्वयं कार्य करता हो.

(3) जब कोई नोटिस या सम्मन, उप नियम (1) अथवा उप नियम (2) के परन्तुक के अनुसरण में उसकी प्रति चिपकाकर तामील किया जाता है, तो तामीलकर्ता अधिकारी मूल प्रति को सूचना या सम्मन जारी करने वाले अधिकारी को उस पर अपनी रिपोर्ट का पृष्ठांकन करते हुये वापस लौटा देगा, जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि उसने प्रति किस प्रकार चस्पा करवाई, वे परिस्थितियां जिसके अधीन उसे ऐसा करना पड़ा, तथा उस व्यक्ति का नाम तथा पता आदि, यदि कोई हो, जिसके द्वारा उसके कार्यालय या निवास का पता या उस भवन का पता, जिसमें उसका कार्यालय का निवास स्थित हो या उसके

कारबार के स्थान की पहचान की हो, तथा जिसकी उपस्थिति में प्रति चिपकाई गई थी, उक्त अधिकारी उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या उसके अंगूठे का निशान भी रिपोर्ट पर करवाएगा जिसने संबोधित व्यक्ति के निवास या कार्यालय या भवन या कारबार के स्थान की पहचान की है.

(4) जब तामील डाक द्वारा की गई हो, तब तामील उस दशा में उचित रूप से की गई मानी जाएगी जबकि नोटिस, सम्मन या आदेश की प्राप्ति अभिस्वीकृति के साथ समुचित रूप से पता लिखकर पूर्व भुगतान कर तथा रजिस्ट्रीकरण डाक द्वारा भेजी जाय, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न कर दिया जाए, तामील उसी समय की गई मानी जाएगी, जिस समय सामान्य तौर से नोटिस या सम्मन या आदेश डाक द्वारा परिदत्त कर दिया जाता हो.

(5) वह प्राधिकारी, जिसके आदेश पर नोटिस या सम्मन या आदेश जारी किया गया, यदि संदेशवाहक की या डाक अभिस्वीकृति या ऐसा साक्ष्य लेने पर जैसा वह उचित समझे, का इस बात से समाधान हो जाये कि सूचना, सम्मन या आदेश इस नियम के अनुसार तामील की गयी है, इस प्रभाव का एक आदेश अभिलिखित करेगा. यदि उसका इस बात से समाधान नहीं होता है कि सूचना या सम्मन या आदेश उचित रूप से तामील किया गया है तो वह उस प्रभाव का आदेश अभिलिखित करने के बाद नया नोटिस या सम्मन या आदेश जारी करने का निर्देश दे सकेगा.

(6) किसी अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब का बॅटवारा हो जाने के बाद, नोटिस, सम्मन या आदेश उस व्यक्ति पर तामील किया जायेगा जो बॅटवारा होने के ठीक पूर्व हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का अंतिम प्रबंधक (कर्त्ता) था या यदि किसी कारण से उस पर सूचना या सम्मन या आदेश तामील करना संभव न हो, तो किसी ऐसे वयस्क पर तामील किया जायेगा, जो बंटवारा होने के ठीक पूर्व हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का सदस्य था.

(7) जहां कोई फर्म या व्यक्तियों का संगम विघटित हो जाता है, वहां नोटिस या सम्मन या आदेश, यथास्थिति, किसी ऐसे व्यक्ति पर तामील किया जायेगा, जो उसके विघटन से ठीक पूर्व फर्म का भागीदार (जो अवयस्क न हो) या संगम का सदस्य था.

(8) जहां कर निर्धारण किसी ऐसे कारबार के संबंध में किया जाना है, जो बन्द हो गया हो, किसी फर्म या संगम या किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो कारबार बन्द होने के समय ऐसी फर्म का भागीदार या ऐसे संगम का सदस्य था या कम्पनी के मामले में उसके प्रमुख अधिकारी पर तामील किया जायेगा.

स्पष्टीकरण:— इस नियम के प्रयोजन के लिये, "अभिकर्ता" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा 24 के उपबंधो के अनुसार उपस्थित होने का हकदार हो तथा जिसके अन्तर्गत प्रबंधक, लिपिक या व्यापारी का मुख्तियार या किसी कम्पनी का सचिव, निर्देशक या लेखापाल या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कोई वयस्क सदस्य या व्यापारी का कोई ऐसा साक्षर कर्मचारी है, जब तक कि व्यापारी के अभिकर्त्ता के रूप में उसकी ओर से नोटिस या सम्मन या आदेश प्राप्त करने के लिये अधिकृत किसी व्यक्ति का नाम लिखित में सूचित न कर दिया हो,

(9) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों के अधीन सम्मन प्ररूप 52 में होंगे.

अध्याय – 10

57. अपील ज्ञापन या पुनरीक्षण के लिये आवेदन का प्रस्तुत किया जाना–

(1) प्रत्येक अपील या पुनरीक्षण के लिये आवेदन,–
(क) लिखित में होगा,
(ख) उसमें अपीलकर्ता/आवेदनकर्ता का नाम तथा पते का उल्लेख होगा,
(ग) उसमें उस आदेश की, जिसके विरूद्ध वह किया गया है, तारीख का उल्लेख होगा,
(घ) उसमें उस तारीख का उल्लेख होगा जिसको आदेश अपीलकर्ता या आवेदनकर्ता को संसूचित किया गया,
(ङ.) उसमें तथ्यों का स्पष्ट विवरण दिया जाएगा,
(च) बिना किसी तर्क या विवरण के उन आधारों का उल्लेख होगा जिनके आधार पर अपील या पुनरीक्षण आवेदन किया गया हो तथा वे कमवार संख्या में होंगे,
(छ) चाहे गये अनुतोष का संक्षिपतः उल्लेख होगा, और
(ज) अपीलकर्ता या आवेदनकर्ता द्वारा या उस प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा जो उसके द्वारा इस संबंध में लिखित रूप में सम्यक् रूप से प्राधिकृत हो, निम्नलिखित प्रारूप में हस्ताक्षरित तथा सत्यापित होगा,–

"मैं .... अपीलकर्ता/आवेदनकर्ता, जिसका नाम पुनरीक्षण अपील ज्ञापन में या/के लिये आवेदन में दिया गया है, एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उसमें जो भी कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है.

हस्ताक्षर".

(2) (क) अपील के ज्ञापन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे :–
(एक) आक्षेपित आदेश की अधिप्रमाणित प्रतिलिपि, और
(दो) धारा 48 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार कर तथा/या शास्ति की राशि के भुगतान के प्रमाण स्वरूप चालान की एक प्रति,
(ख) पुनरीक्षण के आवेदन के साथ आक्षेपित आदेश की एक अधिप्रमाणित प्रति,

(3) कर निर्धारण के आदेश या शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश के विरूद्ध अपील यथासंभव प्ररूप 53 में होगी,

(4) पुनरीक्षण का आवेदन यथासंभव प्ररूप 54 में होगा तथा आदेश की, जिसके विरूद्ध वह फाईल किया गया है, तारीख से 6 कलेंडर मास के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा.

(5) अपील का ज्ञापन या पुनरीक्षण के लिए आवेदन दो प्रतियों में होगा तथा या तो अपीलकर्ता द्वारा या उसके एजेन्ट द्वारा अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी या ऐसे किसी प्राधिकारी को, जिसे आदेश द्वारा आयुक्त विनिर्दिष्ट करें, प्रस्तुत किया जायेगा या ऐसे प्राधिकारी को रजिस्ट्री डाक से भेजा जाएगा. जब धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित अपीलकर्ता या आवेदनकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जाता है तब उसके साथ उसे इस प्रकार नियुक्त करने वाले प्राधिकारी का सम्यक् रूप से मुद्रांकित पत्र भी संलग्न किया जाएगा.

(6) अपील का ज्ञापन या धारा 55 के अधीन निर्देश के लिए आवेदन अपीलकर्ता या आवेदनकर्ता द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा अधिकरण के रजिस्ट्रार या क्लर्क ऑफ कोर्ट को अधिकरण के मुख्यालय में कार्यालय सयम में प्रस्तुत किया जाएगा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा अधिकरण को भेजा जाएगा.

(7) अपील प्राधिकारी, साधारणतः अपील प्रस्तुत किए जाने के तीस दिन के भीतर, आक्षेपित आदेश तथा/या ऐसे आदेश से संबंधित अभिलेख की उचित जांच पड़ताल करने के पश्चात् या तो उसे स्वीकार कर लेगा या अस्वीकार कर देगा.

58. शेष राशि की वसूली का स्थगन— अपील प्राधिकारी, अपील स्वीकार करने पर धारा 48 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा कर तथा जुर्माने के यदि कोई हो, के किए गये भुगतान की सत्यता के बारे में अपना समाधान करने के बाद अपील का निर्णय होने तक शेष राशि की वसूली को स्थगित करेगा तथा अपील स्वीकार कर लेने की तारीख से सात दिन के भीतर उसकी सूचना उस प्राधिकारी को जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की गई हो तथा अपीलकर्ता को भी भेजेगा.

59. संक्षिप्त अस्वीकृति— (1) यदि अपील ज्ञापन या पुनरीक्षण के आवेदन में नियम 57 की समस्त या किन्हीं अपेक्षाओं की पूर्ति न की गई हो या आवेदक धारा 48 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार कर तथा/या शास्ति जिसके संबंध में अपील फाईल की गई हो, का भुगतान नहीं करता है, तो अपील या पुनरीक्षण के आवेदन को संक्षिप्ततः नामंजूर कर दिया जाएगाः

परन्तु किसी भी अपील या पुनरीक्षण हेतु कोई आवेदन तब तक इस उपनियम के अधीन संक्षिप्ततः नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता या आवेदक को अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण आवेदन में इस प्रकार संशोधन करने का, ताकि वह नियम 57 के अपेक्षाओं के अनुरूप उसे ला सके, ऐसा अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता जैसा कि अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी उचित समझता हैं.

(2) कोई भी अपील या पुनरीक्षण आवेदन किसी अन्य आधार पर भी संक्षिप्तः नामंजूर किया जा सकता है, जो अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा :

परन्तु अपील या पुनरीक्षण आदेश को इस उपनियम के अधीन संक्षिप्ततः नामंजूर करने के किसी आदेश को पारित करने के पूर्व अपीलकर्ता या आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा.

(3) जहां अपील उपनियम (1) के अधीन इस आधार पर संक्षिप्ततः रद्द कर दी जाती है कि अपीलकर्ता ने धारा 48 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार उस कर तथा/या शास्ति की रकम का भुगतान नहीं किया है, जिसके संबंध में अपील की गई है वहां अपील प्राधिकारी, जब बाद में उसकी जानकारी में यह बात लाई गई हो कि उक्त रकम का भुगतान अपील का ज्ञापन फाईल करने के पूर्व कर दिया गया था, किन्तु भुगतान का सबूत उसके साथ नहीं दिया गया था, वहां अपील विचारार्थ पुनः स्वीकार कर सकेगा.

60. सुनवाई–

(1) यदि अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन संक्षिप्ततः नामंजूर नहीं करता है तो वह अपीलकर्ता या आवेदक या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता की सुनवाई हेतु तारीख नियत करेगा.

(2) उक्त प्राधिकारी किसी भी अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन की सुनवाई किसी अन्य तारीख के लिये स्थगित कर सकेगा.

(3) यदि अपीलकर्ता या आवेदक या तो व्यक्तिगत रूप से या अपीलकर्ता या आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के जरिए, जैसा कि धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित है, सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख को या ऐसी किसी अन्य तारीख को, जिसको सुनवाई स्थगित की गई हो, उक्त प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उक्त प्राधिकारी अपील या पुनरीक्षण आवेदन को या तो खारीज कर सकता है या एक पक्षीय निर्णय दे सकता है जैसा वह ठीक समझे.

(4) जहां अपील या पुनरीक्षण उप–नियम (3) के अधीन खारिज कर दी गई हो या उसमें एक पक्षीय निर्णय दे दिया गया हो वहां यथास्थिति अपीलकर्ता या आवेदक ऐसे आदेश की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर यथास्थिति अपील या पुनरीक्षण पर पुनः विचार करने या उसकी पुनः सुनवाई के लिए अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है और यदि अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता या आवेदक या धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति उस समय जब अपील या पुनरीक्षण में सुनवाई के लिए बुलाया गया था उपस्थित होने से पर्याप्त कारण से निवारित है तो वह यथास्थिति अपील या पुनरीक्षण को ऐसे निबन्धनों पर, जिसमें खर्चे संबंधी निबंधन सम्मिलित है, तथा शर्तो पर विचारार्थ पुनः स्वीकार कर सकेगा या उसमें पुनः सुनवाई कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे.

61. प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकने वाले व्यक्ति को सूचना–

इसके पूर्व कि किसी अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपील या पुनरीक्षण में कर या शास्ति या दोनों में वृद्धि करते हुए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई ऐसा आदेश पारित किया जाए, वह प्ररूप 55 में उस व्यक्ति को सूचना भेजेगा या यदि वह उपस्थित हो तो उसे सूचना देगा और उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा.

62. अपीलकर्ता या आवेदक या संबंधित अधिकारी को आदेश की प्रति देना–

अपील या पुनरीक्षण में पारित आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को छोड़कर, की एक प्रति अपीलकर्ता या आवेदक या उसके द्वारा प्रभावित व्यक्ति को निःशुल्क दी जाएगी तथा दूसरी प्रति उस अधिकारी को भेज दी जायेगी, जिसके आदेश से अपील या पुनरीक्षण कार्यवाही की विषय वस्तु बनी हो.

63. फीस–

(1) धारा 48 के अधीन अपील धारा 49 के अधीन पुनरीक्षण के लिये आवेदनों तथा किसी अनुतोष के लिये विविध आवेदनों तथा याचिकाओं के संबंध में देय फ़ीस निम्नानुसार होगीः–

(एक) अपीलीय उपायुक्त को धारा 48 के अधीन अपील ज्ञापन या प्रथम अपील पर – दस रूपये.

(दो) अधिकरण को धारा 48 या धारा 49 की उपधारा (4) के अधीन अपील के ज्ञापन पर–तीस रूपये.

(तीन) धारा 49 के अधीन पुनरीक्षण के लिये आवेदन पर–दस रूपये,

(चार) अनुतोष के लिये विविध आवेदन या याचिका पर–पांच रूपये,

(2) धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी, जिसके समक्ष किसी व्यापारी के विरूद्ध अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन कोई कार्रवाई लंबित हो, आवेदन देने पर ऐसे व्यापारी को ऐसी कार्रवाई के अभिलेख का पूर्णतः या अंशतः निरीक्षण करने की अनुमति स्वविवेक के अनुसार दे सकेगा, यदि निरीक्षण के लिये कोई आवेदन कार्यालय खुलने के तीन घण्टे के भीतर दिया जाये, तो निरीक्षण, यथासम्भव उसी दिन अन्यथा अगले कार्य दिवस को अनुज्ञात किया जा सकेगा. यदि आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो पहले घण्टे या उसके किसी भाग के लिये निरीक्षण फीस पांच रूपया तथा बाद के घण्टे या उसके किसी भाग के लिये एक रूपया प्रभारित की जायेगी, धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारी के समक्ष किन्हीं कार्रवाइयों, जो समाप्त हो गयी हो, के अभिलेख का निरीक्षण उसी रीति में तथा उतने ही प्रभार के भुगतान पर अनुज्ञात किया जा सकेगा.

परन्तु मामले की सुनवाई के लिये नियत किसी दिन को किसी व्यापारी द्वारा विचाराधीन कार्रवाई के अभिलेख के निरीक्षण के लिये या शासकीय अधिकारियों या शासकीय प्रयोजनों के लिये इस संबंध में सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा अभिलेख के निरीक्षण के लिये काई निरीक्षण फीस संप्रभारित नहीं की जायेगी.

स्पष्टीकरणः– इस परन्तुक के प्रयोजन के लिये किसी विचाराधीन कार्रवाई के अभिलेख के अन्तर्गत किसी समाप्त कार्रवाई का अभिलेख है, जिसे लंबित कार्रवाई के सन्दर्भ के लिये मंगाया जाता है, सम्मिलित होगा.

(3) कोई व्यापारी ऐसे पदाधिकारी की उपस्थिति में तथा ऐसे घण्टों के बीच, जैसा कि धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारी नियत करें, अभिलेख का निरीक्षण करेगा. निरीक्षण के दौरान उसे पेन या स्याही का न तो उपयोग करने दिया जाएगा और न ही उसे निरीक्षण स्थल से अभिलेख या उसके किसी भाग को ले जाने या अभिलेख पर कोई चिन्ह लगाने या किसी प्रकार उसे बिगाड़ने के अनुज्ञात किया जायेगा. उसे सन्दर्भ के लिये पेंसिल से संक्षिप्त टीप (नोट) लेने के अलावा अभिलेख के किसी भाग की नकल लेना भी अनुज्ञात नहीं किया जायेगा.

(4) उपनियम (2) तथा (3) के प्रयोजन के लिये शब्द "व्यापारी" के अन्तर्गत धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन व्यापारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति शामिल होगा.

(5) दस्तावेजों या आदेशों की प्रमाणित प्रतियां देने के लिये निम्नलिखित दरों पर नकल फीस प्रभारित की जायेगीः–

प्रत्येक तीन सौ साठ शब्दों या उसके कम के लिये	साधारण पॉच रूपया	तुरन्त दस रूपये

(6) धारा 3 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी अधिकारी के जो वाणिज्यिक कर निरीक्षक से भिन्न हो, समक्ष फाईल की गई याचिकाओं पर लगाए गये सभी न्यायालय फीस मुद्रांक संबंधित अधिकारी की उपस्थिति में तत्काल पंच किये जायेंगे।

(7) अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी कार्रवाई में कोई भी पक्षकार ऐसे समुचित प्राधिकारी को जिसे ऐसी कार्रवाई के संबंध में अधिकारिता हो, या उससे संबंधित अभिलेख जिसकी अभिरक्षा में हो, ऐसी कार्रवाई में प्रस्तुत या फाईल किसी दस्तावेज या ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की प्रमाणित प्रति के लिये आवेदन कर सकेगा.

(8) उपनियम (7) के अधीन आवेदन पर उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायालय फीस मुद्रांक लगाये जायेगें तथा उसके साथ उप–नियम (5) में विनिर्दिष्ट फीस की दर के अनुसार प्रमाणित प्रतियाँ तैयार करने में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिये पर्याप्त रकम का निक्षेप किया जाएगा. उक्त दरों के अनुसार संगणित रकम उक्त प्राधिकारी द्वारा नकल फीस के रूप में रख ली जायेगी तथा पक्षकार द्वारा जमा अधिशेष रकम, यदि कोई हो, नकल देते समय उसे वापस कर दी जायेगी :

परन्तु पक्षकार, यदि उसके द्वारा जमा रकम नकल फीस के लिए पर्याप्त न हो, तो नकल लेते समय उतनी कम रकम का भुगतान करेगा.

(9). इस नियम के अधीन देय सभी फीस का भुगतान न्यायालय फीस मुद्रांकों के रूप में किया जायेगा.

(10) किसी तर्क या आपत्ति के संबंध में या किसी ऐसे आवेदन के संबंध में, जिसमें केवल जानकारी मांगी गई हो तथा जिसमें कोई विशिष्ट अनुतोष नहीं चाहा गया हो या सुनवाई के स्थगन के लिये किसी आवेदन के संबंध में या अभिलेखों के निरीक्षण के लिये किसी आवेदन के संबंध में कोई फीस देय नहीं होगी.

64. धारा 56 के अधीन त्रुटि के परिशोधन के लिए सूचना– धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना प्ररूप 56 में होगी.

अध्याय – 11

65. व्यापारियों द्वारा दस्तावेजों का पेश किया जाना तथा जानकारी भेजना– धारा 3 के अधीन नियुक्त किसी वाणिज्यिक कर निरीक्षक को छोड़कर अन्य निरीक्षण अधिकारी धारा 57 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन अपना लेखा प्रस्तुत करने के लिए किसी भी ऐसे व्यापारी से अपने समक्ष किसी भी लेखे या दस्तावेज या रजिस्टर पेश करने के लिए प्ररूप 1 में एक सूचना तामील कर या व्यापारी के वित्तीय संव्यवहार से सुसंगत या किसी फर्म के कारोबार से प्राप्त लाभ या माल के स्टॉक से संबंधित अथवा व्यापारी द्वारा किए गए कय, विनिर्माण, विकय या और माल की सुपुर्दगी जो उक्त धारा के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, से संबंधित जानकारी भेजा जाना अपेक्षित करेगा.

66. पुलिस अधिकारी की सेवा मांगने का निवेदन— धारा 57 की उपधारा (7) के अधीन पुलिस अधिकारी की सेवा मांगने संबंधी निवेदन, प्ररूप 57 में होगा ।

67. अभिगृहीत लेखा पुस्तकों, रजिस्टरों तथा दस्तावेजों का प्रतिधारण—

(1) यदि निरीक्षणकर्ता अधिकारी धारा 57 की उपधारा (4) के अधीन किसी लेखा पुस्तक, रजिस्टर या दस्तावेज को अभिगृहीत करता है, तो वह इस प्रकार अभिगृहीत अभिलेखों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए उसकी एक लिखित अभिस्वीकृति देगा.

(2) निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा अभिग्रहीत किए गए व्यापारी के नियमित लेखों अर्थात् रोकड़ बहियों तथा खातों की सूक्ष्म जांच की जाएगी तथा वह व्यापारी को 120 दिन की कालावधि के भीतर लौटा दिए जायेंगे. यदि पूर्व कथित कालावधि के भीतर सूक्ष्म जांच पूर्ण नहीं हो पाती है तो उपरोक्त अधिकारी, उसके लिए कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् तथा उपायुक्त की लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् और आगे 90 दिन के अनाधिक कालावधि के लिए ऐसे लेखे अपने पास रख सकेगा. अन्य लेखा पुस्तकें, रजिस्टर तथा दस्तावेज व्यापारी के मामले में अंतिम निर्णय होने तक साक्ष्य के रूप में रखे जायेंगे.

68. धारा 57 की उपधारा (6) के अधीन अभिग्रहित माल को निर्मोचित करने अथवा विकय द्वारा माल का व्ययन करने की प्रकिया, प्ररूप एवं सूचना:—

(1) धारा 57 की उपधारा (6) के खण्ड (ख) के अधीन सूचना पत्र प्ररूप 58 में होगा।

(2) जहां कोई माल धारा 57 की उपधारा (6) के खण्ड (घ) के अधीन निर्मोचित किया जाता है वहां माल निर्मोचित करने वाला अधिकारी व्यापारी या उस व्यक्ति से जिससे माल अभिग्रहीत किया गया था, उसकी एक रसीद प्राप्त करेगा.

(3) धारा 57 की उपधारा (6) के खण्ड (छ) के अधीन विकय द्वारा व्ययन किये जाने वाले माल का व्ययन से निपटारा बिकी के लिये विहित तरीके से छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (सन् 1959 सं. 20) द्वारा या उसके अधीन विकय के लिए अधिकथित रीति में किया जाएगा.

(4) (क) जहां किसी व्यापारी या किसी व्यक्ति द्वारा धारा 57 की उपधारा (6) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट परिसरों में से किसी परिसर में माल स्टोर किया गया हो या रखा गया हो और ऐसे व्यापारी या व्यक्ति द्वारा उनका परित्याग किया जाता हैं, तथा उक्त उपधारा के अधीन अभिग्रहीत किया जाता है, वहां ऐसे माल के ब्यौरे अधिग्रहण संबंधी जानकारी स्थानीय समाचार पत्रों में सूचना के फार्म में प्रकाशित की जायेगी.

(ख) यदि कोई भी व्यक्ति ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर उपखण्ड (क) में विनिर्दिष्ट माल के स्वामित्व का दावा नहीं करता है, तो ऐसा माल सार्वजनिक सूचना जारी कर नीलामी में विकय के लिये रखा जायेगा. ऐसे माल का विकय हो जाने पर विकय आगमों को शासकीय कोषालय में "विविध जमा" के रूप में जमा कर दिया जाएगा.

(5) धारा 57 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के अधीन अभिग्रहीत माल के स्वामित्व का दावा करने वाला व्यापारी या व्यक्ति अथवा वह व्यक्ति, जिससे माल अभिग्रहीत किया गया है, माल अभिग्रहीत किए जाने या उपनियम (5) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट सूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो, उक्त उपधारा के खण्ड (ज) के अधीन अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, फाईल करेगा.

69. जांच चौकी तथा नाकों की स्थापना–

(1) ऐसे किसी स्थान पर जो राज्य सरकार या आयुक्त द्वारा धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किया जाये, यान को रोके जाने, रोके रखने या तलाशी लिए जाने के लिए सडक या सार्वजनिक मार्ग पर नाके के निर्माण करके जांच चौकी की स्थापना की जावेगी।

(2) धारा 58 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित माल (जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचित माल के नाम से निर्दिष्ट है) का परिवहन करने वाला प्रत्येक परिवहनकर्ता ऐसा बीजक, बिल या चालान या कोई अन्य दस्तावेज जिसमें प्रेषक तथा प्रेषति का नाम, प्रेषण का स्थान, गंतव्य स्थान और माल का वर्णन, मात्रा और मूल्य दर्शाया गया हो अपने साथ रखेगा और वह प्रेषक द्वारा हस्ताक्षरित किया जावेगा।

(3) किसी जांच चौकी या नाके के बाहर अधिसूचित माल का परिवहन करने वाला प्रत्येक परिवहनकर्ता नियम 74 के उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट नीति से प्राप्त किये गये प्रारूप 59 में एक सत्य और पूर्ण घोषणा जो प्रेषक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित होगी, जांच चौकी अधिकारी के समक्ष दो प्रतियों में फाईल करेगा। यदि जांच चौकी अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि घोषणा में दी गयी विशिष्टियां सही है, तो वह घोषणा–पत्र की प्रत्येक प्रति पर हस्ताक्षर करेगा और तारीख डालेगा और इस पर जांच चौकी की मुद्रा लगायेगा तत्पश्चात वह एक प्रति परिवहन कर्ता को वापस करेगा।

(4) परिवहन कर्ता उक्त अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित तथा दिनांकित घोषणा की प्रति आने वाली किसी भी अन्य जांच चौकी पर निरीक्षण तथा जांच के लिए पेश करेगा।

(5) जांच चौकी पर रखी गई घोषणा की प्रति की प्रविष्टि जांच चौकी पर रखे गये रजिस्टर में की जाकर तत्पश्चात् उस वाणिज्यिक कर अधिकारी को जिसके वृत्त में यथा स्थिति प्रेषक या प्रेषति का कारोबार का स्थान स्थित हो, भेजा जाएगी।

70. किसी व्यक्ति द्वारा घोषणा प्रस्तुत करना– जब किसी व्यापारी से भिन्न व्यक्ति के द्वारा धारा 58 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित माल राज्य के बाहर किसी स्थान से आ रहे वाहन के द्वारा अथवा राज्य के बाहर जा रहे वाहन के द्वारा लाया/ले जाया जा रहा है तो वाहन का प्रभारी चालक/व्यक्ति प्ररूप 60 में घोषणा प्रस्तुत करेगा।

70. धारा 58 की उपधारा (4) के अधीन अधिसूचित किन्हीं मालों को परिवहन करने वाले व्यक्ति द्वारा अभिलेखों का रखा जाना तथा विवरणों को प्रस्तुत करना—

(1) किन्हीं अधिसूचित माल का परिवहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसके द्वारा परिवहित किये गये माल के संबंध में सत्य और सही अभिलेख रखेगा जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दर्शाई जावेगी, अर्थात,

(एक) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (सं.क. 2 सन् 2005) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र यदि कोई हो, के कमांक सहित प्रेषक का पूरा नाम तथा पता

(दो) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (सं.क. 2 सन् 2005) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र यदि कोई हो के कमांक सहित प्रेषिती का पूरा नाम और पता

(तीन) वह स्थान जहां से माल भेजा गया

(चार) गंतव्य स्थान (जिला सहित)

(पांच) माल का वर्णन

(छः) मात्रा या भार

(सात) माल का मूल्य

(आठ) प्रेषक का बीजक कमांक तथा तारीख

(नौ) उस व्यक्ति का नाम जिसे माल परिदत्त किया जावेगा

(दस) वाहक का नाम तथा पूरा पता

(ग्यारह) यान का विवरण उसके कमांक, यदि कोई हो, सहित ब्यौरा

(बारह) यान के चालक का नाम, पता तथा लाइसेंस कमांक

(तेरह) माल के भारसाधक व्यक्ति (यदि कोई हो) का नाम तथा पता

और यदि किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद से निम्न न हो ऐसी अपेक्षा की जाय ऐसी अन्य विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा, जिसकी वह (अधिकारी) उस संव्यवहार के संबंध में जहां तक कि वह ऊपर निर्दिष्ट किये गये माल से संबंधित है अपेक्षा करें।

(2) जहां, माल भेजने वाले व्यापारी द्वारा "स्वयं" भेजा गया हो तथा स्वयं माल को भेजने वाले के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को माल दिया गया हो, तो वह व्यक्ति जो माल का परिवहन कर रहा हो उस व्यापारी का जो हवालगी ले रहा हो पूरा नाम तथा पता, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2003 (सं.क. 2 सन् 2005) के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र यदि कोई हो, सहित अभिनिश्चित करेगा और इसका अभिलेख रखेगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 58 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित किसी माल का परिवहन करता हो, यदि उसे किसी पदाधिकारी द्वारा, जो वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद से कम का न हो, ऐसा आदेशित किया जाय, ऐसे पदाधिकारी को फार्म 61 में उसके द्वारा परिवहन किये गये माल के संबंध में विवरण प्रस्तुत करेगा। ऐसी जानकारी मांगने के समय पदाधिकारी माल परिवहन करने वाले व्यक्ति, को ऐसा समय देगा जो सामान्यतः एक सप्ताह से कम का न होगा।

(4) उपर्युक्त लेन देन से संबंधित समस्त हिसाब, अभिलेख रजिस्टर तथा दस्तावेज ऐसे पदाधिकारी, जो कि वाणिज्यिक कर पदाधिकारी के पद से कम न हो, द्वारा समस्त युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण के लिए, खुले रखे जायेंगे।

72. यानों का निरीक्षण तथा तलाशी–

(1) जांच चौकी अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई यान अधिनियम के अधीन देय कर के अपवंचन के लिए उपयोग में तो नहीं लाया जा रहा है, परिवहन कर्ता से यान को रोकने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा का तत्काल अनुपालन करेगा और यान को उतने समय तक खड़ा रखेंगा जितना कि उक्त अधिकारी द्वारा अपेक्षित किया जाय।

(2) तदुपरि उक्त अधिकारी ऐसे यान में प्रवेश कर सकेगा तथा तलाशी ले सकेगा और समस्त माल तथा माल से संबंधित समस्त दस्तावेजों का, जो ऐसे यान पर ले जाये जा रहे हो निरीक्षण कर सकेगा। ऐसी तलाशी या निरीक्षण करने में उक्त अधिकारी धारा 3 के अधीन नियुक्त किसी वाणिज्यिक कर निरीक्षक या उक्त अधिकारी के अधीनस्थ किसी अन्य कर्मचारी वृन्द की सहायता ले सकेगा। परिवहनकर्ता माल तथा यान की ऐसी विशिष्टियां जो कि अपेक्षित की जाय तत्काल प्रस्तुत करेगा और तलाशी या निरीक्षण करने में ऐसे अधिकारी को समस्त संभव सहायता देगा।

73. माल या माल सहित वाहन का अधिग्रहण विकय तथा निरमुक्ति की प्रकिया–

(1) जहां कोई माल या वाहन सहित माल जांच चौकी अधिकारी द्वारा धारा 58 की उपधारा (7) के अधीन अधिग्रहित किया जाय वहां ऐसे समस्त माल या वाहन सहित माल की एक सूची दो प्रतियों में जिसमें उसके स्वयं के तथा परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर होंगे तैयार करेगा और उनके (माल की) सुरक्षित अभिरक्षा के लिए समस्त आवश्यक उपाय करेगा। सूची की एक प्रति परिवहनकर्ता को दी जाएगी।

(2) धारा 58 की उपधारा (11) के अधीन सूचना पत्र यथाशक्य प्रारूप 62 में होगी।

(3) जहां जांच चौकी अधिकारी द्वारा धारा 58 की उपधारा (10), (12) और (13) के अधीन कोई माल या वाहन सहित माल निरमुक्त किया जाता है, वहां, वह जांच चौकी अधिकारी माल के परिवहनकर्ता द्वारा ऐसे व्यय आदि कोई हो जो जांच चौकी अधिकारी द्वारा माल या वाहन सहित माल की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपगत किये गये हो और आंशिक प्रभारों जो निर्दिष्ट किये जाएंगे, को भुगतान किये जाने पर मांल या वाहन सहित माल की निरमुक्ति का आदेश देगा और परिवहन कर्ता से उसकी रसीद अभिप्राप्त करेगा।

(4) यदि धारा 58 की उपधारा (13) के अधीन आरोपित शास्ति, का भुगतान आदेश की तामीली के तीस दिन के भीतर नहीं किया गया है तो जांच चौकी अधिकारी प्ररूप 63 में कारण बताने के लिये सूचना तामील करेगा कि क्यों न माल या वाहन सहित माल का विकय द्वारा निपटान कर दिया जाय।

(5) इससे संतुष्ट होने पर कि परिवहनकर्ता द्वारा धारा 58 की उप धारा (13) के अधीन आरोपित शास्ति का भुगतान नहीं किया गया है, जांच चौकी अधिकारी माल या वाहन सहित माल के विकय द्वारा निपटान की कार्रवाई करेगा।

(6) माल या वाहन सहित माल के विकय द्वारा निपटान का आदेश प्ररूप 64 में होगा और आदेश की एक प्रति परिवहनकर्ता को तामील की जावेगी।

(7) जो माल या वाहन सहित माल धारा 58 की उपधारा (15) के अधीन विकय द्वारा व्ययनित किये जाने के लिए अपेक्षित हो छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, 1959 (20 सन् 1959) द्वारा या उसके अधीन विकय के लिए अधिकथित की गई रीति में व्ययनित किये जायेंगे।

74. प्ररूप 59 में घोषणा फार्म प्राप्त करने तथा ऐसे फार्मों का अभिलेख रखने की प्रक्रिया—

(1) एक पंजीयत व्यवसाई प्रारूप 59 के कोरे फार्म उपयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी या इस संबंध में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी से प्राप्त करेगा। घोषणा–पत्र के प्रतिपर्ण व्यवसाई पांच वर्ष या ऐसी अन्य अवधि जो आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाए, तक रखेगा।

(2) (क) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कोरे घोषणा–पत्र पुस्तिका के रूप में प्राप्त होंगे। प्रत्येक पुस्तक में ऐसे 50 प्रारूप तीन प्रतियों में होंगे और उन्हें उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी से 50 रूपया प्रति पुस्तक या एक रूपए प्रति प्रारूप प्राप्त किया जा सकेगा।

(ख) उपनियम (1) में निर्दिष्ट किये गये घोषणा पत्र प्रारूप अभिप्राप्त करने हेतु रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यापारी समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को ऐसे प्रारूपों की अपनी अध्यपेक्षाओं संबंधी कथन करते हुए प्रारूप 65 में लिखित आवेदन करेगा और अन्य ऐसी विशिष्टियां, कथन तथा जानकारी प्रस्तुत करेगा और ऐसे अन्य दस्तावेज पेश करेगा जिन्हें कि वाणिज्यिक कर पदाधिकारी आवेदक को पूर्व अवसरों पर जारी किये गये ऐसे अध्यपेक्षा के स्वरूप की वास्तविकता के बारे में अपना समाधान करने के योजन से अपेक्षित करें।

(ग) प्रारूप 65 में आवेदन पत्र के साथ इनके लिए खण्ड (क) के अधीन देय फीसके संबंध में खजाने के प्राप्ति चालान की एक प्रति प्रारूप 34 में होगी।

परन्तु जहां देय फीस किसी एक समय में 200/– रूपये से अधिक न हो, वहां संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी के कार्यालय में उसका भुगतान नगदी किया जा सकेगा।

(घ) खण्ड (ख) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर वाणिज्यिक कर अधिकारी अन्य अध्यपेक्षाओं का सम्यक ध्यान रखते हुए व्यापारी को घोषणा–पत्र प्रारूप का उनके लिए अभिस्वीकृति किये जाने पर प्रदाय करेगा।

(ड.) यदि ऐसे कारणों से जो अभिलेखित किये जावेंगे वाणिज्यिक कर पदाधिकारी को यह समाधान नहीं होता है कि आवेदक ने उसे पूर्व में जारी किये गये घोषणा प्रारूपों का वास्तविक रूप से उपयोग किया है या कि आवेदित घोषणा प्रारूपों की अन्य अध्यपेक्षाएं वास्तविक नहीं है, तो वह आवेदन पत्र रद्द कर देगा।

(च) यदि ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जावेंगे वाणिज्यिक कर पदाधिकारी को यह समाधान नहीं होता है, कि आवेदक को, घोषणा पत्र प्रारूप पुस्तिकाओं की उसके द्वारा आवेदित संख्या अपेक्षित है, तो वह उतनी कम संख्या में जारी कर सकेगा जितनी कि उसकी राय में आवेदक के युक्तियुक्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर दें।

परन्तु किसी व्यापारी को नये फार्म तब तक नहीं दिये जायेंगे जब तक कि वह उपयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी को अपने पास रखे हुए पुराने फार्म का हिसाब न दे दे और अपने पास बचे हुए शेष फार्म, यदि कोई हो तो लौटा न दें।

(छ) यदि वाणिज्यिक कर पदाधिकारी का यह समाधान हो जाय कि आवेदक ने वर्ष की किसी तिमाही के लिए, जिसका कि ऐसा आवेदन पत्र दिया

गया है, अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (1956 का क्रमांक 74) के अधीन या छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1976 (1976 का क्रमांक 52) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में चूक की हो या किसी ऐसी कालावधि के संबंध में, जिसके लिए उस पर उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत कर बकाया है तो वह आवेदक के घोषणा प्रारूप को उस समय तक जारी नहीं करेगा जब तक कि आवेदक कर का भुगतान न कर दे या संबंधित तिमाही के लिए, विवरणी प्रस्तुत न कर दे या संबंधित कालावधि के लिए बकाया का भुगतान न कर दे।

(ज) यदि घोषणा पत्र प्रारूपों के लिए भुगतान की गयी फीस जारी किये गये प्रारूपों की संख्या के लिए देय फीस से अधिक हो, तो शेष रकम व्यापारी के लेखों में भविष्य मे जारी किये जाने वाले प्रारूपों के मद्दे समायोजित की जायेगी या उसके द्वारा आवेदित किये जाने पर उसे लौटा दी जा सकेगा।

(3) ऐसा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसे उक्त प्राधिकारी द्वारा प्रारूप 59 में कोई घोषणा पत्र जारी किया गया हो प्रारूप 66 में रखे गये रजिस्टर में उक्त प्राधिकारी से प्राप्त ऐसे प्रत्येक घोषणा पत्र का सही तथा सत्य लेखा रखेगा। यदि उससे कोई प्रारूप गुम हो जाए, नष्ट हो जाए या चोरी चला जाये तो व्यापारी द्वारा उस तथ्य की सूचना उक्त प्राधिकारी को तत्काल दी जाएगी, प्रारूप 66 के रजिस्टर के टिप्पणियों के कालम में समुचित प्रविष्टियां की जायेगी और प्रारूप के गुम हो जाने या चुराये जाने की सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिए ऐसे अन्य उपाय किये जाएंगे।

(4) जहां व्यापारी द्वारा या तो उनके द्वारा सम्यक रूप से भरा गया और उसके द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा–पत्र का प्रारूप भेजे जाने के पूर्व उसकी अभिरक्षा में रहते हुए गुम हो जाए या उसे यथा स्थिति माल भेजने वाले व्यापारी या विक्रेता व्यापारी को भेज दिये जाने के बाद मार्ग में गुम हो जाये, वहां व्यापारी उप–नियम 3 में विहित कार्यवाही करने के अतिरिक्त, उक्त प्राधिकारी को, जिससे कि ऐसा प्रारूप प्राप्त किया गया था, इस प्रकार गुम हुये प्रत्येक फार्म के लिए उसके संभाव्य दुरूपयोग के विरूद्ध क्षतिपूरक बंधपत्र प्रारूप 67 में युक्तियुक्त प्रतिभूति देगा।

(5) उक्त प्राधिकारी समय–समय पर, उस घोषणा पत्र फार्म के ब्यौरे जिसके संबंध में उप नियम (3) के अंतर्गत प्रतिवेदन प्राप्त हुआ हो राजपत्र में प्रकाशित करेगा।

(6) व्यवसाय के बंद होने के दिनांक या पंजीयन निरस्ती के लिए आवेदन देने के दिनांक को जैसी भी स्थिति हो किसी भी पंजीयत व्यवसायी के संग्रहण में रखे हुए उपयोग में न लाये गये घोषणा–पत्र जारीकर्ता अधिकारी को सात दिन के अंदर लौटा दिये जायेंगे।

(7) आयुक्त अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकता है कि कोई विशेष क्रम संख्या, डिजाईन या रंग के घोषणा–पत्र फार्म ऐसी तारीख, से जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जायें अप्रचलित या अवैध समझे जायेंगे।

(8) जब किसी विशेष क्रम संख्या, डिजाईन या रंग के घोषणा पत्र फार्म को अप्रचलित या अवैध घोषित करने वाली कोई अधिसूचना उपनियम (7) के अंतर्गत प्रकाशित की जायें तो सभी पंजीयत व्यापारी उस तारीख को या उस तारीख के पहले जिस तारीख से फार्म इस प्रकार अप्रचलित या अवैध घोषित किये जाएं, उस क्रम संख्या, डिजाईन या रंग के उपयोग में न लाये गये अपने पास के सभी फार्म समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को लौटा देगा और अप्रचलित तथा अवैध घोषित फार्म के बदले में यथास्थिति प्रतिस्थापित नये फार्म प्राप्त करेगा।

(9) वह अधिकारी जिसे पंजीयत व्यवसाईयों को वितरित करने के लिए फार्म दिए गए हों, उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और फार्म 68 वाले एक रजिस्टर में उनका हिसाब रखेगा।

(10) आयुक्त समय–समय पर आदेश द्वारा घोषणा फार्म की छपाई, वितरण, अपेक्षित ट्रांजिट पास जारी करने, घोषणा फार्म एवं अन्य अभिलेखों के जांच चौकी पर प्रस्तुतीकरण तथा संग्रहण और जॉच चौकी को सुचारू रूप से कार्य करने संबंधी प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

75. राज्य से होकर माल का अभिवहन तथा अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) का जारी किया जाना–

(1) परिवहनकर्ता धारा 59 के अधीन पास प्राप्त करने के लिये राज्य में प्रवेश के स्थान के निकट यदि कोई जांच चौकी (जो इसके पश्चात् प्रवेश जांच चौकी के नाम से निर्दिष्ट है), स्थित है तो उक्त जॉच चौकी या नाका (बेरियर) के जांच चौकी अधिकारी को प्ररूप 69 में तीन प्रतियों में आवेदन करेगा।

(2) प्रवेश जॉच चौकी का जॉच चौकी अधिकारी, दस्तावेजों के परीक्षण तथा ऐसी जांच जो वह उपयुक्त समझे, करने के पश्चात् परिवहनकर्ता को आवेदन की द्वितीय तथा तृतीय प्रति पास के रूप में, मूल प्रति अपने पास रखते हुए जारी करेगा। पास में जिस जांच चौकी या नाके से होकर वाहन राज्य के बाहर जावेगा (जो इसके पश्चात् निर्गम जॉच चौकी के नाम से निर्दिष्ट है) का तथा समय एवं दिनांक जब यह ऐसे जावेगा, का उल्लेख होगा।

(3) परिवहनकर्ता ऐसी निर्गम जॉच चौकी पर अपना वाहन रोकेगा, पास की द्वितीय प्रति सौंपेगा तथा जॉच चौकी अधिकारी को, यह सुनिश्चित करने के लिये कि प्रेषित वस्तुएं जो ले जाई जा रही है वे वही है, जिनके लिए पास जारी किया ग्रया है, दस्तावेजों परेषण एवं वस्तुओं का निरीक्षण करने देगा। निर्गम जॉच चौकी अधिकारी, परिवहनकर्ता द्वारा सौंपी गई पास की द्वितीय प्रति की रसीद, तृतीय प्रति पर देगा।

(4) निर्गम जॉच चौकी अधिकारी को उप नियम (3) में वर्णित प्रयोजनों के लिये वाहन को रोकने, माल उतारने तथा तलाशी लेने की शक्तियां प्राप्त होंगी।

76. धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन परिवहनकर्ता द्वारा ले जाए जा रहे अपेक्षित दस्तावेजों में दिया जाने वाला विवरण– सड़क द्वारा मालों का परिवहन करने वाला प्रत्येक परिवहनकर्ता, धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन ले लायें जा रहे दस्तावेजों में नियम 71 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट विवरण देगा।

77. निकासी, अग्रेषण, बुकिंग अभिकर्ता, दलाल तथा माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति द्वारा सूचना देना– (1) प्रत्येक निकासी, अग्रेषण, बुकिंग, अभिकर्ता, दलाल तथा माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति इस नियम के प्रभावशील होने या कारोबार प्रारम्भ होने के दिनांक, जो भी पश्चात्वर्ती हो, के तीस दिन के भीतर समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को प्ररूप 70 में सूचना भेजेगा और तत्संबंधी एक पावती वाणिज्यिक कर अधिकारी से प्राप्त करेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर वाणिज्यिक कर अधिकारी इसमें दिये गये विवरण प्ररूप 71 के रजिस्टर में दर्ज करेगा।

(3) जहां धारा 62 की उपधारा (1) में वर्णित किसी अभिकर्ता या व्यक्ति द्वारा हस्तन की गई वस्तुएं परेषक द्वारा स्वयं के नाम (सेल्फ) से परेषित की गई है और इन वस्तुओं का प्रदाय ऐसे अभिकर्ता या व्यक्ति द्वारा परेषणकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति को किया गया है, तो अभिकर्ता या व्यक्ति, इन वस्तुओं को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता सुनिश्चित करेगा और व्यापारी का नाम उसके अधिनियम के अधीन पंजीयन कमांक सहित यदि कोई है तो और यदि सुपुर्दगी लेने वाला व्यक्ति व्यापारी नहीं है, किंतु व्यापारी की ओर से सुपुर्दगी ली गई है तो ऐसे व्यापारी का नाम, पता एवं अधिनियम के अधीन उसका पंजीयन कमांक लेखबद्ध करेगा।

(4) धारा 62 की उपधारा (1) में संदर्भित किसी अभिकर्ता या व्यक्ति द्वारा रखे जाने वाले समस्त अभिलेख, पंजियां एवं दस्तावेज सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से उच्च अधिकारी तथा वाणिज्यिक कर अधिकारी की अनुमति से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के द्वारा समस्त युक्तिसंगत समय पर जांच के लिये खुले रहेंगे।

अध्याय–12

78. कर समाशोधन प्रमाण–पत्र जारी करना– (1) कोई व्यापारी जिससे धारा 65 के अधीन समाशोधन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित हो, ऐसा प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने के लिये आवेदन समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को प्ररूप 72 में करेगा और उसकी लिखित अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा।

(2) (क) समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर, प्ररूप 73 में कर समाशोधन प्रमाण–पत्र व्यापारी को प्रदान करेगा अथवा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर, आवेदन अस्वीकार कर देगा। कर समाशोधन प्रमाण–पत्र के लिये आवेदन उस स्थिति में अस्वीकार कर

दिया जायेगा जब या तो व्यापारी पर कर बकाया हो अथवा उसने किसी भी कालावधि के लिये विवरणी प्रस्तुत न की हो,

(ख) जहां आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है वहां समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी, व्यापारी से बकाया कर की रकम का उल्लेख करेगा। यदि बकाया रकम का भुगतान कर दिया जाता है तो व्यापारी को कर समाशोधन प्रमाण–पत्र दे दिया जायेगा। यह प्रमाण–पत्र दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा। एक प्रति व्यापारी को दी जायेगी और दूसरी प्रति, समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा अभिलेख हेतु अपने पास रख ली जायेगी। जहां आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है वहां समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी इस तथ्य की सूचना, प्ररूप 72 में आवेदन के अनुक्रमांक 7 में विनिर्दिष्ट अधिकारी को तत्काल देगा।

(3) उप नियम (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रदान किया गया कर समाशोधन प्रमाण–पत्र, यदि निरस्त न कर दिया जाय, उसके जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष के लिये विधिमान्य होगा।

(4) जहां धारा 25 की उपधारा (7) के अधीन किसी व्यापारी को, किसी रकम का भुगतान, किश्तों में करने की सुविधा प्रदान की गई हो अथवा जहां किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी देय रकम की वसूली पर रोक लगा दी गई हो वहां इस नियम के प्रयोजनों के लिये ऐसी रकम को तब तक बकाया रकम नहीं माना जायेगा जब तक कि व्यपारी ने उसके द्वारा देय किसी किश्त का भुगतान न किया हो।

79. धारा 70 के अधीन विवादग्रस्त प्रश्नों के अवधारण के लिये प्रकिया–

(1) (क) किसी भी माल पर कर की दर के अवधारण के लिये प्रश्न उठाने का इच्छुक प्रत्येक व्यापारी, आयुक्त को एक आवेदन करेगा, और

(ख) प्रत्येक व्यापारी, ऐसा आवेदन देने के पूर्व एक सौ रूपये की फीस जमा करेगा तथा ऐसी फीस के भुगतान के प्रमाण स्वरूप प्ररूप 34 में चालान की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करेगा।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन–

(एक) दो प्रतियों में होगा,

(दो) उस माल से संबंधित तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख करेगा जिसके संबंध में अवधारण चाहा गया है, अर्थात्, उनके ब्यौरे, उपयोग, जिसमें माल उपयोजित किया जाना है, उसका विवरण, ऐसे माल के विनिर्माण में उपयोग की गई कच्ची सामग्री और प्रश्नगत माल के विनिर्माण की प्रकिया का विस्तृत विवरण,

(तीन) उसके नमूना, विकय प्रमाणक, कय आदेश तथा कय प्रमाणक, यदि कोई हो, की एक प्रति संलग्न होगी,

(चार) कर की दर के संबंध में व्यापारी का प्रतिविरोध (कान्टेन्शन) तथा अनुसूची की प्रविष्टि जिसके अन्तर्गत वह माल आता है, संलग्न होगी।

(3) प्रत्येक ऐसे माल के लिये पृथक–पृथक आवेदन देना होगा, जिसके संबंध में कर की दर का अवधारण चाहा गया हो,

(4) आयुक्त आवेदन की प्राप्ति पर, ऐसी जांच करने तथा व्यापारी से ऐसी अतिरिक्त जानकारी मांगने जिसे वह आवश्यक समझे, के पश्चात् और व्यापारी

को सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् प्राप्त विक्रय प्रमाणक (व्हाउचर) के अन्तर्गत आने वाले माल के संबंध में कर की दर का अवधारण करते हुए आदेश पारित करेगा।

(5) उप नियम (4) के अधीन पारित आदेश की एक प्रति व्यापारी पर तामील की जाएगी।

80. धारा 73 के अधीन, अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को धारित स्टाक का विवरण प्रस्तुत करना— प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को उसके द्वारा धारित अनुसूची दो में निर्दिष्ट माल से संबंधित स्टाक का विवरण उक्त दिनांक के तीस दिन के भीतर समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को प्ररूप 74 में प्रस्तुत करेगा।

81. घोषणा या प्रमाण—पत्र की ग्राह्यता— (1) ऐसा कोई भी रजिस्ट्रीकृत विक्रेता व्यापारी अधिनियम या बनाए गए नियम या उसके अधीन जारी किसी अधिसूचना के किसी उपबंध के अनुसार किसी रजिस्ट्रीकृत क्रेता व्यापारी द्वारा दी गई किसी घोषणा, प्रमाण पत्र को ग्राह्य करने से इंकार नहीं करेगा।

(2) अधिनियम अथवा नियमों अथवा उसके अधीन जारी की गई अधिसूचना के अधीन फाईल किये जाने के लिये अपेक्षित किसी घोषणा अथवा प्रमाण पत्र को इस आधार पर उसमें कतिपय महत्वपूर्ण ब्यौरे नही दिये गये हैं अथवा त्रुटिपूर्ण है, अविधिमान्य मानकर तब तक ऐसी घोषणा अथवा प्रमाण—पत्र में हुई लोप की पूर्ति करने अथवा त्रुटियों को दूर करने अथवा नई घोषणा या प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने का समुचित अवसर न दे दिया गया हो, निरस्त नहीं करेगा।

82. नियमों के उल्लंघन के लिये शास्ति का अधिरोपण:— आयुक्त, इन नियमों के किन्हीं भी उपबंधों के उल्लंघन करने वाले यथास्थिति व्यापारी या व्यक्ति पर पॉच सौ रूपये से अनाधिक शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

83. निरसन एवं व्यावृत्ति— छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर नियम 1995 तथा आदेश, संकल्प, यदि कोई जो इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् द्वारा निरसित या विखंडित यथा स्थिति किये जाते हैं।

परन्तु ऐसे निरसित नियमों के अधीन जारी कोई आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन जारी या किये गये समझे जायेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

प्ररूप–1

(नियम 6(1) और 64 देखिये)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 5 धारा 57(3)(क) के अधीन सूचना

प्रति,

नाम...

पता ....

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र कमांक (यदि कोई हो) ....

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उपधारा (1)/धारा 57 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन आप से अपेक्षा की जाती है कि आप स्थान .... में तारीख .... को (समय) .... मेरे समक्ष .... से .... तक की कालावधि के लिये निम्नलिखित दस्तावेज तथा लेखे प्रस्तुत करें और/या निम्नलिखित जानकारी मुझे दें।

मुद्रा

हस्ताक्षर ....

तारीख .... पदनाम ....

* जो लागू न हो उसे काट दीजिये।

प्ररूप–2

(नियम 6(2) देखिये)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन कर के भुगतान का दायित्व अवधारित करने वाला आदेश

व्यापारी का नाम ....

पता ....

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र कमांक ....

(यदि कोई हो)

तारीख जिससे छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन कर के भुगतान का दायित्व निश्चित किया गया है। ....

उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान का दायित्व नीचे दिए गए कारणों से उपरोक्त तारीख से अवधारित किया गया है।

(यहां कारण दीजिए)

हस्ताक्षर ....

वाणिज्यिक कर अधिकारी

.... वृत्त

प्ररूप–3

(नियम 7(1) देखिये)

घोषणा

मैं .... छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र कमांक .... का धारक व्यापारी, एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि संकर्म संविदा .... (यहां संकर्म की विशिष्टियां दीजिये), जिसका निष्पादन मेरे द्वारा .... (ठेकेदार का नाम) .... (पता) रजिस्ट्रीकरण पत्र कमांक .... के लिये और उसकी ओर से पूर्णतः/भागतः किया जा रहा है, के अनुकम में विकय के रूप में प्रदाय किये गये माल, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है, पर मेरे द्वारा धारा 8 के अधीन कर का भुगतान कर दिया गया है।

संकर्म संविदा के निष्पादन के अनुकम में प्रदाय किये गये माल की विशिष्टियां

अनुकमांक	माल का वर्णन	माल का कुल मूल्य	राज्य के बाहर से कय किये गये माल का मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)
कुल			

राज्य के भीतर कय किये गये माल का मूल्य		चुकाया गया कर चालान कमांक तथा दिनांक
रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों से	अरजिस्ट्रीकृत व्यापारियों से	
(5)	(6)	(7)

स्थान ....

दिनांक .... उप ठेकेदार के हस्ताक्षर

प्ररूप–4

(नियम 7(3) देखिये)

घोषणा

मैं .... (नाम) .... (स्थान) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र .... का धारक व्यापारी एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि, ... से प्रारंभ होने वाली तथा .... को समाप्त होने वाली तिमाही में, मैने माल जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है, श्री .... (नाम) .... (स्थान) उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र .... के धारक को आढ़त में विकयार्थ भेजा है।

उपर्युक्त कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान ....
तारीख .... रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के हस्ताक्षर

प्रारूप–7
(नियम 8(10) देखिये)

वर्ष .... की .... को समाप्त होने वाली तिमाही के लिये विक्रय एवं प्रशमन राशि का विवरण

फर्म का नाम ....
एवं पंजीयन कमांक ....

1. कुल विक्रय ....
2. अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट वस्तुओं का विक्रय ....
3. शेष राशि ....
4. प्रशमन की देय राशि 0.5% से 8% से
5. भुगतान की गई राशि ....
6. चालान कमांक एवं दिनांक ....

स्थान ....
दिनांक .... रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के हस्ताक्षर

उपर्युक्त कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान ....
दिनांक .... रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के हस्ताक्षर

प्ररूप–8
(नियम 9(4) देखिये)
घोषणा

मैं .... जो कि .... वृत्त में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र ....का धारक व्यापारी (प्रिंसीपल), एतदद्वारा घोषित करता हूं कि, ... से प्रारंभ होने वाले माह/तिमाही में मैने रूपये .... (अंकों में) ....(शब्दों में) का कर दत्त माल/अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न कर दत्त माल से निर्मित कर योगय माल नीचे दिये गये विवरण में दी गई विशिष्टियों के अनुसार .... वृत्त में उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र कमांक .... के धारक व्यापारी (आढ़तिया) को आढ़त में विकय हेतु भेजा है:–

क– कर दत्त माल की विशिष्टियां दर्शाने वाला विवरण

अनुकमांक	दिनांक जिसको माल आढ़तिया को भेजा गया	माल का वर्णन	मात्रा	विकेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिससे प्रिंसिपल ने माल कय किया है के हाथों माल का विकय मूल्य	कालम (5) में दर्शाए गये विकय मूल्य पर विकेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को चुकाये गये कर की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

ख– करयोग्य माल के निर्माण में उपयोग या उपभोग किये गये कर दत्त माल की विशिष्टियां दर्शाने वाला विवरण

अनुकमांक	दिनांक जिसको करयोग्य माल भेजा गया	माल का वर्णन	मात्रा	अनुमानित मूल्य	करयोग्य माल के निर्माण में उपयोग या उपभोग किये गये करदत्त माल का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

मात्रा	प्रिंसिपल द्वारा कालम (6) में वर्णित कर दत्त माल का रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिससे, जब वह कय किया गया है के हाथों में उस का विकय मूल्य	कालम (8) में वर्णित विकय राशि पर धारा 8(1) के अधीन प्रिंसिपल द्वारा विकेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को चुकाया गया कर
(7)	(8)	(9)

स्थान ....

दिनांक .... व्यापारी के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो काट दीजिये।

टिप्पणी:— इस घोषणा में प्रयोग किये गये शब्द "करदत्त माल", छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 8(1) के अधीन कर वहन कर चुके माल को संदर्भित करते है।

प्ररूप–9

(नियम 9(4) देखिये)

घोषणा

मैं .... वृत्त............................ में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र कमांक .... धारक व्यापारी (कमीशन एजेंट) एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने श्री .... (प्रिंसिपल) जिनका, कि उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रेशन कमांक .... है, से कर दत्त माल/अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न से निर्मित करयोंग्य माल/करदत्त माल आढ़त में विकयार्थ कय किया है और आगत कर का रिबेट जिसकी मुझे निम्नानुसार पात्रता है, निम्नानुसार है:–

क–धारा 8(1) के अधीन कर योग्य वस्तुओं की विशिष्टियां दर्शाने वाला विवरण

करदत्त माल का विवरण	माल/तिमाही के आरंभ में स्टाक में रहे करदत्त माल से संबंधित विशिष्टियां				प्रिंसिपल से माह/तिमाही के दौरान प्राप्त कर दत्त माल से संबंधित विशिष्टियां			
	प्रिंसिपल से प्रारूप 5 में घोषणा प्राप्त होने का दिनांक	प्रारूप 5 में दशाई गई मात्रा	प्रिंसिपल ने जिस रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से माल कय किया था उसके हाथों विकय मूल्य जो प्रारूप 5 में दर्शाया गया है	कालम (4) में दर्शित विकय मूल्य पर प्रिंसिपल द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को धारा 8(1) के अधीन चुकाया गया कर	प्रिंसिपल से प्रारूप 5 में घोषणा प्राप्त होने का दिनांक	प्रारूप 5 में दशाई गई मात्रा	प्रिंसिपल ने जिस रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से माल कय किया था उसके हाथों विकय मूल्य जो प्रारूप 5 में दर्शाया गया है	कालम (4) में दर्शित विकय मूल्य पर प्रिंसिपल द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को धारा 8(1) के अधीन चुकाया गया कर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

माह/तिमाही के दौरान निपटान हेतु उपलब्ध माल की विशिष्टियां			कालम (10) में दर्शित माल का माह/तिमाही के दौरान निपटान					
			राज्य के अंदर विक्रय के द्वारा			अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्यिक के अनुक्रम में विक्रय के द्वारा		
मात्रा (3) + (7)	विक्रय मूल्य (4) + (8)	कालम (11) में दर्शित मूल्य पर प्रिंसिपल द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को धारा 8(1) के अधीन चुकाया गया कर (5)+(9)	मात्रा	विक्रय मूल्य	धारा 8(1) के अधीन देयकर	मात्रा	विक्रय मूल्य	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के अधीन देयकर
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

भारत के राज्य क्षेत्रों के बाहर विक्रय के द्वारा		राज्य के बाहर विक्रय के द्वारा		माह/तिमाही के अंत में स्टाक मे रहे करदत्त माल की विशिष्टियां			आगत कर के रिबेट के दावे की राशि
मात्रा	विक्रय मूल्य	मात्रा	विक्रय मूल्य	मात्रा	प्रिंसिपल ने जिस रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से माल क्रय किया है उसके हाथों में विक्रय मूल्य	कालम (24) में दर्शित विक्रय मूल्य पर प्रिंसिपल द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को धारा 8(1) के अधीन देय चुकाया गया कर	
(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

ख– धारा (8) के अधीन कर योग्य माल के निर्माण में उपयोग अथवा उपभोग किये गये करदत्त माल की विशिष्टियां दर्शाने वाला विवरण

कर योग्य माल का विवरण	माह/तिमाही आरंभ में स्टाक में बचा कर योग्य माल			प्रिंसिपल से माह/तिमाही के दौरान प्राप्त माल		
	प्ररूप 5 में प्रिंसिपल से प्राप्त घोषणा का दिनांक	प्ररूप 5 के घोषणा में दर्शित मात्रा	मूल्य	प्ररूप 5 में प्रिंसिपल से प्राप्त घोषणा का दिनांक	प्ररूप 5 के घोषणा में दर्शित मात्रा	मूल्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

माह/तिमाही के दौरान निपटान हेतु उपलब्ध कर योग्य माल		माह/तिमाही के दौरान कर योग्य माल का निपटान									
मात्रा	मूल्य	राज्य के अंदर		अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्यि के अनुकम में विक्रय				भारत के राज्य क्षेत्रों के बाहर विक्रय		राज्य के बाहर विक्रय	
(3)+(6)	(4)+(7)	मात्रा	विक्रय कीमत	धारा 8(1) के अधीन देयकर	मात्रा	विक्रय कीमत	देय केन्द्रीय विक्रय कर	मात्रा	विक्रय कीमत	मात्रा	विक्रय कीमत
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

कालम (10), (13) और (16) में दर्शित कर योग्य माल के निर्माण में उपयोग या उपभोग किये गये करदत्त माल की विशिष्टियां

माह/तिमाही के आरंभ में स्टाक में उपलब्ध कर योग्य माल		माल का विवरण	प्रिंसिपल ने जिस रजिस्टर्ड व्यापारी से माल क्रय किया है उसके हाथों में विक्रय कीमत	कालम (23) में दर्शित विक्रय कीमत पर प्रिंसिपल द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को चुकाया गया था	आगत कर का रिबेट जिसकी पात्रता है
मात्रा	मूल्य				
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

स्थान ....

दिनांक .... व्यापारी के हस्ताक्षर ....

*जो लागू न हो काट दीजिये।

टिप्पणी:— इस घोषणा में प्रयोग किये गये शब्द "कर दत्त माल" छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 8(1) के अधीन कर वहन कर चुके माल को संदर्भित करते है।

प्रारूप–10

(नियम 11(1) देखिये)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र दिया जाने हेतु आवेदन

प्रति,

वाणिज्यिक कर अधिकारी,

.... वृत्त.

मैं, ... के नाम ज्ञात कारबार का *स्वामी/ *प्रबंधक/*भागीदार/*निदेशक/*केन्द्रीय सरकार/*राज्य सरकार .... के ....विभाग द्वारा माल का विक्रय का प्रदाय का कारबार के प्रभारी अधिकारी, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड ( ) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र दिये जाने हेतु आवेदन करता हूं।

2. कारबार और पूर्वोक्त कारोबार में हित रखने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों से संबंधित विशिष्टियां निम्नानुसार है –

(एक) कारबार का नाम और पूरा पता ....

(दो) कारबार की प्रस्थिति (क्या वह *स्वत्वधारिता /भागीदार/सार्वजनिक या प्रायवेट लिमिटेड कंपनी/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, सोसायटी/ सहकारी सोसायटी, क्लब या एसोसिएशन है) ....

(तीन) कारबार का स्वरूप, माल की विशिष्टियों सहित ....

(क) मुख्यतः व्यापार किया जाता है– ....

(ख) मुख्यतः निर्माण किया जाता है– ....

(ग) खनन किया जाता है– ....

(चार) स्वामी का नाम/भागीदारों/निदेशकों के नाम, वर्तमान तथा स्थायी पते सहित तथा कारबार में हित की सीमा–

नाम	पता	आयु	पिता का नाम	घर का पता (होम एड्रेस)	कारबार में हित की सीमा	हस्ताक्षर	*कालम (7) में हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, उसके पते सहित

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

टीपः— स्वामी या फर्म के प्रत्येक वयस्क भागीदार अथवा अविभक्त हिन्दु कुटुम्ब के प्रत्येक वयस्क सह भागीदार, जैसे भी स्थिति हो, का पासपोर्ट साईज फोटो एक पृथक शीट में किसी वकील अथवा कर विधि व्यवसायी अथवा राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित कर संलग्न कियां जाये।

(पांच) मालिक, भागीदार या कारबार में हित में रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां यदि वह भारत में कहीं भी अन्य कारबार में हित रखते हों, —

(क) व्यक्ति का पूरा नाम ....

(ख) फर्म का नाम, तथा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 तथा केन्द्रीय विकय कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के कमांक ....

(ग) पूरा पता ....

(घ) हित की सीमा ....

(छह) यदि कारबार किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत हो तो राज्य विकयकर अधिनियम, केन्द्रीय विकय कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र कमांक ....

(सात) कारबार प्रारंभ करने की तारीख ....

(आठ) कारबार प्रारंभ करने की तारीख से आवेदन करने की तारीख तक की कुल राशि ....

(नौ) (क) वह तारीख, जिसको कुल राशि धारा 4 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो गई हो ....

(ख) कर भुगतान के दायित्व की तारीख ....

(दस) (क) यदि कुल राशि धारा 4 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक न हुई ....

हो तो क्या कारबार के प्रारंभ करने की तारीख से 12 मास की कालावधि के भीतर उसके अधिक हो जाने की संभावना है?

(ख) यदि उपरोक्तानुसार कुल राशि अधिक हो जाने की संभावना है तो उसके लिए कारण ....

(ग्यारह) यदि आवेदन ऐसे कारबार के संबंध में प्रस्तुत किया गया है जो औद्योगिक ईकाई के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में पंजीकृत है तो पंजीयन का कमांक एवं दिनांक ....

(बारह) क्या केन्द्रीय विकय कर अधिनियम 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन किया है, यदि हां तो प्रथम अन्तर्राज्यिक विकय की तारीख यदि आवेदन उस अधिनियम की धारा 7(1) के अधीन किया गया हो. ....

(तेरह) (क) मंडी अनुज्ञप्ति का कमांक और तारीख, यदि कोई हो (प्रति संलग्न कीजिए). ....

(ख) छत्तीसगढ़ दुकान तथा स्थापना अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति का कमांक और तारीख, यदि कोई हो (प्रति संलग्न कीजिए). ....

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति का कमांक और तारीख यदि कोई हो (प्रति संलग्न कीजिए). ....

(चौदह) कारबार में हित रखने वाले व्यक्तियों के स्वामित्व की स्थावर सम्पत्ति की विशिष्टियां,–

अनुकमांक	व्यक्ति का नाम	स्थावर सम्पत्ति का वर्णन और अन्य विशिष्टियां	स्थावर सम्पत्ति में स्वामित्व की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			

(पन्द्रह) यदि व्यक्ति आयकर निर्धारिती हों तो उनके स्थायी खाते के क्रमांक की विशिष्टियां,–

अनुक्रमांक	व्यक्ति का नाम	स्थायी खाता क्रमांक	आयकर वार्ड का नाम और क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)

(सोलह) बैंकरों की विशिष्टियां जिनके माध्यम से कारबार किया जाता है,–

अनुक्रमांक	बैंक का नाम	बैंक का पूरा पता	बैंक खाता क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)

(सत्रह) (क) राज्य में कारबार के अतिरिक्त स्थानों के नाम तथा पते, यदि कोई हो,– ....

(ख) गोदामों/भण्डागारों की विशिष्टियां, ...

(अठारह) कारबार परिसर के बारे में विशिष्टियां (क्या कारबार के हित रखने वाले, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के स्वामित्व का है या भाड़े पर या पट्टे पर लिया गया है या सरकार द्वारा आवंटित किया गया है) यदि किराये पर लिया गया है तो किराया रसीद की प्रति संलग्न करें. ....

3. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन रजिस्ट्रीकृत दो व्यापारियों के नाम तथा पते जो कारवार की पहचान करते है. (पहचान पत्र संलग्न करें) ....

स्थान ....
तारीख ....

....
हस्ताक्षर

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर किए गए कथन और दी गई विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान .... हस्ताक्षर ....
तारीख .... पदनाम ....

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

अभिस्वीकृति

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड ( ) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र हेतु प्ररूप 8 में आवेदन श्री .... से प्राप्त हुआ.

कार्यालय की मुद्रा

स्थान ....

तारीख ....

....

आवेदन प्राप्त करने वाले

पदाधिकारी के हस्ताक्षर तथा पूरा नाम.

प्रारूप–11 (देखिये नियम 12(1)) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्रतिपर्ण	प्रारूप–11 (देखिये नियम 12(1)) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र
1. प्रमाण–पत्र कमांक .... 2. कारबार का नाम .... 3. आवेदक का नाम .... 4. आवेदक की कारबार में हैसियत .... 5. छत्तीसगढ़ में कारबार के प्रमुख स्थान का पता .... 6. कारबार का स्वरूप .... (एक) मुख्यतः व्यापार किया जाता है– (दो) मुख्यतः निर्माण किया जाता है– (तीन) मुख्यतः खनन किया जाता है– 6. छत्तीसगढ़ में कारबार के अतिरिक्त स्थान .... नाम .... पता .... 7. गोदामों/भण्डारों की विशिष्टियां यदि कोई हो, ... 8. प्रमाण–पत्र जारी करने का दिनांक ..... 9. यह प्रमाण–पत्र .... से विधिमान्य है. मुद्रा तारीख	कमांक .... वृत्त .... 1. यह प्रमाणित किया जाता है कि कारबार का नाम .... आवेदक का नाम .... उसकी कारबार में हैसियत अर्थात स्वामी/भागीदार/प्रबंधक/संचालक) जिसके व्यापार का एक मात्र स्थान/प्रमुख स्थान .... पता ....में है, को छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन व्यापारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण किया गया है. 2. कारबार का स्वरूप है, मुख्यतः व्यापार किया जाना .... मुख्यतः निर्माण किया जाना .... मुख्यतः खनन किया जाना .... 3. कारबार के अतिरिक्त स्थान है, ... 1. 2. 3. 4. 4. कारबार के गोदाम/भण्डागार है, ... 1. 2. 3. 4. 5. प्रमाण–पत्र .... से विधिमान्य है.

	वाणिज्यिक कर अधिकारी के हस्ताक्षर तारीख ....

प्रारूप–12

(नियम 18(2) देखिये)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र रद्द किए जाने के लिए आवेदन

मैं ....*स्वामी/प्रबंधक/भागीदार/निदेशक/ केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के .... विभाग द्वारा माल का विक्रय या प्रदाय करने के लिये चलाये जा रहे कारबार का प्रभारी अधिकारी, जिसका छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र कमांक .... है और जिसके कारबार का छत्तीसगढ़ में एक मात्र/प्रमुख स्थान नगर/ग्राम .... जिला .... तहसील .... के नगरपालिका वार्ड कमांक .... (केवल नगरपालिका क्षेत्रों के लिये) में स्थित है, एतद्द्वारा कथित करता हूं कि :–

(क) मैंने तारीख .... से अपना कारबार बंद कर दिया है और मेरे पास उक्त तारीख को माल का निम्नलिखित स्टॉक था–

धारा 8 के खण्ड (एक) के अधीन कर योग्य माल के स्टॉक का मूल्य सहित विवरण ....%

धारा 8 के खण्ड (दो) के अधीन कर योग्य माल के स्टॉक का मूल्य सहित विवरण ....%

अथवा

*मैंने तारीख .... को, मेरा कारबार श्री .... (यहां नाम तथा पते लिखिये) व्यापारी को, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र कमांक .... है (यदि कोई हो), पूर्णतः हस्तांतरित कर दिया है.

(ख) *चालू वर्ष के पूर्ववर्ती लगातार दो वर्षों के लिए और इस आवेदन पत्र की तारीख तक चालू वर्ष के लिए मेरी सकल कुल राशि निम्नानुसार है–

वर्ष	सकल कुल राशि
(1)	....
(2)	....
(3)	....

अतएव, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (10) के *खण्ड (क)/खण्ड (ख) के अधीन मेरे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र को रद्द करने के लिए आवेदन करता हूं.

2. *चूंकि मैंने अपना कारबार बंद कर दिया है अथवा पूर्णतः हस्तांतरित कर दिया है इसलिये मैं रद्द करने के लिए इसके साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र तथा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपियां एवं वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी किये गये कोरे सांविधिक फार्म संलग्न करता हूं

संलग्नः– (1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र
उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि सहित
(2) .... कोरे सांविधिक फार्म

स्थान .... व्यापारी के हस्ताक्षर
दिनांक ....
* जो लागू न हो काट दिये जाय।

प्रारूप–13

(नियम 18(5) देखिये)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 18 के उपनियम (5) के अधीन सूचना

मैं .... स्वामी/प्रबंधक/भागीदार/केन्द्रीय सरकार–राज्य सरकार के .... विभाग द्वारा माल का विक्रय या प्रदाय करने के लिये चलाए जा रहे कारबार का प्रभारी अधिकारी, जिसका छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2003 के अधीन रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र कमांक .... है और जिसके कारबार का एकमात्र/ प्रमुख स्थान नगर/ग्राम .... जिला ... . तहसील .... के नगर पालिका वार्ड कमांक .... (केवल नगरपालिका .... के क्षेत्रों के लिये) में स्थित है, एतद्द्वारा कथित करता हूं कि मैंने प्ररूप 10 में कथित अधिनियम की धारा 16(10) (ख)/(ग) के अधीन मेरा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र निरस्त करने के लिये .... को आवेदन किया था, जो आप के कार्यालय में .... को प्राप्त हुआ है, और चूंकि इस पर आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से 6 माह की अवधि में कोई आदेश पारित नहीं किये गये है, इसलिये मेरा कथित रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम के नियम 18 के उपनियम (5) के अधीन निरस्त किया जाना समझा जावेगा। अतः नियम 19 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार मैं इसके संलग्न मेरा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रमाणित प्रति सहित कोरी लेखन सामग्री प्ररूप जो उक्त दिनांक को मेरे पास स्टाक में थे प्रेषित कर रहा हूं।

सहपत्रः– ....
(1) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र उसकी प्रमाणित प्रति सहित व्यवसायी के हस्ताक्षर
(2) .... कोरी लेखन सामग्री प्ररूप
* जो लागू न हो काट दीजिये।

प्रारूप–14

(देखिये नियम 11(3)

स्त्रोत पर कटौती हेतु दायी व्यक्ति द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन

प्रति,

वाणिज्यिक कर अधिकारी,

वृत्त ....

मैं, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन करता हूं, विवरण निम्नानुसार है:

(1) आवेदक का नाम ....

(2) कार्य के प्रमुख स्थान का पता (भवन/गली/सड़क/म्युनिसिपल वार्ड/नगर/, शहर/तहसील/जिला ....

(3) आवेदन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की प्रास्थिति (स्वामी/भागीदार/मुख्य पदाधिकारी/एजेन्ट/प्रबंधक/निर्देशक/सचिव) ....

(4) व्यक्ति की श्रेणी (व्यक्ति/फर्म/कंपनी/निगम/सोसायटी/ क्लब/एसोसिएशन) ....

(5) यदि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005/केन्द्रीय विकय कर अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीयत हो तो पंजीयन कमांक,

(क) वाणिज्यिक कर अधिनियम के अधीन ....

(ख) केन्द्रीय विकय कर अधिनियम के अधीन ....

(ग) सप्लाई/ठेके की प्रकृति जिसके कारण स्त्रोत पर कटौती का दायित्व आता है ....

दिनांक .... हस्ताक्षर ....

स्थान .... प्रस्थिति ....

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

अभिस्वीकृति

(नाम एवं पते की विशिष्टियां आवेदक द्वारा भरी जाएं)

प्ररूप 14 में पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त किया

आवेदक का नाम ....

डाक का पूर्ण पता ....

स्थान .... प्राप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक ....

प्रारूप–15

(देखिये नियम 12(1)(ख))

स्त्रोत पर कर की कटौती करने के दायी व्यक्तियों का पंजीयन प्रमाण–पत्र

कमांकः ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि .... नामक संस्था, स्थान .... के स्वामी/भागीदार/प्रमुख पदाधिकारी/एजेन्ट/प्रबंधक/कार्यालय प्रमुख/फर्म/क्लब/एसोसिएशन/सोसायटी/निगम/कंपनी का पंजीयन छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अंतर्गत किया गया है।

पंजीयन प्रमाण–पत्र धारक निम्न प्रकृति की सप्लाई/ठेकों के लिए स्त्रोत पर कर की कटौती हेतु दायी है।

मुद्रा

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... पदनाम ....

प्रारूप–16

(देखिये नियम 20(1)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

प्रति,

व्यापारी ....

पता ....

रजिस्ट्रीकरण कमांक (यदि कोई हो) ....

आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस सूचना प्राप्ति के तीस दिन के अन्दर .... से .... तक की अवधि का विवरण फार्म–17 में प्रस्तुत करें.

कृपया यह ध्यान रखें कि बिना पर्याप्त कारण के विवरण प्रस्तुत न करने पर आप छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005, की धारा 19(4)(ग) के अधीन शास्ति के या उसकी धारा 64 के अधीन अभियोजन के भागी होंगे और झूठा विवरण प्रस्तुत करने पर आप उक्त अधिनियम की धारा 54 के अधीन शास्ति के या धारा 64 के अधीन अभियोजन के भागी होंगें.

(मुद्रा)

स्थान .... हस्ताक्षर ....

तारीख .... पदनाम ....

प्रारूप–17

(नियम 20(2)(क) देखिये)

वर्ष .... की .... को समाप्त होने वाली तिमाही का विवरण

(शासकीय उपयोग हेतु)

प्राप्त दिनांक ....
प्राप्तिकर्ता शासकीय
कर्मचारी के
हस्ताक्षर ....
नाम ....
पदनाम ....

समेकित / शाखा ....
व्यापारी का नाम ....
पता ....
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र कमांक ....

	धारा 8(1) के अधीन कर योग्य माल	धारा 8(2) के अधीन कर योग्य माल
1. कुल राशि (टर्नओवर)	–	–
2. कर योग्य कुल राशि	–	–
3. देय कर	–	–
4. धारा 13(5) के अधीन देयकर	–	–
5. कर योग्य कय राशि का योग	–	–
6. देय कयकर	–	–
7. कुल देयकर	–	–
8. देय ब्याज यदि कोई है	–	–
9. आगत कर:–		
(एक) दावा किया गया	–	–
(दो) समायोजित	–	–
(तीन) अग्रनित	–	–
(चार) वापसी का दावा किया गया	–	–
10. धारा 27 के अधीन स्त्रोत पर काटा गया कर	–	–
11. शेष देय राशि यदि कोई है तो	–	–
12. भुगतान की गई राशि की विगत–चालान कमांक .... दिनांक .... राशि		
13. वापसी यदि कोई है तो	–	–

हस्ताक्षर ....
हैसियत ....

ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....
दिनांक ....

अभिस्वीकृति

मेसर्स .... (नाम) ....
रजिस्ट्रेशन कमांक के धारक से प्ररूप 17 में तिमाही विवरण नीचे दर्शित चालनों के साथ प्राप्त हुआ।

	चालान कमांक	दिनांक	राशि
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			

....
विवरणी प्राप्त करने वाले
पदाधिकारी के हस्ताक्षर
तथा पूरा नाम
कार्यालय की मुद्रा

<u>प्ररूप 17 में प्रत्येक मद के विरूद्ध विशिष्टियां देने के लिये निर्देश</u>

मद क.	निर्देश
1.	सकल कुल राशि में से छः माह के भीतर वापस लौटाए गये माल का विकय मूल्य कम करने के पश्चात् शुद्ध कुल राशि निर्धारित की जाय।
2.	कर योग्य कुल राशि निर्धारित करने के लिये घटाएं जाय:
(i)	धारा 15 के अधीन करमुक्त घोषित वस्तुएं
(ii)	बेचे गये माल की कुल राशि
	(क) राज्य के बाहर
	(ख) अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुकम में
	(ग) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुकम में
(iii)	ऐसे माल के संबंध में जिस पर धारा 8(1) के अधीन कर देय है
	(क) धारा 2(ब)(2)(दो) तथा 2(ब)(3)(तीन) के अधीन निर्धारित राशि
	(ख) उस माल का विकय जिसके लिये अधिनियम में छूट प्रावधानित है।
(iv)	ऐसे माल के संबंध में जिस पर धारा 8(2) के अधीन कर देय है.
	(क) ऐसे माल का विकय मूल्य जो ऐसे व्यापारी के हाथों में करदत्त माल की रूप में है।
	(ख) धारा 2(ब)(2)(दो) तथा 2(ब)(3)(तीन) के अधीन निर्धारित राशि

	(ग) ऐसे माल का विक्रय मूल्य जिसके लिये अधिनियम में छूट प्रावधानित है।
3.	धारा 8(1) और/या 8(2) और/या धारा 9 के अधीन कर की गणना कर योग्य विकय मूल्य और/या कुल कर योग्य कय राशि पर अनुसूची दो के कालम (3) और/या कालम (4) में विनिदिष्ट दर से की जावेगी।
4.	सकल कर योग्य कय मूल्य में राज्य के भीतर अरजिस्ट्रकृत व्यापारी से कय किये माल का कय मूल्य और
(क)	उनका राज्य के भीतर या अंतर्राज्यीय व्यापार अथवा व्यवसाय के अनुकम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर, केन्द्रीय विकय कर अधिनियम की धारा 5(2) या 5(3) के प्रावधानों के अनुरूप नियति के अनुकम में विकय नहीं किया है, या उनका अन्य प्रकार से किया गया है, अथवा धारा 15 के अधीन करमुक्त घोषित वस्तुओं के निर्माण में उपयोग/उपभोग किया गया है।
(ख)	अनुसूची तीन में सम्मिलित वस्तुओं का निर्माण में उपयोग/उपभोग किया गया है,
(ग)	जो माल अनुसूची तीन में सम्मिलित नहीं है, उसका अनुसूची दो में निर्दिष्ट माल के निर्माण में उपयोग/उपभोग किया गया है, निर्मित माल का,–
	(1) राज्य के भीतर, या अंतर्राज्यीय व्यापार अथवा व्यवसाय के अनुकम में अथवा भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुकृम में विकय से भिन्न किसी अन्य प्रकार से व्ययन किया गया है,
	(2) राज्य के भीतर या अंतर्राज्यीय व्यापार अथवा व्यवसाय के अनुकम में अथवा भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर केन्द्रीय विकय अधिनियम की धारा 5(2) या 5(3) के प्रावधानों के अनुरूप निर्यात के अनुकम में विकय किया गया है, सम्मिलित होंगे।
5.	आगत कर के रिबेट का दावा तथा उसकी पात्रता,
(1)	धारा 13(1)(क)
(2)	धारा 13(1)(ख)
(3)	धारा 13(1)(ग) और
(4)	धारा 73

के अधीन तिमाही के प्रारंभ में उपलब्ध तथा तिमाही के दौरान उद्भुत आगत कर के रिवेट का दावा किया जाय।

प्रारूप–18

(नियम 20(2)(ख) देखिये)

वर्ष .... के तिमाही विवरणों में दी गई जानकारी की विशिष्टियां दर्शाने वाला पत्रक

समेकित/शाखा ....

व्यापारी का नाम ....

पता ....

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र कमांक ....

भाग अ

अनुक्रमांक	विगत	राशि	टिप्पणी
1.	(क) सकल कुल राशि)		
	(ख) छःमाह के भीतर लौटाये गये माल का विक्रय मूल्य क्रम करें		
	(ग) शुद्ध कुल राशि		
2.	कम कीजिये– कटौतियां		
(1)	धारा 15 के अधीन करमुक्त घोषित माल का विक्रय मूल्य		
(2)	(क) राज्य के बाहर,		
	(ख) अंतर्राज्यीय व्यापार या व्यवसाय के अनुक्रम में,		
	(ग) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में,		
	योग		
3.	शेष विक्रय मूल्य (1(ग)–2)		
4.	कर की दरानुसार विभाजन		
		धारा के अधीन कर योग्य माल	
		8(1)	8(2)
(1)	ऊपर 3 में दर्शाया विक्रय मूल्य –		
(2)	घटाइये– (क) करदत्त माल का विक्रय मूल्य (ख) धारा 8(1)/धारा 8(2) के अधीन क्रेता से वसूल किया गया कर (ग) अधिनियम के अधीन प्रदत्त कटौतियों से संबंधित माल का विक्रय मूल्य		
	(2) का योग		
(3)	शुद्ध कर योग्य विक्रय मूल्य (कर की दरानुसार),–		
	धारा 8(1) के अधीन करयोग्य		धारा 8(2) के अधीन करयोग्य
	1% से / 4% से / 12.5% से		25% से
योग:–			
(4)	देयकर,–		
	धारा 8(1) के अधीन करयोग्य		धारा 8(2) के अधीन करयोग्य
	1% से / 4% से / 12.5% से		25% से
योग:–			
(5)	सकल कर योग्य क्रय मूल्य		

	(6)	धारा 9 के अधीन देयकर			
	(7)	धारा 13(5) के अधीन देयकर			
	(8)	धारा 19(4)(क) के अधीन ब्याज (यदि देय है तो)			
	(9)	कर एवं ब्याज की कुल देय राशि ((4)+(6)+(7)+(8))			
6.	(1)	आगतकर का रिबेट जिसका दावा किया गया			
		धारा 13(1)(क) के अधीन	धारा 13(1)(ख) के अधीन	धारा 13(1)(ग) के अधीन	धारा 73 के अधीन
		1	2	3	4
योगः–					
	(2)	वर्ष के पारंभ में उपलब्ध आगत कर का रिबेट			
		धारा 13(1)(क) के अधीन	धारा 13(1)(ख) के अधीन	धारा 13(1)(ग) के अधीन	धारा 73 के अधीन
		1	2	3	4
योगः–					
	(3)	कुल आगत कर का रिबेट ((1)+(2))			
7.		देय कुल कर तथा ब्याज (यदि कोई देय है तो)			
8.		कम करें, व्यापारी को उपलब्ध आगत कर रिबेट (मद क. 6(3))			
9.		कर तथा ब्याज की शुद्ध देय राशि (7–8)			
10.		धारा 27 के अधीन स्त्रोत पर काटा कर			
11.		कर तथा ब्याज की शुद्ध देय राशि			
12.		भुगतान किया गया कर तथा ब्याज, चालान कमांक एवं दिनांक सहित			
13.		समायोजन हेतु उपलब्ध आगत कर का रिबेट–			
	(1)	केन्द्रीय विकय कर के विरूद्ध			
	(2)	अधिनियम के अधीन किसी देय राशि के विरूद्ध			
14.		वापसी योग्य आगत कर का रिबेट			
15.		तिमाही विवरण के साथ जमा की गई कर एवं ब्याज की राशि के अतिरिक्त शेष देयकर तथा ब्याज की राशि जिसका भुगलान किया (चालान कमांक एवं दिनांक सहित)			
16.		पैरा 6(3) में दर्शाई राशि के अतिरिक्त वापसी अथवा समायोजन हेतु उपलब्ध आगत कर का रिबेट			

17.	वर्षान्त में आगामी अवधि के दौरान देयकर के विरूद्ध समायोजन हेतु उपलब्ध आगत कर का रिबेट (विभाजन)			
	धारा 13(1)(क) के अधीन	धारा 13(1)(ख) के अधीन	धारा 13(1)(ग) के अधीन	धारा 73 के अधीन
	(1)	(2)	(3)	(4)
योगः—				

भाग—ख
दर के अनुसार मालों के संग्रह (स्टाक) का विवरण

अनुक्रमांक	खाते का पृष्ठ	माल व्यापारिक लेखा का नाम	प्रारंभिक शेष	क्रय	अंतिम शेष	विक्रय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

भाग—ग
अनुसूची—दो में विनिर्दिष्ट माल के क्रय विक्रय की सूची
क्रय सूची

अनुक्रमांक	क्रय का दिनांक	व्यापारी का नाम उसके पते सहित जिससे माल क्रय किया गया	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र क्रमांक	क्रय किये माल का वर्णन	मूल्य	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

विक्रय की सूची

अनुक्रमांक	विक्रय की तारीख	व्यापारी का नाम उसके पते सहित जिसको माल बेचा गया	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र क्रमांक	विक्रय किए गए माल का वर्णन	मूल्य	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

व्यापारी के हस्ताक्षर ....

ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य है,

व्यापारी के हस्ताक्षर ....

अभिस्वीकृति

मेसर्स .... (नाम) .... रजिस्ट्रेशन क्रमांक के धारक से अवधि दिनांक .... से .... तक का विवरण प्ररूप 18 में रूपये .... के चालान क्रमांक .... दिनांक सहित प्राप्त हुआ।

स्थान ....

दिनांक ....

प्राप्तिकर्ता शासकीय
कर्मचारी का पूरा नाम तथा
हस्ताक्षर

सील

प्रारूप—19

(नियम 23(1) तथा (3) देखिये)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम 2006 के नियम 23 के अधीन छूट प्रमाण—पत्र के देने या उसके नवीनीकरण के लिये आवेदन

वाणिज्यिक कर अधिकारी,

....

....

मैं .... जो कि .... नाम से ज्ञात कारबार का *स्वामी/प्रबंधक/भागीदार/निदेशक जो छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र क्रमांक .... तारीख ....का धारक हूं, जिसके कारबार का एक मात्र/*प्रमुख स्थान जिसके लिए कि छूट प्रमाण—पत्र की आवश्यकता है, वाणिज्यिक कर अधिकारी ....के अधिकार क्षेत्र शहर/ग्राम कि म्युनिसपल वार्ड क्रमांक (केवल म्युनिसपल क्षेत्रों के लिये) में स्थित है, एतद्द्वारा—

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 23(1) के अधीन दिनांक .... से .... की अवधि के लिये प्रारूप 20 में छूट प्रमाण—पत्र देने के लिये/

*मुझे दिये गये प्ररूप 20 में छूट प्रमाण—पत्र क्रमांक .... तारीख .... (जो इसके साथ में भेजा जा रहा है), जिसकी विधि मान्यता .... को समाप्त हो रही है, के नवीनीकरण के लिये.

2. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा कोई भी ऐसा क्रय या विक्रय किया जाना संभव नहीं है जो छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन कर के अध्यधीन हो.

3. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि .... से .... तक की कालावधि में मैंने ऐसे कोई विक्रय या क्रय नहीं किए हैं जो उक्त अधिनियम के अधीन कर के अध्यधीन थे (केवल नवीनीकरण के लिये).

4. मैं छूट प्रमाण–पत्र दिया जाना/उसका नवीनीकरण नीचे कथित अन्य कारणों से चाहता हूं.

(यहां अन्य कारण, यदि कोई हो, तो कथित कीजिए)

5. मुझे दिये जा सकने वाले प्ररूप–20 के *छूट प्रमाण–पत्र/नवीनीकरण की विधिमान्यता की कालावधि में यदि मैं कोई ऐसा विक्रय या क्रय करता हूं जो कर के अध्यधीन हो, तो मैं वचन देता हूं कि मेरे विक्रय या क्रय पर कर का भुगतान करने के दायी होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम 23 के उपनियम (2) के अधीन अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर अधिकारी .... को इस तथ्य की सूचना दे दूंगा तथा उस तिमाही की जिसमें मैं ऐसा दायित्वाधीन हो जाता हूं, विवरणी प्रस्तुत करूंगा और ऐसी विवरणी के अनुसार देयकर भुगतान शासकीय कोषालय में कर दूंगा और ऐसे भुगतान के साक्ष्य रूप कोषालय रसीदी चालान वाणिज्यिक कर अधिकारी को प्रस्तुत करूंगा.

स्थान ....

तारीख ....

व्यापारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी.–. नवीनीकरण के इस आवेदन पत्र के साथ मुक्ति प्रमाण–पत्र संलग्न होना चाहिए।

*जो लागू न हों काट दिये जाय।

अभिस्वीकृति

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 23 के अधीन प्ररूप 19 में छूट प्रमाण–पत्र देने/नवीनीकरण के लिए श्री (व्यापारी का नाम) .... से आवेदन प्राप्त किया.

तारीख ....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

प्ररूप–20

(नियम 23(1) देखिये)

छूट प्रमाण पत्र

अनुक्रमांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि .... (व्यापारी) जो छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र क्रमांक .... तारीख .... का धारक है तथा जिले ....

की तहसील .... के शहर/ग्राम .... म्यूनिसपल वार्ड कमांक .... (केवल म्यूनिसपल क्षेत्रों के लिये) में स्थित .... नाम से ज्ञात कारबार कर रहे हैं, के द्वारा किया गया या किया जा सकने वाला कोई भी विकय या कय उक्त अधिनियम के अधीन कर के दायित्वाधीन नहीं है या उसका कर के दायित्वाधीन होना संभाव्य नहीं है, उक्त .... (व्यापारी) का दिनांक .... से प्रारंभ होने तथा दिनांक .... को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये विवरणी प्रस्तुत करने से छूट प्रदान की जाती है।

मुद्रा

स्थान ....

हस्ताक्षर ....

तारीख ....

पदनाम ....

नवीकरण

नवीकरण की तारीख	तारीख जब तक के लिए नवीकरण किया गया	नवीकरणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम

प्ररूप–21

(नियम 24(1) दखिये)

तिमाही विवरणियों के बदले भिन्न अवधि के लिये विवरणी प्रस्तुत करने हेतु अनुज्ञा के लिए आवेदन

प्रति,

वाणिज्यिक कर अधिकारी,

.... वृत्त

मैं .... उस कारबार का जो .... के नाम से ज्ञात है, *स्वामी/प्रबंधक/भागीदार/निदेशक, जिसका छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र कमांक .... तारीख .... है और जिसके कारबार का एकमात्र/*प्रमुख स्थान वाणिज्यिक कर अधिकारी .... की अधिकारिता के भीतर नगर/ग्राम .... जिला .... तहसील नगरपालिका वार्ड कमांक .... (केवल नगरपालिका क्षेत्रों के लिये) में स्थित हैं, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 24 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन तिमाही विवरणियों के बदले वार्षिक विवरणी फाईल करने हेतु अनुज्ञा के लिये आवेदन करता हूं और उक्त प्रयोजन के लिये मैं निम्नलिखित विशिष्टियां प्रस्तुत कर रहा हूं :–

(1) कारबार का स्थान जिसके संबंध में अनुज्ञा के लिये आवेदन किया गया है –

(क) कारबार का नाम तथा स्टाइल ....

(ख) कारबार का पता ....

(ग) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र कमांक ....

(2) वर्ष जिसके लिये अनुज्ञा .... से .... तक हेतु आवेदन किया गया है.

(3) अंतिम पूर्ववर्ती वर्ष की कुल राशि और निर्धारित कर :—

(क) वर्ष .... से .... तक की ....

(ख) कुल राशि ....

(ग) आरोपित कर ....

(घ) कर निर्धारण प्रकरण कमांक ....

(ड) कर निर्धारण आदेश दिनांक .... श्री .... वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त .... श्री .... सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा पारित।

(4) अंतिम पूर्ववर्ती वर्ष की विवरणियों के अनुसार सकल कुल राशि तथा देयकर,

(क) वर्ष .... से .... तक

(ख) सकल कुल राशि रूपये ....

(ग) देयकर रूपये ....

(घ) भुगतान किया गया कर रूपये ....

स्थान .... व्यापारी के हस्ताक्षर ....

तारीख ....

*जो लागू न हो उसे काट दीजिये।

मैं .... एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि इसमें जो कुछ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान ....

तारीख .... हस्ताक्षर ....

प्ररूप—22

(नियम 24(4) देखिये)

व्यापारी को तिमाही विवरणियों के बदले भिन्न अवधि के लिये विवरणी प्रस्तुत करने हेतु अनुज्ञात करने वाला आदेश

श्री .... जो .... के नाम से ज्ञात कारबार कर रहे है और रजिस्ट्रीकरण व्यापारी है, जिसके छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र का कमांक .... तारीख ... . है तथा जिसके कारबार का *एकमात्र/प्रमुख स्थान वाणिज्यिक कर अधिकारी ...., की अधिकारिता के भीतर नगर/ग्राम .... जिला .... तहसील .... नगरपालिका वार्ड कमांक .... (केवल नगरपालिका क्षेत्रों के लिये) में स्थित है, को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के परन्तुक के तथा

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 24 के अधीन कारबार के निम्नलिखित स्थानों के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20(2)(क) के अधीन तिमाही विवरणियों के बदले .... से .... तक की कालावधि के लिये तारीख .... को या उसके पूर्व प्रारूप–17 में भिन्न अवधि हेतु विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात किया जाता है.

स्थान ....   रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र कमांक ....

(1) कथित व्यापारी इसके संलग्न अनुसूची के कालम (एक) में निर्दिष्ट अवधि के लिये कालम (2) में निर्दिष्ट तारीख को या इसके पूर्व कालम (3) में निर्दिष्ट राशि का भुगतान करेगा।

अनुसूची

तिमाही जिसके लिये कर देय है	कर के भुगतान की अंतिम तारीख	देय कर की राशि
(1)	(2)	(3)

(2) व्यापारी आखरी तिमाही यथा, अवधि .... से .... के लिये उसके द्वारा ऐसी भिन्न अवधि के विवरण के अनुसार देय राशि तथा उपरोक्त अनुसूची में वर्णित पूर्व की तिमाही के लिये भुगतान की गई राशि के अंतर की राशि का कर के रूप में भुगतान करेगा।

(3) व्यापारी उक्त अवधि के लिये विवरण के साथ समस्त तिमाहियों के लिये कर के भुगतान के कोषालय रसीदी चालान संलग्न करेगा।

(4) नियम 24 के उपनियम (4) में वर्णित शर्तों के उल्लंघन के लिये वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा किसी भी समय अनुमति निरस्त की जा सकेगी।

*जो लागू न हो उसे काट दीजिये।

प्ररुप–23

(नियम 25(1) देखिये)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19(5)(क) के अधीन सूचना

प्रति,

नाम ....

पता ....

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र कमांक ....

मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि तारीख .... से .... तक की कालावधि के लिये आपकी विवरणी में आपके द्वारा दी गई विशिष्टियां जहां तक कि कर की दर के लागू करने/*कर की संगणना/और/*या देय ब्याज/*..... .... के कटौती के दावे/*आगत कर के रिबेट के दावे के संबंधित है, असत्य है.

अतएव आपको आदेश दिये जाते हैं कि आप व्यक्तिशः या आपके द्वारा इस संबंध में धारा 24(1) के अधीन लिखित रूप से प्राधिकृत व्यक्ति .... स्थान .... समय .... दिनांक को इस संबंध में सुनवाई हेतु उपस्थित रहें।

मुद्रा हस्ताक्षर ....

दिनांक .... पदनाम.......................

*जो लागू न हो काट दीजिये।

प्ररूप–24

(नियम 25(2) देखिये)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 19(5)(ख) के अधीन सूचना

प्रति,

नाम ....

पता ....

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र कमांक (s)....................

.... से .... तक की कालावधि के लिये आपके द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी/विवरणियों के सत्यापन से पाया गया है कि,

(1) आपके द्वारा उक्त अवधि के लिये सही दर ....से रू0 .... कर देय है,

(2) आपके द्वारा उक्त अवधि के लिये रू0 .... की ब्याज की राशि देय है,

(3) आपके द्वारा रू0 .... की कटौती का गलत दावा किया गया है, जिस पर आपके द्वारा .... की दर से रू0 .... की राशि देय है,

(4) आपके द्वारा रू0 .... के आगत कर के रिबेट का गलत दावा किया गया है और इस कारण और आपके द्वारा रू0 .... की दर की राशि देय है,

इस प्रकार आपके द्वारा कुल रू0 .... की राशि कर/ब्याज के रूप में देय है।

आपको एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि आप .... रूपये (शब्दों में) .... रूपये शासकीय कोषालय में तारीख .... को या .... के पूर्व भुगतान कर दे और भुगतान के प्रमाण में निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अधिक से अधिक तारीख .... तक कोषालय रसीद चालान प्रस्तुत करें. ऐसा न करने पर .... रूपये (शब्दों में) .... रूपये की उक्त रकत आपसे भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जाएगी.

मुद्रा

हस्ताक्षर ....

दिनांक .... पदनाम ....

प्ररूप–25

(नियम 26 देखिये)

स्त्रोत पर कटौती के दायी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी

अवधि .... से .... के लिए देयकर, की विवरणी

व्यक्ति का नाम ....
पता ....
पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक ....

अ. क.	सप्लायर / ठेकेदार का विवरण, नाम व पता पंजीयन कमांक (यदि कोई हो)	भुगतान का दिनांक	भुगतान की गई राशि	भुगतान से संबंधित ठेके / सप्लाई की प्रकृति	भुगतान से कर की कटौती		टिप्पणी
					कर की दर	राशि	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

देयकर की राशि ....

चालान कमांक एवं दिनांक सहित भुगतान की गई राशि रूपये ....

उपरोक्त कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थानः .... हस्ताक्षर ....
दिनांकः .... प्रास्थिति ....

अभिस्वीकृति

(नाम एवं पता व्यक्ति द्वारा भरा जाये)

व्यवित का नाम ....डाक का पूर्ण पता .... से अवधि .... से .... की विवरणी चालान कमांक .... दिनांक .... रूपये .... के लिए सहित प्राप्त किया।

स्थान : .... प्राप्तिकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक : .... पूरे नाम व पदनाम सहित

प्ररूप–26
(नियम 27(2) देखिये)
घोषणा

मैं .... छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र कमांक .... का वृत्त में .... धारक व्यापारी, एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि वह माल जिसके ब्यौरे परिशिष्ट–1 में दिये गये हैं, रजिस्ट्रीकरण कमांक .... धारण करने वाले व्यापारी श्री .... से कय किया है. मेरे द्वारा नीचे परिशिष्ट 2 में दिये गये विवरण के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुकम में विकय किया गया है और उक्त माल मेरे द्वारा करार या आदेश कमांक .... तारीख .... के पश्चात् या उसके पालन के प्रयोजन के लिये या ऐसे निर्यात के संबंध में कय किया गया था।

मैं यह और घोषित करता हूं कि इस माल के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन छूट का दावा नहीं किया गया है और यह कि छत्तीसगढ़ राज्य में इस माल के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को कोई अन्य घोषणा जारी नहीं की गई है।

स्थान ....
तारीख ....

....
हस्ताक्षर
घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम
निर्यातक .... के संबंध में घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की हैसियत.

परिशिष्ट–1

कय किये गये माल का वर्णन	मात्रा	मूल्य	
		रूपये	पैसे
(1)	(2)	(3)	
	योग–		

कय मूल्य (अंकों में) रूपये .... (शब्दों में) रूपये ....

परिशिष्ट–2

निर्यात से संबंधित विवरण :–

(1) *हवाई अड्डा / बंदरगाह / जमीनी सीमा स्थल (कस्टम स्टेशन) जहां से माल निर्यात किया गया है।	

(2) *विमान कंपनी/जहाज/रेल/माल वाहक या अन्य माल वाहन के साधन जिसके द्वारा माल निर्यात किया गया है, का नाम	
(3) *हवाई कंसाइनमेंट नोट/बिल आफ लेडिंग/रेल रसीद/माल वाहन रसीद/डाक रसीद/ कोई अन्य दस्तावेज माल के भारत के सीमा क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के प्रमाण के रूप में हो का दिनांक तथा क्रमांक (ऐसे हवाई कंसाइनमेंट नोट/बिल आफ लेडिंग/रेल रसीद/माल वाहन रसीद/डाक रसीद/अन्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाय)	
(4) उक्त मद (3) में संदर्भित दस्तावेजों के द्वारा निर्यात किये माल की विगत, मात्रा वजन तथा मूल्य का विवरण	

हस्ताक्षर ....
घोषणा पर हस्ताक्षर ....
वाले व्यक्ति का नाम
निर्यातक .... के संबंध में
घोषणा पर हस्ताक्षर करने
वाले व्यक्ति की हैसियत .....

स्थान ....
दिनांक ....

* जो लागू न हो उसे काट दीजिये।

प्रारूप—27

(नियम 29 देखिये)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 21(4) के अधीन सूचना

प्रति,

(नाम) श्री ....
(पता) ....
रजिस्ट्रीकरण क्रमांक.................................

चूंकि मैं, आपके द्वारा .... से .... तक की कालावधि के लिये प्रस्तुत किये गये विवरणी की सत्यता और पूर्णता के बारे में अपना समाधान करना चाहता हूं अतएव आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप तारीख .... को समय .... स्थान .... पर ....

(एक) व्यक्तिशः या एजेंट द्वारा उपस्थित हो,

(दो) विवरणी के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करें या प्रस्तुत करवाएं और

(तीन) लेखे, रजिस्टर, बिल, बीजक नगदी ज्ञाप अथवा व्यवसाय से संबंधित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करें या करवायें,

स्थान .... दिनांक .... समय .... पर ....

तारीख .... हस्ताक्षर ....
(मुद्रा) पदनाम ....

प्रारूप–28
(नियम 30(1) देखिये)
छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005की धारा 19(4), 21(5), 21(6), 22 और 54 के अधीन सूचना

प्रति,
(नाम) श्री ....
(पता) ....
पंजीयन कमांक ....

आपने *धारा 19(1) के अधीन आप पर तामील की गई सूचना द्वारा आपेक्षित विवरणी प्रस्तुत नहीं की है, और इसके कारण आप उक्त अधिनियम की धारा 19(4) के अधीन ब्याज/शास्ति के भागी हो गये है,

अथवा

*आपने, एक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी होते हुए भी, तारीख .... से तारीख .... तक की कालावधि/कालावधियों की विवरणी/विवरणियां पर्याप्त कारण के बिना समय पर प्रस्तुत नहीं की है और इस कारण आपने स्वयं को धारा 19(4) के अधीन ब्याज शास्ति के लिए दायी बनाया है,

अथवा

*आपने, एक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी होते हुए भी, तारीख .... से तारीख .... तक की कालावधि/कालावधियों की लिए विवरणी/विवरणियां तथा/या प्ररूप 18 में विवरण समय पर प्रस्तुत नहीं किया है और इस कारण आप धारा 21(5)(क) के अधीन सर्वोत्तम विवेक से कर निर्धारण के दायी हो गये है,

अथवा

*आपने, एक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी होते हुए भी, तारीख .... से तारीख .... तक के लिए जान बूझकर अपूर्ण या असत्य विवरणी प्रस्तुत की है, और इस कारण आप धारा 21(5) के अधीन सर्वोत्तम विवेक से कर निर्धारण किये जाने के दायी हो गये है,

अथवा

आपने, एक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी होते हुए भी लेखा पुस्तकें नहीं रखी है या लेखा हेतु कोई नियमित पद्धति नहीं अपनाई है या धारा 41 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुरूप लेखा पुस्तकें नहीं रखी है, यां अपनाई गई पद्वति ऐसी नहीं कि जिसके आधार पर समुचित कर निर्धारण किया जा सके और इस कारण आप धारा 21(5) के अधीन सर्वोत्तम विवेक से कर निर्धारण के दायी हो गये है,

अथवा

*आपने, तारीख .... से तारीख .... तक की कालावधि/ कालावधियों के संबंध में धारा 5 के अधीन कर के भुगतान के लिये दायी होते हुए भी रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन नहीं किया है और इस कारण आप सवोत्तम विवेक से कर निर्धारण तथा धारा 21(6) के अधीन शास्ति के दायी हो गये है,

अथवा

*मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि तारीख .... से तारीख .... तक की कालावधि/कालावधियों के आपके विक्रय या क्रयों पर कम कर निर्धारण हुआ है/कर निर्धारण से छूट गए है/कम दर से कर निर्धारण हुआ है/कर निर्धारण आदेश में कटौती गलती से अनुज्ञात की गई है/*आगत कर गलती से अनुज्ञात किया गया है .... में निर्णय के परिणामस्वरूप कर निर्धारण पुनः कर निर्धारण किया जाना है और इस कारण आपने स्वयं को अधिनियम की धारा 22 के अधीन पुनः कर निर्धारण और शास्ति का दायी बना लिया है,

यहां कारण कथित करें ....

अथवा

*मेरा समाधान हो गया है कि आपने अपनी कुलराशि छिपायी है या .... रूपये मूल्य के मालों से संबंधित क्रय मूल्य की कुल रकम को छिपाया है, आपने अपनी विवरणी/ विवरणियों में अपने विक्रयों या क्रयों की असत्य विशिष्टियां दी है। आपने तारीख ....से .... तारीख तक की असत्य विवरणी प्रस्तुत की हैं और इस कारण आप धारा 21(5) के सर्वोत्तम विवेक से कर निर्धारण तथा धारा 54 के अधीन शास्ति के दायी हो गए है।

अतएव, एतद् द्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि आप तारीख .... को कारण दर्शाए कि आप पर, इस प्रकार सर्वोत्तम विवेक से कर निर्धारण/पुनः कर निर्धारण क्यों न किया जाए/शास्ति क्यों न आरोपित की जाए।

यह और कि एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आप तारीख .... को .... समय .... (स्थान) में आप व्यक्तिशः या इस संबंध में आपके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो धारा 24 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है, मेरे समक्ष उपस्थित हो और उपरोक्त कालावधि से संबंधित अपनी लेखापुस्तकें दस्तावेज और अपनी आपत्ति के समर्थन के लिए आप जिस किसी भी साक्ष्य पर भरोसा रखते हो वह साक्ष्य भी प्रस्तुत कीजिए या कराइये।

मुद्रा

तारीख ....

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

*जो लागू न हो उसे काट दीजिये।

प्रारूप—29

(नियम 31(1) देखिये)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16(6), 25(8), 42(2), 54(2), 57(6) और छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 82 के अधीन सूचना

प्रति,

(नाम) श्री ....

(पता) ....

*आपने, निर्धारित समय के भीतर रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए दायी व्यापारी होते हुए भी युक्तियुक्त कारण के बिना अपने आपको रजिस्ट्रीकृत नहीं कराया है और इस कारण आपने स्वयं को धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन शास्ति के लिए दायी बना लिया है,

अथवा

आपने आप पर निर्धारित कर या अधिरोपित शास्ति या आपसे शोध्य कोई अन्य रकम उस के लिए मांग की सूचना में उल्लेखित समय के भीतर भुगतान करने के दायित्वाधीन होतु हुए भी आपने उसका भुगतान नहीं किया है और धारा 25 की उपधारा (7) के अधीन आदेश प्राप्त नहीं किया है, आपने धारा 25 की उपधारा (6) के अधीन पारित आदेशानुसार कर या शास्ति का भुगतान करने के दायित्वाधीन होते हुए भी, आपने उसका भुगतान नहीं किया है और इस कारण आपने स्वयं को धारा 25 की उपधारा (8) के अधीन शास्ति के लिए दायी बना लिया है,

अथवा

*आपने, नहीं किया है, ... (यहां किये गये उल्लंघन की विशिष्टियां दीजिए) धारा 42 की उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करके स्वयं को अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन शास्ति के लिए दायी बना लिया है,

अथवा

*मेरा समाधान हो गया कि आपने कुल राशि छिपायी है या मालों के कय से संबंधित कय मूल्य की कुल रकम को छिपाया है, आपने अपनी तारीख .... से ....तारीख तक की विवरणी/विवरणियों में अपने विकयों या कयों की असत्य प्रविष्टियां दी है, आपने तारीख .... से .... तारीख तक असत्य विवरणी/विवरणियां प्रस्तुत की है और इस कारण आप धारा 54 की उपधारा (2) के अधीन शास्ति के भागी हो गये है,

अथवा

*मेरे पास यह विश्वास करने का कारण है कि आपने कर के दायित्वाधीन माल को उनका लेखा जोखा आपके द्वारा रखी गई बहियों/रजिस्टरों/लेखाओं में रखे बिना ही इस दृष्टि से जमा किया है या रखा है कि कर के भुगतान का अपवंचन किया जाये और इस कारण आपने स्वयं को धारा 57 की उपधारा (6) के खण्ड (ग) के अधीन शास्ति का दायी बना लिया है,

अथवा

*आपने, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम .... (यहां नियम का उल्लेख किया जायें) के उपबंधों का उल्लंघन किया है और इस

कारण आपने स्वयं को उक्त नियमों के नियम 82 के अधीन शास्ति के लिए दायी बना लिया है,

अतएव आपको एतद्द्वारा आदेश दिये जाते है कि आप व्यक्तिशः या आपके द्वारा इस संबंध में लिखित रूप से प्राधिकृत ऐसे व्यक्ति द्वारा जो धारा 24 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति हो, ... (स्थान) .... (समय) तारीख .... को उपस्थित होकर कारण बतायें कि आप पर शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाये, साथ ही आप से अपेक्षा की जाती है कि आप स्वयं या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उक्त तारीख, स्थान और समय पर इस संबंध में सुनवाई के लिए उपस्थित रहे,

आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि आप अपनी आपत्ति के समर्थन में आप जिस किसी भी साक्ष्य, (यदि कोई हो), पर भरोसा करते हो उसे पेश करें।

मुद्रा हस्ताक्षर ....

तारीख .... पदनाम ....

*जो लागू न हो काट दीजिये।

प्रारूप—30

(नियम 32(1) देखिये)

कर निर्धारण और/अथवा शास्ति आदेश

(1) व्यापारी का नाम ....

(2) कारबार के स्थान की अवस्थिति ....

(3) रजिस्ट्रीकरण पत्र कमांक ....

(4) कर निर्धारण वर्ष .... मामला कमांक ....

(5) कर निर्धारण अवधि ....

(6) (एक) प्रस्तुत की गई लेखा पुस्तकें ....

(दो) लेखा रखने की पद्धति ....

(7) वह धारा तथा उपधारा जिसके अधीन कर निर्धारण किया गया है और/अथवा शास्ति अधिरोपित की गई है. ....

			विवरणी के अनुसार.	अवधारित किये गये अनुसार
1.	(क)	सकल कुल राशि	....	....
	(ख)	कम कीजिए—		
		विकय के छह मास के भीतर लौटाये गये माल का कय मूल्य	....	....
		योगः	....	....
		शुद्ध कुल राशि	....	....
2.	(1)	धारा 15 के अधीन करमुक्त घोषित माल का विकय मूल्य	....	....

(2)	विक्रय किये माल का विक्रय मूल्य:		
(एक)	जो राज्य के बाहर हुए हो	....	....
(दो)	जो अंतर्राज्यीक व्यापार या वाणिज्यि के अनुक्रम में हुए हो,	....	....
(तीन)	जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर आयात के अनुक्रम में या उसके बाहर निर्यात के अनुक्रम में हुए हों,	....	....
(चार)	कोई अन्य कटौती (विशिष्टियां दी जाये)	....	....
	योग:–	....	....
3.	शुद्ध कुल राशि	....	....

4\. कुल राशि का दर के अनुसार विभाजन–

	धारा 8(1) के अधीन करयोग्य माल के संबंध में		धारा 8(2) के अधीन करयोग्य माल के संबंध में	
	विवरणी के अनुसार	अवधारित किये अनुसार	विवरणी के अनुसार	अवधारित किये अनुसर
	(1)	(2)	(3)	(4)
(1) कम कीजिये,–				
(क) करदत्त माल की कुल राशि				
(ख) कर के रूप में वसूल की गई राशि				
(2) योग:–				

(3) कर योग्य कुल राशि (दर के अनुसार विभाजन),–

धारा 8(1) के अधीन कर योग्य			धारा 8(2) के अधीन कर योग्य
1%से	4%से	12.5%से	25%से
(1)	(2)	(3)	(4)
योग–			

(4) देयकर,–

धारा 8(1) के अधीन कर योग्य			धारा 8(2) के अधीन कर योग्य
1%से	4%से	12.5%से	25%से

(1)	(2)	(3)	(4)
योग–			

(5) सकल कर योग्य क्रय राशि ....

(6) धारा 9 के अधीन देयकर ....

(7) धारा 13(5) के अधीन देयकर ....

(8) धारा 19(4) (क) के अधीन देय ब्याज यदि कोई हो तो ....

(9) कर एवं ब्याज की कुल देयराशि [(4) + (6) + (7) + (8)] ....

5. अधिरोपित शास्ति की राशि–

(1) धारा .... के अधीन ....

(2) धारा .... के अधीन ....

(3) धारा .... के अधीन ....

(4) धारा .... के अधीन ....

(5) नियम 81 के अधीन ....

योगः– ....

6. भुगतान हेतु कर/ब्याज/शास्ति का अतिशेष [(4(8) + 5)] ....

7. (1) अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट माल का कर निर्धारण वर्ष के दौरान रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों से किया गया क्रय,–

		विवरणी के अनुसार	अवधारित किये गये अनुसार
(क)	राज्य में पुनः विक्रय हेतु	....	....
(ख)	अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट किसी माल के निर्माण में उपयोग/उपभोग हेतु	....	....
	योग (क + ख)	....	....

(2) आगत कर का रिबेट का दावा किया गया/प्रदत्त किया गया

विवरणी के अनुसार				अवधारित किये गये अनुसार			
धारा 13(1)(क) के अधीन	धारा 13(1) (ख) के अधीन	धारा 13(1)(ग) के अधीन	धारा 73 के अधीन	धारा 13(1) (क) के अधीन	धारा 13(1) (ख) के अधीन	धारा 13(1)(ग) के अधीन	धारा 73 के अधीन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
योगः–							

(3) वर्ष के प्रारंभ में व्यापारी के खाते में उपलब्ध आगत कर का रिबेट,—

विवरणी के अनुसार				अवधारित किये गये अनुसार			
धारा 13(1)(क) के अधीन	धारा 13(1) (ख) के अधीन	धारा 13(1)(ग) के अधीन	धारा 73 के अधीन	धारा 13(1) (क) के अधीन	धारा 13(1) (ख) के अधीन	धारा 13(1)(ग) के अधीन	धारा 73 के अधीन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
योगः—							

(4) व्यापारी के खाते में वर्ष के दौरान कुल आगत कर का रिबेट का योग ....

8. भुगतान हेतु कर, ब्याज और/या शास्ति यदि कोई देय है तो, की अतिशेष राशि ....
9. घटाईये— व्यापारी के खाते में उपलब्ध आगत कर के रिबेट की राशि (मद 7(4) के अनुसार) ....
10. भुगतान हेतु कर और/या शास्ति/ब्याज की शुद्ध अतिशेष राशि ....
11. धारा 24 के अधीन स्त्रोत पर काटे गये कर की राशि ....
12. कर/ब्याज की भुगतान की गई राशि चालान कमांक दिनांक सहित ....
13. व्यापारी के खाते में उपलब्ध आगत कर के रिबेट की राशि यदि कोई केन्द्रीय विकय कर की कर निर्धारण अवधि के विरूद्ध अथवा इस अधिनियम अथवा केन्द्रीय विकय कर अधिनियम के अधीन देय अन्य राशि के विरूद्ध यदि समायोजित की गई है तो, ...
14. वर्ष के अंत में व्यापारी के खाते में शेष आगत कर का रिबेट जो आगामी अवधि में देयकर के विरूद्ध समायोजन हेतु अग्रेषित किया गया,—

धारा 13(1)(क) के अधीन	धारा 13(1)(ख) के अधीन	धारा 13(1)(ग) के अधीन	धारा 73 के अधीन
(1)	(2)	(3)	(4)
योग—			

15. भुगतान हेतु अतिशेष कुल कर तथा शास्ति की राशि..........................
16. अधिक जमा की गई कर/ब्याज की राशि ....

17. वापसी योग्य आगत कर का रिबेट् ....

आदेश का ब्यौरा

सील

हस्ताक्षर ....

दिनांक

पदनाम ....

प्ररूप--31

(नियम 34(1) देखिये)

कर विधि व्यवसायी के रूप में नामांकन के लिए आवेदन

प्रति,

वाणिज्यिक कर आयुक्त,
छत्तीसगढ़,रायपुर

मैं .... (पूरा नाम) .... (पिता का पूरा नाम) .... एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 34 के उपनियम (1) के अधीन कर विधि व्यवसायी के रूप में मेरा नाम नामांकन किया जाने हेतु आवेदन करता हूं.

2. मैं घोषणा करता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित अर्हता रखता हूं जिसके लिये मैं .... (यहां धारा 24, की उपधारा (2) के खण्ड (ख)/*(ग) में उल्लेखित अर्हताओं में से किसी एक का उल्लेख कीजिए) की एक प्रमाणित संलग्न कर रहा हूं.

हस्ताक्षर ....

स्थान ....

स्थायी पता ....

वर्तमान पता (यदि स्थायी पते से भिन्न हो) ....

*जो लागू न हो काट दीजिये।

प्ररूप 32

(नियम 34(3) देखिये)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24(3) के अधीन नामांकित कर विधि व्यवसायियों का रजिस्टर

अनुक्रमांक	नामांकन के लिए आवेदन की तारीख	आवेदक का नाम तथा उसके पिता का नाम	नामांकन की तारीख	नामांकन क्रमांक	कर विधि व्यवसायी का वर्तमान पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अर्हता	वाणिज्यिक कर आयुक्त के हस्ताक्षर	नाम हटाने की तारीख	हटाने का कारण	टिप्पणियां
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

प्ररूप—33
(नियम 34(3) देखिये)
नामांकन प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... (पूरा नाम) (आत्मज) .... (पूरा नाम) .... स्थायी पता .... को नामांकन कमांक .... द्वारा कर विधि व्यवसायी के रूप में तारीख .... से नामांकित किया गया है.

(मुद्रा)
स्थान .... हस्ताक्षर ....
तारीख .... वाणिज्यिक कर आयुक्त,छत्तीसगढ़

मूल प्रति

प्ररूप—34
(नियम 36(2) देखिये)
कोषालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी को भेजी जाएगी

चालान
छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005
(0.40 मूल्य संवर्धित कर राज्य मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, के अधीन मूल्य संवर्धित कर)

.... शासकीय कोषालय/उप—कोषालय/.................................. बैंक की शाखा में जमा किये गये कर/शास्ति/रजिस्ट्रीकरण फीस/ब्याज/प्रशमन धन का चालान—

किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया	उस व्यापारी का नाम तथा पता जिसकी ओर से धन जमा किया गया और उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र कमांक अनुज्ञप्ति कमांक और मामला कमांक, यदि कोई हो	किस मद्दे भुगतान किया गया	रकम (अंकों में भरी जाए)

(1)	(2)	(3)	(4)
		(क)..................... से ....तक की कालावधि के लिए विवरणी के अनुसार कर	रू. पैं.
		(ख) वर्ष .... के लिए कर निर्धारण के पश्चात् मांगा गया कर	
		(ग) क्रय कर	
		(घ) प्रशमन धन	
		(ड.) शास्ति	
		(च) ब्याज	
		(छ) विविध	

कुल .... (अंकों में) ....शब्दों में रू. ....
.. तारीख .... 20 ....

व्यापारी या जमा करने वाले के हस्ताक्षर

(कोषालय या बैंक के उपयोग के लिए)

रूपये .... (अंकों में) ....शब्दों में रू. ....
....का भुगतान प्राप्त हुआ.
दर्ज करने की तारीख ....

खजांची लेखापाल कोषालय अधिकारी/एजेण्ट या प्रबंधक

<u>द्वितीय प्रति</u>

प्ररूप—34
(नियम 36(2) देखिये)
कोषालय में रखा जायेगा

चालान
छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005
(0.40 मूल्य संवर्धित कर, राज्य मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, के अधीन मूल्य संवर्धित कर)

.... शासकीय कोषालय/उप–कोषालय/ .... बैंक की शाखा में जमा किये गये कर/शास्ति/रजिस्ट्रीकरण फीस/ब्याज/प्रशमन धन का चालान–

किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया	उस व्यापारी का नाम तथा पता जिसकी ओर से धन जमा किया गया और उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र कमांक अनुज्ञप्ति कमांक और मामला कमांक, यदि कोई हो	किस मद्दे भुगतान किया गया	रकम (अंकों में भरी जाए)
(1)	(2)	(3)	(4)
		(क)...................... से ....तक की कालावधि के लिए विवरणी के अनुसार कर	रू. पैं.
		(ख) वर्ष .... के लिए कर निर्धारण के पश्चात् मांगा गया कर	
		(ग) कय कर	
		(घ) प्रशमन धन	
		(ड.) शास्ति	
		(च) ब्याज	
		(छ) विविध	

कुल .... (अंकों में) ....शब्दों में रू. ....
तारीख .... 20.................................

व्यापारी या जमा करने वाले के हस्ताक्षर

(कोषालय या बैंक के उपयोग के लिए)

रूपये .... (अंकों में) ....शब्दों में रू. ....
....का भुगतान प्राप्त हुआ.

दर्ज करने की तारीख ....

खजांची लेखापाल कोषालय अधिकारी/एजेण्ट या प्रबंधक

<u>तृतीय प्रति</u>

प्ररूप—34

(नियम 36(2) देखिये)

वाणिज्यिक कर अधिकारी को भेजी जाने के लिए भुगतान कर्ता को दी जाएगी

चालान

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005

(0.40 मूल्स संवर्धित कर राज्य मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, के अधीन मूल्य संवर्धित कर)

.... शासकीय कोषालय/उप—कोषालय/ ....
बैंक की शाखा में जमा किये गये कर/शास्ति/रजिस्ट्रीकरण फीस/ब्याज/प्रशमन धन का चालान—

किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया	उस व्यापारी का नाम तथा पता जिसकी ओर से धन जमा किया गया और उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र कमांक अनुज्ञप्ति कमांक और मामला कमांक, यदि कोई हो	किस मद्दे भुगतान किया गया	रकम (अंकों में भरी जाए)
(1)	(2)	(3)	(4)
		(क)...................... से ....तक की कालावधि के लिए विवरणी के अनुसार कर	रू. पैं.
		(ख) वर्ष .... के लिए कर निर्धारण के पश्चात् मांगा गया कर	
		(ग) कय कर	
		(घ) प्रशमन धन	
		(ड.) शास्ति	
		(च) ब्याज	
		(छ) विविध	

कुल .... (अंकों में) ....शब्दों में रू. ....
तारीख .... 20..................................

व्यापारी या जमा करने वाले के हस्ताक्षर

(कोषालय या बैंक के उपयोग के लिए)

रूपये .... (अंकों में) ....शब्दों में रू. ....
....का भुगतान प्राप्त हुआ.

दर्ज करने की तारीख ....

खजांची लेखापाल कोषालय अधिकारी/एजेण्ट या प्रवंधक

चतुर्थ प्रति

प्ररूप–34

(नियम 36(2) देखिये)

भुगतानकर्ता को उसके स्वयं के उपयोग हेतु दीं जाएगी

चालान

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005

(0.40 मूल्स संवर्धित कर राज्य मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, के अधीन मूल्य संवर्धित कर)

.... शासकीय कोषालय/उप–कोषालय/.......................................
बैंक की शाखा में जमा किये गये कर/शास्ति/रजिस्ट्रीकरण फीस/ब्याज/प्रशमन धन का चालान–

किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया	उस व्यापारी का नाम तथा पता जिसकी ओर से धन जमा किया गया और उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र कमांक अनुज्ञप्ति कमांक और मामला कमांक, यदि कोई हो	किस मद्दे भुगतान किया गया	रकम (अंकों में भरी जाए)
(1)	(2)	(3)	(4)
		(क)...................... से ....तक की कालावधि के लिए विवरणी के अनुसार कर	रू. पैं.
		(ख) वर्ष .... के लिए कर निर्धारण के पश्चात् मांगा गया कर	
		(ग) कय कर	
		(घ) प्रशमन धन	

		(ङ) शास्ति	
		(च) ब्याज	
		(छ) विविध	

कुल .... (अंकों में) ....शब्दों में रू. ....

तारीख .... 20...................................

व्यापारी या जमा करने वाले के हस्ताक्षर

(कोषालय या बैंक के उपयोग के लिए)

रूपये .... (अंकों में) ....शब्दों में रू. ....

....का भुगतान प्राप्त हुआ.

दर्ज करने की तारीख ....

खजांची लेखापाल कोषालय अधिकारी/एजेण्ट या प्रबंधक

पंचम प्रति

प्ररूप–34

(नियम 36(2) देखिये)

कोषालय अधिकारी द्वारा महालेखाकार को भेजी जाएगी

चालान

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005

(0.40 मूल्स संवर्धित कर राज्य मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अधीन मूल्य संवर्धित कर)

.... शासकीय कोषालय/उप–कोषालय/.................................
बैंक की शाखा में जमा किये गये कर/शास्ति/रजिस्ट्रीकरण फीस/ब्याज/प्रशमन धन का चालान–

किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया	उस व्यापारी का नाम तथा पता जिसकी ओर से धन जमा किया गया और उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र कमांक अनुज्ञप्ति कमांक और मामला कमांक, यदि कोई हो	किस मद्दे भुगतान किया गया	रकम (अंकों में भरी जाए)
(1)	(2)	(3)	(4)
		(क) ...... से .... तक की कालावधि के लिए विवरणी के	रू. पैं.

		अनुसार कर	
		(ख) वर्ष .... के लिए कर निर्धारण के पश्चात् मांगा गया कर	
		(ग) कय कर	
		(घ) प्रशमन धन	
		(ड.) शास्ति	
		(च) ब्याज	
		(छ) विविध	

कुल .... (अंकों में) ....शब्दों में रू. ....
तारीख .... 20................................

व्यापारी या जमा करने वाले के हस्ताक्षर

(कोषालय या बैंक के उपयोग के लिए)

रूपये .... (अंकों में) ....शब्दों में रू. ....
....का भुगतान प्राप्त हुआ.
दर्ज करने की तारीख ....

खजांची लेखापाल कोषालय अधिकारी/एजेण्ट या प्रबंधक

मूल प्रति

प्ररूप–35
(नियम 36(2) देखिये)
कोषालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी को भेजी जाएगी

चालान
छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005
(0.40 मूल्य संवर्धित कर, राज्य मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, के अधीन मूल्य संवर्धित कर)

.... शासकीय कोषालय/उप–कोषालय/, ...
बैंक की शाखा में जमा किये गये कर धन का चालान–

किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया	उस व्यापारी का नाम तथा पता जिससे कर धन काटा गया है और जिसकी ओर से धन जमा किया गया और उसका रजिस्ट्रीकरण कमांक, अनुज्ञप्ति कमांक और मामला कमांक, यदि कोई हो	रकम (अंकों में भरी जाए)

(1)	(2)	(3)

रूपये से कम (शब्दों में) ....

कुल .... (अंकों में) ....शब्दों में रू. ....

तारीख .... 20 ....

व्यापारी या जमा करने वाले के हस्ताक्षर

(कोषालय या बैंक के उपयोग के लिए)

रूपये .... (अंकों में) ....शब्दों में रू. ....

..........का भुगतान प्राप्त हुआ.

दर्ज करने की तारीख ....

खजांची लेखापाल कोषालय अधिकारी/एजेण्ट या प्रबंधक

<u>द्वितीय प्रति</u>

प्ररूप–35

(नियम 36(2) देखिये)

कोषालय में रखा जायेगा

चालान

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005

(0.40 मूल्य संवर्धित कर, राज्य मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, के अधीन मूल्य संवर्धित कर)

.... शासकीय कोषालय/उप–कोषालय/..........

बैंक की शाखा में जमा किये गये कर धन का चालान–

किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया	उस व्यापारी का नाम तथा पता जिससे कर धन काटा गया है और जिसकी ओर से धन जमा किया गया और उसका रजिस्ट्रीकरण कमांक, अनुज्ञप्ति कमांक और मामला कमांक, यदि कोई हो	रकम (अंकों में भरी जाए)
(1)	(2)	(3)

रूपये से कम (शब्दों में) ....

कुल .... (अंकों में) ....शब्दों में रू. ....
तारीख .... 20 ....

व्यापारी या जमा करने वाले के हस्ताक्षर

(कोषालय या बैंक के उपयोग के लिए)

रूपये .... (अंकों में) ....शब्दों में रू. ....
....का भुगतान प्राप्त हुआ.

दर्ज करने की तारीख ....

खजांची लेखापाल कोषालय अधिकारी/एजेण्ट या प्रबंधक

<u>तृतीय प्रति</u>

प्ररूप–35

(नियम 36(2) देखिये)

वाणिज्यिक कर अधिकारी को भेजी जाने के लिए भुगतानकर्ता को दी जाएगी

चालान

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005

(0.40 मूल्य संवर्धित कर, राज्य मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, के अधीन मूल्य संवर्धित कर)

.... शासकीय कोषालय/उप–कोषालय/ ....
बैंक की शाखा में जमा किये गये कर धन का चालान–

किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया	उस व्यापारी का नाम तथा पता जिससे कर धन काटा गया है और जिसकी ओर से धन जमा किया गया और उसका रजिस्ट्रीकरण कमांक, अनुज्ञप्ति कमांक और मामला कमांक, यदि कोई हो	रकम (अंकों में भरी जाए)

(1)	(2)	(3)

रूपये से कम (शब्दों में) ....

कुल .... (अंकों में) ....शब्दों में रू. ....

तारीख .... 20 ....

व्यापारी या जमा करने वाले के हस्ताक्षर

(कोषालय या बैंक के उपयोग के लिए)

रूपये .... (अंकों में) ....शब्दों में रू. ....
....का भुगतान प्राप्त हुआ.

दर्ज करने की तारीख ....

खजांची लेखापाल कोषालय अधिकारी/एजेण्ट या प्रबंधक

<u>चतुर्थ प्रति</u>

प्ररूप–35

(नियम 36(2) देखिये)

भुगतानकार्ता को उसके स्वयं के उपयोग हेतु दी जाएगी

चालान

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005

(0.40 मूल्य संवर्धित कर, राज्य मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, के अधीन मूल्य संवर्धित कर)

.... शासकीय कोषालय/उप–कोषालय/ ....
बैंक की शाखा में जमा किये गये कर धन का चालान–

किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया	उस व्यापारी का नाम तथा पता जिससे कर धन काटा गया है और जिसकी ओर से धन जमा किया गया और उसका	रकम (अंकों में भरी जाए)

	रजिस्ट्रीकरण क्रमांक, अनुज्ञप्ति क्रमांक और मामला क्रमांक, यदि कोई हो	
(1)	(2)	(3)

रूपये से कम (शब्दों में) ....

कुल .... (अंकों में) ....शब्दों में रू. ....

तारीख .... 20..........

व्यापारी या जमा करने वाले के हस्ताक्षर

(कोषालय या बैंक के उपयोग के लिए)

रूपये .... (अंकों में) ....शब्दों में रू. ....
..........का भुगतान प्राप्त हुआ.

दर्ज करने की तारीख ....

खजांची लेखापाल कोषालय अधिकारी/एजेण्ट या प्रबंधक

<u>पंचम प्रति</u>

प्ररूप–35

(नियम 36(2) देखिये)

कोषालय अधिकारी द्वारा महालेखाकार को भेजी जाएगी

चालान

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005

(0.40 मूल्य संवर्धित कर, राज्य मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, के अधीन मूल्य संवर्धित कर)

..........शासकीय कोषालय/उप–कोषालय/..........
बैंक की शाखा में जमा किये गये कर धन का चालान–

किसके द्वारा	उस व्यापारी का नाम तथा पता जिससे	रकम (अंकों में भरी

प्रस्तुत किया गया	कर धन काटा गया है और जिसकी ओर से धन जमा किया गया और उसका रजिस्ट्रीकरण कमांक, अनुज्ञप्ति कमांक और मामला कमांक, यदि कोई हो	जाए),
(1)	(2)	(3)

रूपये से कम (शब्दों में) ....

कुल .... (अंकों में) ....शब्दों में रू. ....

तारीख .... 20 ....

व्यापारी या जमा करने वाले के हस्ताक्षर

(कोषालय या बैंक के उपयोग के लिए)

रूपये .... (अंकों में) ....शब्दों में रू. ....
....का भुगतान प्राप्त हुआ.

दर्ज करने की तारीख ....

खजांची लेखापाल कोषालय अधिकारी / एजेण्ट या प्रबंधक

प्ररूप–36

(देखिये नियम 39(1)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन कर, सूचना, शास्ति या अन्य देय राशि के भुगतान की मांग की सूचना

प्रति,

श्री (व्यापारी या व्यक्ति का नाम, जैसे भी स्थिति हो) ....

पता ....

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र कमांक ....

सूचित किया जाता है कि,–

(एक) *आप पर छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन .... रूपये (अंकों में) .... रूपये (शब्दों में) का कर तारीख .... से तारीख .... तक की कालावधि के लिए अंतिम रूप से निर्धारित किया गया है जो आपके द्वारा देय है.

(दो) *आप पर .... रूपये की शास्ति धारा/नियम .... के अधीन अधिरोपित की गई है.

(तीन) *धारा .... के अधीन आपके द्वारा धारा .... के अधीन देय ब्याज .... रूपये अवधारित किया गया है.

2. इस *कर/*शास्ति/*ब्याज में आपके द्वारा पहले ही कर/शास्ति/ब्याज के रूप में भुगतान कर दिये गये .... रूपये सम्मिलित हैं और अब शेष रूपये .... अतिशेष शोध्य है.

योग ....

3. आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप .... रूपये (शब्दों में) .... रूपये शासकीय कोषालय में तारीख .... को या .... के पूर्व भुगतान कर दें और भुगतान के प्रमाण में निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अधिक से अधिक तारीख .... तक कोषालय रसीद चालान प्रस्तुत करें ऐसा न करने पर .... रूपये केवल (शब्दों में) .... रूपये की उक्त रकम आपसे भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जाएगी.

4. कर निर्धारण आदेश/शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की एक प्रति संलग्न है.

मुद्रा हस्ताक्षर ....

तारीख .... पदनाम ....

*जो लागू न हो उसे काट दीजिये।

प्ररूप–37

(देखिये नियम 41)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 25 की उपधारा (12) के अधीन सूचना

प्रति,

श्री ....(व्यापारी या व्यक्ति)

....(पता)

.... से .... तक की कालावधि के लिए आप पर किये गये कर निर्धारण के संदर्भ में, आपके द्वारा देय रकम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा *48, *49 तथा *56 के अधीन ....

(यहां उस प्राधिकारी का पदनाम दीजिए, जिसने व्यापारी द्वारा देय कर रकम *बढ़ाने/*कम करने वाला/*बातिल करने वाला आदेश पारित किया है) द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक .... के फलस्वरूप *वर्धित/*कम की गई/*बातिल की गई है आपसे अब शेष रकम रूपये .... शोध्य है.

मुद्रा

तारीख .... कर निर्धारण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्रतिलिपिः—

वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा अतिरिक्त तहसीलदार .... को जिसे कि इस मामले में राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र भेजा गया था, राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र में आवश्यक संशोधन करने हेतु, अग्रेषित।

....
कर निर्धारण अधिकारी के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दीजिये।

प्ररूप–38

(देखिये नियम 43(1))

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन सूचना

प्रति,

(नाम) ....
(पता) ....
(रजिस्ट्रीकरण कमांक) ....

चूंकि आपने, रजिस्ट्रीकृत व्यापारी होते हुए, ... से .... तक की अवधियों के लिए धारा 19 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित किये गये अनुसार विवरणी/विवरणियां प्रस्तुत नहीं की है और धारा 25 की उपधारा (2) के अनुसार कर का भुगतान नहीं किया है और इस प्रकार धारा 21 के अधीन किये जाने वाले कर निर्धारण के पूर्व उक्त कालावधि/कालावधियों के लिए कर धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन देय हो गया है,

और चूंकि धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम में देय कर, उक्त धारा की उपधारा (2) के खण्ड *(ए)/*(बी)/*(सी) के अनुसार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के द्वारा रूपये .... (शब्दों में) रूपये .... संगणित किया गया है।

अतएव, अब आपको एतद्द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि आप धारा 21 के अधीन होने वाले कर निर्धारण के पूर्व अग्रिम में देयकर रूपये .... (शब्दों में) रूपये .... शासकीय कोषालय .... में इस सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर भुगतान कर दें और उसके पश्चात् भुगतान के प्रमाण में रसीद निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष तीन दिन के भीतर पेश करें। ऐसा करने में असफल

रहने पर .... रूपये केवल (शब्दों में) .... रूपये की उक्त रकम आपसे भू–राजस्व की वकाया की भांति वसूल की जावेगी।

2. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप अब उपरोक्त कालावधि/कालावधियों के लिए विवरणी/विवरणियां प्रस्तुत करते हुए और ऐसी विवरणी/विवरणियों के अनुसार ऐसी कालावधि/कालावधियों के लिए कर का भुगतान शासकीय कोषालय .... में इस सूचना के पैरा 1 में उल्लेखित समयावधि में कर दें और भुगतान के प्रमाण में रसीद निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पैराग्राफ–1 में वर्णित समय के पूर्व पेश कर दें या यदि आप इस सूचना के मिलने के सात दिन के भीतर निम्न हस्ताक्षरकर्ता का समाधान कर दें कि उपरोक्त कालावधि के लिए विवरणी नियत तारीख तक जब तक कि वह देय थी, पूर्व में ही आपके द्वारा भेज दी गई है तो यह सूचना रद्द मानी जावेगी।

मुद्रा

तारीख .... हस्ताक्षर ....
पदनाम ....

*जो लागू न हो उसे काट दीजिये।

प्ररूप–39

(देखिये नियम 44(2)(क))

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन काटी गई रकम के संबंध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित माल .... रूपये में जिसमें मूल्य संवर्धित कर के .... रूपये सम्मिलित है, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र कमांक .... के धारक व्यापारी श्री .... से *बिल/*केश मेमो/चालान कमांक ... . तारीख .... के अनुसार कय आदेश कमांक .... तारीख .... के अधीन *केन्द्रीय/*राज्य सरकार की ओर से कय किया गया है और उक्त व्यापारी को मूल्य संवर्धित कर के रूप में देय रकम के बराबर .... रूपये की रकम उसके (व्यापारी) बिल से काट ली गई है और उक्त रकम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 44(1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर शासकीय कोषालय में चालन (प्रारूप 33) कमांक .... दिनांक .... के द्वारा जमा करदी गई है।

मुद्रा

स्थान ....
केन्द्रीय/राज्य सरकार की ओर से

तारीख .... क्रय करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दीजिये।

प्ररूप—40

(देखिये नियम 44(2)(ख)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन काटी गई रकम के संबंध में प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उपधारा (2) के उपबंधों द्वारा यथा अपेक्षित किये गये अनुसार रूपये .... की राशि, ठेकेदार श्री .... (पता) .... रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक .... के धारक के .... से .... तक की कालावधि में उनके द्वारा .... (स्थान) पर संकर्म संविदा के अनुक्रम में निष्पादित कार्य के लिये उनको किये गये भुगतान की राशि में से स्त्रोत पर काट ली गई है और उक्त रकम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 44(1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर शासकीय कोषालय में चालान (फार्म 33) क्रमांक .... दिनांक .... के द्वारा जमा कर दी गई है।

मुद्रा

....

केन्द्रीय/राज्य शासन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्थानीय निकाय/कानूनी निकाय /पब्लिक लिमिटेड कम्पनी की ओर से क्रय करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख ....

प्ररूप—41

(देखिये नियम 44(4)(क))

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 28 के अधीन प्रमाण—पत्र प्रदत्त करने के लिये आवेदन

प्रति,

वाणिज्यिक कर अधिकारी,

.... वृत्त

मैं .... (नाम) .... (व्यवसाय का नाम) का, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 के अधीन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का धारक, कथित अधिनियम की धारा 28 के अधीन .... केन्द्र शासन/राज्य शासन के लिये क्रय करने हेतु अधिकृत व्यक्ति, पदनाम अथवा

ठेका प्रदाय करने वाले व्यक्ति का नाम और पता) का प्रमाण पत्र जारी करने के लिये निवेदन करता हूं।

(1) माल का विवरण ....

(2) दिनांक/अवधि जिसमें प्रदाय किया गया ....

(3) कय आदेश/ठेका का कमांक एवं दिनांक ....

(4) कय आदेश/ठेके का मूल्य ....

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

....

(आवेदक के हस्ताक्षर
नाम तथा हैसियत सहित)

प्ररूप–42
(देखिये नियम 44(4)(ख)
प्रमाण–पत्र

प्रति,

....

....

मैं, एतद्द्वारा, ... (व्यवसायी/ठेकेदार का नाम तथा पता) जो कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकरण कमांक .... के धारक है (यदि कोई हो तो) का कय आदेश/ठेका कमांक .... दिनाक .... के मद रू0....................... की राशि का, इसके विरूद्ध देयकर की राशि की कटौती किये बिना/.............. दर से कटौती के पश्चात् भुगतान करने के लिये निर्देशित करता हूं।

मुद्रा हस्ताक्षर.............................

स्थान .... उपायुक्त वाणिज्यिक कर............

तारीख .... संभाग

प्ररूप–43
(नियम 44(5)देखिये)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 27 के अधीन स्त्रोत पर काटे गये कर की राशि की विशिष्टियां दर्शाने वाला त्रैमासिक पत्रक

1. *केन्द्र/*राज्य शासन के विभाग/*सार्वजनिक उपकम/*नगर पालिका/*नगर निगम/*विधि के अधीन गठित प्राधिकरण/*पब्लिक लिमिटेड कंपनी का नाम, कार्यालय का स्थान एवं पता

2. अवधि .... से .... तक

भाग–अ

रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से क्रय किये गये माल का विवरण

अनुक्रमांक	तिमाही के दौरान जिस पंजीकृत व्यापारी से माल क्रय किया गया है उसका नाम तथा रजिस्ट्रेशन क्रमांक	क्रय किये माल का विवरण	व्यापारी द्वारा जारी किये बिल का क्रमांक एवं दिनांक	बिल के अनुसार देय मूल्य राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 8(1)/8(2) के अधीन देयकर	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 27(1) के अधीन स्त्रोत पर काटे गये कर की राशि	कॉलम (7) में दर्शित कर की राशि के भुगतान का दिनांक चालान क्रमांक सहित	विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को प्ररूप 39 में प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक
(6)	(7)	(8)	(9)

भाग–ब

ठेकेदार द्वारा संकर्म संविदा के निष्पादन के दौरान प्रदाय किये गये माल का विवरण

अनुक्रमांक	ठेकेदार का नाम, रजिस्ट्रेशन क्रमांक सहित	संविदा का स्वरूप	संविदा के निष्पादन के दौरान प्रदाय किये गये माल का विवरण	अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा दिये गये चालू बिलों का क्रमांक तथा दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

चालू बिल की राशि	स्त्रोत पर काटे गये कर की राशि	कालम (7) में दर्शित राशि के जमा करने का चालान क्रमांक तथा दिनांक	ठेकेदार को प्ररूप 40 में प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक
(6)	(7)	(8)	(9)

स्थान .... हस्ताक्षर............................

तारीख .... अधिकृत अधिकारी का पद तथा नाम

*जो लागू न हो, उसे काट देवें।

प्ररूप–44

(नियम 45 देखिये)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 29(1) के अधीन सूचना

प्रति,

नाम ....

पता ....

चूंकि .... (व्यापारी का नाम और पता तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र क्रमांक, यदि कोई हो) से .... के मद्दे .... रूपये की रकम शोध्य है, मैं .... एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 29(1), के अधीन आपसे अपेक्षित करता हूं कि आप ऊपर बताई गई बकाया रकम तक उक्त .... को जितनी रकम आपसे शोध्य हो या उनके लिये या उनके मद्दे आपके द्वारा घृत हो, उसे आप .... स्थित शासकीय कोषालय में तारीख .... तक या उसके पूर्व जमा कर दें और इस प्रकार भुगतान करने के प्रमाण में रसीद मुझे अधिक से अधिक तारीख .... तक पेश करे और आपसे यह भी अपेक्षित करता हूं कि आप भुगतान न की गई बकाया रकम तक जितनी भी रकम आपसे बाद में *उसको/*उनको शोध्य हो या आप बाद में *उसके/*उनके लिये या उनके मद्दे धारण करें, उसे ऊपर कहे अनुसार रकम प्राप्त हो जाने या धारण किये जाने की तारीख से .... दिन के भीतर जमा करें, बकाया रकम .... को पूरा करने के लिए आवश्यक है। कृपया यह ध्यान रखें कि इस सूचना के पालन में आपके द्वारा किये गया कोई भी भुगतान विधि के अनुसार उपरोक्त नाम के व्यापारी के प्राधिकार के अधीन किया गया माना जायेगा और धन की रसीद को उसमें दर्शित रकम की मात्रा तक उस व्यक्ति के प्रति आपके दायित्व का पर्याप्त उन्मोचन समझा जायेगा।

कृपया यह भी ध्यान रखें कि यदि आप इस सूचना की प्राप्ति के पश्चात्, उपरोक्त नाम के व्यापारी को किसी भी दायित्व का भुगतान करते हैं तो आप स्वयं किये गये दायित्व के भुगतान की मात्रा तक या कर और शास्ति के लिये उपरोक्त नाम के व्यापारी के दायित्व की मात्रा तक, जो भी कम हो, राज्य सरकार के प्रति दायित्वाधीन होंगे।

कृपया यह और भी ध्यान रखे कि यदि आप इस सूचना के अनुसरण में भुगतान नहीं करेंगे तो आपसे उक्त रकम की वसूली भू–राजस्व की भांति करने के लिये आगे कार्यवाहियां की जाएगी।

इस सूचना की एक प्रति .... (व्यापारी) को भेजी जा रही है।

मुद्रा

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

*जो लागू न हो काट दीजिये।

प्ररूप–45

(नियम 46(1)देखिये)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 37(3) के अधीन किसी रकम के संपहरण के लिए सूचना

.... (व्यक्ति का नाम)
.... (पता)
.... (रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक यदि कोई हो)

चूंकि, मुझे विश्वास करने का कारण है कि आपने .... से .... तक की कालावधि के दौरान छत्तीसगढ़ मूल्य संविर्धत कर अधिनियम, 2005 की धारा 37 की उपधारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन में कर के रूप में रूपये .... की राशि संग्रहित की है।

अतएव, आपको एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है, कि आप व्यक्तिशः अथवा आपके द्वारा उक्त अधिनियम, की धारा 24 के अधीन लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति के जरिए .... स्थान में .... समय .... तारीख को उपस्थित हों और कारण बताएं कि रूपये .... की राशि या ऐसी अन्य राशि का, जो उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के उल्लंघन में आपके द्वारा संग्रहित की गई है, जो अंतिम रूप से अवधारित की जाय, समपहरण उस धारा की उपधारा (3) के अधीन क्यों न कर लिया जायें।

मुद्रा

स्थान .... हस्ताक्षर ....
तारीख .... पदनाम ....

प्ररूप–46

(नियम 46(3)देखिये)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 37 के अधीन, समपहृत अनाधिकृत रूप से संग्रहीत, राशि की वापसी हेतु आवेदन

प्रति,

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
.... वृत्त

मैं .... (व्यक्ति का नाम) .... (पता) एतद्द्वारा मुझसे .... (व्यापारी का नाम) .... (पता) द्वारा अनाधिकृत रूप से संग्रहीत और छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 37 की उपधारा (3) के अधीन आपके द्वारा समपहृत .... रूपये की राशि की वापसी हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हूं।

रूपये .... की राशि जिसकी वापसी का मैंने दावा किया हैं, मुझसे उस माल के संबंध में .... (माल का वर्णन) जो मेरे द्वारा उक्त विक्रेता से क्रय किया गया था, कर के रूप में संग्रहीत की गई थी और मेरे दावे के समर्थन में, मैं एतद्द्वारा उपरोक्त माल के क्रय के संबंध में उक्त विक्रेता द्वारा रूपये .... के जारी किए गए बिल/केश मेमो क्रमांक .... तारीख .... की प्रति संलग्न करता हूं।

स्थान ....

तारीख .... हस्ताक्षर

नाम व पता ....

प्ररूप–47
(नियम 47(1)देखिये)

फार्म 47 (नियम 47(1) देखिये) **प्रतिपर्ण वापसी भुगतान आदेश**	फार्म 47 (नियम 47(1) देखिये) **वापसी भुगतान आदेश**	फार्म 47 (नियम 47(1) देखिये) **वापसी भुगतान आदेश**
रूपये ....से (शब्दों में) .... से कम	रूपये.................से (शब्दों में) .... से कम	रूपये.................से (शब्दों में) .... से कम
पुस्तक क्रमांक	पुस्तक क्रमांक	पुस्तक क्रमांक ....
वापसी व्हाउचर क्रमांक	वापसी व्हाउचर क्रमांक	वापसी व्हाउचर क्रमांक .....
	(केवल कोषालय/उपकोषालय के उपयोग के लिये)	
रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	प्रति,	प्रति,
कर निर्धारण प्रकरण क्रमांक	कोषालय/उपकोषालय अधिकारी	कोषालय/उपकोषालय अधिकारी
(यदि वापसी कर निर्धारण आदेश के कारण सृजित हो रही हो)	1. वापसी रूपये .... शब्दों में रूपये .... श्री/मेसर्स..........................	1. वापसी रूपये .... शब्दों में रूपये .... श्री/मेसर्स ....
आदेश पारित दिनांक	रजिस्ट्रीकरण क्रमांक के पक्ष में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 39 के अंतर्गत .... मद में स्वीकृत की गई।	रजिस्ट्रीकरण क्रमांक के पक्ष में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 39 के अंतर्गत .... मद में स्वीकृत की गई।
राशि रूपये		
दिनांक		
व्हाऊचर प्राप्तिकर्ता के हस्ताक्षर		
शासकीय कोषालय में भुगतान की तिथि	2. श्री/मेसर्स...................... को उपर्युक्त दर्शित वापसी का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है।	2. श्री/मेसर्स...................... को उपर्युक्त दर्शित वापसी का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है।
	3. कथित व्यापारी से संबंधित अभिलेख में वापसी भुगतान आदेश की प्रविष्टि	3. कथित व्यापारी से संबंधित अभिलेख में वापसी भुगतान आदेश की प्रविष्टि

मेरे हस्ताक्षर से की जा चुकी है।	मेरे हस्ताक्षर से की जा चुकी है।
4. कृपया श्री/मे0 .... को रूपये .... (अंकों में) ....(शब्दों में) .... का भुगतान कीजिये तथा शीर्ष .... में नामे लिखिये।	4. कृपया श्री/मे0 .... को रूपये .... (अंकों में) ....(शब्दों में) .... का भुगतान कीजिये तथा शीर्ष .... में नामे लिखिये।
दिनांक.......... हस्ताक्षर ...... पदनाम...........	दिनांक.......... हस्ताक्षर .... पदनाम..........
भुगतान करें .... मात्र	भुगतान करें .... मात्र
कोषालय/उपकोषालय अधिकारी	कोषालय/उपकोषालय अधिकारी
स्थान	स्थान ....
दिनांक	दिनांक ....
भुगतान रूपये .... प्राप्त हुआ।	भुगतान रूपये .... प्राप्त हुआ।
दावेदार के हस्ताक्षर	दावेदार के हस्ताक्षर

मूल प्रति

प्ररूप—48

(नियम 48(1) देखिये)

वापसी समायोजन आदेश

रूपये .... से कम (शब्दों में) .... पुस्तक कमांक .... व्हाउचर कमांक ....

प्रति,

कोषालय/उपकोषालय अधिकारी,

1. श्री/मेसर्स .... जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र कमांक .... है को ....रूपये .... की वापसी छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 39 के अधीन .... मद्दे स्वीकृत की गई है।

2. उपरोक्त वर्णित राशि की वापसी का भुगतान श्री/मेसर्स .... को नहीं किया गया है।

3. इस आदेश का मेरे हस्ताक्षर से कथित व्यापारी के संदर्भित अभिलेख में प्रविष्टि कर दी गई है।

4. यह वापसी रूपये .... तारीख .... से .... तक की कालावधि के लिए इस व्यापारी से शोध्य .... के लेखे समायोजित की जाती है।

5. अतः कृपया रूपये .... (अंकों में) रूपये .... (शब्दों में) की राशि शीर्ष ....के नामे लिखिये और उस रकम को, शीर्ष .... में जमा कीजिये।

मुद्रा

हस्ताक्षर ....
पदनाम ....

तारीख ....

प्रतिलिपि .... को अग्रेषित

हस्ताक्षर ....
पदनाम ....

(कोषालय/उपकोषालय में उपयोग के लिये)

.... कोषालय/उपकोषालय द्वारा वापसी समायोजन आदेश जारी करने वाले अधिकारी को वापस किया जाएगा।

तारीख .... कर वापसी समायोजन

प्रति,

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर

आपके वापसी समायोजन आदेश कमांक .... तारीख .... के अनुसरण में मैंने .... को देय रूपये .... तारीख .... समायोजित कर दिए है।

कोषालय/उपकोषालय अधिकारी

द्वितीय प्रति

प्ररूप--48
(नियम 48(1)देखिये)
वापसी समायोजन आदेश

रूपये .... से कम (शब्दों में) .... पुस्तक कमांक .... व्हाउचर कमांक ....

प्रति,

कोषालय/उपकोषालय अधिकारी,

1. श्री/मेसर्स .... जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण--पत्र कमांक .... है को ....रूपये .... की वापसी छत्तीसगढ़ मूल्य

संविर्धत कर अधिनियम, 2005 की धारा 39 के अधीन .... मद्दे स्वीकृत की गई है।

2. उपरोक्त वर्णित राशि की वापसी का भुगतान श्री/मेसर्स .... को नहीं किया गया है।

3. इस आदेश का मेरे हस्ताक्षर से कथित व्यापारी के संदर्गित अभिलेख में प्रविष्टि कर दी गई है।

4. यह वापसी रूपये .... तारीख .... से .... तक की कालावधि के लिए इस व्यापारी से शोध्य .... के लेखे समायोजित की जाती हैं।

5. अतः कृपया रूपये .... (अंकों में) रूपये .... (शब्दों में) की राशि शीर्ष के नामे लिखिये और उस रकम को, शीर्ष .... में जमा कीजिये।

मुद्रा

हस्ताक्षर ....
पदनाम ....

तारीख ....
प्रतिलिपि .... को अग्रेषित

हस्ताक्षर ....
पदनाम ....

(कोषालय/उपकोषालय में उपयोग के लिये)

.... कोषालय/उपकोषालय द्वारा वापसी समायोजन आदेश जारी करने वाले अधिकारी को वापस किया जाएगा।

तारीख .... कर वापसी समायोजन

प्रति,

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर,

आपके वापसी समायोजन आदेश क्रमांक .... तारीख .... के अनुसरण में मैंने .... को देय रूपये .... तारीख .... समायोजित कर दिए है।

कोषालय/उपकोषालय अधिकारी

तृतीय प्रति

प्ररूप–48

(नियम 48(1)देखिये)

वापसी समायोजन आदेश

रूपये .... से कम (शब्दों में) .... पुस्तक क्रमांक .... व्हाउचर क्रमांक ....

प्रति,

कोषालय/उपकोषालय अधिकारी,

1. श्री/मेसर्स. .... जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र कमांक .... है को ....रूपये .... की वापसी छत्तीसगढ़ मूल्य संविर्धत कर अधिनियम, 2005 की धारा 39 के अधीन .... मद्दे स्वीकृत की गई है।

2. उपरोक्त वर्णित राशि की वापसी का भुगतान श्री/मेसर्स .... को नहीं किया गया है।

3. इस आदेश का मेरे हस्ताक्षर से कथित व्यापारी के संदर्भित अभिलेख में प्रविष्टि कर दी गई है।

4. यह वापसी रूपये .... तारीख .... से .... तक की कालावधि के लिए इस व्यापारी से शोध्य .... के लेखे समायोजित की जाती है।

5. अतः कृपया रूपये .... (अंकों में) रूपये .... (शब्दों में) की राशि शीर्ष के नामे लिखिये और उस रकम को, शीर्ष .... में जमा कीजिये।

मुद्रा

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

तारीख ....

प्रतिलिपि .... को अग्रेषित

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

(कोषालय/उपकोषालय में उपयोग के लिये)

.... कोषालय/उपकोषालय द्वारा वापसी समायोजन आदेश जारी करने वाले अधिकारी को वापस किया जाएगा।

तारीख ....कर वापसी समायोजन

प्रति,

वाणिज्यिक कर अधिकारी,

सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर

आपके ज्ञापन कमांक .... तारीख .... के अनुसरण में मैंने .... को देय रूपये .... तारीख .... समायोजित कर दिए है।

कोषालय/उपकोषालय अधिकारी

प्ररूप–49
(नियम 52(1)देखिये)

ब्याज के संदाय का आदेश	ब्याज के संदाय का आदेश	ब्याज के संदाय का आदेश
.... रूपये से कम (शब्दों में) पुस्तक कमांक .. ..व्हाउचर कमांक.............................. (विलंबित वापसी पर ब्याज) विलंबित वापसी पर ब्याज के भुगतान के लिए आदेश.	.... रूपये से कम (शब्दों में) पुस्तक कमांक ... .व्हाउचर कमांक ....विलंबित वापसी पर ब्याज। (केवल कोषालय में उपयोग के लिए) ब्याज के भुगतान के लिए आदेश जारी किए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर शासकीय कोषालय में देय.	...................., रूपये से कम (शब्दों में) पुस्तक कमांक .... व्हाउचर कमांक .... विलंबित वापसी पर ब्याज। ब्याज के भुगतान क लिए आदेश, ब्याज की देनगी के लिये आदेश जारी किए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर शासकीय कोपालय में देय.
(प्रतिपर्ण) व्यापारी का नाम	प्रति, कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी,	प्रति, कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी,
कर निर्धारण प्रकरण कमांक .... वापसी निर्देशित करने वाले आदेश के तामील की तारीख	1. श्री/मेसर्स .... जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र कमांक .... है, के कर निर्धारण अभिलेख के सन्दर्भ में .... से .... तक की कालावधि के लिए .... रूपये की रकम को वापस की जाना अपेक्षित है/थी.	1. श्री/मेसर्स .... जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र कमांक .... है, के कर निर्धारण अभिलेख के सन्दर्भ में .... से .... तक की कालावधि के लिए .... रूपये की रकम की वापस की जाना अपेक्षित है/थी.
वह तारीख जिसको वापसी भुगतान का आदेश या वापसी का समायोजन आदेश जारी किया गया देरी की कालावधि .... , जिसके लिए ब्याज देय है, विलंबित वापसी की रकम ....वापसी पर दिये जाने वाले ब्याज की रकम .... रूपये। .... हस्ताक्षर	2. उक्त वापसी के भुगतान में कालावधि .... की देरी हुई है, और यह कि व्यापारी छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 39(5) के अधीन व्यापारी विलंबित वापसी के लिए .... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से रूपये .... ब्याज का हकदार है.	2. उक्त वापसी के भुगतान में कालावधि .... की देरी हुई है और यह कि व्यापारी छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 39(5) के अधीन व्यापारी विलंबित वापसी के लिए .... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से रूपये ..... ब्याज का हकदार है.

.... पदाभिधान .... तारीख .... व्हाउचर	3. विलंबित वापसी पर ब्याज के रूप में .... रूपये की वापसी स्वीकृत की जाती है.	3. विलंबित वापसी पर ब्याज के रूप में .... रूपये की वापसी स्वीकृत की जाती है.
प्राप्तिकर्ता के हस्ताक्षर	4. ब्याज के भुगतान के लिए इसके पूर्व कोई भी आदेश नहीं दिया गया है और यह कि ब्याज के भुगतान के लिए आदेश की कर निर्धारण की मूल नस्ती में मेरे हस्ताक्षर से प्रविष्टि कर दी गई है.	4. ब्याज के भुगतान के लिए इसके पूर्व कोई भी आदेश नहीं दिया गया है और यह ब्याज के भुगतान के लिए आदेश कर निर्धारण की मूल नस्ती में मेरे हस्ताक्षर से अधीन प्रविष्टि कर दी गई है.
शासकीय कोषालय में नवीनीकरण की तारीख	5. कृपया .... को रूपये (अंकों में) .... (शब्दों में) .... की राशि का भुगतान कीजिए और शीर्ष .... के नाम लिखिये	5. कृपया .... को रूपये (अंकों में) .... (शब्दों में) .... की राशि का भुगतान कीजिए और शीर्ष ....के नाम लिखिये ....
	तारीख .... हस्ताक्षर .... स्थान .... तारीख .... केवल .... रूपये केवल का भुगतान कीजिए कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी भुगतान प्राप्त हुआ. दावेदार के हस्ताक्षर	तारीख .... हस्ताक्षर .... स्थान .... तारीख .... केवल .... रूपये केवल का भुगतान कीजिए कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी भुगतान प्राप्त हुआ. दावेदार के हस्ताक्षर

प्ररूप—50
(नियम 53(1)देखिये)
लेखों की संपरीक्षा (आडिट) का प्रमाण—पत्र

मैं/हम यह प्रतिवेदित करता हूं/करते है कि मेरे/हमारे द्वारा मेसर्स .... (व्यापारी का नाम तथा पता) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र कमांक .... की लेखाओं का छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसरण में विधि अनुसार अपेक्षित संपरीक्षण किया गया है और मेरी/हमारी संपरीक्षा

रिपोर्ट दिनांक .... के साथ दिनांक.............. को समादृश्य वर्ष की संपरीक्षित व्यापार/विनिर्माण लेखे की प्रत्येक की एक प्रति और लाभ और हानि लेखे तथा तुलन पत्र लेखा परीक्षा दिनांक .... को .... (स्थान) पर समुचित अधिनियम के अधीन लाभ और हानि लेखे तथा तुलनपत्र के अंग या सहपत्र के रूप में घोषित दस्तावेजों के साथ संलग्न कर रहा/रहे/हूं/है।

कर मुक्त और कर योग्य माल एवं विभिन्न दरों से कर योग्य माल के क्रय तथा विक्रय को दर्शातें हुए और विनिर्माता समुत्थान की दशा में कच्चा माल तथा विनिर्मित तैयार माल के प्रत्येक वर्ग के संबंध में पृथकतः विवरण भी संलग्न किये गये है। भारत के बाहर निर्यात किये गये, अंतर्राज्यीय व्यापार या व्यवसाय के अनुक्रम में विक्रय किये गये या शाखा अथवा राज्य के बाहर भेजे गये माल के ब्यौरे, या राज्य के बाहर से क्रय किये गये शाखा से अन्तरण द्वारा अथवा राज्य के बाहर से आढ़त में प्राप्त माल के साथ वसूल किये गये और जमा किये कर के विवरण भी संलग्न किये गये है। जमा किये कर के विवरण भी संलग्न किये गये है।

मैं/हमारे मत में तथा मेरी सर्वोत्तम सूचना एवं व्यापारी द्वारा मुझे/हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार संपरीक्षा (आडिट) रिपोर्ट में दिये गये, तथा सत्य एवं सही है, जिन बिन्दुओं पर मैं/हम सहमत नहीं हूं/है उन पर स्पष्टीकरणात्मक टीप संलग्न है।

स्थान .... चार्टर्ड एकाउंटेंट

दिनांक ....

टिप्पणी–

1. *जो लागू नहीं है काट दीजिये।
2. यह रिपोर्ट चार्टर्ड एकाउंटेंटस अधिनियम 1949 (1949 का अनुक्रमांक 30) के अर्थ के अंतर्गत चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा दी जावेगी।

संपरीक्षा (आडिट) रिपोर्ट
विशिष्टियों का विवरण

व्यापारी का नाम तथा पता ....
मूल्य संवर्धित कर
रजिस्ट्रीकरण क्रमांक ....
केन्द्रीय विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक ....

	31 मार्च .... को समाप्त वर्ष	
1.	लेखा पुस्तकें– (1) रखी गई (2) जांची गई	

2.	अपनाई गई लेखा पद्धति (यदि ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में अपनाई पद्धति में कोई परिवर्तन है तो दर्शाया जाय)	
3.	(1) प्रारंभिक एवं अंतिम स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति (2) यदि किसी मद के मूल्यांकन की पद्धति में ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में अपनाई गई पद्धति से परिवर्तन है तो उल्लेख करें.	
4.	माल की मुख्य मदों, कच्चे माल, तैयार माल आदि जिनमें व्यवसाय किया जाता है, का मात्रात्मक विवरण विनिर्माता समुत्थान के संबंध में) (1) कच्चा माल– (क) प्रारंभिक स्टाक (ख) वर्ष के दौरान क्रय (ग) वर्ष के दौरान उपभोग (घ) वर्ष के दौरान विक्रय (ड.) अन्तरण (च) अंतिम स्टाक (छ) तैयार माल की प्राप्ति (ज) प्राप्ति का प्रतिशत (झ) कमी (2) तैयार माल– (क) प्रारंभिक स्टाक (ख) वर्ष के दौरान क्रय (ग) वर्ष के दौरान उपभोग (घ) वर्ष के दौरान विक्रय (ड.) अन्तरण (च) अंतिम स्टाक (छ) कमी तथा उसका प्रतिशत टीप:– (1) उपरोक्त उप–मदों के संबंध में जिस हद तक उपलब्ध हो जानकारी दी जाय। (2) उपरोक्त सूची पर उपोत्पादों के संबंध में मात्रात्मक विवरण दिये जाय।	
कुल राशि (टर्न ओव्हर) का वर्गीकरण तथा दोषों का विवरण–		
5. (1)	विभिन्न दरों से कर योग्य प्रत्येक माल के संबंध में व्यापार खाता/निर्माण खाता	

(2)	प्रत्येक ऐसे माल जिसके संबंध में कर से मुक्ति का दावा किया गया है, का व्यापार खाता/निर्माण खाता	
(3)	सकल राशि (टोटल टर्न ओव्हर)	
(4)	अंतर्राज्यीय विकय का व्यापार खाता/निर्माण खाता	
(5)	परेषण विकय खाता	
(6)	कमीशन विकय खाता	
(7)	राज्य के बाहर किये गये परेषण विकय	
(8)	विभिन्न दरों से कर योग्य माल का वार्षिक, टर्न ओव्हर	
(9)	विभिन्न दरों से कर योग्य माल का वार्षिक कय मूल्य	
(10)	विभिन्न दरों से देय आगत कर का रिबेट	
(11)	(i) वर्ष के दौरान वसूल किया गया कुल मूल्य सवंर्धित कर (ii) वर्ष के लिये देय कुल मूल्य संवर्धित कर	
(12)	वर्ष के दौरान भुगतान किया कुल कर मासिक *वसूली तथा भुगतान का विवरण दिया जाय	
(13)	वर्ष के दौरान वसूल किया गया कुल केन्द्रीय विकय कर वर्ष के दौरान भुगतान किया कुल केन्द्रीय विकय कर *मासिक वसूली तथा भुगतान का विवरण दिया जाय	
(14)	क्या कोई अवैधानिक वसूली है, यदि हां तो क्या इसे शासकीय कोषालय में जमा किया गया है	
(15)	देय ब्याज	
(16)	मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अधीन	
(17)	केन्द्रीय विकय कर अधिनियम के अधीन	
(18)	भुगतान किया गया ब्याज— (1) मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अधीन (2) केन्द्रीय विकय कर अधिनियम के अधीन	
6.	(क) क्या कय बिल, इन्वाईस आदि से समर्थित है और कर पृथक से दर्शाया गया है, यदि नहीं तो ब्यौरा दीजिये	
	(ख) क्या विकय बिल, इन्वाईस आदि से समर्थित हैं, और कर पृथक से दर्शाया है यदि नहीं तो ब्यौरा दीजिये	

7.	क्या अंकेक्षक की जानकारी में मूल्य संवर्धित कर अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गये नियमों का कोई उल्लंघन अंकेक्षण के दौरान आया है।	
8.	क्या अंकेक्षक की जानकारी में केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम और नियम का कोई उल्लंघन अंकेक्षण के दौरान आया है।	

व्यापार खाता
व्यापार करने वाले व्यक्ति से संबंधित विशिष्टियों का विवरण

1.	व्यापारी का नाम	
2.	पता	
3.	मूल्य संवर्धित कर अधिनियम/केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक	
4.	कर निर्धारण की अवधि	
5.	रखी गई लेखा पुस्तकें (ब्यौरे दिये जाय)	
6.	अपनाई गई लेखा पद्धति (यदि ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में अपनाई पद्धति में कोई परिवर्तन है तो दर्शाया जाय)	
7.	(1) प्रारंभिक एवं अंतिम स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति	
	(2) किसी मद के मूल्यांकन की पद्धति में ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में अपनाई गई पद्धति में यदि परिवर्तन है तो उल्लेख करें	
8.	विनिर्माता समुत्थान के संबंध में :— निर्माण खाते के साथ स्टोक की प्रत्येक मद के बारे में, मात्रा, मूल्य, उपभोग किये गये माल, तैयार माल और उपोत्पाद पृथक से दर्शाए जाय और प्राप्ति (उत्पादन) का प्रतिशत तथा कमी के ब्यौरे दिये जाय (उक्त निर्माण खाते के लिये समुचित सारिणीबद्ध प्रपत्र तैयार किये जाये और मात्रा तथा मूल्य के पूर्ण ब्यौरे दिये जाय)	
9.	सभी व्यापारियों के संबंध में :— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची में दी गई माल की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में विवरण दर्शाते हुए निम्न प्रारुप में पृथक–पृथक व्यापार खाते प्रस्तुत किये जाय (कर योग्य एवं अ–कर योग्य माल के संबंध में पृथक विवरण दिये जाय)	

		मात्रा	मूल्य
1.	माल का नाम		
2.	अनुसूची एवं मद कर की दर सहित जिसके अधीन उपरोक्त माल वर्गीकृत है,		
	क. प्रारंभिक स्टॉक		

	ख. माल की आवक		
	(1) क्रय		
	(अ) राज्य के अंदर		
	(ब) अंतर्राज्यीय		
	(स) आयात के अनुक्रम में		
	(2) हस्तांतरण		
	(अ) मुख्यालय/शाखा से		
	(ब) परेषण पर स्टाक हस्तांतरण		
	(3) निर्माण		
	(4) अन्य प्राप्तियां (विवरण दीजिये)		
	ग. योग (क + ख)		
	घ. माल का निर्गम		
	(1) विक्रय		
	(अ) राज्य के अंदर		
	(ब) अंतर्राज्यीय.		
	(स) निर्यात के अनुक्रम में		
	(2) हस्तांतरण– (अ) मुख्यालय/शाखा को (ब) परेषण स्टाक हस्तांतरण		
	(3) उपभोग		
	(4) अन्य निर्गम (विवरण दीजिये)		
	ड. अंतिम स्टाक		
	च. योग (घ + ड.)		
	छ. सकल लाभ (च – ग)		
	ज. विक्रय पर सकल लाभ का प्रतिशत		
10.	माल के उपभोग करने के अधिकार के संबंध में कुल राशि (टर्न ओव्हर) का विवरण दीजिये		
11.	स्थिर अस्तियों का विक्रय (अस्तियों का विवरण दीजिये) (अ) कर योग्य विक्रय मूल्य (ब) अ–कर योग्य विक्रय मूल्य		
12.	स्क्रेप/अपशिष्ट(वेस्ट) एवं अन्य वस्तुओं जिनका कि उपरोक्त में उल्लेख नहीं है, का विक्रय मूल्य		
13.	वर्ष का कुल विक्रय मूल्य (विवरण दीजिये)		
14.	धारा 15 के अधीन कर मुक्त विक्रय मूल्य (विवरण दीजिये)		
15.	कुल विक्रय मूल्य में से पृथकतः प्रत्येक वर्ग के माल के संबंध में स्वीकृत किये जाने योग्य कटौतियों का विवरण		

16.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन कुल विक्रय मूल्य में से पृथकतः प्रत्येक वर्ग के माल के संबंध में स्वीकृत किये जाने योग्य कटौतियों का विवरण		
17.	आगत कर का रिबेट जिसकका दावा किया गया है, का विवरण		
18.	वर्ष के दौरान कर की दर के अनुसार वसूल किया गया कुल कर (कर की दर के अनुसार मासिक वसूली का विवरण संलग्न)		
19.	वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कुल कर (मासिक भुगतान का विवरण संलग्न)		
20.	वर्ष के दौरान कर की दर के अनुसार वसूल किया गया कुल केन्द्रीय विक्रय कर (मासिक वसूली का विवरण संलग्न)		
21.	वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कुल केन्द्रीय विक्रय कर (मासिक भुगतान का विवरण संलग्न)		
22.	क्या अवैधानिक रूप से अधिक कर वसूल किया गया है, यदि हां तो क्या इसका भुगतान शासन को कर दिया गया है (ब्यौरा दीजिये)		
23.	क्या क्रय बिल/बीजक से समर्थित है, यदि नहीं तो ब्यौरा दीजिये		
24.	क्या विक्रय बिल/बीजक से समर्थित है, यदि नहीं तो ब्यौरा दीजिये		
25.	व्यापारी के व्यवसाय स्थल के उपरोक्त वर्ष के दौरान निरीक्षण का ब्यौरा दीजिये		
26.	ब्याज, यदि देय है तो, उसका ब्यौरा (1) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन,		
	(2) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन		

घोषणा

मैं .... जो कि मेसर्स .... (नाम तथा पता) का प्रबंध भागीदार/मालिक/प्रबंध निदेशक/प्रबंधक हूं, एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी, सूचना तथा विश्वास के अनुसार सही है।

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त विशिष्टियां मेरे द्वारा लेखा पुस्तकों से सत्यापित की गई है और वे सत्य तथा सही है।

वास्ते ....
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(नाम)

स्थान ....

दिनांक ....

(मालिक/भागीदार)

स्थान .... हस्ताक्षर.................. | सदस्यता कमांक ....
दिनांक............. नाम .... | पता ....

टीपः—1. उपरोक्त विवरण पर छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन विवरण पत्र हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जाय।

2. उपरोक्त विवरण में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची—दो में वर्णनानुसार माल का वर्गीकरण किया जाय।

3. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 तथा केन्द्रीय विकय कर अधिनियम, 1956 के अनुरूप उपरोक्त विवरण में संपूर्ण जानकारी दी जाय।

4. उपरोक्त विवरण व्यापारी द्वारा तैयार किये जाकर प्ररूप 18 के साथ प्रस्तुत किये जाय।

प्ररूप—51

(देखिये नियम 53(2)एक)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 41 के अधीन आदेश

प्रति,

नाम ....

पता ....

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र कमांक (यदि कोई हो) ....

चूंकि वर्तमान में आपके द्वारा रखे गए लेखे आपकी विवरणी का सत्यापन करने के लिये पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं है, अतः आपको एतद् द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप .... के पहले दिन से इसमें निर्दिष्ट रीति से (संलग्न किये अनुसार) अपने लेखे रखे।

मुद्रा हस्ताक्षर ....
तारीख .... पदनाम ....

प्ररूप—52

(देखिये नियम 56(9)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 46 के अधीन सम्मन का प्रारूप

प्रति,

....

....

चूंकि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन .... (यहां जांच के विषय का संक्षिप्त वर्णन दीजिए) जांच के संबंध में जो अब मेरे समक्ष विचाराधीन है साक्ष्य देने के लिए आपकी उपस्थिति आवश्यक है/निम्नलिखित दस्तावेज .... (यहां दस्तावेजों का वर्णन पर्याप्त ब्यौरों सहित दीजिए जिससे कि उनकी यथोचित निश्चितता से पहचान की जा

सके) अपेक्षित है, अतएव आपको एतद्द्वारा सम्मन किया जाता है कि आप मेरे समक्ष तारीख .... को .... बजे (स्थान) .... में स्वयं उपस्थित हो/उक्त दस्तावेज पेश करे या करवाये (और मेरी अनुमति प्राप्त किये बिना वहां से न जाये)

आज तारीख .... को मेरे हस्ताक्षर और मुद्रा से दिया गया.

(मुद्रा)

स्थान .... हस्ताक्षर ....

तारीख .... पदनाम ....

*जहां सम्मन केवल दस्तावेज पेश करने के लिए हो वहां इन शब्दों का लोप किया जाए.

प्ररूप—53

(देखिये नियम 57(3)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन कर निर्धारण या शास्ति या वापसी के आदेश के विरूद्ध अपील का प्रारूप

प्रति,

....

....

व्यापारी या व्यक्ति का नाम ....

रजिस्ट्रीकृरण प्रमाण—पत्र कमांक ....

कारबार का स्थान ....

वृत्त का नाम ....

यह अपील .... (यहां उस प्राधिकारी का नाम और पदनाम का उल्लेख कीजिए जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया हो) द्वारा पारित कर निर्धारण/वापसी आदेश तारीख .... के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है, आदेश तारीख .... को संसूचित किया गया था.

इस अपील के संबंध में निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाती है —

(क) कर निर्धारण की कालावधि .... से .... तक

(ख) विशिष्टियां

	अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किये गये अनुसार	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अवधारित किये गये अनुसार
सकल कुल राशि	....	....
कर योग्य कुल राशि	....	....
कय मूल्य जिस पर कय कर देय है	....	....
आगत कर का रिबेट		

(ग) अधिरोपित की गई शास्ति की विशिष्टियां –

	धारा या नियम	रकम
	....	....
(एक)		
(दो)		
(तीन)		
	योग	

(घ) अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण के पूर्व .... रूपये और कर निर्धारण के पश्चात् .... रूपये का भुगतान किया गया.

3. मांग की सूचना और उस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि जिसके कि विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई, संलग्न है.

4. अपीलार्थी ने कुल मांग रूपये .... में से धारा 48 की उपधारा (4) के खण्ड (4) ....) के अपेक्षानुसार रूपये .... का भुगतान किया है.

5. द्वितीय अपील के संबंध में दी जाने वाली अतिरिक्त विशिष्टियां :–

निम्नलिखित अनुतोष दिया गया है –

(क) कर में की गई कमी की रकम यदि संगणित की गई हो, रूपये ....

(ख) शास्ति में की गई कमी की रकम यदि संगणित की गई हो, रूपये ....

(ग) दी गई राहत संगणित नहीं की गई है, किंतु निम्नलिखित अनुतोष दिया गया है, जिसकी संगणना कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा की जाना है.

या

अपीलीय उपायुक्त द्वारा निम्नलिखित वृद्धि की गई है. ....

6. यह अपील निम्नलिखित आधारों पर की गई है :– ....

(यहां वे आधार दीजिए जिन पर अपील प्रस्तुत की गई है)

7. अतएव अपीलार्थी निम्नलिखित अनुतोष के लिये प्रार्थना करता है :–

....

(यहां वांछित राहत की विशिष्टियां दीजिये)

....

हस्ताक्षर

(अपीलार्थी या अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में लिखित में सम्यकतः प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाये)

तारीख ....

ऊपर नामित अपीलार्थी, एतद्द्वारा यह घोषण करता है कि इसमें जो कुछ कथित किया गया है वह उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

....
हस्ताक्षर
(अपीलार्थी या अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में लिखित में सम्यकतः प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाये)

प्ररूप–54
(देखिये नियम 57(4)
छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 49(1) के अधीन पुनरीक्षण हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,
....
....

व्यापारी का नाम ....
पता ....
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र कमांक ....
वृत्त का नाम ....

पुनरीक्षण हेतु यह आवेदन .... (यहां उस अधिकारी के नाम और पदनाम का उल्लेख कीजिए जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया हो) द्वारा पारित कर निर्धारण/शास्ति/वापसी/अपील/धारा/नियम .... के आदेश के विरूद्ध फाईल किया जा रहा है, आदेश तारीख .... को संसूचित किया गया था.

2. पुनरीक्षण हेतु इस आवेदन के संबंध में निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाती है :–
(क) कर निर्धारण की कालावधि .... से .... तक
(ख) विशिष्टियां

	आवेदक द्वारा स्वीकार किये गये अनुसार	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित किये गये अनुसार
कुल राशि	....	....
कर योग्य कुल राशि	....	....
कय मूल्य जो कय कर के दायित्वाधीन है	....	....
आगत कर का कुल रिबेट	....	....

(ग) अधिरोपित शास्ति की विशिष्टियां –

	धारा/नियम	रकम
(एक)	....	....
(दो)	....	....
(तीन)	....	....
		योग ....

(घ) अर्जीदार द्वारा कर निर्धारण के पूर्व .... रूपये का और कर निर्धारण के पश्चात् .... रूपये का भुगतान कर दिया है.

3. उस आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया गया है (यदि पुनरीक्षण हेतु आवेदन कर निर्धारण/शास्ति के मूल आदेश के विरूद्ध किया गया हो तो मांग की सूचना भी फाईल की जाय).

4. अतिरिक्त विशिष्टियां (उस दशा में दी जाए जहां पुनरीक्षण हेतु आवेदक द्वारा की गई अपील अपीलीय उपायुक्त द्वारा खारिज कर दी गई या निम्नलिखित अनुतोष दिया गया):—

(क) कर में की गई कमी की रकम यदि संगणित की गई हो, रूपये ....

(ख) शास्ति में की गई कमी की रकम यदि संगणित की गई हो, रूपये ....

(ग) दी गई राहत संगणित नहीं की गई है, किन्तु निम्नलिखित अनुतोष दिया गया है, जिसकी संगणना कर निर्धारण, प्राधिकारी द्वारा की जाना है.

या

अपीलीय उपायुक्त द्वारा निम्नलिखित वृद्धि की गई है ....

5. पुनरीक्षण हेतु यह आवेदन निम्नलिखित आधारों पर किया गया है :—

(यहां पर वे आधार दीजिए जिन पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है) ....

6. अतएव आवेदक निम्नलिखित अनुतोष के लिए प्रार्थना करता है :—

(यहां चाहे गए अनुतोष की विशिष्टियां दीजिए) ....

तारीख ....

....
हस्ताक्षर
(आवेदक या आवेदक द्वारा इस संबंध में लिखित में सम्यकतः प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाए).

ऊपर नामित आवेदक, एतद्द्वारा यह घोषणा करता है कि इसमें जो कुछ कथित किया गया है वह उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है.

तारीख ....

....
हस्ताक्षर
(आवेदक या आवेदक द्वारा इस संबंध में लिखित में सम्यकतः प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाए).

प्ररूप–55
(देखिये नियम 61)
छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 48 और 49 के अधीन व्यापारी को सूचना जब व्यापारी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश पारित किया जाना हो

प्रति,

.... (व्यापारी)
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र कमांक ....
अनुज्ञा पत्र कमांक ....

चूंकि नीचे दिये गये प्रभाव का आदेश पारित करना प्रस्तावित है, अतएव एतद्द्वारा आपको सूचना दी जाती है कि यदि आप ऐसे आदेश के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हो तो आप निम्न हस्ताक्षरकर्ता के .... स्थित कार्यालयों में तारीख .... को या तो व्यक्तिशः या इस प्रयोजन के लिए सम्यकतः प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा उपस्थित हो.

पारित किये जाने के लिये प्रस्तावित आदेश का सार ....

(मुद्रा) हस्ताक्षर ....
तारीख .... पदनाम ....

प्ररूप–56
(देखिये नियम 64)
छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

प्रति,

(श्री) ....
(पता) ....
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र कमांक ....

चूंकि आपके मामले में .... तारीख द्वारा .... से तारीख .... तक की कालावधि के लिए पारित किये गये आदेश/दिये गए निर्णय में निम्नलिखित भूल प्रतीत होती है, अर्थात् –

....
....

और, चूंकि नीचे बताये गये अनुसार भूल का सुधार करना प्रस्तावित है, जिसके परिणाम स्वरूप कर बढ़ जायेगा/वापस आगत कर का रिबेट की जाने वाली रकम कम हो जायेगी. अतएव एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 56 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) के परन्तुक के अधीन आपको सूचना दी जाती है कि यदि प्रस्तावित सुधार के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हो तो आप

या तो व्यक्तिशः या आपके द्वारा इस संबंध में लिखित रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जो धारा 24 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति हो, निम्न हस्ताक्षरकर्ता के .... स्थित कार्यालय में तारीख .... को .... बजे उपस्थित हो.

प्रस्तावित सुधार किया जाने के लिया कारण ....

(मुद्रा)

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... पदनाम ....

प्ररुप—57

(देखिये नियम 66)

पुलिस अधिकारी की सेवाओं के लिये अध्यापेक्षा

प्रति,

पुलिस थाना अधिकारी,

चूंकि मुझे विश्वास करने का कारण है कि व्यापारी (नाम) .... (पता) .... ने कर के दायित्वाधीन माल की उसका लेखा जोखा उसके द्वारा रखी गई वहियों/पंजीयों/लेखाओं में रखे बिना ही (स्थान का पता) .... में इस दृष्टि से जमा किया है/रखा है कि कर के भुगतान का अपवंचन करने के लिये उसका प्रच्छन्न विक्रय किया जाये, यह प्रस्तावित है कि उक्त परिसर .... में प्रवेश किया जाये तथा उसकी तलाशी ली जाये और तत्पश्चात् यदि आवश्यक हो तो विना लेखा जोखा रखे हुए माल को अभिग्रहित किया जावे.

और चूंकि मुझे ऐसे प्रवेश, तलाशी तथा अभिग्रहण का प्रतिरोध किया जाने की आशंका है.

अतएव आपसे अनुरोध है कि आप उक्त प्रवेश, तलाशी तथा अभिग्रहण के लिये (तारीख) .... को (समय) .... बजे सहायता प्रदान करें.

मुद्रा

स्थान .... हस्ताक्षर ....

तारीख .... पदनाम ....

प्ररूप–58

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 57(6)(ख) के अधीन सूचना

प्रति,

(नाम) ....

(पता) ....

रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र क्रमांक ....

चूंकि मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि आपके द्वारा आपके व्यवसाय स्थल में अनुमानित मूल्य के .... का माल अपनी लेखा पुस्तकों मे बगैर लेखबद्ध किये रूपये ....कर का भुगतान अपवंचित करने के उद्देश्य से संग्रहित किया गया है।

अतएव आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप (तारीख) .... को ....(समय)................................(स्थान) में व्यक्तिशः या इस संबंध में आपके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत ऐसे व्यक्ति द्वारा जो धारा 24 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है मेरे समक्ष उपस्थित हो और कारण बताएं कि क्यों न कथित वस्तुओं के अनुमानित विक्रय मूल्य पर संगणित कर के पांच गुना के समतुल्य शास्ति धारा 57 की उपधारा (6) के खण्ड (ख) के अधीन आरोपित की जाय।

(सील)

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... पदनाम ....

प्ररूप–59

(देखिये नियम 69(3)

घोषणा

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 के अधीन

पुस्तक क्रमांक .... अनुक्रमांक .... जारी करने का दिनांक ....

व्यवसायी जिसको जारी किये गये, का नाम ....

....

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीयन क्रमांक ....

....जारीकर्ता अधिकारी की मुद्रा छत्तीसगढ़

1. प्रेषक का पूरा नाम व पूरा पता अथवा प्रेषिति जैसी भी स्थिति हो ....
....

2. वह स्थान जहां से माल भेजा गया है ....

3. प्रेषक का बीजक क्रमांक तथा दिनांक ....

4. गंतव्य स्थान (जिला सहित) ....

5. व्यापारी, जिसे वस्तुतः माल भेजा गया हो, का पूरा नाम .... तथा पता .... छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र यदि कोई हो के क्रमांक सहित
6. माल की हवालगी लेने वाले व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता ....
7. माल के प्रभारी व्यक्ति (यदि कोई हो) का नाम तथा पता ....
8. स्थान (तहसील तथा जिला सहित) जहां से माल भेजा गया ....
9. गंतव्य स्थान (तहसील तथा जिला सहित) ....
10. माल का विवरण ....
11. माल का वजन ....
12. माल का मूल्य ....
13. भेजने वाले के बीजक का क्रमांक व दिनांक ....

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कुछ वर्णित किया गया है वह मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....
दिनांक .... पदनाम ....

प्ररूप–62

(देखिये नियम 73(2))

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58(11) के अधीन

सूचना पत्र

प्रति,

— — (परिवहनकर्ता का नाम)
— — (पता)
— —

चूंकिः—

आप धारा 58 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित उस माल का परिवहन कर रहे हैं जिसके संबंध में आपने उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार घोषणा पत्र फाईल नहीं किया है।

या

आपके द्वारा धारा 58 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन निम्नलिखित माल के संबंध में की गयी घोषणा, यान में पाये गये माल और घोषणा, मय सूचीबद्ध माल के बारे में उनके सत्यापन के समय उनके (माल के) प्रकार, मात्रा/मूल्य के संबंध में मिथ्या/अशुद्ध है।

(यहां माल की विशिष्टियां तथा देखे गये फर्क की विशिष्टियां दीजिए।)

धारा 58 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन आपके द्वारा फाईल की गयी घोषणा में माल के प्रेषक/प्रेषिति को छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीकृत व्यवसाई के रूप में दर्शाया गया है, जबकि मेरे पास उपलब्ध अभिलेख से ऐसे किसी व्यवसाई का अस्तित्व प्रगट नहीं होगा।

अतएव आपसे तारीख .... को यह कारण दर्शाने के लिए अपेक्षा की जाती है कि यह उपधारणा क्यों न की जाय कि आपके द्वारा ऐसे माल के संबंध में कर के अपवंचन को सुकर बनाने का प्रयत्न किया जा रहा था और क्यों न .... रूपये की शास्ति आप पर अधिरोपित की जावें।

मुद्रा
तारीख ....

हस्ताक्षर ....
जांच चौकी अधिकारी
जांच चौकी ....

प्ररूप–63
(देखिये नियम 73(4))

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 की उपधारा (15) के अधीन माल अथवा वाहन के विक्रय द्वारा निपटान हेतु सूचना

प्रति,

.... (परिवहनकर्ता)
.... (पता)

चूंकि—

आप धारा 58 की उपधारा (13) के अधीन आदेश दिनांक .... जो आप को दिनांक .... को निर्वाह किया गया है, के द्वारा रूपये .... (अंकों में) .... (शब्दों में) की शास्ति अरोपित की गई हैं, और चूंकि आपने उक्त राशि का भुगतान नियत दिनांक तक नहीं किया है,

अतः आप को आदेशित किया जाता है कि आप दिनांक .... को कारण बताएं कि क्यों न निम्नलिखित माल या वाहन सहित माल जब्त किया जाकर विक्रय के द्वारा निपटान किया जाय।
(यहां माल/वाहन का ब्यौरा देवें।)

मुद्रा

हस्ताक्षर ....
तारीख ....
जांच चौकी अधिकारी ....
जांच चौकी ....

प्ररूप–64

(देखिये नियम 73(6)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 की उपधारा (15) के अधीन माल अथवा वाहन के विक्रय द्वारा निपटान का आदेश

चूंकि ....(परिवहनकर्ता का नाम तथा पता) पर धारा 58 की उपधारा (13) के अधीन रूपये .... अंकों में .... (शब्दों में) की शास्ति दिनांक .... को आरोपित की गई है, और चूंकि, उक्त परिवहनकर्ता ने निर्धारित समय में कथित राशि का भुगतान नहीं किया है,

अतः कथित अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (15) के अधीन निम्न माल अथवा माल सहित वाहन का एतद्द्वारा विक्रय के माध्यम से निपटान आदेशित किया जाता है।

(यहां माल/वाहन का ब्यौरा दीजिये।)

हस्ताक्षर ....

तारीख जांच चौकी अधिकारी....................

जांच चौकी ....

प्रतिलिपि .... (परिवहनकर्ता का नाम तथा पता) को सूचनार्थ

हस्ताक्षर ....

तारीख जांच चौकी अधिकारी....................

जांच चौकी ....

प्ररूप–65

(देखिये नियम 74(2)(ग))

घोषणा पत्रों की पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

वाणिज्यिक कर अधिकारी,

....

महोदय,

मैं/हम .... के शहर, नगर/ग्राम .... तहसील .... जिला में स्थित .... नाम और शैली का कारबार कर रहा हूं/कर रहे है और छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक .... की धारा हूं/के धारी हैं।

(1) मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि प्रारूप 57 घोषणा पत्र की खाली पुस्तकें जिनमें प्रत्येक में 50 प्रारूप हैं मुझे/हमें दी जाये, जिसके लिए मैंने/हमने फीस खजाने में जमा की है और उसकी पुष्टि में/हम ....

.... के लिए प्रारूप 32 में खजाना रसीदी चालान कमांक ....
.... दिनांक ....
प्रस्तुत कर रहा हूं/कर रहे हैं।

(2) मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरा/हमारा ऊपर उल्लेखित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रवृत्त है और इस दिनांक तक रद्द नहीं किया गया है।

(3) मैं/हम यह और घोषित करता/करते हैं कि मेरे/हमारे विरूद्ध किसी भी कालावधि को अधिनियम के अधीन कोई भी कर और/या शास्ति की रकम बकाया नहीं है।

या

मेरे/हमारे विरूद्ध अधिनियम के अधीन कर और/या शास्ति की राशि, जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, बकाया है.

	कालावधि	कर/शास्ति की राशि
1.	....	....
2.	....	....
3.	....	....
4.	....	....

....
स्वत्वाधारी/प्रबंधक/कंपनी के
सचिव/फर्म के भागीदार के हस्ताक्षर

.... पुस्तकें, जिसमें कमांक ....
से .... तक के प्रारूप हैं, प्राप्त हुई।

व्यापारी या उससे प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

(जो लागू न हो उसे काट दिया जावे)

प्रारूप–66

(नियम 74(3) देखिए)

उन व्यवसाईयों द्वारा जो वाणिज्यिक कर अधिकारी से प्रारूप–57 प्राप्त करते है का उपयोग दर्शाने वाली पंजी का प्रारूप

अ. क.	पुस्तक तथा प्रारूप 57 का अनुकमांक	प्रेषक/प्रेषिति का नाम/पता	वह स्थान जहां से माल भेजा गया है	गन्तव्य	माल का विवरण	पैकेजों की संख्या	मात्रा/भार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

माल का मूल्य (रूपयें में)	बीजक कमांक तथा दिनांक	परिवहन का नाम तथा पूरा पता (परिवहन कंपनी या या का स्वामी)	ट्रक का कमांक	बिल्टी कमांक तथा दिनांक	टिप्पणी
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

प्रारूप–67
(नियम 74(4) देखिए)
क्षतिपूर्ति बॉन्ड

सर्वविदित हो कि मैं .... पिता .... छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीयन कमांक ... . के अधीन पंजीकृत व्यवसायी है। (आगे जिसे वचनदाता कहेंगे) हम राज्यपाल छत्तीसगढ़ के प्रति (जिसे आगे सरकार कहा जायेगा) रू0 .... रू0 शब्दों में .... मांग करने पर बिना आपत्ति के चुकाने के लिए मैं स्वयं और अपने उत्तराधिकारियों, कार्यपालिक व्यक्तियों, प्रशासकों एवं विधिक उत्तराधिकारियों तथा अनुसेवकों/हम स्वयं अपने उत्तराधिकारियों और अनुसेवकों तथा जिन–व्यक्तियों को हमारी संपत्तियों और मामलों पर नियंत्रण है उन्हें इन शर्तो के द्वारा वचनबद्ध करते हैं।
आज दिनांक .... दो हजार .... को हस्ताक्षर किये

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 74 के उपनियम (4) के अनुसार पूर्ण भरा हुआ या खाली घोषणा पत्र व्यवसाई से या विकेता को भेजने के दौरान गुम जाने पर व्यवसाई उस अधिकारी के समक्ष जिससे उसने घोषणा पत्र प्राप्त किये थे को क्षतिपूर्ति बॉड भरकर पेश करें।

और जहां पर वचनदाता व्यवसायी हैं, और जहां पर वचनदाता ने घोषणा पत्र प्रारूप 59 खो दिया हैं, जिसका कमांक .... है जो खाली/भरा हुआ था जो उसे (प्राधिकारी का नाम व पदनाम) .... द्वारा जारी किया गया था को नीचे लिखे गये माल के संबंध में (जिसे आगे फार्म 57 कहा जावेगा) भेजा गया था।

कमांक	बिल/इन्वाईस चालान का कमांक	दिनांक	माल का विवरण	मात्रा	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

ऊपर लिखे गये बॉड या वचन पत्र की शर्ते ऐसी हैं अगर सरकार को कोई नुकसान फ़ार्म का दुरूपयोग करने से हुआ तो वचनदाता उस नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगा। इस संबंध में सरकार या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी का निर्णय अंतिम और वचनदाता पर बंधनकारक होगा।

वचनदाता सरकार द्वारा मांग करने पर बिना आपत्ति के रूपये .... रूपये शब्दों में .... देगा।
और सरकार को नुकसान से बचाने के लिए अन्यथा रूप से उक्त फार्म के दुरूपयोग के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा किये गये दायित्वों के पालन से हुए नुकसान की भरपाई करेगा। उसके बाद 3 पर लिखा बॉड या वचन/पत्र अर्थ शून्य और निष्प्रभावी हो जायेगा अन्यथा पूर्ण रूप से प्रभावशील रहेगा। वचनकर्ता यह वचन देता है कि उक्त राशि को चुकाने के लिए वह नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लेखित संपत्तियों को बंधक रखने/पदभार निर्मित करने के लिए वह उचित बंधक नामा/भार पत्रक का निष्पादन करेगा। जब कभी कराधान अधिकारी द्वारा उससे ऐसा करने के लिए कहा जायेगा।

(अनुसूची)
बंधक/भारित संपत्ति का विवरण दीजिए

ये शर्ते इस बात की साक्ष्य है कि वचनदाता का दायित्व सरकार के किसी कार्य, कार्य चूक, सहनशीलता के कारण पूरा किया गया था, या संपन्न हुआ नहीं माना जावेगा या कुछ अवधि की मंजूरी दिये जाने या सरकार द्वारा उसमें लिप्त होने के कारण भी या वचनदाता जहां वह व्यक्ति, व्यक्ति न होकर फर्म आदि हो, के गठन में परिवर्तन पर भी दायित्व से मुक्ति न मानी जावेगी।

इस दस्तावेज के लिए कोई मुद्रांक शुल्क लगना हो तो सरकार उसका खर्च वहन करने की स्वीकृति देती है वचनदाता ने साक्ष्य रूप में अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं/अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा इस दस्तावेज का निष्पादन ऊपर बताये/दिनांक .... को करवा दिया है।

साक्षीगण— हस्ताक्षर ....
1. ....
2. .... (वचनदाता)

छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अनुपालन में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनकी ओर से अधिकृत निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी (नाम एवं पदनाम) द्वारा यह बॉन्ड स्वीकृत किया गया।

साक्षीगण— हस्ताक्षर ....
1. .... (वचनदाता)
2. ....

*जो अंश लागू न हो उसे काट दीजिये।

प्रारूप–68
(नियम 74(9) देखिए)
प्रारूप 59 जारी करने की पंजी

अनुक्रमांक	दिनांक	नाम और पंजीयन क्रमांक	जारी किये गये फार्मो की संख्या	जारी किये गये फार्मो तथा पुस्तक के अनुक्रमांक	व्यापारी के हस्ताक्षर	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्रारूप–69
(नियम 75(1) देखिए)

तृतीय प्रति	द्वितीय प्रति	मूलप्रति
ट्रांजिट पास जारी करने के लिये आवेदन (तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जाय)	ट्रांजिट पास जारी करने के लिये आवेदन (तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जाय)	ट्रांजिट पास जारी करने के लिये आवेदन (तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जाय)
प्रति, जांच चौकी अधिकारी जांच चौकी .... मैं .... आत्मज श्री .... (पूर्ण पता) एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि वाहन क्रमांक .... मालिक .... का परिवहनकर्ता हूं।	प्रति, जांच चौकी अधिकारी जांच चौकी .... मैं .... आत्मज श्री .... (पूर्ण पता) एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि वाहन क्रमांक .... मालिक .... का परिवहनकर्ता हूं।	प्रति, जांच चौकी अधिकारी जांच चौकी .... मैं .... आत्मज श्री .... (पूर्ण पता) एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि वाहन क्रमांक .... मालिक .... का परिवहनकर्ता हूं।
2. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त वाहन द्वारा आगामी पृष्ठ पर दिये गये ब्यौरे के अनुसार परिवहित किया जा रहा माल अन्य राज्य में गन्तव्य हेतु है। ये छत्तीसगढ़ में कहीं भी उतारा या प्रदाय नहीं किया जावेगा।	2. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त वाहन द्वारा आगामी पृष्ठ पर दिये गये ब्यौरे के अनुसार परिवहित किया जा रहा माल अन्य राज्य में गन्तव्य हेतु है। ये छत्तीसगढ़ में कहीं भी उतारा या प्रदाय नहीं किया जावेगा।	2. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त वाहन द्वारा आगामी पृष्ठ पर दिये गये ब्यौरे के अनुसार परिवहित किया जा रहा माल अन्य राज्य में गन्तव्य हेतु है। ये छत्तीसगढ़ में कहीं भी उतारा या प्रदाय नहीं किया जावेगा।

3. मेरा वाहन / ट्रक .... (अन्य राज्य का नाम) के लिये छत्तीसगढ़ की सीमा दिनांक .... को .... बजे (समय) पर जांच चौकी .... से गुजरेगा। दिनांक .... समय .... स्थान .... हस्ताक्षर .... हैसियत	3. मेरा वाहन / ट्रक .... (अन्य राज्य का नाम) के लिये छत्तीसगढ़ की सीमा दिनांक .... को .... बजे (समय) पर जांच चौकी .... से गुजरेगा। दिनांक .... समय .... स्थान .... हस्ताक्षर .... हैसियत	3. मेरा वाहन / ट्रक .... (अन्य राज्य का नाम) के लिये छत्तीसगढ़ की सीमा दिनांक .... को .... बजे (समय) पर जांच चौकी .... से गुजरेगा। दिनांक .... समय .... स्थान .... हस्ताक्षर .... हैसियत ....
ट्रांजिट पास कमांक .... आगामी पृष्ठ पर दिये गये ब्यौरे के अनुसार माल परिवहित करने वाले वाहन / ट्रक कमांक .... को छत्तीसगढ़ की सीमा से .... (राज्य का नाम) के लिये जांच चौकी .... से .... समय .... दिनांक तक या इससे पूर्व गुजरने की अनुमति प्रदान की जाती है। स्थान .... दिनांक .... समय .... जांच चौकी अधिकारी के हस्ताक्षर .... जांच चौकी (सील) *जो लागू न हो काट देवें।	ट्रांजिट पास कमांक .... आगामी पृष्ठ पर दिये गये ब्यौरे के अनुसार माल परिवहित करने वाले वाहन / ट्रक कमांक .... को छत्तीसगढ़ की सीमा से .... (राज्य का नाम) के लिये जांच चौकी .... से .... समय .... दिनांक तक या इससे पूर्व गुजरने की अनुमति प्रदान की जाती है। स्थान .... दिनांक .... समय .... जांच चौकी अधिकारी के हस्ताक्षर .... जांच चौकी (सील) *जो लागू न हो काट देवें।	ट्रांजिट पास कमांक .... आगामी पृष्ठ पर दिये गये ब्यौरे के अनुसार माल परिवहित करने वाले वाहन / ट्रक कमांक .... को छत्तीसगढ़ की सीमा से .... (राज्य का नाम) के लिये जांच चौकी .... से .... समय .... दिनांक तक या इससे पूर्व गुजरने की अनुमति प्रदान की जाती है। स्थान .... दिनांक .... समय .... जांच चौकी अधिकारी के हस्ताक्षर .... जांच चौकी (सील) *जो लागू न हो काट देवें।

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पास की द्वितीय प्रति प्राप्त करती है।

स्थान ....
दिनांक ....
समय ....

हस्ताक्षर ....
हैसियत ....

वाहन द्वारा ले जाये जा रहे माल का ब्यौरा

1.	क	प्रषक का नाम तथा पूरा पता	
	ख	समुचित राज्य के विक्रय कर विधान के अधीन रजिस्ट्रेशन क्रमांक (यदि कोई हो तो)	
2.	क	प्रेषिति का नाम तथा पूरा पता	
	ख	समुचित राज्य के विक्रय कर विधान के अधीन रजिस्ट्रेशन क्रमांक (यदि कोई हो तो)	
3.		यदि प्रेषिति "स्वयं" दर्शित है जिसे माल सौंपा जावेगा, उसका नाम तथा पूरा पता	
4.		स्थान जहां से माल भेजा गया	
5.		गंतव्य (जिला सहित)	
6.		माल का संक्षिप्त वर्णन	
7.		कुल मात्रा	
8.		कुल वजन	
9.		कुल मूल्य	
10.		प्रेषक का बीजक क्रमांक तथा दिनांक	
11.	क	वाहक (ट्रान्सपोर्ट कंपनी या वाहन मालिक आदि) का नाम तथा पता	
	ख	वाहन का क्रमांक सहित वर्णन	
	ग	वाहन चालक का नाम तथा पता	
	घ	माल के प्रभारी व्यक्ति का नाम तथा पता	
	ड.	बिल्टी/ट्रक रसीद क्रमांक तथा दिनांक	
12.		माल की अभिवहन (ट्रांजिट) के दौरान पलटी होने की स्थिति में	
	क	वाहक (ट्रान्सपोर्ट कंपनी या वाहन मालिक आदि) का नाम तथा पता	
	ख	वाहन का क्रमांक सहित वर्णन	
	ग	वाहन चालक का नाम तथा पता	
	घ	माल के प्रभारी व्यक्ति का नाम तथा पता	
	ड.	बिल्टी/ट्रक रसीद क्रमांक तथा दिनांक	
	च	निकासी जांच चौकी का नाम जहां से राज्य में होकर माल गुजरेगा	

प्रारूप–70

(नियम 77(1) देखिए)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 62(1) के अधीन सूचना

प्रति,

वाणिज्यिक कर अधिकारी,

.... (वृत्त)

मैं .... (*स्वामी/*प्रबंधक/*भागीदार/*कम्पनी का निदेशक/*फर्म/*स्वत्वाधारी संस्था जो) .... के नाम से ज्ञात है व जिसका कार्यालय .... में स्थित है, एतद्द्वारा सूचित करता हूं कि मैं उक्त नाम से निकासी, अग्रेषण अभिकर्ता/दलाल/माल के परिवहन का व्यवसाय उपरोक्त नाम से आपके वृत्त में करता हूं।

स्थान .... हस्ताक्षर ....
तारीख ....

*जो लागू न हो उसे काट दीजिये।

अभिस्वीकृति

श्री .... से प्ररूप 68 में एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

तारीख ....

....
वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत्त ....

प्रारूप–71
(नियम 77(2) देखिए)
छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 62(2) के अधीन रखा जाने वाला रजिस्टर

.... वृत्त

अनुक्रमांक	निकासी/अग्रेषण/बुकिंग अभिकर्ता/लाल/माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति का नाम	पता	सूचना प्राप्त होने का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)

स्थान .... हस्ताक्षर ....
तारीख .... हैसियत ....

प्रारूप–72
(नियम 78(1) देखिए)
कर समाशोधन प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिये आवेदन

प्रति,

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
.... वृत्त

मैं निवेदन करता हूं कि मुझे कर समाशोधन प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाये. मैं आवश्यक विशिष्टियां नीचे देता हूं –

1. आवेदक का पूरा नाम ....
2. पिता का नाम ....
3. कारबार का नाम तथा पता ....
4. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र कमांक (यदि कोई हो) ....
5. आवेदक का स्थाई पता ....
6. आवेदक का वर्तमान पता ....
7. उस अधिकारी का नाम, पदनाम तथा पता जिसके समक्ष प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना है. ....
8. संविदा का मूल्य तथा उसकी अवधि ....
9. निक्षिप्त किये जाने के लिए अपेक्षित अग्रिम धन (अर्नेस्ट मनी) की रकम ....

मैं घोषित करता हूं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई जानकारी सही, पूर्ण और सत्यतापूर्वक कथित की गई.

स्थान .... हस्ताक्षर ....
तारीख .... हैसियत ....

अभिस्वीकृति

श्री .... से प्रारूप 72 में एक आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 78 के अधीन कर समाशोधन प्रमाण–पत्र प्रदान करने हेतु प्राप्त हुआ.

तारीख ....
प्राप्तकर्ता अधिकारी

प्रारूप–73
(नियम 78(2) देखिए)
कर समाशोधन प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... पर जो .... के नाम से ज्ञात फर्म के स्वामी/प्रबंधक/संचालन/मालिक कुटुम्ब के कर्ता है, जिसके कारबार का मुख्य स्थान .... (तहसील) .... (जिला) .... से .... वृत्त के वाणिज्यिक कर अधिकारी को अधिकारिता के भीतर स्थित है, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 या/तथा केन्द्रीय विकय कर अधिनियम, 1956 छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के

प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 के अधीन कर तथा शास्ति के मद्दे किन्हीं शोध्यों की कोई राशि बकाया नहीं.

मुद्रा/

हस्ताक्षर ....
वाणिज्यिक कर अधिकारी ....
.... वृत्त

स्थान ....
तारीख ....

प्रारूप–74

(नियम 80 देखिए)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के प्रभावशील होने के दिनांक को माल के स्टॉक का विवरण

अनुक्रमांक	वस्तु का नाम	कर की दर	मात्रा	मूल्य	क्रय दिनांक	किससे क्रय किया गया	पंजीयन क्रमांक	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

स्थान ....
दिनांक ....

हस्ताक्षर..................................
नाम तथा व्यक्ति की स्थिति ....

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2006

क्रमांक एफ–10/6/2006/वाक/पांच (12).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/6/2006/वाक/पांच (12) दिनांक 21–3–2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 21st March 2006

NOTIFICATION

No. F-10/ 6 /2006/CT/V/(12)- Whereas the State Government considers that the following rules under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) should be made and brought in to force.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 71 of the said Act and all other enabling powers under that Act the State Government hereby makes the following rules, namely –

CHAPTER I

1: Short title and commencement-

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006.

(2) They shall come into force from 1st. April, 2006.

2: Definitions-

(1) In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) **'Act' means the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005)**.

(b) **'Appellate Authority'** means an appellate Deputy Commissioner or the Tribunal;

(c) **'Appropriate Commercial Tax Officer'** in relation to a dealer means the Commercial Tax Officer of the circle in which the dealer's place of business is situated or if a dealer has more than one place of business in the State, the Commercial Tax Officer of the circle in which his principal place of business is situated;

(d) **'Assessing Authority'** means an officer appointed under section 3 to whom the Commissioner has delegated the powers of assessment, imposition of penalty and levy of interest under the Act;

(e) **'Circle'** means the area comprised within the local limits of the jurisdiction of a Commercial Tax Officer specified in an order issued under sub-section (4) of section 3;

(f) **'Form'** means a form appended to these rules;

(g) **'Government Treasury'** in relation to a dealer -

(i) having one place of business, means the treasury or any sub-treasury within the district in which his place of business is situated; and

(ii) having more than one place of business, means the treasury or any sub-treasury within the district in which his principal place of business is situated;

(h) **'Inspector'** means an inspector of Commercial Tax appointed under Section 3 ;

(i) **'Inspecting Officer'** means any officer specified in clause (c) to (g) of sub-section (1) of section 3 to whom the Commissioner has delegated his powers under section 57 ;

(j) **'Registering Authority'** means the appropriate Commercial Tax Officer or any officer appointed under section 3 to whom the Commissioner has delegated his powers for the purposes of section 16 and 18;

(k) **'Repealed Act'** means the Madhya Pradesh General Sales Tax Act, 1958 (No. 2 of 1959) repealed by section 81 of the Act and the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No. 5 of 1995) repealed by the Act ;

(l) **'Revisional Authority'** means the commissioner or any other officer appointed under section 3 to whom the commissioner has delegated the powers of revision under section 49 ;

(m) **'Section'** means a section of the Act;

(n) **'Warehouse'** means any enclosure, building or vessel in which a dealer keeps his stock of goods.

(2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the meaning assigned to them in the Act.

CHAPTER II

3: Appointments-

(1) Officers specified in clauses (f) and (g) of sub-section (1) of section 3 shall be appointed by the Commissioner.

(2) An Inspector of an area shall be subordinate to the Assistant Commercial Tax Officer, and the Commercial Tax Officer exercising jurisdiction therein. An Assistant Commercial Tax Officer posted to assist a Commercial Tax Officer of an area shall be sub-ordinate to such Commercial Tax Officer. The Commercial Tax Officer and the Assistant Commercial Tax Officer shall in all matters arising within the area within which he exercises jurisdiction, be sub-ordinate to the Assistant Commissioner exercising jurisdiction over such area.

(3) All Inspectors, Assistant Commercial Tax Officers, Commercial Tax Officers and Assistant Commissioners shall, in all matters arising within the area within which they exercise jurisdiction, be sub-ordinate to the Appellate Deputy Commissioner and Deputy Commissioner exercising jurisdiction over such area.

(4) The authorities specified in clauses (b) to (g) of sub-section (1) of section 3 shall be subordinate to the Additional Commissioner and the Additional Commissioner shall be sub-ordinate to the Commissioner.

(5) The authorities specified in clause (c) to (g) of sub-section (1) of Section 3, shall, in exercise of the powers and in the discharge of their duties and functions under the provisions of the Act or any rules made thereunder, follow such direction as the Commissioner may issue from time to time.

4: Constitution of the Tribunal and its functions–

(1) The Tribunal shall consist of a Chairman and one Member to be appointed by the State Government.

(2) (a) The Chairman of the Tribunal shall be the person who is or has been a member of Higher Judicial Service in super time scale or a serving or retired member of the Indian Administrative Service of the Chhattisgarh cadre, who has held the post of Principal Secretary or equivalent in the Government of Chhattisgarh at least for three years.

(3) (a) The Chairman shall hold office as such for a term of five years from the date on which he assumes charge or until he attains the age of sixty five years whichever is earlier.

(b) The Member shall hold office as such for a term of two years from the date on which he assumes charge or until he attains the age of sixty two years whichever is earlier.

(4) The Chairman or Member of the Tribunal may at any time tender his resignation from the post and such resignation shall take effect from the date of acceptance by the State Government.

(5) The State Government may terminate before the expiry of the tenure the appointment of the Chairman or Member of the Tribunal, if the Chairman or the Member:

(a) is adjudged as an insolvent; or

(b) is engaged during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or

(c) is in the opinion of the State Government, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or

(d) is convicted of an offence involving moral turpitude.

(6) The head quarters of the Tribunal shall be at Raipur.

(7) The functions of the Tribunal may be performed by any one of the Chairman / Member or the full bench. An appeal against the order of the Commissioner shall be heard and decided either by the Chairman or by a bench consisting of the Chairman and Member.

(8) In case Chairman/Member of the Tribunal has a difference of opinion about any earlier judgement passed by a single member then the case shall be referred to the full bench.

(9) The Tribunal shall, in consultation with State Government for the purpose of regulating its procedure and disposal of its business, make regulations consistent with the provisions of the Act and the rules made thereunder.

(10) The salaries, allowances and other terms and conditions of service of the Chairman and Member of Tribunal shall be such as the State Government may, by order, specify but shall not be disadvantageous from their previous service.

(11) (a) The State Government shall determine the nature and category of the officers and other employees required to assist the Tribunal in the discharge of its function and provide the Tribunal such officers and other employees as it may think fit.

(b) The officer and other employees of the Tribunal shall discharge their functions under the general superintendence of the Chairman.

(c) The salaries and allowances and conditions of service of the officers and other employees of the Tribunal shall be such as may be specified by the State Government."

CHAPTER – III

5: **Limit of turnover under sub-section (1) of section 4 and limit of aggregate amount of purchase prices under clause (b) of sub-section (2) of section 9-**

(1) For the purpose of sub-section (1) of section 4, the limit shall be,-

(a)	in relation to a dealer who imports goods into the State of value not less than rupees one lac in any year	-	Rupees two lac.
(b)	in relation to a dealer who manufactures within the State any goods of value not less than rupees one lac in any year	-	Rupees two lac.
(c)	in relation to a dealer not falling in clauses (a) and (b)	-	Rupees ten lac.

(2) For the purpose of clause (b) of sub-section (2) of section 9 the limit shall be rupees five lac.

6: Initiation of proceedings for determination of liability-

(1) The proceeding for determination of liability of a dealer under sub -section (1) of section 5 shall be initiated by issue of notice in form 1.

(2) The order determining the liability of a dealer under sub-section (1) of section 5 shall be in form 2. A copy of such order shall be served on the dealer within thirty days from the date of passing that order.

7: Manner of proving payment of tax by the contractor and the principal or the commission agent-

(1) A claim made by a contractor under clause (b) of sub-section (1) of section 6 shall be supported by a declaration in form 3 to be issued by the sub-contractor and shall be admitted in proof of such claim.

(2) A claim made by a principal under sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (2) of section 6 shall be supported by an adat patti or sale account issued by the commission agent in accordance with the system prevalent in the market and shall be admitted in proof of such claim.

(3) A claim made by a commission agent under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (2) of section 6 shall be supported by a declaration in form 4 issued by the principal and shall be admitted as proof in support of such claim.

8: Composition of Tax-

(1) Every registered dealer referred to in sub-section(1) of section 10 desirous of making a lump sum payment by way of composition in respect of the tax payable by him in relation to goods to be supplied in the execution of works contract or contracts, shall within thirty days of the commencement of the execution of works contract or contracts, unless prevented by sufficient cause, make an application in form 5 to appropriate Commercial Tax Officer.

(2) On receipt of the application the appropriate Commercial Tax Officer shall verify the correctness of the application and on being so satisfied, the appropriate Commercial Tax Officer shall by an order in writing grant permission to the registered dealer to make lump sum payment by way of composition and send a copy thereof to the registered dealer making the application.

(3) The amount to be paid in lump sum by way of composition shall be determined at the rate mentioned against each type of contract specified below and shall be so determined at such rate on the total monetary consideration received or receivable by the registered dealer in respect of such works contract.

S.No.	Type of Contract	Rate at which lump sum shall be determined
1.	Civil works like construction of building bridges, roads, dams, barrages, canals, diversion excluding. (a) supply and installation of air-coolers or air-conditioners, air conditioning equipment: (b) supply and fitting of electrical goods and equipments: (c) fabrication and installation of elevators (lifts) and escalators:	2 Per cent
2.	Fabrication and installation of plant and machinery.	3 Per cent
3.	Supply and installation of air conditioners, air coolers, air conditioning equipments including deep freezers, cold storage plant and humidification plants.	10 Per cent
4.	All other contracts not specified in serial numbers 1 to 3 above.	4 Per cent

(4) On the commencement of the execution of works contract or contracts, a registered dealer to whom permission has been granted under sub rule (1) shall pay within thirty days of the receipt of the amount or the amount becoming recoverable, into the government treasury, that much amount out of the amount payable by way of composition on such amount, which remains after deduction therefrom the amount deducted at source under the provisions of sub-section (2) of section 27.

(5) Every such registered dealer shall within thirty days of the close of the quarter ending on 30th June, 30th September, 31st December, 31st March, send a statement in form 6 to the appropriate Commercial Tax Officer enclosing therewith the copies of the challan as also the certificate issued under sub-section(3) of section 27 by the person making the deduction of an amount at source under sub-section (2) of the said section in proof of the payment of lump sum amount by way of composition made during the quarter.

(6) On receipt of the statement in form 6 the appropriate Commercial Tax Officer shall verify the correctness of the amounts paid by way of composition by the registered dealer. If he is not satisfied about the correctness of the payments made, he shall, by order in writing, determine the correct amount payable by the registered dealer during the quarter and if the amount so determined is more than the amount paid by the registered dealer the appropriate Commercial Tax Officer shall require the registered dealer to pay the balance of the amount within fifteen days from the date of service of the notice of demand issued by him for this purpose. The registered dealer, on payment of the balance within the specified time, shall send a copy of the challan to the appropriate Commercial Tax Officer in proof of such payment within seven days of the date of payment.

(7) Where the registered dealer fails to pay the balance of the amount within the time specified in the notice of demand issued under sub rule (6) or within such further time as may have been granted to him for the purpose on an application made by him in this behalf, the appropriate Commercial Tax Officer may revoke the permission granted to the registered dealer under sub rule (2) in respect of the works contract or contracts in relation to which such default has been committed and thereupon the registered dealer shall be liable to be assessed under section 21 in respect of such works contract or contracts in relation to which permission has been revoked.

(8) When the permission granted to a registered dealer under sub rule (2) is revoked under sub rule (7), the provisions of section 19,21,41 and 42 shall apply to such registered dealer in relation to the works contract in respect of which permission had been granted to him.

(9) A registered dealer eligible to pay a lump sum in lieu of tax by way of composition under , sub section (2) of section 10, may opt for such composition and give his option in form 5 to the appropriate Commercial Tax Officer within the period specified in clause (a) of sub section (2) of section 10.

(10) The lump sum payable by a registered dealer shall be one half percent of his turn over of goods other than cooked food specified in schedule II of the Act and 8 percent of his turnover of cooked food for every quarter of the year for which the option has been given. Such lump sum shall be paid within fifteen days of the expiry of the quarter by challan in form 34. A copy of challan in proof of such payment along with the statement of sales in form 7 during the said period shall be sent to the appropriate Commercial Tax Officer within seven days of such payment.

(11) Where an option given by a registered dealer under clause (a) of sub section (2) of section 10 stands revoked under the provisions of clause (b) of said sub section, such dealer shall, for the period from the date on which the option stands revoked, to the date of expiry of the year for which the option has been given shall furnish returns in accordance with the provisions of section 19.

CHAPTER – IV

9: Claiming by or allowing to a registered dealer rebate of input tax under sections 13 and 73-

(1) Any claim in respect of input tax rebate that may be made by a registered under sub-section (1) of section 13 of the Act, in his return under section 19 sl supported by a bill, invoice or cash memorandum issued by the selling regi dealer. Any such claim in respect of the input tax rebate shall be made by registered dealer in his return in form 17 and such claim shall be allowed at th of assessment under sub section (4) sub section (5) or sub section (6) of secti on the production of the relevant bill, invoice or cash memorandum. No such shall be made or be allowed if the said bill, invoice or cash memorandum do indicate the amount of tax collected by the selling registered dealer.

(2) Where a registered dealer, other than a registered dealer who dispatches any goods specified in schedule II to of the Act, another such dealer for sale on commission, purchases such goods specified in the said schedule taxable under clause (i) of section 8 from another registered dealer for sale or for use or consumption for/in the manufacture or for/in mining of goods specified in the said schedule for sale within the state of Chhattisgarh or in the course of interstate trade and commerce or for sale outside the state and any goods specified in the said schedule and schedule I for sale in the course of export out of the territory of India, the input tax rebate under sub-section (1) of section 13 shall be claimed by or be allowed to such dealer to the extent of the amount of the tax under clause (i) of section 8 collected by the selling registered dealer in respect of such goods and indicated in the relevant bill, invoice or cash memorandum.

Provided that input tax rebate in respect of the sale of goods and the goods used/consumed for/in manufacture or for/in mining of goods specified in schedule II of the Act sold outside the state of Chhattisgarh by way of stock transfer be allowed at the rate which is in excess of four percent of input tax.

(3) (a) Where a registered dealer purchases capital goods for use in the course of business or for use/consumption in the manufactures or for/in mining of goods for sale, the input tax rebate under section 13 equal to the amount of tax arrived at, as per the provisions of sub-rule (2), be claimed or be allowed to such dealer.

(b) The amount of input tax rebate to the credit of a registered dealer on the purchase of capital goods shall be claimed or be allowed:-

(i) In 36 equal monthly installments from the date of commencement of business or from the date of commencement of production, by a dealer establishing new industrial unit,

(ii) In 36 equal monthly installment from the date of first purchase by a dealer purchasing capital goods for use in existing business or industrial unit,

If the purchase value of such capital goods is more than rupees one lac in a month and in one installment if the purchase value is less than rupees one lac in a month.

(4) Where a registered dealer (commission agent) receives any goods specified in schedule II from another such dealer (principal) for sale on commission, input tax rebate in respect of goods referred to in sub-rule (1) shall be claimed by or allowed to the commission agent when such claim is supported by a declaration in form 8 issued by the principal and a declaration in form 9 given by him (commission agent)

(5) Where a registered dealer (principal) sells any goods which have borne tax under sub-section (i) of section 8 or sells any goods manufactured by him by consumption or use of any goods specified in schedule II of the Act other than those specified in schedule III of the Act and also dispatches goods to the commission agent for sale on commission, such dealer (principal) shall claim or be allowed input tax rebate only in respect of the sale of the said goods sold by him or the goods that have been used or consumed in the manufacture of the goods sold by him. If input tax rebate has been claimed by him in respect of any such goods subsequently despatched to a commission agent for sale on commission such dealer (principal) shall be liable to pay tax under sub-section (i) of section 8 in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (5) of section 13.

(6) (a) A registered dealer shall claim or be allowed input tax rebate under section 73, if he has furnished the statement of stock in the manner laid down in rule 80.

(b) A registered dealer who claims or is to be allowed input tax rebate under sub-section (2) or (3) of section 73 and proves to the satisfaction of the assessing authority that the goods specified in schedule II or goods used/consumed in manufacture of such goods held in stock on the date of the commencement of the Act, were liable to tax at the hands of the selling registered dealer on the date of purchase under the repealed Act, and the element of tax is included in the sale price then the element of tax, that such goods had borne shall be calculated by applying the following formula. The tax so calculated shall be deducted from the sale price to arrive at the net turnover:

$$\frac{\text{Sale price x rate of tax under the repealed Act}}{\text{100 + rate of tax under the repealed Act}}$$

(c) If the registered dealer fails to prove to the satisfaction of the assessing authority that the goods referred to in clause (a) above were liable to tax at the hands of the selling registered dealer, tax shall be calculated in accordance with the provisions of clause (a) on the seventy five percent of the turnover computed and the amount of tax so calculated shall be deducted from the seventy five percent of the sale price of the selling registered dealer to arrive at net turnover.

On the net turnover so computed tax shall be calculated at the rate specified in sub-section (2) or (3), as the case may be, of section 73 and input tax rebate equal to the amount of tax so calculated shall be claimed by or be allowed to the registered dealer.

(7) The amount of input tax rebate to the credit of a registered dealer computed in accordance with the provisions of sub-section (2) or (3) of section 73 of the Act shall be claimed or be allowed in twelve equal installments within a period of one year commencing from the date of commencement of the Act. The installment of the input tax rebate, relating to each month shall be claimed or be allowed at the beginning of such month.

Explanation- For the purpose of sub-rule (5), the expression "sale price" used in the formula given thereof means the sale price of the goods at the hands of the selling registered dealer from whom the tax paid goods relating to which input tax rebate is claimed by the registered dealer had been purchased.

CHAPTER – V

10: Period for making an application for grant of registration certificate-

(1) A dealer required to get himself registered under sub-section (1) of section 16 shall apply for grant of a registration certificate in the manner laid down in rule 11.

(2) A dealer required to get himself registered under clause (a) of sub-section (2) of section 16 shall apply for grant of registration certificate in the manner laid down in rule 11 within thirty days of the date specified in the said clause.

11: Application for grant of registration certificate-

(1) (a) Application for grant of registration certificate under section 16 shall be made in form 10 in duplicate to the registering authority and shall be -

(i) signed by the proprietor of the business or in the case of a firm or partnership by a partner or director of the firm or in the case of a Hindu undivided family business by the manager or karta of the Hindu undivided family or in the case of a company incorporated or deemed to be incorporated under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956), or any other law for the time being in force by the principal officer managing the business or in case of a society, club or association by the president or secretary responsible for the management of such society, club or association or in the case of the central or a state government or any of their departments, by the officer-in-charge of the business of selling or supplying or distributing goods and in the case of a dealer who resides outside the State but who has place of business in the state, by his manager or agent;

(ii) verified in the manner provided of selling or supplying or distributing goods and in the case of a dealer who resides outside the State in the said form; and

(iii) accompanied by passport size photograph(s) of the proprietor or each of the adult partners of the firm, or of each adult co-parcener of the Hindu undivided family, as the case may be, duly attested by a lawyer, or a tax practitioner or a gazetted officer.

(b) A dealer who desires to obtain registration certificate voluntarily under clause (c) of sub-section (2) of section 16 or a person, an intending manufacturer who desires to obtain registration certificate under clause (d) of sub section (2) of section 16 may make an application in form 10 in the manner laid down in clause (a) to the registering authority.

(2) The commissioner may, on an application made by a dealer having more than one place of business in the state and on being satisfied about the genuineness of the grounds put forth in the application, grant him permission in writing to apply to the registering authority for grant of registration certificate separately for each place of business :

Provided that for the purpose of determining the liability of such dealer for payment of tax under the Act his turnover in respect of all the places of business in the State shall be taken into consideration.

(3) An application for grant of registration certificate under section 18 shall be made in form 14 to the registering authority and shall be signed and verified in the manner laid down in clauses (i) and (ii) of sub rule (1).

12: Grant of Registration Certificate -

(1) (i) On the day, the application for grant of registration certificate under section 16 is received, the registering authority shall grant to the applicant a registration certificate in form 11.

(ii) On the day the application for grant of registration certificate under section 18 is received, the registering authority shall grant a registration certificate in form 15.

(2) After the issue of the registration certificate, the registering authority shall, with a view to verify the correctness of the particulars given in the application, call for the applicant's accounts and require him to produce evidence and documents in support of the particulars given in the application. On verification of the accounts and the documents furnished to him if the registering authority is satisfied about the correctness of the particulars given in the application are incorrect, it shall reject the application and

cancel the registration certificate in accordance with the provision of clause (c) of sub section (4) of section 16.

(3) The requirement to furnish the evidence and documents under sub-rule (2) shall be limited to the particulars given in the application in form 10 for grant of a registration certificate.

13: Grant of duplicate copy of registration certificate -

If a registration certificate granted under these rules is lost, destroyed, defaced or becomes unintelligible, the registering authority shall on application and on payment of a fee of rupees fifty per copy, grant a duplicate registration certificate. Such certificate shall be stamped "Duplicate" in red ink.

14: Supply of certified copies of registration certificate and its exhibition -

(1) The registering authority shall issue to the dealer a certified copy of the registration certificate and where the dealer has more than one place of business in the State, he shall issue to the dealer two certified copies of the registration certificate for every additional place of business enumerated therein.

(2) Every registered dealer shall conspicuously display at each place of his business the registration certificate or the certified copy thereof.

15: Information under Sub-section (8) of section 16-

(1) Every dealer or if he dies, his legal representative who is required to furnish information under sub-section (8) of section 16, shall, within thirty days of the occurrence of any event specified therein furnish the information relating to such event in writing together with his registration certificate, if any, to the registering authority for cancellation, amendment or replacement thereof, as the case may be.

(2) If a dealer enters into partnership in regard to his business, he shall report the fact to the registering authority within thirty days of entering into such partnership.

(3) If a partnership is dissolved every person who was a partner shall send a report of the dissolution to the Registering Authority within thirty days of such dissolution.

16: Amendment of registration certificate-

(1) Where any registered dealer on the occurrence of any event referred to in sub-section (8) of section 16 or in pursuance of any other provision of the Act, makes an application for amendment of his registration certificate, the registering authority, if it is satisfied after making such enquiry as it may think necessary, that the information furnished by the applicant is correct, shall amend the registration certificate of the applicant within the period specified in clause (a) of sub-section (9) of section 16.

(2) If on enquiry made in respect of the application made by a registered dealer, the registering authority is not satisfied about the correctness of the information given in the application, it shall, for reasons to be recorded in writing, reject the application of the applicant within the period specified in clause (a) of sub-section (9) of section 16. An intimation regarding the rejection of the application for amendment, stating reasons therefor, shall be sent to the applicant within seven days of the date of the order rejecting the application.

(3) Where any person holding a registration certificate issued under section 18 of the Act, makes an application for amendment of registration certificate, the registering

authority, after making such enquiry as it deems necessary, shall amend the registration certificate.

17: Information on the death of a dealer-

When any dealer dies, his legal representative shall, within thirty days of his death, inform the registering authority about it in writing.

18: Cancellation of registration certificate under sub-section (10) of sec. 16-

(1) When a registration certificate issued to a dealer becomes liable for cancellation under clauses (a), (b) or (c) of sub-section (10) of section 16 the registering authority shall after making such enquiry as it thinks necessary, cancel the registration certificate of the dealer.

(2) A dealer may apply to the registering authority in form 12 for the cancellation of his registration certificate on any of the grounds mentioned in clauses (a), (b) or (c) of sub-section (10) of section 16. If the application is on the ground mentioned in clause (a) of sub-section (10) of section 16 he shall also tender along with the application the registration certificate together with certified copies thereof, if any. On the receipt of such application, the registering authority shall, if it is satisfied after making such enquiries as it deems necessary, that the application is correct, cancel the registration certificate.

(3) If in the opinion of the registering authority there are reasons for cancellation of the registration certificate of a dealer under clause (d) or clause (e) of sub-section (10) of section 16 it shall, after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, pass such order as it deems fit.

(4) The cancellation of the registration certificate under sub-rule (2) or sub-rule (3) shall take effect from -

(i) the date of discontinuance or transfer of business, if the case falls in clause (a) of sub-section (10) of section 16; and

(ii) the date of communication of order to the dealer if the case falls in clause (b), clause (c), clause (d) or clause (e) of sub-section (10) of section 16.

(5) Where an application has been made by the dealer under sub-rule (2) for the cancellation of his registration certificate on the ground mentioned in clause (b) or clause (c) of sub-section (10) of section 16 and no orders are passed and communicated to the dealer within a period of six months from the date of receipt of such application, it shall be deemed that his registration certificate is cancelled with effect from the date immediately following the date of expiry of a period of six months from the date of receipt of such application and thereupon such dealer shall send an intimation in form 13 to that effect to the registering authority.

(6) The list of registration certificates cancelled during a year shall be exhibited on the notice board of the office of the registering authority and be given wide publicity, in such manner as the commissioner may, by general order, direct.

(7) Where any person holding a registration certificate issued under section 18, makes an application for cancellation of registration certificate the registering authority, after making such enquiry as he deems necessary, shall cancel the registration certificate.

19: bmission of ;istration ·tificate for ıcellation-

(1) (a) A dealer, whose registration certificate is cancelled by an order of the registering authority under sub-rule (2) or sub-rule (3) of rule 18, shall within seven days from the

date of communication to him of such order submit his registration certificate together with certified copies thereof, if any, to the registering authority for cancellation.

(b) A dealer whose registration certificate is deemed to be cancelled under the proviso to sub-rule (5) of rule 18, shall within seven days from the e xpiry of the period of six months specified in the said proviso, submit his registration certificate together with certified copies thereof, if any, along with an application in form 13 to the registering authority for cancellation.

(2) If any such dealer dies before submitting his registration certificate under clause (a) or clause (b) of sub-rule (1) his legal representative shall submit the said certificate and the certified copies thereof, if any, to the registering authority within the period mentioned in sub-rule (1).

CHAPTER - VI

20: Returns-

(1) Any dealer, other than a registered dealer, required to do so by the commissioner by issue of a notice in form 16 shall furnish to the appropriate Commercial Tax Officer within thirty days from the date of service of such notice a return or returns in form 17.

(2) (a) Subject to the provisions of sub-rules (3), (4) and (5) every registered dealer and every dealer whose registration certificate has been cancelled under clause (d) or clause (e) of sub-section (10) of section 16 of the Act on or after the date of commencement of the Act shall furnish to the appropriate Commercial Tax Officer for each quarter of a year a quarterly return in form 17 within thirty days from the date of expiry of the quarter to which the return relates. Every such return shall be accompanied by a treasury receipted challan in form 34 in proof of the payment of tax payable according to such return:

(b) Every registered dealer specified in clause (a) shall furnish a statement in form 18 for a year within 8 months of the expiry of the year showing therein the amount of tax and interest payable and paid by him, if any, or the amount of input tax rebate due to him and refundable to him or adjustable towards the tax payable by him for the period subsequent to the year to which such statement relates. Every such dealer required to furnish the audit report under sub-section (2) of section 41 shall also furnish such report along with the statement.

(3) A registered dealer having more than one place of business in the state shall furnish a consolidated quarterly return in form 17 and a consolidated statement for a year in form 18 for all the places of business and each of such returns in form 17 separately for each of such places of business in the state within the period specified in sub-rule (2). Each consolidated return shall be accompanied by a treasury receipted challan in form 34 in proof of the payment of tax payable according to such consolidated quarterly return.

(4) If a dealer becomes liable to pay tax during any quarter of a year, other than the last quarter of that year, the return in form 17 for the subsequent month or quarter shall include the broken period relating to the preceding month or quarter, as the case may be.

(5) Where the commissioner permits under the provisions of rule 24 a registered dealer specified in clause (a) of sub-rule (2) to file a return for a different period he shall furnish such return in form 17 by such date as the commissioner may direct.

(6) Where any business is in charge of a guardian, trustee or agent of a minor or other incapacitated person, or is carried on, as a guardian, trustee or agent on behalf and for the benefit of such minor or other incapacitated person, such guardian, trustee or agent shall, in respect of the turnover of the said business furnish the returns in accordance with the provisions of sub-rule (2) or sub-rule (3), as the case may be.

(7) Notwithstanding anything contained in the provisions of sub-rule (3), if on the application of any registered dealer having more than one place of business in the state, the commissioner is satisfied that submission of separate returns under the said sub-rule is not necessary, he may, by an order in writing exempt such dealer from submitting such returns and statement with effect from such date as may be specified in the order.

21: Monthly Returns-

(1) The commissioner may, after giving any registered dealer referred to in clause (a) of sub-rule (2) of rule 20 a reasonable opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing, fix monthly returns for such dealer. Every such dealer shall furnish the return in form 17 for each month within fifteen days of its expiry.

(2) The provisions of rule 20 shall, as far as may be, apply to returns furnished under this rule.

22: Revised return-

(1) (a) A registered dealer who desires to submit a revised return under sub-section (2) of section 19, in respect of any quarter of a year other than the last quarter, shall do so at any time before the date on which the return for the last quarter of that year becomes due or would have become due but for the closure of his business.

(b) A revised return in respect of the last quarter of such year shall be furnished by him at any time before the date on which return for the first quarter of the year immediately succeeding, becomes due or would have become due but for the closure of his business.

(2) A revised return referred to in clause (a) or clause (b) of sub-rule (1), shall be furnished in form 17 and shall be accompanied by -

(a) an explanatory note specifying the omission, error or wrong statement by reason of which it has become necessary to furnish a revised return and indicating the difference between the original and the revised return.

(b) a copy of challan in proof the payment of the amount of tax if any, payable in addition to the tax already paid along with the return filed under the provisions of clause (a) of sub-rule (2) of rule 20 and interest payable on such amount.

23: Terms and conditions subject to which exemption to any dealer from furnishing returns may be granted-

(1) A registered dealer required to furnish quarterly returns under clause (a) of sub-rule (2) of rule 20 may make an application in form 19 for exemption from furnishing of quarterly returns to the Commissioner so as to reach him not later than thirty days of the commencement of the year for which the exemption is applied for, and if the Commissioner is satisfied that the dealer who is not a manufacturer or an importer, is not likely to make any taxable purchases or sales during the year, he may grant him an exemption certificate in form 20 for that year.

(2) The exemption granted under sub-rule (1) shall be subject to the following terms and conditions, namely,-

(i) If the registered dealer makes during the period of exemption any sale or purchase which is taxable, he shall, within fifteen days from the date of such sale or purchase give information thereof to the appropriate Commercial Tax Officer.

(ii) The registered dealer shall furnish the returns by the date and in the manner prescribed under these rules, beginning with the period commencing with the quarter during which the sale or purchase aforesaid takes place.

(3) An exemption certificate granted under sub-rule (1) may, on an application made in form 19 by the dealer in this behalf, one month before the date of expiry of the period of exemption be renewed for one year at a time.

(4) The Commissioner may, after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, and for reasons to be recorded in writing cancel any exemption certificate for good cause.

24: Terms and conditions subject to which permission to furnish return for different period may be granted -

(1) A registered dealer required to furnish quarterly returns under clause (a) of sub-rule (2) of rule 20 may make an application to the Commissioner in form 21 for grant of permission under the proviso to sub-section (1) of section 19 to furnish an annual return. Such application shall be made within thirty days of the commencement of the year in respect of which the permission is sought and the Commissioner shall pass order on every such application before the expiry of the first quarter of the said year.

(2) Permission to furnish an annual return shall not be granted to a dealer who -

(a) is required to furnish monthly returns under rule 21; or

(b) fails to pay any tax payable by him under the Act or under any earlier law, or under the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956); or under the Chhattisgarh, Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh par Ker Adhiniyam 1976 (52 of 1976)

(c) fails without sufficient cause to furnish returns under the Act; or

(d) is convicted of an offence punishable under the Act, or under any earlier law; or

(e) has not submitted all the returns for the year immediately preceding the year in respect of which the permission is sought.

(3) Nothing contained in sub-rule (2) shall restrict the Commissioner from permitting a dealer to furnish an annual return where such registered dealer is the Central or a State Government or any of their departments.

(4) The permission shall be granted in form 22 and shall be subject to the following terms and conditions :

(i) the registered dealer shall pay within thirty days of the expiry of each quarter tax equal to one fourth of the amount of tax to which he has been assessed for the latest preceding year or one fourth of the amount of tax payable according to his returns for the latest preceding year, whichever is greater;

(ii) the registered dealer shall furnish the return within ninety days of the expiry of the period in respect of which such permission is granted and shall pay along with the return the balance of tax, if any, representing the difference between the tax payable according to such return and the tax already paid by him;

(iii) the return for such different period shall be accompanied by a copy of challan in form 34 in respect of tax paid for the quarter or quarters of the period to which such return relates;

(iv) the permission shall stand automatically revoked if the dealer is convicted of an offence punishable under the Act or under any repealed Act and in that case he shall furnish all the returns normally due from him in accordance with the provisions of section 19 within a period of thirty days from the date of such conviction; and

(v) the permission granted under this rule shall be liable to be cancelled for breach of any of the terms and conditions subject to which it has been granted.

25: Notice under sub-section (5) of section 19-

(1) The notice under clause (a) of sub-section (5) of section 19 shall be in form 23.

(2) The notice under clause (b) of sub-section (5) of section 19 shall be in form 24.

26: Furnishing of return by persons liable for tax deduction at source -

(1) Every person liable for tax deduction at source under section 27 of Act shall furnish return in form 25 for each quarter of a year within thirty days of the exrity of the quarter. Every return shall be accompanied by treasury-receipted challan in form 35 in proof of payment of the amount payable according to such return.

(2) Every person referred to in sub rule (1) shall furnish return even if no tax is payable by him for any quarter.

27: Production of documents-

(1) A dealer who desires to claim deduction from his turnover under the provisions of sub-clause (1), (2) or (3) of clause (w) of section 2, shall produce at the time of assessment the cash memoranda, invoices or bills or purchase vouchers or other relevant documents in support of such claim.

(2) A registered dealer who desires to claim deduction from his turnover in respect of sales of any goods by him liable to tax under section 8 on the ground that such sales are deemed to have taken place in the course of export out of the territory of India within the meaning of sub-section (3) of section 5 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), shall in support of his claim, produce a declaration in form 26 obtained from the purchasing registered dealer who actually sold the goods in the course of export out of the territory of India with the annual statement in form 18 and copies of relevant cash memoranda, invoices or bills before the assessing authority at the time of assessment.

28: Selection of dealers for re-assessment under sub-section (2) of section 21-

The Commissioner shall direct every year, that such number of dealers in each circle, deemed to have been assessed under sub-section (2) of section 21 as may be selected under a system that may be evolved by him, be assessed under sub-section (4) or sub-section (5) of section 21, as the case may be.

29: Notice under sub-section (4) of section 21 -

The notice required to be issued under sub-section (4) of section 21 shall, as far as may be, be in form 27 and the date fixed for compliance therewith shall not ordinarily be less than thirty days from the date of service thereof.

30: Manner of assessment, re-assessment and imposition of penalty-

(1) Where -

(a) a dealer has failed to comply with a notice issued under sub-section (1) of section 19; or

(b) a registered dealer has failed without sufficient cause, to furnish returns in form 17 under clause (a) of sub-section (2) of section 19 for any period and the statement in form 18 under clause (a) of sub-section (2) of the said section by the prescribed date; or

(c) a registered dealer has rendered himself liable to best judgment assessment under sub-section (5) of section 21; or

(d) a dealer has rendered himself liable to best judgment assessment under sub-section (6) of section 21; or

(e) the sale or purchase of goods by a dealer during any period has been under assessed or has escaped assessment, or has been assessed at a lower rate or any deduction has wrongly been made there from or input tax rebate has incorrectly been allowed, or

(f) a dealer has concealed his turnover or aggregate of purchase prices in respect of any goods or has furnished a false return, or

(g) an assessment is rendered erroneous and prejudicial to the interest of revenue consequent to or in the light of any judgment or order of any court or tribunal, which has become final,

then, in every such case, the assessing authority shall serve on the dealer a notice which shall, as far as may be, be in form 28 specifying the default, escapement or concealment, or incorrect allowance of input tax rebate, as the case may be, and call upon him to show cause by such date, ordinarily not less than thirty days from the date of service of the notice as may be fixed in that behalf, why he should not be assessed or re-assessed to tax or to the best of judgment and /or penalty should not be imposed upon him and direct him to produce on the said date his books of accounts and other documents which the assessing authority may require and any evidence which he may wish to produce in support of his objection :

Provided that no such notice shall be necessary where the dealer, appearing before the assessing authority, waives such notice.

(2) On the date fixed in the notice issued under sub-rule (1) or in case the notice is waived, on such date which may be fixed in this behalf, the assessing authority shall, after considering the objections raised by the dealer and examining such evidence as may be produced by him and after taking such other evidence as may be available, assess or reassess, the dealer to tax and/or impose penalty or pass any other suitable order.

(3) In making an assessment to the best of his judgement under sub-section (5) or sub-section (6) of section 21 the assessing authority shall, as far as practicable, have due regard to the extent of the business carried on by the dealer, the surrounding circumstances and all other matters which may be of assistance in arriving at a fair and proper estimate of the taxable turnover of the dealer.

31: ice under sub-ion (6) of section sub-section (8) of ion 25, sub-section of section 42, sub-ion (2) of section sub-section (6) of ion 57 and rule 82

(1) Where -

(a) a dealer without reasonable cause fails to get himself registered within the prescribed time as required by sub-section (1) or sub-section (2) of section 16; or

(b) a dealer fails to pay the tax assessed or penalty imposed on him or any other amount due from him within the time specified therefor in the notice of demand and the dealer has not obtained any order under sub-section (7) of section 25 or has failed to pay tax or penalty in accordance with the order passed under sub-section (6)thereof; or

(c) a registered dealer, who contravenes the provisions of sub-section (1) of section 42; or

(d) a registered dealer has concealed his turnover or aggregate of purchase price or has furnished false particulars of sales/purchases in returns furnished by him; or

(e) a dealer has not accounted for any goods in the books, registers or accounts maintained by him with a view to evade payment of tax; or

(f) a dealer contravenes the provisions of any rule made under the Act,

then, in every such case, the assessing authority or the authority competent to impose penalty, as the case may be, shall serve on the dealer, a notice which shall, as far as may be, be in form 29 specifying the default and call upon him to show cause by such date, ordinarily not less than fifteen days from the date of service of the notice, as may be fixed in that behalf, why a penalty should not be imposed upon him and may require him to produce any evidence which he may wish to produce in support of his objection ;

Provided that no such notice shall be necessary when the dealer appearing before the assessing authority or the authority competent to impose penalty, as the case may be, waives such notice.

(2) On the date fixed in the notice issued under sub-rule (1) the assessing authority or the authority competent to impose penalty, as the case may be, shall, after considering objections raised by the dealer and examining such evidence as may be produced by him and after taking such other evidence as may be available, impose a penalty or pass any other suitable order. An authenticated copy of the order shall be served on the dealer.

32: Form of order of assessment and/or penalty -

(1) The order of assessment or re-assessment shall be in form 30.

(2) An order imposing a penalty under any of the provisions of the Act, or of the rules made thereunder in respect of any period may be incorporated in the order of assessment relating to that period unless it is passed separately.

(3) An authenticated copy of the order mentioned in sub-rules (1) and (2) shall be served on the dealer.

33: Assessment case record -

(1) The papers relevant to the making of an assessment in respect of any particular dealer shall form an assessment case record, and shall be arranged in two separate classes of files 'A' and 'B' which shall be kept together. The 'A' class of file shall contain important papers such as order sheets, returns, challans, notices, assessment orders, documents, copies of decisions of appeal or revision. The 'B' class of file shall contain the declarations and all other papers like rough calculations, enquiries from other districts.

(2) The 'A' and 'B' class of files shall be preserved for 6 years, from the date of the final disposal of the case.

34: Enrollment of tax practitioners -

(1) Every person who is entitled to appear as a Tax Practitioner in any proceeding under the Act shall make an application in form 31 to the Commissioner.

(2) Every person making an application for enrollment under sub-rule (1) shall deposit a fee of rupees one hundred.

(3) On receipt of the application under sub-rule (1), the Commissioner after satisfying himself about the correctness of the particulars given in the application enroll the name of the applicant as Tax Practitioner in the register in form 32 and shall grant to the applicant a certificate in form 33.

(4) An intimation about each enrollment as tax practitioner shall be sent by the Commissioner to such person.

(5) If any tax practitioner found guilty of misconduct is disqualified under the provisions of sub-section (7) of section 24, the name of such person shall be removed from the register in form 32.

35: Payment of tax -

(1) Every registered dealer, other than a dealer to whom the provisions of sub-rule (2) apply, shall pay tax quarterly within thirty days of expiry of the quarter to which the tax, to be paid relates.

(2) (a) Every registered dealer who is liable to pay tax under the Act and required to furnish quarterly return shall pay on or before the 10th of the second and third month respectively, of every quarter, an amount equal to, -

(i) actual amount of tax payable by him for the first and second month of that quarter or one third of the tax deposited in respect of the corresponding quarter of the preceding year, if he is liable to pay tax under the Act ordinarily at the rate of rupees fifteen thousand per quarter or rupees sixty thousand per annum or above, and

(ii) actual amount of tax payable by him for the first and second month of the quarter if he is liable to pay tax ordinarily at the rate of rupees twenty five lacs per quarter or rupees one crore per annum or above.

Provided that for the last month of the last quarter the dealer specified in clause (i) shall pay either an amount, equal to one third of the tax deposited in respect of the last quarter of the preceding year or the actual amount of tax payable for the first 25 days and the dealer specified in clause (ii) shall pay the actual amount of tax for the first 25 days before the last day of such last month.

(b) the balance of the amount of tax due from him for a quarter, according to the returns, shall be paid on or before the date prescribed for furnishing for such return.

(3) A dealer to whom permission has been granted under rule 24 to furnish return for different period, shall pay the tax for such period by the dates specified in the order in form 22.

36: Method of payment -

(1) Every dealer or person shall pay the amount of tax, penalty, fee, interest, or any other amount, direct into the Government Treasury or at the designated branch of a scheduled Bank which for the time being, is transacting treasury business of the Government of Chhattisgarh, either in cash or by a cheque or bank draft drawn on any scheduled bank. Subject to the provisions of sub-rule (6), no payment of any such amount shall be accepted at the office of the Commercial Tax Officer or any other authority appointed by or under the Act :

Provided that where the dealer is the Central or a State Government or any of their departments, the payment may be made by book adjustment and intimation thereof sent to the appropriate Commercial Tax Officer within thirty days of such payment.

(2) Where payment of any amount payable under the Act other than the amount of tax deducted at source under section 27 is to be made in cash every such payment shall be made by a challan in form 34 and the payment of the amount of tax deducted at source

under section 27 shall be made in form 35. The challan in form 34 or 35 shall be filled in five copies.

(3) Where payment is made by cheque or bank draft,-

(a) the cheque or bank draft shall be crossed and made payable to the Government of Chhattisgarh with the following endorsement :

'Pay to Government of Chhattisgarh under head 040-commercial tax'

(b) the cheque or bank draft shall be tendered to the bank along with challan in form 34 or 35, as the case may be, in five copies duly filled in. Encashment of the cheque or bank draft and crediting of the amount of such cheque or bank draft into Government account shall be governed by the rules of the bank for the time being in force;

(c) the cheque or bank draft shall be payable on the date of presentation and shall not be post-dated;

(d) the date on which adjustment is made and the amount covered by the cheque or bank draft is credited by the bank into Government account by challan, shall be deemed to be the date of payment of the amount to which the cheque or bank draft relates.

(4) Where payment of any amount under sub-rule (2) or sub-rule (3) is made into the bank directly, the challan presented by the dealer need not be passed by the Treasury Officer or the Commercial Tax Officer concerned and it shall be directly accepted by the bank.

(5) On crediting the amount to Government account, the bank shall return to the payer the third and fourth copy of the challan duly signed and forward the original copy directly to the Commercial Tax Officer concerned and retain second and the fifth copy, to be forwarded to the Treasury Officer with the daily account The fifth copy shall be sent by the Treasury Officer to the Accountant General, Chhattisgarh.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) any amount upto such a limit that the Commissioner with the previous approval of the State Government, notify, may be paid in the office of the appropriate Commercial Tax Officer.

37: Fraction of a rupee to be rounded of-

If the amount of tax and/or penalty or interest includes a fraction of a rupee, a fraction of a rupee of and above fifty paise shall be rounded to the nearest rupee and a fraction of a rupee below fifty paise shall be omitted.

38: Reconciliation of payments-

In the first week of each month, the appropriate Commercial Tax Officer shall prepare a statement of the collections of revenue and shall forward it to the Treasury Officer for verification. If any discrepancy is discovered at the time of verification, the appropriate Commercial Tax Officer shall send the necessary records to the Treasury Officer for reconciliation of accounts.

39: Notice of demand for payment of any sum due under the Act-

Subject to the other provisions of these rules, if any sum is payable by a dealer or a person under any of the provisions of the Act or these rules, a notice in form 36 shall be served on him specifying a date, not less than thirty days from the date of service of the notice on which payment shall be made, and specifying a date on or before which the dealer or the person, as the case may be, shall produce or send the treasury receipted challan in proof of payment of such sum :

Provided that, -

(i) where an order has been passed under section 48 or section 49 and the sum payable by the dealer or person under the Act or the rules has been quantified by the authority

passing such order, the balance, if any, or the additional amount, if any, to be paid as a consequence of such order shall be paid by the dealer or person within thirty days from the date of service of such order on him and he shall within the said period produce or send the treasury receipted challan in proof of payment of such sum to the appropriate assessing authority :

(ii) where a dealer is the Central or a State Government or any of their departments, the payment may be made in the manner provided in rule 36.

40: Recovery of tax, penalty, interest or any other sum payable under the Act- If after the expiry of the date fixed under rule 39 or when the date is extended under sub-section (7) of section 25 after the expiry of the extended date, any amount of tax, penalty, interest, fee or any other sum payable under the Act by a dealer or person assessed or re-assessed, imposed or computed or payable, as the case may be, or any part thereof remains unpaid, the assessing authority shall apply to the competent authority to recover such amount as an arrear of land revenue.

41: Notice for recovery of modified amount under sub-section (12) of section 25- The intimation required to be given to the dealer or the person, as the case may be, and the authority by whom or under whose order the recovery is to be made, shall as far as possible, be in form 37 and shall be given within six months from the date of order passed in appeal or revision under section 48 or section 49 or on rectification of mistake under section 56.

42: Report of recovery of tax, penalty or any other amount - After recovery of any tax, penalty, interest or any other amount due under the Act, the authority by whom or under whose order the recovery has been made under sub-section (11) of section 25 shall report to the assessing authority the amount so recovered and the number and date of the challan under which it is credited into the treasury.

43: Notice of demand and payment of tax in advance of assessment and the manner of its payment -

(1) The notice under sub-section (3) of section 26 shall be in form 38.

(2) The amount of the tax payable under section 26 shall be paid in the manner laid down in rule 36.

(3) The tax demanded in the notice in form 38 shall be payable within seven days from the date of the service of the notice.

44: Payment of sums deducted under section 27 and issue of certificate thereof -

(1) The amount deducted under sub-section (1) of section 27 by a purchaser and the amount deducted by a person under sub-section (2) of the said section shall be deposited by him in the Government treasury by challan in form 35 within ten days from the date of deduction.

(2) (a) For the amount deducted under sub-section (1) of section 27, the purchaser shall issue a certificate in form 39 in duplicate to the dealer supplying goods to the Central

Government or the State Government within ten days of the deposit of such amount under the provision of sub--rule(1).

(b) For the amount deducted under sub-section (2) of section 27; the person shall issue a certificate in form 40 in duplicate to the contractor within ten days of the deposit of such amount under the provision of sub-rule (1).

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) of rule 20, the dealer supplying or selling goods to the Central Government or the State Government or the contractor supplying goods in the execution of a works contract let out by a person shall, unless the contrary is proved, be deemed to have paid tax on the turnover of goods sold to the Central Government or the State Government or the person, if he furnishes one copy of the certificate in form 39 or 40 as the case may be as if he had credited the amount of tax by the treasury challan. The certificate shall be filed along with the return in form 17 if the taxable turnover is included in the return or separately if it is received late from the Central Government or the State Government or from the person.

(4) (a) For obtaining a certificate under section 28 a dealer or a contractor, as the case may be shall apply in form 41 the appropriate Commercial Tax Officer within thirty days from the date of supply of goods or the date of commencement of the supply of goods in the execution of a works contract. On the receipt of the application, the Commercial Tax Officer shall verify the particulars given in the application and if the application has been made after the aforesaid period, shall mentioning this fact send his report to the deputy commissioner within fifteen days of the receipt of the application.

(b) On receipt of the report of the Commercial Tax Officer the deputy commissioner shall after satisfying himself about the correctness of the particulars given in the application and after condoning the delay, if any and recording in writing reasons therefor, grant to the applicant certificate in form 42 within fifteen days of the report from the Commercial Tax Officer.

(5) The statement required to be furnished under sub section (8) of section 27 shall be in form 43 and shall be furnished for every quarter of a year by the person referred to in the said sub-section to the Commercial Tax Officer of the circle wherein the selling dealer has obtained a registration certificate under section 16 of the Act within seven days of the expiry of the quarter.

45: Notice for recovery from third parties-

Where the Commissioner or any Officer other than an Inspector appointed to assist him under section 3 proceeds under section 29 to recover any tax, interest, penalty or any other amount outstanding against a dealer from any other person from whom any amount is due to such dealer or who holds or may hold any money for or on account of such dealer, he shall issue a notice in form 44.

46: Procedure for forfeiture of the amount collected by way of tax in contravention of the provisions of sub-section (1) of section 37 and for refund of such amount

(1) The notice under sub-section (3) of section 37 shall be in form 45.

(2) Where an order for forfeiture is made the authority passing the order therefor shall, by a notice placed on the notice board of its office, publish the following details for information of the persons concerned, namely -

(i) The name and address of the dealer and the registration certificate number, if any, in whose case the order is passed;

(ii) Date of order;

(iii) The amount forfeited;

(iv) Description of goods in respect of which the amount forfeited was collected;

(v) The period to which the order passed relates;
(vi) Reasons for forfeiture.

(3) The person from whom the forfeited amount had been unauthorisedly collected shall make an application in form 46 for claiming the refund of such amount.

CHAPTER – VII

47: Refund by cheque or by refund payment order-

(1) (a) When an order directing the refund of any amount has been made by an Assistant Commercial Tax Officer, or a Commercial Tax Officer, the Commercial Tax Officer and when such order is made by an Assistant Commissioner, the Assistant Commissioner shall grant such refund by cheque;

Provided that till such time the State Government approves of a scheme and lays down procedure for refund of any such amount by cheque, such Commercial Tax Officer or Assistant Commissioner shall issue to the dealer a refund payment order in form 47 for such amount as may remain after deducting any amount in respect of which a notice under sub-section (5) of section 25 has been issued or which has to be adjusted under rule 48.

(b) Where the amount for which the cheque or the refund payment order is issued exceeds rupees five thousand, such cheque or refund payment order shall be crossed and made "Account Payee".

(2) The refund payment order and a copy thereof for use in the treasury shall be delivered to the dealer for presentation to the treasury for obtaining the payment.

48: Refund adjustment order -

(1) The Commercial Tax Officer or the Assistant Commissioner as the case may be, may issue a refund adjustment order in form 48 for the adjustment of the refundable amount towards the amount of tax payable according to the return or returns for any period following the date on which the refund is sanctioned.

(2) If the authority empowered to grant a refund is required under sub-section (4) of section 39 to apply the refundable amount or part thereof towards the recovery of tax, penalty, interest or any other amount or part thereof due under the Act or the repealed Act or the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) it shall issue a refund adjustment order in respect of such amount.

(3) The refund adjustment order shall be made out in triplicate, one copy shall be issued to the dealer, second copy marked at top as 'for use in treasury only' shall be sent to the Treasury Officer and the third copy shall be retained by the authority issuing such order.

49: Submission of refund adjustment order with the return-

In support of any claim for payment of tax payable according to any return by adjustment under rule 48, the dealer shall attach a copy of the refund adjustment order to such return to be furnished by him under the Act or under the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).

50: Intimation of book numbers-

Every Commercial Tax Officer and an Assistant Commissioner issuing refund payment order or refund adjustment order shall intimate the numbers of the books thereof in use for the time being to the Treasury and Sub-treasury Officer within his jurisdiction.

51: Order sanctioning interest on delayed refund-

Where a refund payment order is issued under rule 47 the authority issuing such order shall simultaneously record an order sanctioning the interest payable under sub-section (5) of s ection 39, if any, on such refund specifying therein the amount of refund, the payment of which was delayed, the period of delay for which such interest is payable and the amount of interest payable by the State Government and shall communicate the same to the dealer to whom the interest is payable.

52: Interest payment order-

(1) Where an order for the payment of interest on delayed refund under rule 51 has been made, the sanctioning authority shall make payment of the interest by cheque;

Provided that till such time the State Government approves of a scheme and lays down procedure for payment of the amount of interest by cheque, the sanctioning authority shall issue to the dealer an interest payment order in form 49.

(2) The interest payment order and a copy thereof for use in the treasury shall be delivered to the dealer for presentation to the treasury for obtaining payment.

CHAPTER – VIII

53: Furnishing of audit report and conditions to maintain accounts in different form and manner-

(1) Every dealer required to furnish audit report under sub-section (2) of section 41 shall furnish such report in form 50 to the appropriate Commercial Tax Officer along with the statement in form 18.

(2) If the Commissioner considers it necessary that a dealer or class of dealers shall maintain accounts including records of sale or purchase in a particular form, he shall, after recording reasons therefor in writing –

(i) by issue of an order in form 51 to such dealer, or

(ii) by issue of a notification under sub-section (2) of section 41 to such class of dealers,

direct to maintain accounts in the form appended to the order/notification after the expiry of the month following that in which such order or notification is made or issued.

54: Particulars required in a bill, invoice or cash memorandum :

Every registered dealer who is required under sub-section (1) of section 42 to issue a bill, invoice or a cash memorandum shall specify in the bill, invoice or cash memorandum, name and style, the address of his place of business and the number of his registration certificate, the particulars of goods sold, the sale price thereof, the amount of tax collected under sub-section (i) and/or under sub-section (ii) of section 8 if colleted separately and shall for each year serially number such bill, invoice or cash memorandum, and where the sale price is rupees one thousand or more the dealer shall enter in the bill, invoice or cash memorandum the full name and address of the buyer and his registration certificate number, if any.

CHAPTER IX

55: Delegation of Commissioner's powers-

The Commissioner may subject to restrictions and conditions specified in column (4) delegate the powers conferred and the duties imposed upon him under the section or, as the case may be, rule framed under the Act as specified in column (2) of the table

below and described in corresponding entry in column (3), to the officer not below the rank specified in column (4) thereof:-

S.No. (1)	Section/ Rules (2)	Description of Power (3)	Designation of Officer and conditions of delegation (4)
1	5	To determine liability to pay tax	Assistant Commercial Tax Officer
2	16 and 18	(i) To grant registration certificate under section 16 and 18	Assistant Commercial Tax Officer
		(ii) To impose penalty under sub-section (6) of section 16, and	Assistant Commercial Tax Officer
		(iii) To amend or cancel a registration certificate	Assistant Commercial Tax Officer
3	19	(i) To require any dealer to furnish returns	Assistant Commercial Tax Officer
		(ii) To exempt a dealer from furnishing returns or to permit a dealer to furnish returns for different period	Deputy Commissioner
		(iii) To exempt a registered dealer having more than one place of business from submitting separate returns in respect of each place of business	Deputy Commissioner
		(iv) To impose penalty	Assistant Commercial Tax Officer
4	21, 22, 25 and 36.	To make an assessment or re-assessment of tax for any period in respect of turnover and/or to impose penalty or to levy interest or to grant further time to pay such tax, interest and/or penalty or to allow the payment of tax, interest or penalty in installment, to set aside an ex-parte order and to exercise all other powers under sections 21,22,25 and 36.	(i) Assistant Commercial Tax Officer up to a turnover and/or aggregate of purchase price of Rs. one crore (ii) Commercial Tax Officer upto a turnover and / or aggregate of purchase price of Rs. three crores, and (iii) Assistant Commissioner in respect of every dealer.
5	26	To require a registered dealer to pay tax in advance of assessment on failure to furnish returns.	Assistant Commercial Tax Officer
6	27	To impose penalty	Assistant Commercial Tax Officer

7	37	To pass an order including an order of forfeiture of any amount collected by any dealer or person in contravention of the provisions of sub-section (1)of section 37, publication of notice thereof and refund of such amount to the person from whom it was so collected.	Assistant Commercial Tax Officer
8	39	(i) To sanction refund of excess tax or penalty, interest , input tax rebate, or any other amount (ii) To sanction payment of interest on delayed refunds	Commercial Tax Officer
9	41	To require a registered dealer to keep accounts in a particular form and manner	Deputy Commissioner
10	42	To impose penalty for not issuing a bill, invoice or cash memorandum or for not maintaining counterfoil or duplicate of such bill, invoice or cash memorandum or for not preserving the counterfoils thereof as per the provisions of section 42(1)	Assistant Commercial Tax Officer
11	44	To transfer any proceeding or any class of proceedings under any provision of the Act	Deputy Commissioner
12	46	Power to call for information in certain cases	Assistant Commercial Tax Officer
13	49	Power of revision	Deputy Commissioner
14	54	To impose penalty	Assistant Commercial Tax Officer
15	56	To rectify mistake under sub-section (I) of section 56	Assistant Commercial Tax Officer
16	57	(i) Powers under sub- sections (3) to (5) (ii) Powers under sub-section (6)	Inspector of Commercial Tax Assistant Commissioner
17	Rule 82	To impose penalty in respect of contravention of any rule	Assistant Commercial Tax Officer

56: Service of notice, summons and orders -

(1) Notice or summons or order under the Act or any rules made thereunder may be served by any of the following methods -

(i) by delivering or tendering to the addressee or his agent by hand of a copy of the notice, summons or order, or

(ii) by post :

Provided that if upon an attempt having been made to serve any such notice, summon or order by any of the above mentioned methods, the authority issuing it is satisfied that the addressee is avoiding the notice or summons or order or that for any other reason, the notice, summons or order can not be served by any of the above mentioned methods, the said authority shall cause such notice, summons or order to be served by affixing a copy thereof -

(a) if the addressee is a dealer, on some conspicuous part of the dealer's office or the building in which his office is located or upon some conspicuous part of any place of the dealer's business last notified by him; and

(b) if the addressee is not a dealer, on some conspicuous part of his residence or office or the building in which his residence or office is located,

and such service shall be deemed to have been made on the addressee personally.

(2) When the officer serving a notice, summons, delivers or tenders a copy of the notice or summons to the addressee personally or to his agent he shall obtain the signature on the original notice, summons of the person to whom it is so delivered or tendered as an acknowledgment of service :

Provided that where the addressee or his agent refuses to sign the acknowledgment the serving officer shall affix a copy of the notice, summons on the outer door or some other conspicuous part of the house in which the addressee ordinarily resides or carries on business or personally works for gain.

(3) When the notice or summons is served by affixing a copy thereof in accordance with the proviso to sub-rule (1) or sub-rule (2) the officer serving it shall return the original to the authority which issued the notice, summons with the report endorsed thereon or annexed thereto, stating that he so affixed the copy, the circumstances under which he did so and the name and address of the person, if any, by whom the addressee's office or residence or the building in which his office or residence is located or his place of business, was identified and, in whose presence the copy was affixed. The said officer shall also obtain the signature or thumb impression of the person identifying the addressee's residence or office or building or place of business, to his report.

(4) When service is made by post, the service shall be deemed to have been effected by properly addressing, prepaying and posting by registered post with acknowledgment due the notice or summons or order and, unless the contrary is proved, the service shall be deemed to have been effected at the time at which the notice or summons or order would be delivered in the ordinary course by post.

(5) The authority at whose instance the notice or summons or order was issued, shall, if it is satisfied from the report of the messenger or the postal acknowledgment or by taking such evidence it deems proper that the notice, summons or order has been served in accordance with this rule, record an order to that effect. If it is not satisfied that the notice or summons or order has been properly served, it may, after recording an order to that effect, direct the issue of a fresh notice or summons or order.

(6) After a Hindu undivided family is partitioned, notice, summons or order, shall be served on the person who was last manager (Karta) of the Hindu undivided family

immediately before the partition or if service of notice, summons or order on him is not possible for any reason, then on any adult who was a member of the Hindu undivided family immediately before the partition.

(7) Where a firm or an association of persons is dissolved, notice, summons or order may be served on any person who was a partner (not being a minor) of the firm or member of the association, as the case may be, immediately before its dissolution.

(8) Where any assessment is to be made in respect of a business which has been discontinued, a notice shall be served in the case of a firm or an association of persons, on any person who was a partner of such firm or member of such association at the time of its discontinuance or in the case of a company, on the principal officer thereof.

Explanation - For the purpose of this rule, 'agent' means a person entitled to appear in accordance with the provisions of section 24 of the Act and includes a Manager, Clerk or Mukhtiar of the dealer or a Secretary, Director or Accountant of a company or an adult member of a Hindu undivided family, or any literate employee of a dealer unless the dealer has informed in writing the name of a person authorised to receive notice, summons or order on his behalf as an agent.

(9) A summons under the Act or rules made there under shall be in the form 52.

CHAPTER X

57: Filing of memorandum of appeal or application for revision-

(1) Every appeal or application for revision shall -

(a) be in writing;

(b) specify the name and address of the appellant/applicant ;

(c) specify the date of order against which it is made;

(d) specify the date on which order was communicated to the appellant or applicant;

(e) contain a clear statement of facts;

(f) specify the grounds on which appeal or revision is preferred without any argument or narration and numbered consecutively;

(g) state precisely the relief prayed for; and

(h) be signed and verified by the appellant or applicant or an agent duly authorized by him in writing in this behalf in the following form, namely:

I...................... the appellant / applicant named in the above memorandum of appeal / application for revision do hereby declare that what is stated therein is true to the best of my knowledge and belief.

....

Signature

(2) (a) The memorandum of appeal shall be accompanied by :

(i) an authenticated copy of the impugned order; and

(ii) a copy of the challan in proof of payment of the amount of tax and/or penalty, in accordance with the provisions of sub-section (4) of section 48;

(b) The application for revision shall be accompanied by an authenticated copy of the impugned order.

(3) An appeal against an order of assessment or against an order imposing penalty shall, as far as possible, be in form 53.

(4) An application for revision shall, as far as possible, be in form 54, and shall be presented within a period of six calendar months from the date of the order against which it is filed.

(5) The memorandum of appeal or application for revision shall be in duplicate and shall either be presented to the appellate or revisional authority or to such authority as the Commissioner may, by order, specify, by the appellant or the applicant or his agent or sent to such authority by registered post. When appeal or revision is presented by a person duly authorised by the appellant or the applicant as required by sub-section (1) of section 24 it shall be accompanied by a duly stamped letter of authority appointing him as such.

(6) The memorandum of appeal or an application for reference under section 55 shall be presented by the appellant or the applicant or by his agent to the Registrar or Clerk of Court of the Tribunal during office hours at the Tribunal's headquarters or sent to it by registered post.

(7) An appellate authority shall, ordinarily within thirty days of the presentation of the appeal, either admit or reject it after proper examination of the impugned order and/or the record relating to such order.

58: Stay of recovery of the remaining amount- The appellate authority on admitting an appeal, having satisfied about the correctness of the payment of tax and penalty, if any, made by the appellant in accordance with the provisions of sub-section (4) of section 48, shall stay the recovery of the remaining amount, pending the decision of the appeal and send an intimation thereof to the authority whose order is appealed against as also to the appellant, ordinarily within seven days from the date of the admission of the appeal.

59: Summary rejection-

(1) If the memorandum of appeal or application for revision does not comply with all or any of the requirements of rule 57 or the appellant fails to pay in accordance with the provisions of sub-section (4) of section 48 the tax and/or penalty in respect of which the appeal has been preferred, the appeal or application for revision may be summarily rejected :

Provided that no appeal or application for revision shall be summarily rejected under this sub-rule unless the appellant or applicant is given such opportunity as the appellate or the revisional authority thinks fit, to amend such memorandum of appeal or application for revision so as to bring it into conformity with the requirements of rule 57.

(2) An appeal or application for revision may also be summarily rejected on any other ground which should be reduced in writing by the appellate or revisional authority :

Provided that before an order summarily rejecting an appeal or application for revision under this sub-rule is passed, the appellant or applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard.

(3) Where an appeal is summarily rejected under sub-rule (1) on the ground that the appellant had failed to pay in accordance with the provisions of sub-section (4) of section 48 the amount of tax and/or penalty in respect of which the appeal has been preferred, the appellate authority may, where, it is subsequently brought to its notice that the said amount was paid before filing the memorandum of appeal but the proof of payment was not furnished therewith, readmit the appeal.

60: Hearing

(1) If the appellate or revisional authority does not reject the appeal or application for revision summarily, it shall fix a date for hearing the appellant or applicant or his duly authorised agent.

(2) The said authority may, at any stage, adjourn the hearing of an appeal or application for revision to any other date.

(3) If on the date fixed for hearing or any other date to which the hearing may be adjourned the appellant or applicant does not appear before the said authority either in person or through a person duly authorised by the appellant or the applicant as required by sub-section (1) of section 24, the said authority may dismiss the appeal or application for revision or may decide it ex-parte as it thinks fit.

(4) Where an appeal or revision is dismissed or decided ex-parte under sub-rule (3), the appellant or the applicant, as the case may be, may, within thirty days from the date of communication of such order apply to the appellate or revisional authority for re-admission or rehearing of the appeal or revision, as the case may be, and if the appellate or revisional authority is satisfied that the appellant or the applicant or a person duly authorised under sub-section (1) of section 24, was prevented by a sufficient cause from appearing when the appeal or revision was called for hearing, it may readmit or rehear the appeal or revision, as the case may be, upon such terms including terms as to cost and conditions as it may think fit.

61: Notice to person likely to be affected

Before any appellate or revisional authority passes any order against any dealer or person in appeal or revision, enhancing an assessment or penalty or both it shall send or if he is present, deliver to the dealer or person a notice in form 55 and give him a reasonable opportunity of being heard.

62: Supply of copy of order to the appellant or applicant and the officer concerned-

A copy of the order passed by the appellate authority other than the High Court or passed by the revisional authority in appeal or revision shall be supplied free of cost, to the appellant or applicant or the person affected thereby and another copy shall be sent to the officer whose order forms the subject matter of the appeal or revision proceedings.

63: Fees-

(1) The fees payable in respect of appeal under section 48, application for revision under section 49 and miscellaneous application and petition for any relief shall be as follows :

(i) on a memorandum of appeal under section 48 to the Appellate Deputy Commissioner - Rs. Ten.

(ii) on a memorandum of appeal under section 48 or sub-section (4) of section 49 to the Tribunal - Rs. Thirty.

(iii) on an application for revision under section 49 - Rs. Ten.

(iv) on any other miscellaneous application or petition for relief - Rs. Five.

(2) Any officer appointed under section 3 before whom any proceeding against a dealer under the Act or the rules made thereunder is pending may, in his discretion, allow such dealer on his application to inspect the whole or any part of the record of such proceeding. If an application for inspection is made within three hours of the opening hours of office, the inspection shall, as far as possible, be allowed on the same day otherwise on the next working day. If the application is allowed, an inspection fee of

rupees five for the first hour or part of first hour and one rupee for any subsequent hour or part thereof shall be charged. Inspection in the same manner and on the payment of same charge may be allowed of the record of any proceeding before any officer appointed under section 3 which have been closed :

Provided that no inspection fee shall be charged for the inspection of the record of a pending proceeding by a dealer on any day fixed for the hearing of the case or for inspection of a record by Government Officers or other persons duly authorised in this behalf for Government purposes.

Explanation - For the purpose of this proviso, the record of a pending proceeding includes the record of a closed proceeding which is called for a reference in the pending proceeding.

(3) The dealer shall inspect the record in the presence of such official and between such hours as may be appointed for the purpose by the officer appointed under section 3. He shall not be allowed to use pen or ink during inspection nor shall he be allowed to remove the record or any part thereof from the place of inspection, or to make any mark upon the record or in any manner mutilate it. He shall also not be allowed to take a copy of any part of the record beyond taking down brief notes with a pencil for reference.

(4) For the purpose of sub-rules (2) and (3) the word 'dealer' shall include any person duly authorized by the dealer under sub-section (1) of section 24.

(5) Copying fee shall be charged at the following rates for grant of certified copies of documents or orders :

	Ordinary	Urgent
for every three hundred and sixty words or less	Five rupees	Ten rupees

(6) All court-fee stamps affixed to petitions filed before any officer appointed under section 3 other than a Commercial Tax Inspector shall be punched immediately in the presence of the officer concerned.

(7) Any party to a proceeding under the Act or any Rules made thereunder may apply to the appropriate authority having jurisdiction in respect of such proceeding or the custody of the records pertaining thereto for a certified copy of any document produced or filed in such proceeding or any order passed by such authority.

(8) The application under sub-rule (7) shall be affixed with a court-fee stamp of the value specified in sub-rule (5) and shall be accompanied by a deposit of an amount to cover the cost of preparing certified copies according to the rate of fees specified in sub-rule (5). The amount calculated according to the said rate shall be retained by the said authority as copying fees and the surplus amount, if any, deposited by the party shall be refunded to it at the time of supplying the copy :

Provided that the party shall, if the amount deposited by it is not sufficient to cover the copying fees, pay the deficit before taking delivery of the copy.

(9) All fees payable under this rule shall be paid in court fee stamps.

(10) No fee shall be payable in respect of any argument or objection in writing or in respect of any application which asks only for information and which does not seek any specific relief or in respect of any application for adjournment of hearing or in respect of any application for inspection of records.

64: Notice for rectification of mistake under section 56- The notice required to be given under sub-section (1) of section 56 shall be in form 56.

CHAPTER XI

65: Production of documents and furnishing of information by dealers-

The inspecting Officer other than a Commercial Tax Inspector appointed under section 3, requiring a dealer the production of his accounts under clause (a) of sub-section (3) of section 57 may, by serving a notice in form 1 require such dealer to produce before him any accounts or documents or registers or to furnish any information relevant to his business or relating to profits derived from the business of any firm or the stocks of goods or purchase, manufacture, sales and deliveries of goods by the dealer, as may be necessary for the purpose of the said section.

66: Request for requisitioning the services of police officer-

The request for requisitioning the services of a police officer under sub-section (7) of section 57 shall be in form 57.

67: Retention of seized books of accounts, registers and documents-

(1) If the inspecting officer seizes any books of accounts, registers or documents under sub-section (4) of section 57, he shall give a receipt therefor specifying in brief the particulars of the records so seized.

(2) The regular accounts that is to say cash book and ledger of a dealer seized by the inspecting officer shall be scrutinized and returned to the dealer within a period of 120 days. If the scrutiny is not completed within the aforesaid period, the said authority may retain such accounts for a further period not exceeding 90 days, after recording reasons in writing therefor and after obtaining permission in writing from the Deputy Commissioner. Other books of accounts, registers and documents shall be retained as evidence till a final decision in the case of the dealer.

68: Form of notice and Procedure for release or disposal by way of sale of goods seized under sub-section (6) of section 57-

(1) The form of notice under clause (b) of sub section (6) of section 57 shall be in form 58.

(2) Where any goods are released under clause (d) of sub-section (6) of section 57, the officer releasing the goods shall obtain a receipt therefor from the dealer or person from whom the goods were seized.

(3) The goods required to be disposed of by way of sale under clause (f) of sub-section (6) of section 57 shall be so disposed of in the manner laid down for sale by or under the Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 (No.20 of 1959).

(4) (a) Where any goods stored or kept by a dealer or person in any of the premises referred to in clause (a) of sub-section (5) of section 57 and disowned by such dealer or person are seized under clause (a) of sub-section (6) of the said section the particulars of such goods and the information about the seizure thereof shall be published in the form of a notice in the local news papers.

(b) If no person claims the ownership of goods referred to in clause (a) within fifteen days of the date of publication of the notice, such goods shall be put up for sale in auction by issue of a public notice. On the sale of such goods, the sale proceeds shall be deposited in the government treasury as miscellaneous receipt.

(5) A dealer or person claiming ownership of the goods seized under clause (a) of sub-section (6) of section 57 or the person from whom the goods are seized shall file his objection, if any, under clause (h) of the said sub-section within fifteen days of the seizure of the goods or of the publication of notice referred to in clause (a) of sub-rule (5) whichever is later.

69: Establishment of check posts and barriers-

(1) A check post shall be set up at a place notified by State Government or the Commissioner under sub-section(1) of section 58 by erecting a barrier across the road or thoroughfare to enable vehicles intercepted , detained or searched.

(2) Every transporter transporting goods notified under sub-section (3) of section 58 (hereinafter referred to as the notified goods) shall carry with him an invoice, bill or chalan or any other document indicating the name of the consignor and consignee, the place of dispatch, the place of destination and the description, quantity and value of the goods and shall be signed by the consignor.

(3) Every transporter transporting the notified goods beyond a check post or barrier, shall file in duplicate, before Check Post Officer, a true and complete declaration in form 59 obtained in the manner specified in sub-rule (1) of rule 74 duly signed and verified by the consignor. If the check post officer is satisfied that the particulars furnished in the declaration are correct, he shall sign with date in each copy of the declaration and mark it with seal of the check post. He shall then return one copy of declaration to the transporter.

(4) The transporter shall produce the declaration duly signed and dated by the said officer for inspection and checking at any other check post witch may fall on the route.

(5) The copy of the declaration retained at the check post shall be forwarded after making entry thereof in the register kept at the check post, to the Commercial Tax Officer in whose circle the place of business of the consignor or consignee, as the case may be, is situated.

70: Submission of declaration in case of a person-

When the goods, as are notified under sub-section (3) of section 58 belonging to a person other than a dealer are carried in a vehicle coming from any place outside the State or going to a place outside the State, the driver/any other person incharge of the vehicle shall submit a declaration in form 60.

71: Records to be maintained and particulars to be furnished by the person transporting any goods notified under sub-section (4) of section 58 -

(1) Every person transporting any notified goods shall keep and maintain true and correct record in respect of such goods transported by him showing the following particulars, namely,-

(i) Full name and address with number of registration certificate under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) if any, of the consignor,

(ii) Full name and address with number of registration certificate under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) if any, of the consignee,

(iii) Place from which goods dispatched

(iv) Destination (including district)

(v) Description of goods

(vi) Quantity or weight

(vii) Value of the goods

(viii) Consignor's invoice No. and date,

(ix) Name of the person to whom goods to be delivered,

(x) Name and full address of the carrier

(xi) Details of the vehicle transporting goods with its No. if any,

(xii) Name, address and license number of the driver of the vehicle,

(xiii) Name and address of the person (if any) in charge of the goods

and shall, if so required by an officer not below the rank of Commercial Tax Officer, furnish such particulars, as he may require in respect of any transaction so far as it relates to the goods referred to above.

(2) Where the goods have been dispatched by a consigning dealer to "self" and are delivered to any person other than the consignor himself, the person transporting the goods shall ascertain and keep record of the full name and address with registration certificate number under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) if any, of the dealer taking the delivery or on whose behalf delivery is taken.

(3) Every person who transports any goods notified under sub-section (3) of section 58 shall if so required by an officer not below the rank of Commercial Tax Officer, furnish to such officer particulars in respect of such goods transported by him in form 61. While calling for such information the officer shall allow, the person transporting the goods time, which shall not ordinarily be less than one week.

(4) All accounts, records, registers and documents relating to the above transactions shall at all reasonable times be open to inspection by an officer not below the rank of Commercial Tax Officer.

72: Inspection and search of the vehicle -

(1) The check post officer for ensuring that any vehicle is not being used for evasion of tax payable under the Act, require the transporter to stop the vehicle, and such person shall forthwith comply with such requirement and keep the vehicle stationary for so long as is required by that officer.

(2) The said officer may, thereupon, enter and search such vehicle and inspect all goods and documents concerning the goods or the vehicle which are being carried on such vehicle. In carrying out such search or inspection, the said officer may take assistance of any Inspector of Commercial Tax appointed under section 3 of the Act or any other staff sub-ordinate to the said officer. The transporter shall forthwith furnish such particulars of goods and vehicle as may be required and shall render all possible assistance to the said officer in making the search or inspection.

73: Procedure for seizure sale and release of goods or goods with vehicle-

(1) Where any goods or the vehicle along with the goods are seized by the check post officer under sub-section (7) of section 58, he shall prepare a list in duplicate of all such goods/vehicle bearing his own signature, and signature of the transporter and shall take all the measures necessary for their safe custody. One copy of the list shall be given to the transporter.

(2) The notice under sub-section (11) of section 58 shall, as far as may be, be in form 62.

(3) Where any goods/goods along with the vehicle/vehicle are released by the check post officer under sub-sections (10), (12) and (13) of section 58 he shall, on payment by the transporter of the goods expenses, if any, incurred by the check post officer for the safe custody of the goods and the incidental charges (which shall be specified in the order) order release of the goods and obtain a receipt therefor from the transporter.

(4) If the amount of penalty imposed under sub-section (13) of section 58 is not paid within thirty days of the service of the order, the check post officer shall serve on the transporter a notice in form 63 to show cause why the goods or the vehicle along with the goods should not be disposed of by way of sale.

(5) On being satisfied that the amount of penalty imposed under sub-section (13) of section 58 has not been paid by the transporter, the check post officer shall proceed to dispose of the goods or the vehicle along with the goods by way of sale.

(6) The order of disposal of the goods or the vehicle along with the goods by way of sale shall be in form 64 and a copy of the order shall be served on the transporter.

(7) The goods/vehicle required to be disposed of by way of sale under sub-section(15) of section 58 shall be disposed of by way of sale in the manner laid down by or under the Chhattisgarh Land Revenue Code,1959 (No.20 of 1959).

74: Procedure for obtaining and keeping record of the declaration in form 59-

(1) A registered dealer, shall obtain, from the appropriate Commercial Tax Officer or any other officer as may be authorized by the Commissioner in this behalf, blank declaration in form 59. The counterfoil of the declaration forms shall be maintained by the dealer for a period of five years or such other period as may be specified by the Commissioner.

(2) (a) The blank declaration form referred to in sub-rule(1) shall be in any colour determined by the Commissioner and shall be available in book form, each book containing 50 of such forms in triplicate and may be obtained from the authority mentioned in sub-rule (1) on payment of a fee of rupees fifty or rupee one per form.

(b) For obtaining the declaration forms referred to in sub-rule (1), every registered dealer shall apply in writing in form 65 to the appropriate Commercial Tax Officer stating his requirement of such forms and shall furnish such other particulars, statements and information and produce such other documents as the Commercial Tax Officer may require for the purpose of satisfying himself about bonafide use of such forms issued on previous occasions and the bonafide nature of his requirement of forms on the present occasion.

(c) The application in Form 65 shall be accompanied by a copy of the treasury receipted challan in form 34 in respect of the fee payable therefor under clause (a):

Provided that where the fee payable does not exceed rupees two hundred at any one time, the payment may be made in cash in the office of the appropriate Commercial Tax Officer;

(d) On receipt of the application under clause (b) the Commercial Tax Officer shall, with due regard to the requirements of the dealer supply, the declaration forms on furnishing an acknowledgment thereof.

(e) If for reasons to be recorded in writing the Commercial Tax Officer is not satisfied that the applicant has made bonafide use of the declaration forms previously issued to him or that the requirement of the declaration forms applied for is not bonafide he shall reject the application.

(f) If for reasons to be recorded in writing the Commercial Tax Officer is not satistied that the applicant requires the books of declaration forms in such numbers as he has applied for, he may issue such forms in such lesser number, as in his opinion, would satisfy the reasonable requirement of the applicant.

Provided that new forms shall not be issued to a dealer until he has rendered account of the old forms lying with him and returned the balance, if any, in his hand to the appropriate Commercial Tax Officer.

(g) If the Commercial Tax Officer is satisfied that the applicant at the time of making application has defaulted in furnishing the returns or payment of tax as per return under the Act, or under the Central Sales Tax Act, 1956(Act No. 74 of 1956) or under the

Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No.52 of 1976) for any quarter or is in arrears of any dues under the above Acts in respect of any period, he may withhold the issue of the declaration forms to the applicant till such time the applicant furnishes the returns and pays the dues for the relevant period;

(h) If the fee paid for the declaration forms is more than the fee payable for the number of forms issued, the balance shall be credited to the account of the dealer to be adjusted against any further issue or may be refunded to him on making an application by him.

(3) Every such registered dealer to whom declaration in form 59 is issued shall maintain in a register in form 66 a true and correct account of every such form. If any such form is lost, destroyed or stolen, the dealer, shall report the fact to the said authority immediately, shall make appropriate entries in the remarks column of the register in form 66 and take such other steps to issue public notice of the loss, destruction or theft.

(4) Where a declartion form either blank or duly completed is lost while it is in his custody before dispatch or lost in transit the dealer shall, besides taking action prescribed under sub-rule(3) furnish to the said authority, from whom the said forms were obtained, a reasonable security by way of an indemnity bond in form 67 separately for each form so lost, against any possible misuse of the said form.

(5) The said authority shall, from time to time, publish in the official Gazette the particulars of the declaration form in respect of which a report is received under sub-rule(3).

(6) Any unused declaration forms remaining in stock on the date of closure of business or on the date of making an application for cancellation of his registration certificate or on the date his registration certificate is cancelled otherwise, as the case may be, shall be surrendered to the issuing authority by such dealer within seven days of such date.

(7) The Commissioner may, by notification, declare that declaration forms of a particular series, design or colour shall be deemed as obsolete and invalid with effect from such date as may be specified in the notification

(8) When a notification declaring forms of a particular series, design or color as obsolete and invalid is published under sub-rule(7), all registered dealers shall, on or before the date with effect from which the forms are declared as obsolete and invalid surrender to the appropriate Commercial Tax Officer all unused forms of that series, design or colour which may be in their possession and obtain in exchange such new forms as may be substituted for the forms declared obsolete and invalid.

(9) The officer to whom the declaration forms are supplied for distribution to the registered dealer shall keep them in safe custody and maintain a proper account thereof in a register in form 68.

(10) The Commissioner, may from time to time, by order specify the procedure regarding printing and distribution of the declaration forms, issue of transit pass as required, presentation and collection of declaration forms, and other documents at the check post and proper functioning of the check post.

75: Transit of goods by road through the state and issue of transit pass-

(1) The transporter, in order to obtain a pass under section 59, shall submit an application in form 69 in triplicate to the check post officer of the check post or barrier, if any, established near the point of entry into the State (hereinafter referred to as the entry check post).

(2) The Check post Officer of the entry check post shall, after examining the documents and after making such enquiries as he deems necessary, issue to the transporter the duplicate and triplicate copies of the application, retaining the original himself as transit

pass to the transporter. The pass shall specify the check post or the barrier of the State to be crossed by the vehicle (hereinafter referred to as the exit check post) and the time and date up to which it should be so crossed.

(3) The transporter shall stop his vehicle at such exit check post, surrender the duplicate copy of the pass and allow the check post officer to inspect the documents, consignments and goods in order to ensure that the consignments being taken out of the State are the same for which the pass has been obtained. The Check post Officer of the exit check post shall issue a receipt on the triplicate copy of the pass for the duplicate copy surrendered by the transporter.

(4) The Check post Officer of the exit check post shall have powers to detain, unload and search the contents of the vehicle for the purpose mentioned in sub-rule (3).

76: Particulars to be given in the documents, required to be carried by a transporter under sub section (1) of section 61-

Every transporter transporting by road any goods shall give the particulars specified in sub rule(1) of rule 71 in the documents required to be furnished by him under sub-section(1) of section 61.

77: Intimation to be given by clearing, forwarding, booking agent, dalal and person transporting goods-

(1) Every clearing, forwarding and booking agent, dalal and person transporting goods shall send an intimation in form 70 about the business carried on by him to the appropriate Commercial Tax Officer within thirty days of the date of coming into force of this rule or the commencement of business whichever is later and obtain an acknowledgment therefor from the Commercial Tax Officer.

(2) The Commercial Tax Officer shall, on receipt of any intimation under sub-rule (1), enter in a register in form 71 the particulars given therein.

(3) Where any goods handled by any agent or person referred to in sub-section(1) of section 62 have been consigned by the consignor to "self" and such goods are delivered by such agent or person to any person other than the consignor, the agent or person shall ascertain and keep the record of full name and address of the person taking delivery of the goods, the name of the dealer with his registration certificate number under the Act., if any, and if the person taking delivery is not a dealer but taking delivery for and on behalf of a dealer the name and address of such dealer and his registration certificate number under the Act.

(4) All accounts, records, register and documents maintained by any agent or person referred to in sub-section (1) of section 62 shall at all reasonable times be open for inspection by any officer above the rank of an Assistant Commercial Tax Officer and by the Assistant Commercial Tax Officer with the written permission of the Commercial Tax Officer.

CHAPTER XII

78: Issue of tax clearance certificates-

(1) Any dealer required to produce a tax clearance certificate under section 65 shall make an application in form 72 to the appropriate Commercial Tax Officer for grant of such certificate and shall obtain a written acknowledgment therefor.

(2) (a) On receipt of the application, the appropriate Commercial Tax Officer shall grant a tax clearance certificate in form 73 to the dealer or reject the application within one month from the date of receipt of the application. An application for a tax clearance certificate shall be rejected, if the dealer is either in arrears of tax or has not furnished a return for any period.

(b) Where an application is rejected, the appropriate Commercial Tax Officer shall specify the amount of arrears outstanding against the dealer. If the arrears are paid the tax clearance certificate shall be granted to the dealer. The certificate shall be prepared in duplicate. One copy shall be given to the dealer and the other copy shall be retained by the appropriate Commercial Tax Officer for his record. Where an application is rejected the appropriate commercial tax officer shall immediately intimate this fact to the officer specified in serial number 7 of the application in form 72.

(3) The tax clearance certificate granted under clause (a) of sub-rule (2) shall be valid for a period of one year from the date of its issue, if not cancelled.

(4) Where facility to pay any amount in installments has been granted to a dealer under sub-section (7) of section 25 or where the recovery of any amount due has been stayed by any competent authority, such amount shall not be treated as an amount in arrears for the purpose of this rule unless the dealer has failed to pay any installment due from him.

79: Procedure for determination under section 70 of disputed questions-

(1) (a) Every dealer desirous of raising a question for determination of the rate of tax on any goods, shall make an application to the Commissioner.

(b) Every dealer making such application shall deposit a fee of rupees one hundred and enclose with the application a copy of chalan in form 34 in proof the payment of such fee.

(2) Every application made under clause (a) of sub-rule (1) shall, -

(i) be in duplicate.

(ii) clearly state the facts relating to the goods in respect of which determination is sought, that is to say, their description, the use to which the goods are put to, specification thereof, raw material used in the manufacture of such goods and give a detailed description of the process of manufacture of the goods in question,

(iii) be accompanied by a sample, a copy of the sale voucher, purchase order and purchase voucher, if any ;

(iv) contain the dealer's contention regarding the rate of tax and the entry of the schedule by which the goods are claimed to be covered.

(3) Separate application shall be made for each of the goods in respect of which determination of the rate of tax is sought.

(4) On receipt of the application, the Commissioner shall, after making such enquiry and calling for such additional information from the dealer as he deems necessary and after

giving the dealer an opportunity of being heard, pass an order determining the rate of tax in respect of the goods covered by the documents received with the application.

(5) A copy of the order passed under sub-rule(4) shall be served on the dealer.

80: Furnishing of statement of goods held in stock on the date of commencement of the Act. under section 73-

A registered dealer shall furnish a statement in form 74 in respect of goods, specified in schedule-II held in stock by him on the date of commencement of the Act and such statement shall be furnished by him to the appropriate Commercial Tax Officer within 30 days of such date.

81: Acceptance of declaration or certificate -

(1) No selling registered dealer shall refuse to accept any declaration or certificate furnished by a purchasing registered dealer in accordance with any provision of the Act or rule made or any notification issued thereunder.

(2) Any declaration or certificate required to be filed under the Act or the rules or any notification issued thereunder, shall not be rejected as invalid on the ground that it lacks in certain material particulars or is defective until the dealer is given a reasonable opportunity to supply the omission or to remove the defects occurring in such declaration or certificate or to furnish a fresh declaration or certificate.

82: Imposition of penalty for breach of rules-

The Commissioner may impose a penalty not exceeding rupees five hundred on a dealer or a person, as the case may be, committing a breach of any of the provisions of these rules.

83: Repeal and Saving-

The Madhyapradesh Vanijyik Kar Niyam, 1995, (vide notification No. A-5-8-94-ST-V(14) Dated 16th March 1995 in relation to its extent in the State of Chhattisgarh and all other rules and reservations enforced immediately before their commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by those rules:

Provided that any order made or action taken under these rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

FORM 1

[see rule 6(1) and 65]

Notice under section 5/section 57(3)(a) of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

To,
(Name)____________
Address_________
Registration No.(if any)______

You are required under sub-section (l) of section 5*/clause (a) of sub-section (3) of section 57 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 to produce before me the documents and accounts relating to your business and/or furnish me with the following information at ________________(place) on __________(date) _______ (time) for the period from_________ to _________

Seal (Signed)_____________
Designation_____________

Date______

* Strike out whichever is not applicable.

FORM 2

[See rule 6(2)]

Order determining liability to pay tax under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005

Name of the Dealer ....
Address ....
Registration Certificate No. (if any) ....
Date from which liable to pay tax under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005. ....

The liability to pay tax under the Act has been determined from the aforesaid date for the reasons given below :
(here give reasons)...

Signature...........................
Commercial Tax
Officer.............circle

FORM 3

Declaration

[See Rule 7 (1)]

DECLARATION

I, ___________________a dealer holding registration certificate No.____ ________ under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005, hereby declare that I have paid the tax payable by me under Section 8 in respect of the goods, particulars of which are given below, supplied by way of sale in the course of execution of a works contract for _________ (herein give particulars of the

work) being executed by me in whole /*in part for and on behalf of (name of the contractor) ________ (address) _______ (registration certificate No.)__________.

Particulars of goods supplied in the execution of the works contract

S.No.	Description of goods	Total value of goods	Value of goods purchased from outside the State	Value of goods purchased from within the State		Tax paid with chalan No. and date
				From registered dealer	From unregistered dealer	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total						

Place __________ Signature of the sub-contractor

Date __________

FORM 4

Declaration

[See Rule 7(3)}

DECLARATION

I,________________(Name), of _____________(place) a dealer holding registration certificate No. __________ under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 hereby declare that I have dispatched during the quarter commencing from__________ and ending on__________ to ____________ (Name) of ________ (Place) ____________(name)a dealer holding registration certificate No.__________under the said Act for sale on commission goods particulars of which have been given below,-

2. I further declare that tax under section 8(i)/*/8(ii) of the Act on the sale price of such goods at the hands of the commission agent has been paid by me

Particular of goods dispatched for sale on commission

S.No.	Date on which goods were dispatched to the adatiya	Description of goods	Quantity	Sale value at the hands of the commission agent.	Tax under section 8(i)/8(ii) paid with chalan No.and date.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Total				

Place__________

Date__________ Signature of the registered dealer ....

*Strike out whichever is not applicable.

FORM 5

[See rule 8(1) and (9)]

Application for grant of permission to make payment of lump sum amount by way of composition under Section 10 of Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

To,

The Commercial Tax Officer,
....................circle.

I....................a dealer holding registration certificate No. .... under Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005, have taken a works contract at .... (place) for execution of the work.............(give description of work) for Rs.....................The execution of the contract shall commence on ....and is likely to be completed by .... I desire to pay a lump sum amount by way of composition in lieu of tax that would by payable on goods that may be supplied in the execution of the said works contract awarded to me and accordingly, I hereby seek permission to make such lump sum payment under sub section (1) of section 10 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

OR

I, ...(Name of the dealer)...............................(Address) holding registration certificate No. .... under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 hereby give the option for payment of a lump sum in lieu of tax by way of composition for the year .... For that purpose I hereby declare that I am dealing in cooked food or/and goods declared tax free under section 15 or/and goods being purchased by me from other registered dealers after payment to them of tax under section 8(i) of the said Act and that my turnover in a year has ordinarily been less than rupees fifty lacs.

2- I shall furnish return for the period specified in rule 8(11) of the clause (b) of Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006 from the date on which the option given by me stands revoked under the provisions of sub-section (2) of section 10 of the said Act.

Place ....
Date ....

Signature of the registered dealer......................

FORM 6

[See rule 8(5)]

Declaration

Statement for the quarter ending ....showing the receipts on account of the works contract under execution.

Amount

S.N.	Description of the works contract	Duration of the contract	Amount received or receivable during the quarter
(1)	(2)	(3)	(4)

Amount payable At the rate of .... percent in lumpsum by way of composition	Amount deducted at source	Amount paid with chalan No. & date	Remarks
(5)	(6)	(7)	(8)

Place ....
Date .... Signature of the registered dealer ....
....

The above statement is true to the best of my knowledge and belief.

Place ....
Date .... Signature of the registered dealer ....
....

FORM 7

[See rule 8(10)]

Statement of sales & composition money for the quarter ending .... year ....

Name of firm ....
& R.C. No. ....

1- Total sales ....

2- Sales of goods specified in schedule –I ....

3- Balance ....

4- Composition money payable at 0.5% at 8%

5- Amount paid ....

6- Challan no. and date ....

Place ....
Date .... Signature of the registered dealer ....
....

The above statement is true to the best of my knowledge and belief.

Place ....
Date .... Signature of the registered dealer ....
....

FORM 8

[See rule 9(4)]

Declaration

I,____________________ a dealer (principal) holding registration certificate No.__________ under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 in ________ circle, hereby declare that during the month/* quarter commencing from ______ and ending on __________ I have dispatched tax

paid goods/taxable goods manufactured out of tax paid goods other than those specified in schedule III of the value of Rs. _______(in figures)___________(in words) to the dealer (commission agent) M/s. ______________ holding registration certificate No. _________in __________circle under the said Act for sale on commission as per particulars given in the statement below,-

A. Statement showing particulars of tax paid goods

S.No	Date on which goods dispatched to the commission agent.	Description of goods	Quantity	Sale price of the goods at the hands of the selling registered dealer from whom they were purchased by the principal	Amount of tax paid to the selling registered dealer on the amount of sale price shown in column (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

B. Statement showing the particulars of tax paid goods consumed or used in the manufacture of taxable goods

S. No.	Date on which taxable goods dispatched	Description of goods	Quantity	Approximate value	Description of tax paid goods consumed or used in the manufacture of taxable goods	Quantity	Sale price of the tax paid goods shown in column (6) at the hands of the selling registered dealer from whom they were purchased by the principal.	Amount of tax under section 8(i) paid by the principal to the selling registered dealer on the sale price shown in the column (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Place____________
Date____________

Signature of the dealer

*Strike out whichever is not applicable

Note: The expression "tax paid goods" used in the declaration refers to goods which have borne tax under section 8(i) of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

FORM 9
[See rule 9(4)]
Declaration

I,____________________ a dealer (commission agent) holding registration certificate No.__________ under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 in ________ circle, hereby declare that I have received tax paid goods/ taxable goods manufactured out of tax paid goods other than the goods specified in schedule III consumed or used in the manufacture of such taxable goods from M/s.___________(principal) holding registration certificate No.__________ under the said Act for sale on commission and that the particulars of the receipt of tax paid goods/taxable goods and disposal of the said goods disposed of by me and the amount of input tax rebate to which I am entitled are as under,-

A- Statement showing particulars of goods taxable under section 8(i)

Description of tax paid goods	Particulars relating to the tax paid goods held in stock at the beginning of the month/ *quarter				particulars relating to the tax paid goods received from the principal during the month/quarter			
	Date of receipt of the declaration in form 5 from the principal	Quantity shown in the declaration in form 5	Sale price shown in the declaration in form 5 at the hands of the selling registered dealer from whom the goods were purchased by the principal	Tax under section 8(i) paid by the principal to the selling registered dealer on the sale price shown in column (4).	Date of receipt of the declaration in form 5 from the principal	Quantity shown in the declaration in form 5 by the principal	Sale price shown in the declaration in form 5 at the hands of the selling registered dealer from whom the goods were purchased by the principal	Tax under section 8(i) paid by the principal to selling registered dealer on the sale price shown in column (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Particulars relating to goods available for disposal during the month/*quarter.	Disposal of goods out of the quantity shown in column (10) during the month/quarter	
	By way of sale within the State	By way of sale in the course of inter-State trade or commerce

Quantity (3) + (7)	Sale price (4) + (8)	Tax under section 8(i) paid by the principal to the selling registered dealer on the sale price shown in column (11) (5) +(9)	Quantity	Sale price	Tax payable under section 8(i)	Quantity	Sale price	Tax payable under the Central Sales Tax Act, 1956
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

By way of sale in the course of export out of the territory of India		By way of sale outside the State.		Particulars of tax paid goods held in state at the end of the month/*quarter.			Amount of input tax rebate claimed
Quantity	Sale price	Quantity	Sale price	Quantit y	Sale price at the hands of the selling registered dealer from whom the goods were purchased by the principal	Tax under section 8(i) paid by the principal to the selling registered dealer on the sale price shown in column (24)	
(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

B. Statement showing the particulars of the tax paid goods consumed or used in the manufacture of goods taxable under section 8(i) received from the principal for sale on commission

Descriptio n of taxable goods	Taxable goods held in stock at the beginning of the month/ *quarter.			Taxable goods received from the principal during the month/ *quarter		
	Date of receipt of the declaratio n in form 5 from the principal.	Quantity shown in the declaration in form 5	Value	Date of receipt of the declaration in form 5 from the principal	Quantity shown in the declaration in form 5	Value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Taxable goods available for disposal during the month/* quarter		Taxable goods disposed of during the month/*quarter by way of									
Quantity (3) + (6)	Value (4)+(7)	Sale within the State		Sales in the course of inter-State trade or commerce				Sales in the course of export out of the territory of India		Sales outside the State	
		Quantity	Sale price	Tax payable under section 8(i)	Quantity	sale price	Central sales tax payable	Quantity	sale price	Quantity	Sale price
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

Particulars relating to the tax paid goods consumed or used in the manufacture of taxable goods shown in column (10), (13) and (16)

Taxable goods held in stock at the end of the month/quarter Value		Description of goods	Sale price at the hands of the selling registered dealer from whom the goods were purchased by the principal	Tax paid by the principal to the selling registered dealer on the sale price shown in column (23)	Input rebate to which eligible
Quantity	Value				
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

Place____________

Date____________ Signature of the dealer

*Strike out whichever is not applicable.

Note:- The expression "tax paid goods" used in this declaration refers to goods which have borne tax under section 8(i) of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

FORM 10

[See Rule 11 (1)]

Application for grant of registration certificate under section 16, of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

To,

The Commercial Tax Officer.
_____________Circle

I, __________ *Proprietor/Manager/Partner/Director of the business known as ______ / officer incharge of the business of selling or supplying goods carried on by the Central Government/ *State Government of ____________ in the ___________ department hereby apply for grant of registration certificate under clause (......) of sub-section (2) of section 16 of the Chhattisgarh Value Added Tax, 2005.

2. The particulars with regard to the business and the person (s) having interest in the business aforesaid, are as under , --
   (i) Name and full address of the business __________
   (ii) Status of Business (whether a proprietorship, partnership, a public limited or private limited company, H.U.F., Society, Co-operative Society, club or association.
   (iii) Nature of business with description of goods,-
      (a) Trading mainly in _____________
      (b) Manufacturing mainly __________
      (c) Mining of__________
   (iv) Name of the proprietor / Name of the partners/ directors with full present and permanent address and extent of interest in the business :-

	Name	Address	Age	Father's Name	Home address	Extent of interest in business	Signature	Signature and address of the person attesting the signature in col. (7)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.								
2.								
3.								

Note :- Attach passport size photograph of the proprietor or each of the adult partners of the firm or each adult co-parcener of HUF as the case may be, on a separate paper duly attested by a Lawyer or a Tax Practitioner or a Gazetted Officer.

(v) Particulars about the proprietor, partner or any other person having interest in the business if he has interest in any other business anywhere in India, -

a) Full name of the person

b) Name(s) of the firm(s) with registration Certificate No. under Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 and the Central Sales Tax Act.

c) Full address

d) Extent of interest

(vi) Registration certificate number(s) under the State Sales Tax Act and the Central Sales Tax Act if the business is registered in any other State.

(vii) Date of commencement of the business

(viii) Turnover from the date of commencement Of business to the date of making the application

(ix) (a) Date on which the turnover exceeded the limit prescribed under sub-section (1) of section 4.
(b) Date of liability to pay tax.

(x) (a) If the turnover has not exceeded the limit prescribed under sub-section (1) of section 4, whether it is likely to exceed with in a period of twelve months from the date of commencement of the business.
(b) If the turnover is likely to exceed as aforesaid, reasons therefor.

(xi) If the business in respect of which the application is made is registered as an industrial unit with the Commerce and Industries Department of the Government of Chhattisgarh the number and date of the certificate

(xii) Whether applied for registration certificate under the Central Sales Tax Act, 1956. If so the date of first interstate sale if the application has been made under section 7(1) of that Act.

(xiii) (a) Number and date of Mandi licence if any, (enclose copy).
(b) Number and date of licence under the Chhattisgarh Shops and Establishment Act if any (enclose copy).
(c) Number and date of licence under the Essential Commodities Act, if any (enclose copy)

(xiv) Particulars of immovable property owned by the persons having interest in the business

S.No.	Name of the Person	Description and other particulars of the immovable property.	Extent of ownership in the immovable property.
(1)	(2)	(3)	(4)

(xv) Particulars of permanent account numbers if the person is/ *persons are income tax assessee (s).

S.No.	Name of the person	Permanent Account No.	Name and number of the Income Tax ward.
(1)	(2)	(3)	(4)

(xvi) Particular of the bankers through whom the business is transacted.

S.No.	Name of the Bank	Full address of the Bank	Bank account No.
(1)	(2)	(3)	(4)

(xvii) (a) Name and address of the additional places of business in the state, if any
(b) Particulars of godowns/warehouses, if any

(xviii) Particulars about the business premises (whether owned by any person or persons having interest in the business or taken on rent or on lease or allotted by the Govt.). If taken on rent or on lease enclose a copy of receipt of rent or lease deed.

3. Names and addresses of two dealers registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 identifying the business. (enclose letters of identifications.)
(i)
(ii)

Place ____________
Date ____________

Signature

I, hereby declare that the statements made and particulars given are true to the best of my knowledge and belief.

Place ____________
Date ____________

Signature

***Strike out whichever is not applicable.**

ACKNOWLEDGMENT

Received an application in form 10 for grant of registration certificate under clause (-) of sub-section (2) of section 16 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 alongwith an affidavit from Shri ____________________.

Seal of Office

Place __________
Date__________

____
Signature and full name of the official receiving the application.

FORM 11
[See Rule 12(1)]
Registration Certificate counterfoil

1. Registration Certificate No.__________
2. Name of the business ___________
3. Name of the applicant ___________
4. Status of the applicant in the business

____
(whether proprietor, partner, Manager/Director)

5. Full address of the principal place of business in Chhattisgarh ___________
6. Nature of business___________
* (i) Trading mainly in ___________
*(ii) Manufacturing mainly ___________
*(iii) Mining of ___________
7. Names and addresses of the additional places of business in Chhattisgarh

Name	Address
1. ________	________
2. ________	________
3. ________	________
4. ________	________

8. Particulars of godowns/Warehouses if any ___________

9. Date of issue of the registration certificate ____________________

FORM 11
[See Rule 12(1)]
Registration Certificate

No.____________ Circle__________
Registration Certificate
1. This is to certify that ____________
(Name of the business)
(Name of the applicant____________
with his status in the business, that is whether proprietor /Partner/ Manager/ Director) whose only place of business/principal place of business situated at ____________
(address) is registered under Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.
2. The nature of business is :-
*(i) Trading mainly in ____________
*(ii) Manufacturing mainly ____________
*(iii) Mining of ____________
The business has additional places of business at,-

Name	Address
1. ________	________
2. ________	________
3. ________	________
4. ________	________

4. The business has godowns/ware houses at, -
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________

10. Date of validity of the registration certificate ______________________

The certificate is valid from _____

Seal
Date ______

Signature of the
Commercial Tax Officer

FORM 12
[See Rule 18(2)]
Application for cancellation of registration certificate

I..........Proprietor/*Manager/Partner/Director/Officer-Incharge of the business known as.......Officer-Incharge of the business of selling or supplying goods carried on by the Central Government/State Government holding registration certificate No.........under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 with his only/*principal place of business situated in Municipal Ward No.........(for municipal areas only) at...........in the tehsil.........of the district.........hereby state that :
*(a) I have discontinued my business from.........and had the following stock of goods with me on the said date :

Particulars of Stock with value of goods taxable under clause (i) of section 8 at _____%

Particulars of Stock with value of goods taxable under clause (ii) of section 8 at ______%

OR

*I have wholly transferred my business on............to M/s. ....of.........holding registration certificate No..........(if any).
*(b) My gross turnover for the last two consecutive years preceding the current year as also for the current year (upto the date of application) was as under :

Year	Gross turnover.
1....................	....
2....................	....
3....................	....

I, therefore, apply for cancellation of my registration certificate under clause (a)/*clause (b) of sub-section (10) of section 16 of the said Act.
2. *As I have discontinued my business or wholly transferred my business, I herewith enclose my registration certificate with certified copies thereof for cancellation and blank statutory forms issued by the Commercial Tax department.

Encl :- (1) Registration Certificate along with the certified copies thereof.
(2) ------- blank statutory forms.

Place.....................
Date......................

....
Signature of the dealer

*Strike out whichever is not applicable.

FORM 13

[See rule 18(5)]

Intimation under sub-rule (5) of rule 18 of the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006

I .... Proprietor/Manager/Partner/Director/Officer in-charge of the business of selling or supplying goods carried on by the Central Government/State Government holding registration certificate No. .... under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 with his only/Principal place of business situated in Municipal Ward No. .... (for municipal areas only) at .... in the tahsil .... of the district............ hereby state that I had made an application -------------. Place of business situated in Municipal Ward No.__________ (for municipal areas only) as __________ in the tahsil __________ of the district __________ heareby state that I had made an application in form 10 for cancellation of my registration certificate under section 16 (10)(b)/* (c) of the said Act. on __________ received in your office on __________ and as no orders have been passed thereon within a period of six months from the date of its receipt in your office, my said registration certificate is deemed to have been cancelled under sub-rule(5) rule 18 Chhattisgarh Value Added Tax Rules 2006. Therefore, in pursuance of the requirement under rule 19(1)(b) I am sending herewith my registration certificate along with the certified copies thereof and the blank stationary forms held in stock by me on the said date.

Encl:-

(1) Registration certificate with certified copies thereof

(2) ____________ blank statutory forms

Place__________

Date__________

Signature of the dealer

* Strike out whichever is not applicable.

FORM 14

[See Rule 11(3)]

Application for registration of persons liable for tax deduction at source

To,

The Commercial Tax Officer,

________ Circle

I, hereby apply for a certificate of registration under Section 18 of Chhattisgarh Value Added Tax Act. 2005 as per particulars give below:

(1) Name of the applicant ....

(2) Address of the principal place of work (Building/Street/Road/Municipal ward / Town/City/Tehsil/District) ....

(3) Status of the person signing the form(Whether proprictor/partner/principal officer/agent/manager/director/secretary)...

(4) Class of the person (whether individual/firm/company/corporation/society/club/ association. etc.)......................................

(5) If registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act. 2005 Central Sales Tax Act. 1956 the number of registration certificate:-

(a) under Value Added Tax Act ....

(b) under Central Sales Tax Act. ....
(c) nature of supply/contract for which liability for tax deduction at source arises......................

Place....................
Signature...........................
Date ....
Status.........................
(Strike out whichever is not applicable).

ACKNOWLEDGMENT

(Particulars of name and address to be filled in by the applicant)
Received an application for registration in Form-14

From :
Name of the applicant ....
Full Postal Address...

Place.......................
Date........................ Signature of the receiving officer

FORM 15

[See Rule 12(1)(ii)]

Certificate of registration of persons liable for tax deduction at source

No...................

This is to certify that the Proprietor/Partner/Principal Officer/Agent/Manager/Head of Office of the Establishment/ Firm/Club/ Association/Society/ Corporation/ Company known as ....and located at..............has been registered under Section 18 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act. 2005.

The holder of the certificate is liable for tax deduction at source for supplies/contracts of the nature.................

Seal

Place.....................
Signature.........................
Date......................
Designation ....

FORM 16

[see rule 20 (1)]

Notice under sub- section (l) of section 19 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

To,

_________________(dealer)
_________________(Address)
Registration No.___________(If any)

You are required to submit a return /returns in form 17 within thirty days of the receipt of this notice for the period ending _____day of_____20 ________.

Please take notice that failure without sufficient cause to furnish the return will render you liable to penalty under section 19(4)(c) or to prosecution under section 64 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act. 2005 and furnishing of false return will render you liable to penalty under section 54 or to prosecution under section 64 of the said Act.

Seal
Place _________
Date __________

Signature_____________
Designation_____________

FORM 17

[See rule 20(2)(a)]

Return for the quarter ending on ________________ of the year ________________

Consolidated / Branch
Name of the dealer ....
Address:- ....

R.C. NO. | | | | | | | | | | | |

For official use	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
Date of Receipt								

Signature ....
Designation ....

	Goods taxable under section 8(i)	Goods taxable under section 8(ii)
1. Turnover		
2. Taxable turnover		
3. Tax payable		
4. Tax payable under section 13(5)		
5. Taxable purchase price		
6. Purchase tax payable		
7. Total tax payable		
8. Interest payable if any		
9. Input tax rebate		
(i) claimed		
(ii) adjusted		
(iii) claimed as refund		
10. Tax deducted at source u/s. 27		
11. Balance payable if any		
12. Payment details : Challan No...... date	.......Amount	....
13. Refund if any		

The particulars given above are true to the best of my knowledge & belief.

Place __________

Date __________

Signature

Received quarterly return in form 17 from M/s. ....of ..................................R.C. No. .... alongwith a challans details below:

Challan No. Date Amount

(1)

(2)

(3)

(4)

Signature and full name of the official receiving the return and office seal

Instructions for giving particulars against each item of the return in form 17:

Item No.	Instructions
1.	Turnover shall be arrived at after deducting from the gross turnover, sale price of the goods returned within six months of sale.
2.	The taxable turnover shall be arrived at after deducting from the turnover,- (i) The turnover of goods declared tax free under section 15 of the Act; (ii) The turnover of goods sold,- (a) outside the state; (b) in the course of inter-State trade or commerce; (c) in the course of export out of the territory of India; (iii) Turnover of goods which are in the nature of tax paid goods. (iv) Amount arrived at under section 2 (w) (2)(ii) and/or 2(w)(3)(iii). (v) Turnover of goods in relation to which deduction is provided under the Act.
3.	Tax payable under section 8(i) and/or 8(ii) and/or section 9 of the Act shall be computed on the taxable turnover and /or aggregate of taxable purchase prices at the rates specified in column (3) and/or column (4) of schedule II.
4.	Aggregate of purchase prices would include purchase prices of goods purchased within the State from unregistered dealers and,- (i) sold outside the State; (ii) used or consumed for/in the manufacture for/in the mining of goods specified in schedule II for sale.
5.	Input tax rebate to be claimed would be input tax rebate available under,- (i) Section 13(1)(a); (ii) Section 13(1)(b); (iii) Section 13(1)(c); and

	(iv) Section 73. and should be claimed in respect of input tax rebate to the credit at the beginning of the quarter and that accrued during the quarter.

FORM 18

{See rule 20(2)(b)}

Statement showing details of the particulars furnished in the quarterly returns for the year____________

Consolidated/Branch____________

Name of the Dealer ____________

Address ____________________

Registration Certificate No. ________

PART A

Particulars	Amount	Remarks
(1)	(2)	(3)

1. (a) Gross Turnover
   (b) Less sale price of goods returned within six months of sale
   (c) Net Turnover
2. Less deduction in respect of, -
   (i) turnover of goods declared tax free under section 15.
   (ii) turnover of good sold, -
   (a) outside the state
   (b) in the course of interstate trade or commerce
   (c) in the course of export out of the territory of India
   Total
3. Balance turnover { 1(c) -2}
4. Incidence wise break up

	Goods liable to tax under section 8(i)	8(ii)
(i) Turnover shown in 3 above		
(ii) Less,-		
(a) turnover of tax paid goods.		
(b) Amount collected by way of tax under section 8(i) / 8(ii)		
(c) Turnover of goods in relation to which deduction is provided in the Act.		
Total of (ii)		

(iii) Net taxable turnover (Rate wise taxable) -

Taxable under section 8(i)			Taxable under section 8(ii)
at 1 %	at 4%	at 12.5%	at 25%
Total			

(iv) Tax payable-

under section 8(i)			under section 8(ii)
at 1 %	at 4%	at 12.5%	at 25%
Total			

(v) Aggregate of taxable purchase prices

(vi) Tax payable under section 9

(vii) Tax payable under section 13(5)

(viii) Interest, if any, payable under section 19 (4)(a)

(ix) Total amount of tax and interest payable {(iv)+(vi)+(vii) and (viii)}

5. (i) Input tax rebate claimed,-

Under section 13(i)(a)	Under section 13(i)(b)	Under section 13(i)(c)	Under section 73
(1)	(2)	(3)	(4)
Total			

(ii) Input tax rebate to the credit at beginning of the year

Under section 13(i)(a)	Under section 13(i)(b)	Under section 13(i)(c)	Under section 73
(1)	(2)	(3)	(4)
Total			

(iii) Total input tax rebate {(i)+(ii)}

6. Total amount of tax and interest if any payable,

7. Less input tax rebate to the credit of the dealer (item 6 (iii)

8. Net amount of tax and interest Payable (6-7)
9. Tax deducted at source under section 27
10. Net amount of tax and interest payable (8-9)
11. Tax and interest paid with challan no. and date
12. Balance of input tax rebate to the credit if any, adjusted towards the amount of,-
    (i) Central Sales Tax payable for the year
    (ii) any dues under the Act
13. Input tax rebate refundable
14. Balance of tax and/or interest payable and paid (with challan No. and date) in addition to the tax paid and/or interest paid along with the quarterly returns of the year.
15. Input tax rebate in addition to that shown in paragraph 6(iii) due for adjustment or refund.
16. Balance of input tax rebate at the end of the year to be carried over for adjustment towards tax payable for the subsequent period (Breakup)

Under section 13(i)(a)	Under section 13(i)(b)	Under section 13(i)(c)	Under section 73
(1)	(2)	(3)	(4)
Total			

Part 'B'

Statement of rate wise stock of goods

S. No.	Page of the ledger	Name of the goods trading A/C	Opening balance	Purchase	Closing balance	Sale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Part 'C'

List of purchases, and sales of goods specified in schedule II during the year

List of purchases

S.No.	Date of purchase	Name of dealer from whom goods purchased	R.C. No.	Description of goods	Value	Remarks

		with Address		purchased		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

List of Sales

S.No	Date of sale	Name of dealer to whom goods sold with Address	R.C. No.	Description of goods sold	Value	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Signature of the dealer

The particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of the dealer

ACKNOWLEDGEMENT

Received a statement in form 18 relating to the period from _______ to _________ from M/s. ____________ holding registration certificate no. __________ along with challan No.__________ date______ for Rs.______

Place

Date

Seal

Signature and full name of the official receiving the statement

FORM 19

[See Rule 23(1) and (3)]

Application for grant/renewal of exemption certificate under rule 23 of the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006

To,

The Commercial Tax Officer,

....

I, ... *Proprietor/*Partner/*Director/*Manager of the business known as.............being a dealer, holding registration certificate No........... under the Chhattisgarh Value Added Tax Act. 2005, whose only/*principal place of business for which the exemption certificate is required is within the jurisdiction of the Commercial Tax Officer.........and is situated............ *town/ *village .... district .... tehsil........Municipal ward No......... (for municipal area only) do hereby apply:

*for grant of an exemption certificate in form 20 under rule 23(1) of the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006 for the period from ___ to ____.

*for renewal of the exemption certificate in form 20 dated..................(sent herewith) granted to me, the validity of which expires on..................

2. I hereby declare that no sales or purchases of any goods are likely to be made by me which will be liable to tax under the Chhattisgarh Value Added Tax Act. 2005.

3. I hereby declare that during the period from....................to.................... I made no sales or purchases which were subject to tax under the said Act (for renewal only).

4. I seek grant/renewal of the exemption certificate for further reasons stated below :

....

(here state further reasons if any).

5. I undertake to send an intimation of any sale or purchase of taxable goods to the Commercial Tax Officer as required by sub-rule (2) of rule 23 of Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006 and, furnish quarterly returns for the period commencing from the date of such sale or purchase and also pay into Government Treasury the tax payable according to such returns if I make any sale or purchase of such goods during the validity of exemption certificate in form 20 which may be granted to me*/which may be renewed.

Place....................
Date......................

....
Signature of the dealer

Note : In case the application is for renewal, the application should be accompanied by exemption certificate.

*Strike out whichever is not applicable

ACKNOWLEDGMENT

Received an application in form 19 from ____________(name of the dealer) for grant/renewal of exemption certificate under rule 23 of the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006.

Date......................

....
Signature of the official receiving the application

FORM 20

(see rule 23 (1)]
Exemption Certificate

Serial No.

Certified that _______(Name of the dealer)holding registration certificate No.________ under the Chhattisgarh Value Added Tax, 2005 and carrying on the business known as________ situated at ________ town/village ___________ district __________of ______________________ ___________ tehsil______ Municipal ward No.__________(for municipal areas only) is not dealing in any goods taxable under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 and is not likely to deal in such goods, the said dealer is granted exemption from furnishing any returns in respect of the year commencing from _______ and ending on ______ .

Seal
Place___________
Date___________

Signature__________________
Designation________________

RENEWALS

Date of renewal	Date upto which renewed	Signature and designation of the renewing officer

FORM 21

[See rule 24(1)]

Application for grant of permission to submit return for different period.

To,
The Commercial Tax Officer
..............................Circle

I,...............*Proprietor/*Manager/*Partner/*Director of the business known as.................... olding registration certificate No........... .....under the Chhattisgarh Value Added Tax Act. 2005 whose only/*principal place of business within the jurisdiction of Commercial Tax Officer........ (circle) is situated at....town/village.....District........Tehsil........Municipal ward No............(for Municipal areas only) do hereby apply for permission to file an annual return under the proviso to sub-section (1) of section 19 of the said Act, read with rule 24 of the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006 and for the said purpose I am furnishing the following particulars :

(1) Place of business in respect of which permission is applied for ,-

(i) Name and style of the business ______________________

(ii) Address of the place of business ______________________

(iii) Registration certificate No. ______________________

(2) Year for which permission is applied for __________ (From __________ to ______________)

(3) Gross turnover and tax assessed for the latest previous year.

(i) year ______________________ (From ____________ to ________________)

(ii) Gross turnover Rs.________________

(ii) Tax assessed ______________

(iii)Assessment case No. ________,

(iv)order of assessment dated ________,

passed by Shri ________________ Commercial Tax Officer ________________ Circle/ Shri ____________ Assistant Commissioner of Commercial Tax ______________________

(4) Gross turnover and tax payable according to the returns for the preceding year,-

(i) Year ________________ (From __________ to __________)

(ii) Gross turnover Rs.______________________.

(iii) Tax payable Rs.____________________ Tax paid Rs.________________.

Place....................
Date.....................

....
Signature of the dealer

I, ... do hereby state that what is stated herein is true to the best of my knowledge and belief.

Place....................
Date.....................

....
Signature of the dealer

FORM 22

[See rule 24(4)]

Order permitting a dealer to furnish return for different period

Shri____________ who is carrying on the business known as ____________and is a dealer holding registration certificate No. _______ dated _________under the Chhattisgarh Value Added Tax Act. 2005 whose only/* principal place of business within the jurisdiction of the Commercial Tax Officer______________ is situated at__________ Town/*Village _______. District____________ Tehsil_________ Municipal ward No.___________ (for municipal area only) is hereby permitted under proviso to sub-section (l) of section 19 of the said Act and rule 24 of the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006 to furnish return for different period in form 17 for the period from ________ to___________ on or before __________ (date) in lieu of the quarterly returns under rule 20(2)(a) of the said rules subject to the following conditions in respect of the place(s) of business specified below:

Place____________ Registration Certificate No.__________

(l) The said dealer shall pay for the period specified in column (l) of the Schedule appended hereto on or before the date specified in column (2) of the said schedule the amount specified in column (3) thereof.

SCHEDULE

Quarter for which tax is payable.	Last date for payment of tax	Amount of tax to be paid.
(l)	(2)	(3)

(2) For the last quarter, namely, for the period from________to________ the dealer shall pay as tax the difference between the amount of tax payable according to his return for such different period and the tax already paid for the earlier quarters as mentioned in the above schedule.

(3) The dealer shall furnish along with the return for such period copies of treasury receipted chalans for all the quarters in respect of which tax has been paid.

(4) This permission is liable to be cancelled by the Commercial Tax Officer at any time on account of any infringement of the conditions mentioned in sub-rule (4) of rule 24 of the said rules.

Place_________________
Signature ______________

Date__________________
Designation _____________

*Strike out whichever is not applicable.

FORM 23

[See rule 25(1)]

Notice under section 19(5) (a) of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005

To,

(Name) ....
(Address) ....
TIN ....

Whereas I have reason to believe that the particulars given by you in your return (s) for the period ____________ to ________________ are not correct in so far as they relate to the application of the correct rate of tax/*the calculation of the tax and*/or interest payable*/claim of deduction in respect of ______________ */claim of input tax rebate.

Now, therefore, you are directed to appear in person or by person authorised by you in writing under sub-section (1) of section 24 being heard in this regard at _____________ (place) ______________ (time) on ____________ (date).

Seal Signed ____________________

Date ________________ (Designation) ______________

*Strike out whichever is not applicable.

FORM 24

[See rule 25(2)]

Notice under section 19(5)(b) of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for demand of additional tax/interest

To,

(Name) ....
(Address......................................
TIN ....

On verification of the return (s) for the period from ________________ to ___________ ________ given by you, it is found that, -

(i) tax payable by you during the said period at the correct rate of _____________ amounts to Rs. _________.

(ii) interest payable by you during the said period amount to Rs. ______________.

(iii) a deduction of an amount of Rs. _________ has been wrongly claimed by you on which you are liable to pay tax of Rs. _________ at the rate of __________.

(iv) input tax rebate of an amount of Rs. _________ has been wrongly claimed by you and the said amount of tax is payable by you.

A total amount of Rs. __________ by way of tax/interest is payable by you.

You are hereby directed to pay the sum of Rs. _________ (in figures) ______________ Rs. ____________ (in words) into the government treasury at _______________ on or before

(date) ______________ and to produce the copy of the treasury receipted challan in proof of payment before the undersigned not later than (date) __________ failing which the said sum of Rs. ____________ (in figures) Rs. ______________ (in words) shall be recovered from you as arrears of land revenue.

Seal
Date ____________

Signed ____________________
(Designation) ____________________

*Strike out whichever is not applicable.

FORM 25

[See Rule 26]

Return by person liable for tax deduction at source

Return of tax payable for the period from __________ to ______________
Name of the person ____
Address ____
Registration Certificate No. ______________________________________

S. No.	Details of Suppliers/ Contractors-name and Address, Regn. No.(if any)	Date of payment	Amount paid	Nature of supply/ contract for which payment relates	Tax deducted from payment		Remark
					Rate of tax	Amount	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Amount of tax payable ....
Amount paid with Challan No. and date ....

The above statements are true to the best of my knowledge and belief.

Place............................
Signature........................
Date.............................
Status...........................

ACKNOWLEDGEMENT

(Particulars of name and address to be filled by the person)

Received return for the period from ....to..................with Challan No................. date for Rs................ Name of the person.............................. Full Address........................ ....

Place ....
Date ....

Signature with full name and designation
of the receiving officers

FORM 26
[See Rule 27(2)]
Declaration

I,..........a dealer holding registration certificate No........under the Chhattisgarh Value Added Tax Act. 2005, in.........circle hereby declare that the goods particulars of which have been given in Appendix I below and purchased by me from Shri.........a dealer holding registration certificate under the said Act have been sold by me in the course of export out of territory of India as per details given in Appendix II below and the said goods were purchased by me after and for the purpose of complying with the agreement or order No......dated.......for or in relation to such export.

I further declare that exemption from tax under the said Act in respect of these goods has not been claimed and that no other declaration has been issued to any other person in the State of Chhattisgarh in respect of these goods.

Signature ....
Name of the person signing the declaration.................
Status of the person signing the declaration in relation to the exporter.......................

Place....................
Date.....................

APPENDIX-I

Description of goods purchased	Quantity	Value Rs.	P.
(1)	(2)	(3)	
	Total		

Total value (in figures) Rs....................(in words)
Rs..................................only

APPENDIX-II

Details regarding export :

(1) Name of airport*/ seaport/ land custom station through which goods have been exported	....
(2) Name of the airlines*/ship/railway/goods vehicle or other means of transport through which export took place.	....
(3) Number and date of air consignment note/bill of lading*/ railway receipt*/goods vehicle receipt/ postal receipt/any other document in proof of export of goods across the custom frontier of India (certified copy of such air consignment note/bill of lading/ railway receipt/goods vehicle receipt/postal receipt/other documents to be enclosed).	....
(4) Description/quantity/weight and value of the goods exported under documents referred to in item (3) above.	....

Signature........................
Name of the person signing the declaration..

*Place.....................
Date......................

....
Status of the person signing the declaration in relation to the exporter.................

*Strike out whichever is not applicable.

FORM 27

(See rule 29)

Notice under section 21(4) of the Chhattisgarh Value Added Tax Act. 2005.

To,

(Name)____________
(Address)__________
Registration No.______

Whereas I desire to satisfy myself that the returns furnished by you in respect of the period from __________ to _______ are correct and complete,

Now, therefore, you are hereby directed,-

(i) to appear in person or by an agent,
(ii) to produce evidence or have it produced in support of the returns, and
(iii) to produce or cause to be produced accounts, registers, bills, invoices or cash memoranda, or other documents pertaining to the business

at__________(place)__________(Time)_______on(date)____________

Seal

(Signed)____________
Designation__________

FORM 28

[see rule 30(1)]

Notice under section 19(4), 21(5), 21(6), 22 and 54 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act. 2005

To,

(Name) Shri)__________________
(Address)____________________
(Registration No.) _______________

Whereas,

*You have failed to furnish return (s) as required by notice in that behalf served on you under section 19(l) and have thereby rendered yourself liable to pay interest/ penalty under section 19(4).

OR

*You being a registered dealer have failed without any sufficient cause to furnish return (s) in time for the period (s)_ from________ to_________ and have thereby rendered yourself liable under section 19(4) to pay interest / penalty.

OR

*You being a registered dealer have failed to furnish return (s) and/ or the statement in form 18 in time for the period (s) from_______ to_____ and have thereby rendered yourself liable under section 21(5) to be assessed to the best of judgment.

OR

You being a registered dealer have not maintained any accounts or have not employed any regular method of accounting or the accounts maintained by you are not in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 41 the method employed is such that no proper assessment can be made and have thereby rendered yourself liable under section 21 (5) to be assessed to the best of judgement.

OR

*You being a registered dealer have knowingly furnished incomplete or incorrect return (s) from________ to________ and have thereby rendered yourself liable under section 21(5) to be assessed to the best of judgement.

OR

*You being a dealer liable to pay the tax under section 5 in respect of the period (s)_ from_____________ to_______ have failed to apply for registration and thereby rendered yourself liable to be assessed to the best of judgment and penalty under section 21(6).

OR

* I have reason to believe that during the period(s) from_______ to________ you have been *under-assessed /*your turnover* /has escaped assessment/*has been assessed at a lower rate*/deduction there from has wrongly been allowed /* input tax rebate has wrongly been allowed in the assessment order, you have to be assessed */ re-assessed in consequence of the judgment of ________, thereby rendering yourself liable for reassessment and penalty under section 22.

Here state reasons ___________

OR

*I am satisfied that you have concealed your turnover or the aggregate of purchase prices in respect of goods worth Rs.________/you have furnished false particulars of your sales and purchases in your return (s) /*you have furnished a false return for the period from__________ to_________ and have thereby rendered yourself liable to be assessed under section 21(5) to the best of judgement and to penalty under section 54.

NOW, THEREFORE, you are hereby called upon to show cause on_________ why you should not be so-assessed/*re-assessed to the best of judgement / why a penalty should not be imposed upon you.

Further, you are hereby directed to attend in person or by a person authorised by you in writing under sub-section (1) of section 24 before me for being heard in this regard and to produce or cause to be produced your books of accounts and the documents in respect of the above period and any evidence on which you rely in support of your objection at _________(place)_________(time) on ________ (date).

(Signed)____________

Seal Designation__________

Date ....

Note:- Strike out whichever is not applicable.

FORM 29

[See rule 31(1)]

Notice under section 16(6), 25(8), 42(2), 54(2), 57(6) of the Chhattisgarh Value Added Tax Act. 2005 and rule 82 of the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006.

To,

(Name) Shri____________

(Address)______________

R.C. NO. ______________

* You being a dealer liable to get youself registered within the prescribed time have failed without reasonable cause to get yourself registered and have thereby rendered yourself liable to penalty under sub-section (6) of section 16.

OR

* You being a dealer liable to pay the tax assessed or penalty imposed or any other amount due from you within the time for payment specified therefor in the notice of demand have failed to pay the same and have not obtained any order under sub-section (7) of section 25 or being liable to pay the tax or penalty in accordance with the order passed under the said sub-section (6) have failed to pay the same and have rendered yourself liable to penalty under sub-section (8) of the said section .

OR

* You having failed to_______(here mention the particulars of the contravention committed) have contravened the provisions of sub-section (1) of section 42, and have thereby rendered yourself liable to penalty under sub-section (2) of section 42.

OR

I am satisfied that you have concealed your turnover/*aggregate of purchase prices/*you have furnished false particulars of your sales/*purchases in your return/*returns for the

period from __________ to __________/ you have furnished false return/returns for the period from ____________ to ______________ and thereby rendered yourself liable to penalty under sub-section (2) of section 54.

OR

* I have reason to believe that you have stored/*kept goods liable to tax without accounting for them in books & registers/*accounts maintained by you with a view to evade payment of tax and have thereby rendered yourself liable to penalty under clause (c) of sub-section (6) of section 57.

OR

* You have contravened the provisions of rule __________ herein mention the rule) of the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006 and thereby rendered yourself liable to penalty under rule 82 of the said Rules.

Now, therefore, you are hereby called upon to show cause personally or through a person authorised by you in writing in that behalf being a person specified in section 24 at (Place) ______________ (time) ____________ (on) ________ (date) ______ why a penalty should not be imposed upon you Further you are required to present yourself or through the authorised person on the said date, place and time to be heard in this regard.

You are also required to produce any evidence on which you rely in support of your objection (if any).

Seal Signature____________

Date__________ Designation____________

* strike out whichever is not applicable.

FORM 30

[See rule 32(1)]

Order of assessment and/or penalty.

Name of the dealer___________________
Location of place of business________
Registration certificate No.________
Assessment year ______________Case No._______
Period of assessment_______________
(i)Account books produced__________
(ii)Method of accounting__________
Section with sub-section under which assessment ____________ made and/or penalty imposed.

	As per returns	As determined
1. (a) Gross turnover		
(b) Less,-	-------------	-----------
Sale price of goods returned within six months of sale	------------	-----------
Total	------------	-------------
Net Turnover	------------	-------------

2. Less - Deductions,-

(i) Turnover of goods declared tax-free under section 15	-------------	-------------

(ii) Turnover of goods sold :

(a) outside the state

(b) in the course of inter state trade or commerce

(c) in the course of export out of the territory of India

Total

3. Balance turnover

(i) balance

4.	Incidence wise break up of turnover	In relation to goods liable to tax under section 8(i)		In relation to goods liable to tax under section 8(ii)	
		As per returns	As determined	As per returns	As determined
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(ii) Less,-

(a) Turnover of tax paid goods				
(b) Amount collected by way of tax				
Total (ii)				

(iii) Net taxable turnover (Rate wise breakup)

Taxable under section 8(i)			Taxable under section 8(ii)
at 1%	at 4%	at 12.5%	at 25%
(1)	(2)	(3)	(4)
Total			

(iv) Tax payable.

Taxable under section 8(i)			Taxable under section 8(ii)
at 1%	at 4%	at 12.5%	at 25%
(1)	(2)	(3)	(4)

Total			

(v) Aggregate of taxable purchase Prices ______ ______ ______ ______

(vi) Tax payable under section 9 ______ ______ ______ ______

(vii) Tax payable under section 13(5) ______ ______ ______ ______

(viii) Interest, if any payable under Section 19(4)(a) ______ ______ ______ ______

(ix) Total amount of tax and interest payable {(iv) + (vi) + (vii)} ______ ______ ______ ______
______ ______ ______ ______

5. Amount of penalty imposed, -
(i) under section ....
(ii) under section ....
(iii) under section ....
(iv) under section ....
(v) under rule 82 ....

Total

6. Total amount of tax/interest/ penalty payable (4(viii)+5)

7. Aggregate of purchase prices of goods specified in schedule II made from registered dealers during the year under assessment, - As per returns ------------ As determined ------------

(a) for sale within the state ---------- ----------

(b) for use or consumption or use in manufacture or use in mining of any goods specified in schedule II for sale --------- ----------

Total (a) + (b) ----------- ----------

(ii) Input tax rebate obtained by /allowed to the dealer

As per returns				As determined			
Under section 13(1)(a)	Under section 13(1)(b)	Under section 13(1)(c)	Under section 73	Under section 13(1)(a)	Under section 13(1)(b)	Under section 13(1)(c)	Under section 73

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total				Total			

(iii) Input tax rebate to the credit of the dealer at the beginning of the year-

As per returns				As determined			
Under section 13(1)(a)	Under section 13(1)(b)	Under section 13(1)(c)	Under section 73	Under section 13(1)(a)	Under section 13(1)(b)	Under section 13(1)(c)	Under section 73
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total				Total			

(iv)Total input tax rebate to the credit of dealer during the year (ii) + (iii) ---------- ----------
---------- ----------

8. Total amount of tax, interest and/or penalty if any payable (as per item 6) ---------- ----------

---------- ----------

9. Less input tax rebate to the credit of the dealer (As per item 7(iv)) ---------- ----------
---------- ----------

10. Net amount of tax and / or penalty/interest payable (8-9) ---------- ----------

---------- ----------

11. Amount of tax deducted under section 27 ---------- ----------

12. Tax/interest paid with chalan No. and date ---------- ----------

13. Input tax rebate to credit of dealer if any adjusted towards the amount of Central Sales Tax payable for the period under assessment or to any other dues under the Act or the Central Sales Tax Act. ---------- ----------
---------- ----------

14. Balance of the input tax rebate to the credit of the dealer at the end of the year to be carried over for adjustment towards the tax payable for the subsequent period.

Under section 13(1)(a)	Under section 13(1)(b)	Under section 13(1)(c)	Under section 73
(1)	(2)	(3)	(4)
Total			

15. Total balance of tax and penalty due for payment ---------- ----------

16. Amount of tax / interest paid in excess

17. Amount of input tax rebate to be refunded ---------- ----------

Details of the order

Seal
dated_____

Signature______________
Designation____________

FORM 31
[See rule 34(1)]
Application for enrolment as a Tax Practitioner

To,
The Commissioner of Commercial Tax,
Chhattisgarh,
Raipur

I,....................(Full name) ....(Father's name) hereby apply for enrolment as a Tax Practitioner under sub-rule (1) of rule 33 of the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006.

2. I declare that I possess the under mentioned qualification specified in sub-section (2) of section 24 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for which I attach herewith an attested copy of..............(here mention one of the qualifications mentioned in clause (b)/*(c) of sub-section (2) of section 24 of the said Act)

Signature.....................................
Permanent address.......................
Place.....................
Date ....
Present address (if different from permanent address)...........

* Strike out whichever is not applicable.

FORM 32

{see rule 34(3)}

Register of tax Practitioners enrolled under section 24(3) of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

S.No.	Date of application for enrolment	Name of the applicant with father's name	Date of enrolment	Enrolment number	Present and Permanent address.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Qualification	Signature of comm--issioner	Date of removal	Reasons for removal	Remarks
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

FORM 33

[see rule 34(3)]

Enrolment Certificate

Certified that shri _________(Full name)_____________ son of ________(Full name) of__________(Permanent address) has been enrolled as a Tax Practitioner vide enrolment number ________with effect from__________

Place________ Signature ____________

Dated_________ Commissioner of Commercial Tax Chhattisgarh

Seal

Second Copy

FORM 34

[see rule 36(2)]

(To be retained in the Treasury)

CHALAN

The Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (040-Commercial Tax/Taxes under the State Value Added Tax Act)

Chalan of tax/penalty/registration fee/Interest paid to _______Government treasury/sub-treasury/branch of bank of__________

By whom tendered	Name and address of the dealer on whose behalf money is paid and R.C.. No. and case No. if any	Payment on account	Amount (to be entered in figures)

(1)	(2)	(3)	(4)

(a) Tax according to Rs. P.
return for the period
from _______ to ________

(b) Tax demanded after
assessment for the year

(c) Purchase tax
(d) Composition amount
(e) Penalty
(f) Interest
(g) Miscellaneous

Under Rs. (in words)

Total Rs.______________________________(in figures)
Rs.________________________________(in words)
Dated ________

Signature of the dealer or
depositor

For use in the Treasury or Bank

1. Received payment of Rs.____________________(in figures)
Rs.______________________________________ (in words)

2. Date of entry

Treasurer Accountant Treasury Officer/Agent or
Manager

ORIGINAL
FORM 34

[see rule 36(2)]
(To be sent by the Treasury to Commercial Tax Officer)

CHALAN

The Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (040-Commercial Tax/Taxes under the State Value Added Tax Act)

Chalan of tax/penalty/registration fee/Interest paid to ________Government treasury/ sub-treasury/branch of the bank of __________

By whom tendered	Name and address of the dealer on whose behalf money is paid and R.C. No. and case No. if any	Payment on account	Amount (to be entered in figures)
(1)	(2)	(3)	(4)

(a) Tax according to return for the period from ______ to ________

(b) Tax demanded after assessment for the year

(c) Purchase tax

(d) Composition amount

(e) Penalty

(f) Interest

(g) Miscellaneous

Under Rs.(in words)

Total Rs.______________________________(in figures)

Rs.__________________________________(in words)

Dated ________

Signature of the dealer or depositor

For use in the Treasury or State Bank

1. Received payment of Rs.____________________(in figures)

Rs.________________________________ (in words)

2. Date of entry

Treasurer Accountant Treasury Officer/Agent or Manager

Third Copy

FORM 34

[see rule 36(2)]

(To be given to the payer for being sent to Commercial Tax Officer)

CHALAN

The Chhattisgarh Value Added Tax, 2005 (040-Commercial Tax/Taxes under the State Value Added Tax Act)

Chalan of tax/penalty/registration fee/Interest paid to __________ Government treasury/sub-treasury/branch of the bank of __________

By whom tendered	Name and address of the dealer on whose behalf money is paid and R.C. No. and case No. if any	Payment on account	Amount (to be entered in figures)
(1)	(2)	(3)	(4)

(a) Tax according to return for the period from _______ to ________

(b) Tax demanded after assessment for the year

(c) Purchase tax
(d) Composition amount
(e) Penalty
(f) Interest
(g) Miscellaneous

Under Rs. (in words)

Total Rs.______________________________(in figures)
Rs.____________________________________(in words)
Dated ________

Signature of the dealer or depositor

For use in the Treasury or State Bank

1. Received payment of Rs.__________________(in figures)
Rs.__________________________________ (in words)

2. Date of entry

Treasurer Accountant Treasury Officer/Agent or Manager

Fourth Copy
FORM 34

[see rule 36(2)]
(To be given to the payer for his own use)

CHALAN

The Chhattisgarh Value Added Tax, 2005 (040-Commercial Tax/Taxes under the State Value Added Tax Act).

Chalan of tax/penalty/registration fee/Interest paid to ________Government treasury/ sub-treasury/branch of the bank of _________

By whom tendered	Name and address of the dealer on whose behalf money is paid and R.C. No. and case No. if any	Payment on account	Amount (to be entered in figures)
(1)	(2)	(3)	(4)

(a) Tax according to return for the period from _______ to ________

(b) Tax demanded after assessment for the year

(c) Purchase tax
(d) Composition amount
(e) Penalty
(f) Interest
(g) Miscellaneous

Under Rs. (in words)

Total Rs.______________________________(in figures)
Rs.________________________________(in words)
Dated ________

Signature of the dealer or depositor

For use in the Treasury or State Bank

1. Received payment of Rs.____________________(in figures)
Rs.______________________________________ (in words)
2. Date of entry

Treasurer Accountant Treasury Officer/Agent or Manager

Fifth copy
FORM 34

[see rule 36(2)]
(To be sent by the Treasury officer to the Accountant General)

CHALAN

The Chhattisgarh Value Added Tax, 2005 (040-Commercial Tax/Taxes under the State Value Added Tax Act)

Chalan of tax/penalty/registration fee/Interest paid to ________ Government treasury/sub-treasury/branch of the bank of __________

By whom tendered	Name and address of the dealer on whose behalf money is paid and R.C. No. and case No. if any	Payment on account	Amount (to be entered in figures)
(1)	(2)	(3)	(4)

(a) Tax according to return for the period from ______ to ________
(b) Tax demanded after assessment for the year

(c) Purchase tax
(d) Composition amount
(e) Penalty
(f) Interest
(g) Miscellaneous

Under Rs. (in words)

Total Rs.______________________________(in figures)
Rs.___________________________________(in words)
Dated ________

Signature of the dealer or depositor

For use in the Treasury or State Bank

1. Received payment of Rs.________________(in figures)
Rs.______________________________________ (in words)
2. Date of entry

Treasurer   Accountant   Treasury Officer/Agent or Manager

Second Copy

FORM 35

[see rule 36(2)]
(To be retained in the Treasury)
CHALAN

The Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (040-Commercial Tax/Taxes under the State Value Added Tax Act)

Chalan of tax paid to ____ Government treasury/sub-treasury/ branch of bank of ________

By whom tendered	Name and address of the dealer from whom the amount of tax deducted and on whose behalf money is paid and his R.C. No. if any	Amount (to be entered in figures)
(1)	(2)	(3)
Under Rs. (in words)		

Total Rs.________________________(in figures)
Rs.____________________________(in words)

Dated ________

Signature of the dealer or depositor

For use in the Treasury or Bank

1. Received payment of Rs.__________________(in figures)
Rs.____________________________(in words)

2. Date of entry

Treasurer Accountant Treasury Officer/Agent or Manager

Original

FORM 35

[see rule 36(2)]
(To be sent by the Treasury to Commercial Tax Officer)

CHALAN

The Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (040-Commercial Tax/Taxes under the State Value Added Tax Act)

Chalan of tax paid to ___Government treasury/sub-treasury/ branch of bank of__________

By whom tendered	Name and address of the dealer from whom the amount of tax was deducted at source on whose behalf money is paid and his R.C. No. if any	Amount (to be entered in figures)
(1)	(2)	(3)

Under Rs. (in words)		

Total Rs.____________________(in figures)
Rs.____________________(in words)
Dated ________

Signature of the dealer or depositor

For use in the Treasury or State Bank

1. Received payment of Rs.________________(in figures)
Rs.____________________ (in words)

2. Date of entry

Treasurer Accountant Treasury Officer/Agent or Manager

Third Copy
FORM 35

[see rule 36(2)]
(To be given to the payer for being sent to Commercial Tax Officer)

CHALAN

The Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (040-Commercial Tax/Taxes under the State Value Added Tax Act)

Chalan of tax paid to ________Government treasury/sub-treasury/branch of bank of__________

By whom tendered (Give name of the person)	Name and address of the dealer from whom the amount of tax was deducted at source and on whose behalf money is paid and his R.C. No.	Amount (to be entered in figures)
(1)	(2)	(3)
Under Rs. (in words)		

Total Rs.____________________(in figures)
Rs.____________________(in words)
Dated ________

Signature of the dealer or depositor

For use in the Treasury or State Bank

1 . Received payment of Rs.________________(in figures)
Rs.________________________________ (in words)
2. Date of entry

Treasurer Accountant Treasury Officer/Agent or Manager

Fourth Copy

FORM 35

[see rule 36(2)]
(To be given to the payer for his own use)
CHALAN

The Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (040-Commercial Tax/Taxes under the State Value Added Tax Act)

Chalan of tax paid to ____Government treasury/sub-treasury/ branch of bank of__________

By whom tendered (Give name of the person)	Name and address of the dealer from whom the amount of tax was deducted at source and on whose behalf money is paid and his R.C. No. if any	Amount (to be entered in figures)
(1)	(2)	(3)
Under Rs. (in words)		

Total Rs.________________________(in figures)
Rs.________________________(in words)
Dated ________

Signature of the dealer or depositor

For use in the Treasury or State Bank

1 . Received payment of Rs.________________(in figures)
Rs.________________________________ (in words)

2. Date of entry

Treasurer Accountant Treasury Officer/Agent or Manager

Fifth copy

FORM 35

[see rule 36(2)]

(To be sent by the Treasury Officer to the Accountant General)

CHALAN

The Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (040-Commercial Tax/Taxes under the State Value Added Tax Act)

Chalan of tax paid to ________Government treasury/sub-treasury/branch of bank of____________

By whom tendered (Give name of the person)	Name and address of the dealer from whom the amount of tax was deducted at source and on whose behalf money is paid and his R.C. No. if any	Amount (to be entered in figures)
(1)	(2)	(3)
Under Rs. (in words)		

Total Rs.________________________________(in figures)

Rs.________________________________(in words)

Dated ________

Signature of the dealer or depositor

For use in the Treasury or State Bank

1 . Received payment of Rs.____________________(in figures)

Rs.________________________________ (in words)

2. Date of entry

Treasurer Accountant Treasury Officer/Agent or Manager

F O R M 36

[(see rule 39(l)]

Notice of demand for payment of tax, interest, penalty, or any other dues payable under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

To,

Shri (Name of the dealer or person, as the case may be)_______

Address________________

Registration Certificate No.____________

Take notice that,-

(i) *You have been finally assessed under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005, to a tax of Rs. ________________ (in figures) Rs. _______________(in words) only for the period from ______ to ___________ which is payable by you.

(ii)*A penalty of Rs. __________under section/*rule _______has been imposed on you.

(iii) *An amount of Rs. _______as interest payable by you under section ________has been levied.

2. This*tax/*penalty /*interest includes Rs.________/_________ already paid by you towards tax/*penalty/ *interest and the balance is Rs.__________

3. You are hereby directed to pay the sum of Rs._______(in figures) Rs.________(in words) only into the Government Treasury at ____________on or before (date)_________and to produce the copy of the treasury receipted chalan in proof of payment before the undersigned not later than the __________day of ____________ failing which the said sum of Rs.____________(in figures) Rs.____________________ (in words) only will be recovered from you as an arrear of land revenue.

4. A copy of the assessment order/*order imposing penalty is attached.

Seal

Date__________ Signed__________________

Designation______________

*Strike out whichever is not applicable.

FORM 37

[see rule 41]

Intimation under sub-section (12) of section 25 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

To,

Shri.__________(dealer or person)

_______________(address)

With reference to your assessment for the period from________ to __________ the amount payable by you has been enhanced/*reduced/*anulled in consequence of an order dated_______ passed under section 48/ *49 /*56 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 by ________(here give the designation of the authority who passed the order enhancing /*reducing *annulling the amount payable by the dealer). The amount due from you is now Rs.________.

Seal

Date__________ Signature of the Assessing Authority

Copy forwarded to the Commercial Tax Officer-cum-Additional Tahsildar ___ to whom a revenue recovery certificate had been issued in this case for amending the revenue recovery certificate accordingly.

Signature of the Assessing Authority

*Strike out whichever is not applicable.

FORM 38

[see rule 43(l)]

Notice under sub-section (3) of section 26 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

To,

(Name)______________
(Address)______________
(R.C.No.)______________

Whereas, you being a registered dealer have failed to furnish the return as required by sub-section (l) of section 19 and have failed to pay the tax in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 25 for the period from ________ to ________ by the due date and thus, the tax payable for the said period has become payable, under sub-section (l) of section 26 in advance of an assessment which may be made under section 21.

And whereas, the amount of tax payable in advance under sub-section (l) of section 26 has been computed by the undersigned at Rs. (in words)__________ only) in accordance with the provisions of clause (a)/*(b)/*(c) of sub-section (2) of the said section.

Now, therefore, you are hereby directed to pay the sum of Rs. ___________ (in words) Rs.____________ on account of tax payable in advance of an assessment which may be made under section 21 into the Government Treasury at ________before the expiry of seven days from the date of receipt of this notice and to produce the receipt in proof of the payment before the undersigned within three days thereafter failing which the said sum of Rs. _______________ (in words) Rs.__________ only) shall be recovered from you as an arrear of land revenue.

2. Please take notice that if you now furnish the return for the aforesaid period and pay the amount of tax for the said period according to such return into Government Treasury at _________before the time mentioned in paragraph 1 of this notice and produce the receipt in proof of the payment before the undersigned before the time mentioned in paragraph 1 above or if you prove to the satisfaction of the undersigned within seven days of the receipt of the notice that the return for the above said period has already been furnished by you this notice shall stand cancelled.

Seal
dated_____

Signature________________
Designation________________

*Strike whichever is not applicable.

FORM 39

[See rule 44(2)(a)]

Certificate in respect of amount deducted under sub-section (1) of Section 27 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005

Certified that the under mentioned goods have been purchased for Rs.................inclusive of commercial tax of Rs.......... from M/s. ....a dealer holding registration certificate No.................. .... under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2003, under purchase order No......... dated........ / *as per bill/*cash memo/*challan No........dated.......for and on behalf of the office of _________ of the Central Government/*the State Government and an amount of Rs....... equal to the amount payable to the said dealer by way of commercial tax has been deducted from his bill and that the said amount has been paid into the Government treasury within the period specified in rule 44(1) of the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006 vide challan (Form 35) number ______ dated ____

Seal

....

Signature of the Officer Authorised to make purchases on behalf of the Central/State Government/

Place....................

Date.....................

*Strike whichever is not applicable.

FORM 40

[See rule 44 (2)(b)]

Certificate in respect of amount deducted under sub-section (2) of section 27 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

Certified that an amount of rupees ______________________ has been deducted at source as required by the provision of sub-section (2) of section 27 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 from the amount payable to the contractor ______________________ (Name) of ______________________ (Address of the place of business) holding registration certificate No.______________________ under the said Act towards the value of the contract for ______________________ executed at ______________________ during the period from ________________ to ________________ and that the amount so deducted has been paid by me into the government treasury vide chalan (Form 35) No.______________________ dated ________ within the period specified in rule 44(1) of the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006.

Seal

____

Signature of the person letting out of the contract himself or for or on behalf of the Central Government/ State Government/Public Sector undertaking/local body/statutory public limited company.

Place________________

Date________________

Add------------

FORM 41

[see rule 44(4)(a)]

Application for grant of a certificate under section 28 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005

To,

The Commercial Tax Officer,

______________(Circle),

I, ______________________ (Name) of ____________________________(Name of the business) __________________ (Address) holding registration certificate No____________ under the Chhattisgarh Value Added Tax Act. 2005 request for grant of certificate under section 28 of the said Act. to be issued to __________________ (Name, designation and address of the authorized officer purchasing goods on behalf of the Central Government/State Government or Name and address of the person letting out a contract for

(1) Description of goods ____________________________

(2) Date on which/period within which supplied ____________________

(3) Purchase order/Contract No. and date ________________________

(4) Value of the purchase order/contract ________________________

I hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and behalf.

(Signature of the applicant)
with name and status.

FORM 42

[see rule 44(4)(b)]

Certificate

To,

____

____

____

I, hereby direct you to pay the sum to______________(name and address of the dealer/contractor) holding registration certificate No.____________(if any) under Chhattisgarh Value Added Tax Act. 2005 on account of the sale or supply/ contract order No________ date____________ for Rs.________________(in figures)__________________________ in words) __________________________________ without deduction of any amount or deduction at .... rate towards tax payable.

Seal
Place
Date

Signature
Deputy Commissioner of Commercial Tax,
________________________Division

*Strike out whichever is not applicable.

FORM 43

[see rule 44 (5)]

Quarterly statement showing the particulars of the amount of tax deducted at source and its payment under section 27 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act. 2005

1. Name of the office of the department of the *Central/ State Government*/Public Sector undertaking*/Municipality*/ Municipal Corporation*/Statutory Authority*/ Public Limited Company with place of the office and address. ______________

2. Period ______________ from ______________ to ______________

PART - A

Particulars relating to goods purchased from a registered dealer:-

S.No.	Name of the registered dealer from whom goods were purchased during the quarter with his RC No.	Description of goods purchased	No. and date of the bill issued by the dealer	Amount of the consideration payable in accordance with the bill.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Amount of tax under section8(i)* 8(ii) of the Chhattisgarh Value Added Tax Act. 2005	Amount of tax deducted at source under section 27(1) of the Chhattisgarh Value Added Tax Act. 2005	Date of payment of the tax shown in column (7) with chalan No. and date.	Date of issue of the certificate in form 39 to the selling registered dealer.
(6)	(7)	(8)	(9)

PART - B

Particulars relating to goods supplied by the contractor in the execution of a works contract:-

S.No.	Name of the contract with his RC No.	Nature of the contract	Description of the goods supplied in the execution of the contract	No. and Date of the running bill given by the contractor during the period.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Amount of the running bill	Amount of tax deducted at source	Date of payment of the tax shown in column (7) with Chalan No. and Date	No. and Date of issue a certificate in form 40 to the contractor.
(6)	(7)	(8)	(9)

Place__________ Signed______________________

Date__________ Name and designation of the authorized officer

Note:- Strike out which ever is not applicable.

FORM 44

[see rule 45]

Notice under section 29 (l) of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

To,

(Name)___________

(Address)________

Whereas the sum of Rs.______ is due from_______(name and address of the dealer with R.C. No. if any) on account of

I, ____________hereby require you under section 29(l) of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 to pay into the Government Treasury at________ on or before _______(date) and to produce the receipt in proof of the payment before me not later than the______ day of______ any amount due from you to, or held by you for or on account of the said_______ of ____ upto the amount of arrears shown above, and also require you to pay money which may subsequently become due from you to him/*them or which you may subsequently held for or on account of him/*them upto the amount of arrears still remaining unpaid within _______days of the money becoming due or being held by you as aforesaid as such payment is required to meet the amount due from the above said dealer in respect of arrears of ___________________________.

Please note that any payment made by you in compliance with this notice is in law deemed to have been made under the authority of the above named dealer and money receipt will constitute a good and sufficient discharge of your liability to the person to the extent of the amount specified in the receipt.

Please also note that if you discharge any liability to the above named dealer after receipt of this notice, you will be personally liable to the State Government to the extent of the liability discharged or to the extent of the liability of the above named dealer for payment of tax and penalty, whichever is less.

Please note further that if you fail to make payment in pursuance of this notice, proceedings will be initiated to recover the said amount from you as an arrear of land revenue.

A copy of this notice is being sent to______(dealer).

Seal________ Signature____________

Designation___________

*Strike out whichever is not applicable.

FORM 45

[see rule 46 (1)]

Notice for forfeiture of any amount under section 37(3) of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005

To,

______________(Name of the person)
______________(Address)
______________(R.C.No. if any)

Whereas I have reason to believe, that during the period from __________to ______ you have collected by way of tax a sum of Rs. __________ in contravention of the provisions of sub-section (l) of section 37 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

Now, therefore, you are hereby directed to attend personally or through a person authorised by you in writing under section 24 of the said Act at_____ (place) at_______(time) on ________(date) and show cause why the sum of Rs.________or such other-sum as may be finally determined as collected by you in contravention of the provisions of sub-section (l) of section 37 of the said Act be forfeited under the provisions of sub-section (3)_ of that section.

Seal

Place________
Dated________

Signature ____________
Designation ____________

FORM 46

[See rule 46(3)]

Application for refund of the unauthorisedly collected amount forfeited under section 37 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005

To,

The Commercial Tax Officer,
...................................Circle.

I,.........(Name of the person).......(address) hereby make an application for refund of a sum of Rs....... unauthorisedly collected from me by..........(Name of the dealer)..........(address) and forfeited by you under sub-section (3) of section 37 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

The amount of Rs........ the refund of which is being claimed by me was collected from me by way of tax in respect of the goods..............(description of goods) purchased by me from the aforesaid seller and in support of my claim, I hereby enclose a copy of bill/cash memo No............dated....... for Rs...........issued by the said dealer in respect of the purchase of the aforesaid goods.

Place.....................
Date......................

Signature.......................
Name and address..........................

FORM 47

[See rule 47(1)]

Form 47
(See Rule 47(1))
Counter foil
Refund payment order

(under Rs.______ (in words)
Rupees

Book No.______
Voucher No.______
Refunds
Order for refund payable to________
R.C.No.________
Assessment case No............
(If refund accrues under order of assessment)
Date of order ________
Amount Rs.
Date _____ Signed ______

....
signature of the recipient of the voucher
Date of encashment in the Government Treasury
____

Form 47
(See Rule 47(1))
Refund payment order

(under Rs.______ (in words)
Rupees

Book No.______
Voucher No.______
Refunds
(for use in treasury only)

To,
The Treasury /Sub-Treasury Officer ....
1. A refund of Rs...............
(in words)
Rs............................ has been sanctioned in favour of Shri/M/s.......................
.... R.C. No....................
under section 39 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 on account of ....
....

2. No refund of the amount mentioned above has previously been granted to Shri/M/s............................
....

3. Entry of the order of refund has been duly made in the relevant record pertaining to the said dealer under my signature.

4. Please pay to Shri / M/s ....
....
the sum of Rs...............
(in words)
Rupees..............................
....
and debit to the head ......
....

Form 47
(See Rule 47(1))
Refund payment order

(under Rs.______ (in words)
Rupees

Book No.______
Voucher No.______
Refunds

To,
The Treasury /Sub-Treasury Officer ....
2. A refund of Rs...............
(in words)
Rs.............................
has been sanctioned in favour of Shri/M/s..........................
...............R.C. No.
....
under section 39 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 on account of ....
....

2. No refund of the amount mentioned above has previously been granted to Shri/M/s............................
....

3. Entry of the order of refund has been duly made in the relevant record pertaining to the said dealer under my signature.

4. Please pay to Shri / M/s ....
....
the sum of Rs....................
(in words)
Rupees..............................
....
and debit to the head ....
....

Date ....signed...........
Designation.....................

Pay
Rs...........................only
Place ....
Date .... Treasury
Officer/sub treasury officer

Received payment

....
claimants signature

Date ....signed...........
Designation.....................

Pay
Rs...........................only
Place ....
Date .... Treasury
Officer/sub treasury officer

Received payment

....
claimants signature

ORIGINAL
FORM 48

[see rule 48(1)]
Refund Adjustment Order

Under rupees____________(in words) Book No. ________
Voucher No.________

To,

The Treasury/ Sub-Treasury Officer,
____

1. A Refund of Rs. _______ (In Words_____________________) is sactioned under section 39 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 in favour of Shri/ M/s ________ ______________ holding R.C. No. __________ on account of __________ ____

2. No refund of the amount mentioned above has previously been granted to Shri/M/s ______________________________

3. Entry of the order of the refund has been duly made in the relevant record pertaining to the said dealer under my signature.

4. The amount of refund is adjusted towards the amount of Rs.__________ due to the dealer on account of ____________ pertaining to the period from_________ to ___________

5. Please therefore, debit the said sum of Rs.____________ (in wards_________ ____________) to the head ______________ and credit the said sum to the head ______________________

Seal
Date
Copy forwarded to ______________

Signature ______________
Designation ______________

Signature ______________
Designation ______________

(For use in the treasury/sub-treasury)

(To be returned by the treasury/sub-treasury to the officer issuing the refund adjustment order)

To
The Commercial Tax Officer/
Assistant Commissioner of Commercial Tax
____

In pursuance of your refund adjustment order no. __________ dated ________ the sum of Rs.__________ (in wards __________) has been adjusted in the manner indicated therein on __________

Signature ____________________
Treasury/sub-treasury officer ____________________

DUPLICATE

FORM 48

[see rule 48(1)]
Refund Adjustment Order

Under rupees__________(in words) Book No. _______
Voucher No. _______

To,

The Treasury/ Sub-Treasury Officer,
____

1. A Refund of Rs. _______ (In Words____________________) is sectioned under section 39 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 in favour of Shri/M/s __________ holding R.C. No. __________ on account of ______________________________
2. No refund of the amount mentioned above has previously been granted to Shri/M/s ______________________.
3. Entry of the order of the refund has been duly made in the relevant record pertaining to the said dealer under my signature.
4. The amount of refund is adjusted towards the amount of Rs.__________ due to the dealer on account of ____________ pertaining to the period from ________ to __________.
5. Please therefore, debit the said sum of Rs.____________ (in wards____________ ____) to the head ____________ and credit the said sum to the head ________ ____________

Seal Signature ______________

Date Designation ______________

Copy forwarded to ______________

Signature ______________

Designation ______________

(For use in the treasury/sub-treasury)

(To be returned by the treasury/sub-treasury to the officer issuing the refund adjustment order)

To,

The Commercial Tax Officer/

Assistant Commissioner of Commercial Tax

____

In pursuance of your refund adjustment order no. ______________ dated ______________ the sum of Rs. ______________ (in wards ______________) has been adjusted in the manner indicated therein on ______________

Signature ______________

Treasury/sub-treasury officer ______________

TRIPLICATE

FORM 48

[see rule 48(1)]

Refund Adjustment Order

Under rupees ______________ (in words) Book No. ______________

Voucher No. ______________

To,

The Treasury/ Sub-Treasury Officer,

____

1. A Refund of Rs. ______ (In Words ______________) is sectioned under section 39 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 in favour of Shri/M/s ______________ holding R.C. No. ______________ on account of ______________

____

2. No refund of the amount mentioned above has previously been granted to Shri/M/s ______________.

3 Entry of the order of the refund has been duly made in the relevant record pertaining to the said dealer under my signature:

4. The amount of refund is adjusted towards the amount of Rs. ______________ due to the dealer on account of ______________ pertaining to the period from ______________ to ______________.

5. Please therefore, debit the said sum of Rs.____________ (in wards____________ ____) to the head ____________ and credit the said sum to the head ____________.

Seal Signature ____________
Date Designation ____________
Copy forwarded to ____________
Signature ____________
Designation ____________

(For use in the treasury/sub-treasury)

(To be returned by the treasury/sub-treasury to the officer issuing the refund adjustment order)

To,

The Commercial Tax Officer/
Assistant Commissioner of Commercial Tax
____

In pursuance of your refund adjustment order no. ____________ dated ________ the sum of Rs.____________ (in wards ____________) has been adjusted in the manner indicated therein on ____________

Signature ____________
Treasury/sub-treasury officer____________

FORM 49

[see rule 52(1)]

Interest payment order Under Rs.________ (in words) Book No.________ Interest on delayed refund -Counterfoil Order for the payment of interest on delayed refund. Name of the dealer Assessment case No._____ Date of service of order directing the refund _____ Date on which refund payment order or refund adjustment order was issued	Interest payment order Under Rs.________ (in words) Book No.________ Interest on delayed refund (For use in treasury only) Order for payment of interest (Payable at the Government Treasury within three months of the date of issue) To, The Treasury Officer/ Sub-treasury Officer	Interest payment order Under Rs.________ (in words) Book No.________ Interest on delayed refund (for use in treasury only) Order for payment interest (Payable at the Government Treasury within three months of the date of issue) To, The Treasury Officer/ Sub-treasury Officer

period of delay for which interest is payable_______

Amount of delayed refund______

Amount of interest to be paid on delayed refund Rs._______

signed__________

Designation_________

Date_______

Signature of the receipient

Date of encashment in the Government Treasury or Sub-treasury

1. With reference to the assessment record of___ bearing registration certificate No._______ for the period from _______to_________ an amount of Rs._______ was required to be refunded to_________

2. The payment of the said refund was delayed by a period of________ and the dealer is entitled to an interest of Rs. _____at % per annum under section 39(5)of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005

3. A sum of Rs.__________ is sanctioned as the interest on the delayed refund.

4. No order for the payment of interest has previously been granted and that this order for payment of interest has been entered in the Original record under my signature

5. Please pay to_____ the sum of Rs.______ (in figures)Rs._____ (in words)_________and debit it to the head _

date ______Signature___

Place ________Date_____

Pay Rs. _______only

Date___________

Treasury Officer/Sub-Treasury Officer_____

Received Payment_____

Claimant's Signature.

1. With reference to the assessment record of_ bearing registration certificate No.____ for the period from ______to _________ an amount of Rs.____ was required to be refunded to________

2. The payment of the said refund was delayed by a period of _____ and the dealer is entitled to an interest of Rs___ at % per annum under section 39(5)of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005

3. A sum of Rs.______ is sanctioned as the interest on the delayed refund.

4. No order for the payment of interest has previously been granted and that this order for payment of interest has been entered in the Original record under my signature.

5. Please pay to_____ the sum of Rs.______ (in figures)Rs._____ (in words)_________ and debit it to the head

date ____ Signature_____

Place ________Date_____

Pay Rs. _______only

Date___________

Treasury Officer/Sub-Treasury Officer_____

Received Payment_____

Claimant's Signature.

FORM 50

[See rule 53(1)]

Certificate of Audit of Accounts

I/ *We have to report that the statutory audit of ____________________(Name and Address of the dealer, registration certificate No.______________) was conducted by me / us M/s. __________________ __________________in pursuance of the provisions of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005, and I/We annex hereto a copy of my/*our audit report dated______________ along with a copy each of the audited Trading/Manufacturing and profit and loss account for the year ended on __________________________and a copy of the audit balance sheet on at __________________________ along with the documents declared under the relevant Act to be part of or annexed to, the profit and loss account and balance sheet.

Further statement showing the purchase and sales of taxable and non-taxable goods and those taxable at different rate separately are annexed hereto and in the case of a manufacturing concern, the raw materials and finished products manufactured separately for each item of goods. Separate statement showing the details of good s exported out side India, sold in the course of inter-State trade or commerce or consigned or branch transferred to other State or purchased from outside the State, goods received on consignment or branch transfer from other State along with a statement of tax collected and remitted are also annexed.

In my /*our opinion and to the best of my/*our information and according to explanations given to me/*us, the particulars given in the audit report are true and correct .Explanatory note is annexed on point where I/*we do not agree.

CHARTERED ACCOUNTANT

PLACE

DATE

NOTES:

1. *Delete whichever is not applicable
2. This report has to be given by :-

(i) A Chartered Accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (no. 30 of 1949)

AUDIT REPORT

Statement of Particulars

Name and address of the dealer______________

CGCT.No.------------

C.S.T.No.------------

Year ended 31st March	

1.	Books of accounts (i) Maintained (ii) Examined	
2.	Method of accounting employed (indicate whet her any change from the method of accounting employed in the immediately proceeding previous year)	
3.	(i) Method of valuation of opening and closing stock. (ii) State whether there is any change in the method of valuation, of any of the items as compared to the method employed in the immediately preceding previous year.	
4.	Quantitative particulars of principal items of goods, raw materials, finished products etc., dealt with. (In the case of Manufacturing concerns) **(i) Raw materials -** (a) Opening stock (b) Purchases during the year (c) Consumption during the year (d) Sales during the year (e) Transfers (f) Closing stock (g) Yield of finished products (h) Percentage of Yield (i) Shortage **(ii) Finished Products -** (a) Opening stock (b) Purchases during the year (c) Consumption during the year (d) Sales during the year (e) Tranfers (f) Closing stock	

	(g) Shortage and percentage thereof. Note - 1. Information in regard to above sub-items may be given to the extent available 2. Separate quantitative details on the above list should be given in respect of by products also.	
Classification of turnover and details of claims -		
5.(i)	Trading account/Manufacturing account in respect of each class of goods taxable at different rates.	
(ii)	Trading account/Manufacturing account in respect of each class of goods for which exemption from tax is claimed.	
(iii)	Total turnover	
(iv)	Trading account/Manufacturing account of inter-State sales	
(v)	Consignment sales account	
(vi)	Commission sales account	
(vii)	Consignment sales made outside the State	
(viii)	Annual turnover of goods taxable at different rates of tax.	
(ix)	Annual purchase prices of goods taxable at different rates of tax	
(x)	Input tax rebate allowable at different rates.	
	i) The total amount of value added tax collected during the year.	
(xi)	ii) The total amount of value added tax due for the year.	
(xii)	The total amount of value added tax paid during the year.	

(xiii) (xiv) (xv) (xvi) (xvii) (xviii)	*Monthly Collections and payment particulars may be given The total amount of C.S.T. collected during the year. The total amount of C.S.T. paid during the year. *Monthly Collections and payment particulars may be given. Whether there is any illegal collection, if so whether the same has been remitted to Government. Interest payable (I) under CG VAT Act (II) under CST Act Interest paid (I) under CG VAT Act (II) under CST Act	
6.	(a) Whether the purchases are supported by bills, invoice, etc., and tax shown separately if not give details. b) Whether the sales are supported by bills, invoice, etc. and tax shown separately if not give details.	
7.	Whether the auditor has come across any violation of the CG VAT Act or rules made there under during the course of audit.	
8.	Whether the auditor has come across any violation of the CST Act and with the rules during the course of audit.	

TRADING ACCOUNT
STATEMENT OF PARTICULARS IN THE CASE OF A PERSON CARRYING ON BUSINESS

1.	Name of the dealer	
2.	Address	
3.	Registration No. under CGVAT/CST Act	
4.	Period of Assessment	

5.	Books of account maintained (Details to be furnished)	
6.	Method of accounting employed (indicate whether any change from the method of account employed in the immediately preceding year)	
7.	(i) Method of valuation of opening and closing stock (ii)State whether there is any change in the method of valuation of any of the items as compared to the method employed in the immediately preceding year.	
8.	In the case of manufacturing concerns -	

Give details of manufacturing account with quantity and value of each item of stock, goods consumed, finished goods and by-products separately and give percentage of yield and shortage (Suitable tabular form shall be drafted for the above manufacturing account and furnish complete details of quantity and value.)

9.	In the case of all dealers. -	

Furnish trading account separately showing particulars in respect of each class of goods, as given in the Schedules to the Chhattisgarh Value Added Tax Act 2003, in the following format (separate details in respect of taxable and non taxable turnover shall be furnished).

		Quantity	Amount
(1)	Name of the goods		
(2)	Schedule and item under which the above goods classified with rate of tax..		
	A. Opening stock		
	B. Receipts of goods (i) Purchase (a) Intra-State (b) Inter-State (c) In the course of import (ii) Transfers: (a) From HO/Branch (b) Consignment stock transfer		

	(iii) Manufacture (iv) Other receipts (give details)		
	C. **Total (A) + (b)**		
	D. Issue of goods (i) Sales: (a) Intra-State (b) Inter-State (c) In the course of export (ii) Transfers: (a) To HO/Branch (b) Consignment stock transfer (iii) Consumption (iv) Other issues (give details)		
	E. Closing stock		
	F. **Total (D) + (E)**		
	G. **Gross profit (F) - (C)**		
	H. Percentage of gross profit to sales		
10.	In the case of transfer of right to use goods give details of turnover.		
11.	Sale of fixed assets (Give description of the assets) a) Taxable turnover b) Non-taxable turnover		
12.	Turnover of scrap/wastage and other items not given above.		
13.	Total turnover for the year (Give details)		
14.	Turnover exempted under Section 15 (give details).		
15.	Particulars of deductions allowable from the total turnover, separately for each class of goods.		

16.	Particulars of deductions allowable under the CST Act from the total turnover, separately for each class of goods.
17.	Particulars and amount of input tax rebate claimed.
18.	The total amount of rate wise value Added Tax collected during the year (monthly rate wise collection particulars annexed)
19.	The total amount of Value Added Tax paid during the year, (monthly payment particulars annexed)
20.	The total amount of rate wise CST collected during the year (monthly collection particulars annexed)
21.	The total amount of CST paid during the year (Monthly payment particulars annexed)
22.	Whether there is any excess or illegal tax collection, if so whether the same has been remitted to the Government (Give details)
23	Whether the purchases are supported by bills /invoices. If not give details.
24.	Whether the sales are supported by invoices If not, give details.
25.	Details of inspection of the place of business of the dealer during the above year.
26.	Details of interest, if any payable – (i) Under Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (ii) Under the Central Sales Tax Act

I ______________________ Managing partner/ Proprietor/ Managing Director/ Manager of M/s. ______________ (Name and address) ____ ________ do hereby declare that the particulars given above are true and correct to the best of my knowledge, information and belief.

Signature

I certify that above particulars are verified by me from books of account and same are true and correct.

For,

____

CHARTERED ACCOUNTANT

(Name)

(Proprietor/Partners)

Membership No.

____

Address

Place: Name : ______________________

Date: Status :

Place :

Date :

Note:- 1. The above statement shall be signed by the person authorised to sign the return under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

2. The goods may be classified in the above statement as per the description in schedule II to the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

3. The above statement shall furnish the complete particulars in accordance with the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005, and Central Sales Tax Act, 1956.

4. The above particulars shall be prepared by the dealer and submitted along with the form No. 18.

FORM 51

{See rule 53(2)(i)}

Order under section 41 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

To,

Shri___________(Name)
___________(address)

Registration certificate No.___________(if any)

Whereas the accounts at present kept by you are not sufficiently clear for the verification of your returns, you are hereby directed to maintain your accounts in the manner specified herein (as appended) from the first day of__________.

Seal Signature_______________
Date_________ Designation_____________

FORM 52

[see rule 56 (9)]

Form of Summons under section 46 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

To,

____

*Whereas your attendance is necessary to give evidence / whereas the following documents ___________ (here describe the documents in sufficient detail to permit their identification with reasonable certainty) are required with reference to an inquiry under the Chhattisgarh Value Added Tax, 2005 ________ (here enter in brief the subject of the inquiry) now pending before me, you are hereby summoned to appear in person,

to produce, or cause to be produced, the said documents before me on the ______ day of______ of 20________ at________(time)_________(and not to depart until permitted by me).

*Given under my hand and seal this _______day of________

Place________ Signature ____________
Dated_________ Designation ____________

*These words should be omitted where the summons is for production of documents only).

FORM 53

[See Rule 57(3)]

Memorandum of appeal against an order of assessment or penalty or refund under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

To,
The...
....

Name of the dealer or person ....
Registration certificate No. ....
Place of business ....
Name of the circle ....

This appeal is being filed against the order of assessment/penalty/refund dated ....passed by.........................(here give the name and designation of the authority who passed the order). The order was communicated on.....................

2. The following particulars are furnished in respect of this appeal :

(A) Period of assessment from...................to...................

(B) Particulars	As admitted by the appellant	As determined by the assessing authority
Turnover	....	....
Taxable turnover	....	....
Aggregate of Purchase price liable to purchase tax	....	....
Input Tax Rebate	....	....

(C) Particulars of penalty imposed under Section/Rule	Amount
(i)............................	....
(ii)............................	....
(iii)............................	....
Total	....

(D) The appellant has paid Rs.................before assessment and Rs.................after assessment.

3. The notice of demand and a certified copy of the order appealed against are attached.
4. The appellant has paid out of the total demand of Rs......................a sum of Rs.................as required by clause ( ) of sub-section (4) of section 48.
5. Additional particulars to be furnished in respect of second appeal.

Following relief has been given :

(a) amount of reduction in tax, if quantified.........................

(b) amount of reduction in penalty if quantified..................

(c) additional amount of input tax rebate allowed ,

(d) the relief given has not been quantified but the following relief has been given which has to be quantified by the assessing authority: ....

OR

The appellate Deputy Commissioner made the following enhancement :

....

6. This appeal is made on the following grounds :

....(here state the grounds on which the appeal is preferred)

7. The appellant, therefore, prays for the following relief :

....(here give particulars of the relief sought)

Signed.......................

Date........................ (To be signed by the appellant or by an agent duly authorised in writing in this behalf by the appellant)

Appellant named above hereby declares that what is stated herein is true to the best of his information and belief.

Signed.......................

Date.......................... (To be signed by the appellant or by an agent duly authorised in writing in this behalf by the appellant)

FORM 54

[See Rule 57(4)]

Application for revision under section 49(1) of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

To,

The...............................

....

Name of the dealer	....
Address	....
Registration certificate No.	....
Name of the circle	....

This application for revision is being filed against the order of assessment/ penalty/refund/appeal or against the order under section/rule........dated........... passed by.................(here give the name and designation of the authority who passed the order). The order was communicated on................

2. The following particulars are furnished in respect of this application for revision :

(A) Period of assessment from..........................to........................

(B) Particulars	As admitted by the applicant	As determined by the assessing /appellate authority
Turnover	....	....

Taxable turnover	....	....
Purchase price liable to purchase tax	....	....
Aggregate of input Tax Rebate	....	....

(C) Particulars of penalty imposed under Section/Rule — Amount

(i)............................ ....

(ii)............................ ....

(iii)............................ ....

Total ....

(D) The petitioner has paid Rs................before assessment and Rs................ after assessment.

3. A certified copy of the order against which this revision application is filed is attached. (The notice of demand should also be filed in case the application for revision is against the original order of assessment/penalty).
4. Additional particulars (to be furnished where the revision is filed against the order of appellate Deputy Commissioner. In the appeal preferred by the petitioner, the appeal was dismissed or the following relief has been given.)
   (a) amount of reduction in tax, if quantified........................
   (b) amount of reduction in penalty if quantified..................
   (c) amount of input tax rebate allowed ....
   (d) the relief given has not been quantified but the following relief has been given which has to be quantified by the assessing authority : ....
   ....

OR

The appellate Deputy Commissioner has made the following enhancement :

....

5. The application for revision is made on the following grounds :
   ....(here state the grounds on which the application is filed)
6. The Petitioner, therefore, prays for the following relief :
   ....(here give particulars of the relief sought)

Signed.......................

Date........................ (To be signed by the applicant or by an agent duly authorised in this behalf by the applicant in writing)

Petitioner named above hereby declares that what is stated herein is true to the best of his information and belief.

Signed.......................

(To be signed by the applicant or by an agent duly authorised in this behalf by the applicant in writing)

Date........................

FORM 55

(see rule 61)

Notice to a dealer under section 48 or 49 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 to pass an order which affects him prejudicially

To,
Shri_________
Registration No.________

Whereas it is proposed to pass an order to the effect mentioned below you are hereby informed that if you wish to prefer any objection against such order, you should attend either personally or by agent duly authorised for the purpose at the office of the undersigned at _______ on the _______day of______ 20

Gist of the order proposed to be passed ____________

Seal
Dated________ 20____ (Signed)__________
Designation____________

FORM 56

{see rule 64}

Notice under sub-section (l) of section 56 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

To,
Shri_______________
Address_____________
Registration No.________

Whereas it appears that in the order/decision dated ____________ passed /given by ________ for the period from ______to __________in your case, there is the following mistake, namely:-

____

and whereas it is proposed to rectify the mistake as stated below which will have the effect of enhancing the tax/reducing the amount of refund/input tax rebate you are hereby given notice under clause (ii) of the proviso to sub-section (l) of section 56 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005, that if you wish to prefer any objection against the proposed rectification, you should attend either personally or through a person authorised by you in writing in that behalf being a person specified in section 24 of the said Act at the office of the undersigned at_______(place) at_______(time) on_________ the day of__________.

Give reasons for rectification proposed to be made:-

Seal

Place_______ Signature ____________
Dated________ Designation ______________

FORM 57

{see rule 66}

Requisition for the services of a police officer

The Station House Officer

____

Whereas, I have reason to believe that the dealer M/s. __________ (Name) of ________ (Address) has stored/kept at ________ (Address of place) goods liable to tax without accounting for them in the books/registers/accounts maintained by him with a view to their surreptitious sale in order to evade payment of tax and it is proposed to enter and search the said premises at _______and thereafter, if necessary to seize the unaccounted goods, and whereas, I apprehend resistance to such entry, search and seizure, you are requested to render assistance for the said entry, search and seizure on ______(date)_________at______(time)

Seal

Place____________ Signature______________

Date____________ Designation______________

FORM - 58

Notice under section 57(6)(b) of Chhattisgarh Value Added Tax Act. 2005

To,

(Name)__________________
(Address)__________________________
(Registration Certificate No.______________)

Whereas I have reason to believe that you stored goods (Description of goods)________of the assumed value of Rs.__________ in your place of business at__________ without accounting for them in your books of accounts with a view to evade the payment of tax amounting to Rs.________.

Now, wherefore, you are hereby called upon to show cause why a penalty equal to five time of the account of Tax of Rs.________ calculated on the assumed sale price of the said goods should not be imposed on you under clause(c) of sub-section(6) of section 57 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act. 2005 and directed to appear in person or by a person authorized by you in writing under sub-section (1) of section 24 for being heard in this regard at ________ (place) __________ (time) ________on (date) ____________

Seal

Date______ (Signed)______________
(Designation)_______________

FORM - 59

[See rule 69(3)]

DECLARATION

Under section 58 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005

Book No.______ S.No._______ Date of issue___________

Name and address of the dealer to whom issued_________ Seal of issuing authority

Registration Certificate No.

under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005

1. (a) Name and complete address of the consignor or the consignee, as the case may be
2. Place from which the goods dispatched.
3. Consignor's invoice No. and date.
4. Destination (including District)
5. Brief description of goods
6. Total quantity and total weight
7. Total value
8. (a) Name and address of the carrier (transport company or owner of the vehicle etc.) and vehicle number.
   (b) Bilty/L.R. No. and date

I, ___________ declare that to the best of my knowledge and belief the above statements are true and correct.

Place

Date

Seal and signature of the consignor of the goods

(To be completed in the office of the check post)

Time of arrival of the vehicle at the check post________

Date

Time of departure of the vehicle from the check post__________

Reasons for abnormal detention of the vehicle at the check post______________

Seal

Date

Signature and designation of the officer

FORM - 60

[See Rule 70]

Declaration

Under section 58 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 in respect of goods belonging to a person.

1. (a) Name and complete address of the consignor
   (b) Registration certificate number under the State Sales Tax law of the appropriate State(if any)
2. Name and complete address of the consignee
3. Name and complete address of the person to whom goods will be delivered in case his consignee is described as self in the declaration.
4. Place from which the goods dispatched.
5. Destination(including District)
6. Brief description of goods
7. Total quantity
8. Total weight
9. Total value
10. Consignor's invoice No. and date
11. (a) name and address of the carrier(transport company or owner of the vehicle etc.)
    (b) Details of the vehicle with its number
    (c) name and address of the driver of the vehicle
    (d) name and address of the person in charge of the goods.
    (e) Bilty / L.R.No. and date

I, _______________ declare that to the best of my knowledge and belief the above statements are true and correct.

Place

Date

Signature and designation

FORM-61

[See rule 71(3)]

Statement showing the particulars of goods transported under section 58 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005

To,

the__________(Designation of the officer)

__________(Address)

With reference to your requisition No.______ dated______

I, _____________ Proprietor/Manager/Partner/Director of Transport company Society/firm/Proprietor concern known as________ owning vehicle No._______ whose office is situated at ___________ (hereby, furnish the following particulars the goods transported.

(1) Details of the vehicle with registration No.

(2) Name and address of the driver of the vehicle

(3) Full name and address with registration certificate No. under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005, if any of the dealer on whose behalf the goods aare consigned.
(4) Full name and address of the person actually consigning the goods if he is a person other than the dealer mentioned in (iii) above.
(5) Full name and address with the registration Certificate No. under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005,
if and of the dealer on whose behalf the goods are actually consigned.
(6) Full name and address of the person taking delivery of the goods.
(7) Name and address of the person incharge of the goods.
(8) Place (with district) from which goods dispatched.
(9) Destination (with district)
(10) Description of goods
(11) Quantity or weight
(12) Value of goods
(13) Consignor's invoice No. and date.

I hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief.

Date
Place

Signature with designation

FORM-62

[See rule 73(2)]

Notice under section(11) of section 58 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005

To,

_________________ (Name of the Transporter)
_________________(Address)

Whereas you are transporting goods notified under sub-section(3) of section 58 in respect of which.

* You have not filed a declaration as required by clause (a) of sub-section (4) of the said section,

OR

* The declaration filed by you under clause (a) of sub-section (4) of section 58 in respect of the following goods has been found to be false/incorrect in respect of their kind/quantity/value at eh time of verification of the goods carried in the vehicle and the goods listed in the declaration.

(have give the particulars of the goods and particulars of the discrepancy noticed)

OR

* In the declaration filed by you under clause (a) sub-section (4) of section 58 the consignor/consignee of the goods is shown to be a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act. 2005, while the records available with me do not show the existence of any such dealer.

Now, therefore, you are called upon to show cause on _______ why it should not be presumed that an attempt was being made to facilitate the evasion of tax, in respect of such goods and that why a penalty of Rs._____ (in figures)___________should not be imposed upon you.

Seal
Date

Signature_______________
Check Post Officer
_______________ Check Post

* Strike out whichever is not applicable.

FORM - 63

[See rule 73(4)]

Notice for disposal by way of sale of goods or the vehicle alongwith the goods under sub-section (15)of section 58 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act. 2005

To,

_______________(Name of the transporter)
_______________(Address)

Whereas, a penalty of Rs.__________(in figures) ________ (in worlds) has bee imposed upon ;you under sub-section(13) of section 58 vide order dated ___________ served on you on_________ and whereas you have failed to deposit the said amount within the prescribed time. Now, therefore, you are called upon to show cause on _________ why the following goods or the vehicle along with the goods should not be seized and disposed of by way of sale.
(here give details of goods/vehicle)

Signature_____________
Check post Officer
____________ Check post.

FORM-64

[See rule 73(6)]

Order of disposal by way of sale of goods or the vehicle alongwith the goods under sub-section (15) of section 58 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act. 2005

Whereas, a penalty of Rs. __________in figures ______________ (in world) has been imposed on __________ (Name and address of the transporter) under sub section (13) of section 58 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act. 2005 vide order dated ________ and

Whereas the said transporter has failed to deposit the said amount within the time prescribed for it, Now, therefore, under the provisions of sub-section (15) of section 58 of the said Act the following goods or the vehicle alongwith in the goods are hereby ordered to be disposed of by way of sale.

____
(here give details of goods/vehicle)

Signature_________________
check Post officer
________________Check post.

Copy forwarded to _____________ (Name and address of the transporter) for information.
Signature______________
check post officer
______________ Check post

FORM-65

[See rule 74 (2)(c)]

Application for obtaining declaration in form 59

To,

The Commercial Tax Officer,

____

____

Sir,

* I/We, ____________ am/are carrying on Business under the name and style of __________ situated at ____________ (city/town/village) ____________ (Tehsil) ______________ (District) and holding registration certificate No.________ under the Chhattisgarh Value Added Tax Act. 2005

1. I/We request that__________ books of declaration form 59 containing 50 Forms/*__________ loose forms be supplied to * me/us, the fee for which* I/We have paid into the treasury and in support of which * I/We enclose a treasury receipted challan in form 34 bearing No. ________ Date _______ for Rs.__________
2. * I/We declare that * my/our Registration certificate mentioned above is in force and has not been cancelled till this date.
3. *I/We further declare that *I/We am/are not in arrears of any dues for any period under any Act.

OR

*I/We are in arrears of dues under the Act, the particulars of which are given below.

	Name of the Act	Period	Amount(in rupees)
1.			
2.			
3.			
4.			

*Signature of the Proprietor/Manager/Secretary of the Company/partner of the firm.

Received ____________ Books bearing No. from ________ to _____/* _______ loose forms bearing No. from ________ to ___________

Signature of the dealer or his authorized representative

* Strike out whichever is not applicable.

FORM-66

[See rule 74 (3)]

Register to be maintained dealers who obtain declaration form 59 from the Commercial Tax Officer.

S.No.	Book and S.No. of form 59	Name and full address of Consignor/ consignee	Place from where goods dispatched	Destination	Description of goods

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

No.of packages	Quantity/Weight	Value of goods (in Rupees)	Invoice No. and date	Name and full address of the carrier (transporter company or owner of the vehicle)
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Truck No.	Bilty No. and date	Remarks
(12)	(13)	(14)

FORM 67
[See rule 74 (4)]
INDEMNITY BOND

Know all men by these presents I__________________ S/o __________________ registered dealer under the Chhattisgarh Value Added Tax Act. 2005 under the registration No.___________ (hereinafter called the Obligor is/are held and firmly bound unto Governor of Chhattisgarh (hereinafter called the Government) in sum of __________ (in figures) Rupees ________________ (in words) well and truly to be paid to the government on demand and without demur for which payment to be well and truly made I bind myself and my heirs, executors, administrators, legal representatives and assign/We bind ourselves, our successors and assign and the person for the time being having control over our assets and affairs.
Signed this _______ day of ___________ Two thousand and ___________ whereas sub-rule(4) of rule 74 of the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006 requires that in the event of a blank of a duly completed form of declaration is lost while it is in the custody of the dealer or in transit to the selling/purchasing dealer, to furnish an indemnity bond to the authority from whom the said form was obtained.

And whereas the obligor here is such dealer, and whereas the obligor has lost the declaration in *Form 59 bearing No.____________ * which was blank/duly completed, and was issued to him by _______ (Name and destination of the authority) ___________ in respect of the goods mentioned below (hereinafter referred to as the *"FORMS"

S.No.	No. of Bill/invoice challan	Date	Description of goods	Quantity	Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Now the condition of the above written bond of obligation is such that the obligor shall in the event of a loss suffered by the Government (in respect of which the decision of the Government or the

authority appointed for the purpose shall be final and binding on the obligor) as a result of the misuse of the form.

Pay to the Government on demand and without demur the said sum of Rs.______ Rupees __________(in words) and shall otherwise indemnify and keep the Government harmless and indemnify against and from all liabilities incurred by the Government as a result of the misuse of such form. Then the above written bond or obligation shall be void and of no effect but otherwise shall remain in full force, effect but otherwise shall remain in full force, effect and virtue. The obligor further undertakes to mortgage/charge, the properties specified in the schedule hereunder written by execution of proper deed of mortgage/charge for the payment of the said sum whenever called upon to do so by the assessing authority.

SCHEDULE

(Give details of the properties mortgaged/charged)

And these presents also witnesseth that the liability of the obligor hereunder shall not be impaired or discharged by reasons of and forbearance, act or omission of the Government or for any time being granted or indulgence shown by the Government or by re4ason of any change in the constitution of the obligor in cases where the obligor is not an individual.

The Government agrees to bear the stamp duty if any, chargeable on these presents. In witness where of the obligor *has set his hand/* has caused these presents executed by its authorized representatives, on the day, month and year above written.

Signed by the above named obligor
in the presence of-

1.______________
2.______________

Obligor's signature

Accepted for and on behalf of the Governor of Chhattisgarh by name and designation of the officer duly authorized in pursuance of article 299 (1) of the Constitution to accept the bond and on behalf of the Governor of Madhya Pradesh.
In the presence of-

1.______________
2.______________

(Name and Destination of the Officer)

FORM-68

[See rule 74(9)]

Register of issue of blank declarations in form 59

S.No.	Date	Name and Registration No. of the dealer	No. of forms issued	Book No./S.No. from__ to	Signature of the dealer	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Form 69
[See rule 75(1)]

Triplicate	Duplicate	Original
(1)	(2)	(3)
Application for issue of Transit Pass (to be submitted in triplicate) To, The Check Post Officer,______ Check Post I ________ S/o Shri ________ R/O, ____ ____________(full address) hereby declare that I am the transporter of the vehicle no. ________ belonging to _______ (name and address of the owner/transporting agency)	Application for issue of Transit Pass (to be submitted in triplicate) To, The Check Post Officer, ___ Check Post 1,________S/o. Shri________ R/O. ____ ___________ (full address) hereby declare that I am the transporter of the vehicle no.________ belonging to ______ (name and address of the owner/transporting agency)	Application for issue of Transit Pass (to be submitted in triplicate) To, The Check Post Officer, ______ Check Post 1,________S/o. Shri_______ R/O. ______ ___________ (full address) hereby declare that I am the transporter of the vehicle no._______ belonging to ______ (name and address of the owner/transporting agency)
2. I hereby declare that the consignments detailed overleaf being carried by the above vehicle are meant for destination in other state. They will not be unloaded or delivered anywhere in Chhattisgarh 3. My vehicle/*Truck will cross Chhatisgarh for (name of the other State) Border at .... Check post on or before .... (date) by .... hours (time) Date________ Time___________ Place___________ ___________ Signature Status_____	4. I hereby declare that the consignments detailed overleaf being carried by the above vehicle are meant for destination in other state, They will not be unloaded or delivered anywhere in Chhattisgarh 5. My vehicle/*Truck will cross Chhatisgarh for (name of the other State) Border at.................... Chech post on or before .... (date) by .... hours (time) Date________ Time___________ Place___________ ___________ Signature Status_____	6. I hereby declare that the consignments detailed overleaf being carried by the above vehicle are meant for destination in other state. They will not be unloaded or delivered anywhere in Chhattisgarh 7. My vehicle/*Truck will cross Chhattisgarh for (name of the other State) Border at.........Check Post on or before........ (date) by ....hours (time) Date________ Time___________ Place___________ ___________ Signature Status_____

Transit Pass
Sr.No.__________
Vehicle*/Truck No.______ carrying the consignments mentioned overleaf is permitted to cross Chhattisgarh................ ....(name of the state) border at .... check post by .... Hours on or before .... Date ....

Place__________
Date__________
Time__________

____
Signature of the check post officer__________ check post

(SEAL)
*Strike out whichever is not applicable.
Certified that I have received the duplicate copy of this pass.

Transit Pass
Sr.No.__________
Vehicle*/Truck No.______ carrying the consignments mentioned overleaf is permitted to cross Chhattisgarh .... (name of the state) border at ... .check post by .... Hours on or before .... Date..............

Place__________
Date__________
Time__________

____
Signature of the check post officer__________ check post

(SEAL)
*Strike out whichever is not applicable.

Transit Pass
Sr.No.__________
Vehicle*/Truck No.______ carrying the consignments mentioned overleaf is permitted to cross Chhattisgarh ....(name of the state) border at .... check post by .... Hours on or before ....Date.............

Place__________
Date__________
Time__________

____
Signature of the check post officer__________ check post

(SEAL)
*Strike out whichever is not applicable.

Place__________
Date__________
Time__________

____
Signature of the check post officer __________check post

(SEAL) (SEAL) (SEAL)

Details of consignment carried by the vehicle

1.	(a) Name and complete address of the consignor. (b) Registration certificate number under the State Sales Tax law of the appropriate State (if any)	
2.	(a) Name and complete address of the consignee. (b) Registration certificate number under the State Sales Tax law of the appropriate State (if any)	
3.	Name and complete address of the person to whom goods will be delivered in case his consignee is described as self in the declaration.	
4.	Place from which goods dispatched.	
5.	Destination (including District)	

6.	Brief description of goods	
7.	Total quantity	
8.	Total weight	
9.	Total value	
10.	Consignor's invoice No. and date	
11.	(a) name and address of the carrier (transport company or owner of the vehicle etc.) (b) Details of the vehicle with its number (c) name and address of the driver of the vehicle (d) name and address of the person incharge of the goods. (e) Bilty/L.R.No. and date	
12.	In case of transshipment of goods in transit- (a) name and address of the carrier (Transport company or owner of the vehicle etc.) (b) Details of the vehicle with its number (c) name and address of the driver of the vehicle (d) name and address of the person incharge of the goods. (e) Bilty/L.R.No. and date (f) name of the exit chech post through which the vehicle will crass through the state	

FORM 70

[See rule 77(1)]

Intimation under section 62(1) of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

To,

The Commercial Tax Officer,
______________ Circle

I, ______________ Proprietor/*Manager/*Director of proprietorship concern /* firm /*society*/ company known as ________ whose office is situated at ___________ hereby inform that I am carrying on the business of clearing, forwarding, booking agent /* dalal /* transporting of goods under the aforesaid name in your circle.

Place __________

Date __________

____
Signature

* strike out whichever is not applicable.

ACKNOWLEDGEMENT

Received an intimation in form 70 from Shri ___________ of __________ (name of the business) __________ place on ____________.

Commercial Tax Officer
__________ Circle

FORM 71

[See rule 77(2)]

Register of intimations received under section 62(1) of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

______________Circle

S.No.	Name of the clearing /forwarding/booking agent/dalal/person transporting goods.	Address	Date of receipt of intimation.

FORM 72

[See rule 78(1)]

Application for grant of Tax Clearance Certificate

To,
The Commercial Tax Officer
..................................Circle

I request that a Tax clearance certificate be granted to me. I give below the necessary particulars :

(1) Full name of the applicant ....
(2) Father's Name ....
(3) Name of the business with address ....
(4) Registration Certificate No. (if any) ....
(5) Permanent address of the applicant ....
(6) Present address of the applicant ....
(7) Name, designation and address of the officer before whom certificate is to be presented ....
(8) Value of contract and its duration ....
(9) Amount of earnest money required to be deposited ....

I,.............declare, that to the best of my knowledge and belief., the information furnished above is correct, complete and is truly stated.

Place.....................   Signature........................
Date ....   Status.............................

ACKNOWLEDGEMENT

Received an application in form 70 from Shri...for grant of a tax clearance certificate under rule 77 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2006.

Date...........................   Receiving Officer
....

FORM 73

[See rule 78(2)]

Tax Clearance Certificate

Certified that Shri........... Proprietor/*Manager/*Director/*Owner of the firm known as............. Karta of the family whose principal place of business situated at.......... (Tehsil) ....District.........within the jurisdiction of the Commercial Tax Officer of.......circle is not in arrears of any dues on account of tax, interest and penalty under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005/*the Central Sales Tax Act, 1956/the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976.

Seal

Place.....................
Date......................

Signature ....
Commercial Tax Officer
...............Circle

* Strike out whichever is not applicable.

FORM 74

[See rule 80]

Statement of rate wise stock of goods on the date of commencement of Value Added Tax Act 2005.

S.No.	Name of goods	Rate of Tax	Quantity	Value	Date of purchase	From whom purchased	R.C. No.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Seal

Place.....................
Date......................

Signature ....
Name and status of the person
....

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.